CONTENTS

Fifteenth Series, Vol. X, Fifth Session, 2010/1932 (Saka)
No. 8, Wednesday, August 4, 2010/ Sravana 13, 1932 (Saka)

SUBJECTS	PAGES
FELICITATION BY THE SPEAKER	
Congratulating Shri Sachin Tendulkar on becoming the most-capped Test Player in the history of Cricket	2
and	
Indian Carrom Team for winning the 14th SAARC Carrom Championship	2
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	6-506
Starred Question Nos. 141 to 160	6-69
Unstarred Question Nos. 1611 to 1840	70-506

SUBMISSION BY MEMBER

Illegal construction of gates by the Maharashtra Government on Babhali project on river Godavari 507-511

PAPERS LAID ON THE TABLE 512-519

MESSAGE FROM RAJYA SABHA AND BILL AS PASSED BY RAJYA SABHA 519

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

8th Report 520

STANDING COMMITTEE ON HEALTH AND FAMILY WELFARE 520

(i) 43rd to 45th Reports 520

(ii) Evidence 520

STANDING COMMITTEE ON PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES, LAW AND JUSTICE

40th and 41st Reports 521

STATEMENTS BY MINISTERS 521-523, 605-609

(i) Status of implementation of recommendations contained in the 4th Report of the Standing Committee on Finance on Demands for Grants (2009-2010), pertaining to the Ministry of Statistics and Programme Implementation

Shri Shriprakash Jaiswal 521-523

(ii) Situation in Jammu and Kashmir

Shri P. Chidambram 605-609

ELECTION TO COMMITTEE

National Tiger Conservation Authority 524

MATTERS UNDER RULE 377 525-533

(i) Need to include Bharatpur district in Rajasthan in the National Capital Region for the overall development of the area.

Shri Ratan Singh 525

(ii) Need for setting up of Water Purifier Plants to ensure supply of clean drinking water in Bahraich district, Uttar Pradesh.

Shri Kamal Kishore Commando 526

(iii) Need to continue the services of south bound trains from Egmore railway station in Tamil Nadu

Shri N.S.V. Chitthan 527

(iv) Need to maintain standards in the ongoing construction of rail under bridge at Nangangud railway station in Karnataka besides expediting its completion.

Shri R. Dhruvanarayana 528

(v) Need to provide irrigation facilities in the tribal areas of Gadchiroli district, Maharashtra through a Centrally Sponsored Scheme.

Shri Marotrao Sainuji Kowase 529

(vi) Need to formulate a comprehensive policy to regulate procurement procedure of opium in order to safeguard the interests of opium cultivators in the country.

Shri Dushyant Singh 530

(vii) Need to accord special status to Gulbarga, Raichur, Bidar and Koppal regions of Karnataka by amending article 371 of the Constitution with a view to remove regional imbalance in the regions.

Shri D.B. Chandre Gowda 531

(viii) Need to take steps to curb the social evil of 'Online gambling'.

Dr. Ratna De 532

(ix) Need to resume operation of Rock Fort Express running between Trichi and Chennai in Tamil Nadu.

Shri P. Kumar 533

MOTION RE: CONSIDERATION OF INFLATIONARY PRESSURE ON THE ECONOMY AND ITS ADVERSE IMPACT ON THE COMMON MAN 534-563

Shri Hassan Khan 534

Shri Badruddin Ajmal 535-540

Shri Pranab Mukherjee 541-559

MOTION RE: CONSIDERATION OF ISSUES OF POPULATION STABILISATION IN THE COUNTRY 564-719

Shri Ghulam Nabi Azad 564-575, 713-718

Shrimati Sumitra Mahajan 576-582

Shri Naveen Jindal 583-587

Shri Shailendra Kumar 588-592

Shri Gorakhnath Pandey 593-596

Shri Sushil Kumar Singh 597-600

Shri Abdul Rahman 601-604

Dr. Anup Kumar Saha 609-612

Shri Naranbhai Kachhadia 613

Shri S. Semmalai 614

Shri Virendra Kumar 616

Shri B. Mahtab 617-623

Shri C.R. Patil	624-626
Shri A.T. Nana Patil	627-631
Shri Prataprao Ganpatrao Jadhao	632-634
Shrimati Supriya Sule	635-637
Shri Hassan Khan	638
Shri C. Sivasami	639-642
Shri Jagdambika Pal	646-647
Shri S. S. Ramasubbu	648-649
Dr. Sanjeev Ganesh Naik	650-651
Shri P. Kumar	652-653
Yogi Aditya Nath	654-658
Shri Ghanshyam Anuragi	659-661
Shri Deepender Singh Hooda	662-667
Shri Jayant Chaudhary	668-671
Shri Ravindra Kumar Pandey	672
Shrimati Paramjit Kaur Gulshan	673-676
Shri Hansraj G. Ahir	677-679
Shri P. Lingam	680-682
Shri Jagdanand Singh	683-685
Shri Hukamdeo Narayan Yadav	686-687
Shri Adhir Chowdhury	688-690
Shri Narahari Mahato	691-692
Shri Prasanta Kumar Majumdar	693-695
Dr. Sanjay Jaiswal	696-698
Shrimati Botcha Jhansi Lakshmi	699-701
Shri R.K. Singh Patel	702
Shri Vijay Bahadur Singh	703-704
Shri Kamal Kishore 'Commando'	705
Shri Sansuma Khunggur Bwiswmuthiary	706-707

Shri J.M. Aaron Rashid 708-709
Dr. Prabha Kishor Taviad 710
Shri Narayan Singh Amlabe 711
Shri Ramashankar Rajbhar 712

ANNEXURE – I 720-725

Member-wise Index to Starred Questions 720

Member-wise Index to Unstarred Questions 721-725

ANNEXURE – II 726-728

Ministry-wise Index to Starred Questions 726

Ministry-wise Index to Unstarred Questions 727-728

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shrimati Meira Kumar

THE DEPUTY SPEAKER

Shri Karia Munda

PANEL OF CHAIRMEN

Shri Basu Deb Acharia

Shri P.C. Chacko

Shrimati Sumitra Mahajan

Shri Inder Singh Namdhari

Shri Francisco Cosme Sardinha

Shri Arjun Charan Sethi

Dr. Raghuvansh Prasad Singh

Dr. M. Thambidurai

Shri Beni Prasad Verma

Dr. Girija Vyas

SECRETARY-GENERAL

Shri P.D.T. Achary

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Wednesday, August 4, 2010/ Sravana 13, 1932 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[MADAM SPEAKER in the Chair]

FELICITATIONS BY THE SPEAKER

Congratulating Shri Sachin Tendulkar on becoming the most-capped Test Player in the history of cricket and Indian Carrom Team for winning the 14th SAARC Carrom Championship

MADAM SPEAKER: Hon. Members, I am sure all of you will join me in conveying our heartiest felicitations to Sachin Tendulkar on becoming the most capped test player in the history of cricket. He achieved this commendable feat of playing in his 169th test match on the first day of the third test against Sri Lanka at Colombo yesterday. This unique achievement is a source of inspiration for budding cricketers of this country.

Hon. Members, I am sure all of you will also join me in conveying our heartiest felicitations to Indian Carrom Team which recently won the 14th SAARC Carrom Championship which was held in Colombo, Sri Lanka. Besides winning the Men's and Women's team events, India also won the Men's singles, Women's singles, Mixed Doubles, Men's doubles and the Women's doubles at the Championship.

We convey our best wishes to Sachin Tendulkar and the Indian Carrom Team for their future endeavours.

MADAM SPEAKER: Now, Question Hour. Question No. 141.

Shri Bibhu Prasad Tarai – not present.
Shri Prabodh Panda.

… (*Interruptions*)

SHRI PRABODH PANDA (MIDNAPORE): Question No. 141.

अध्यक्ष महोदया : प्रश्नकाल का स्थगित न करिए। बैठ जाइए। आप जो कह रहे हैं, उसके बारे में आज शाम को गृहमंत्री जी का वक्तव्य होगा।

…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप अभी बैठ जाइए। प्रश्नकाल चलने दीजिए। बहुत दिन से प्रश्नकाल कष्ट में है, आज इसे चलने दीजिए।

…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : इसके बारे में मैंने कल बोल दिया था।

…(व्यवधान)

श्री नामा नागेश्वर राव (खम्माम): मैडम, आन्ध्र प्रदेश के साथ अन्याय हो रहा है।…(व्यवधान)

11.02 hrs.

At this stage Shri Nama Nageswara Rao and some other Hon. Members came and stood on the floor near the Table

…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप लोग बैठ जाइए। प्लीज फोटो न दिखाइए।

…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : प्लीज फोटो नहीं दिखाइए। अपनी बात कहिए।

…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : ठीक है, अब आप लोग बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

11.03 hrs.

At this stage Shri Chandrakant Khaire and some other Hon. Members came and stood on the floor near the Table

…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप लोग बैठ जाइए। जरा शान्त रहिए।

…(व्यवधान)

11.04 hrs.

At this stage Shri Hansraj G. Ahir and some other Hon. Members came and stood on the floor near the Table

…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप लोग बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Give notice. We will take it up in the BAC.

… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: I will give you a chance to speak.

… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: I will give you a chance to speak after the Question Hour.

… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 11.30 a.m.

11.06 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Thirty Minutes past Eleven of the Clock.

11.30 hrs.

The Lok Sabha re-assembled at Thirty Minutes past Eleven of the Clock.

(Madam Speaker *in the Chair*)

MADAM SPEAKER: Now, Shri Pawan Kumar Bansal to give the Statement.

… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Please sit down. Let the Minister give the Statement. He is giving the Statement on this issue.

… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: He is giving the Statement on this issue as was decided in my Chamber. Please sit down.

… (*Interruptions*)

11.31 hrs.

(*At this stage, Dr. N. Sivaprasad and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.*)

MADAM SPEAKER: Kindly sit down. Let the Minister give the Statement.

… (*Interruptions*)

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE): Can the House be taken to ransom? Let us decide that.… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: The Leader of the House is speaking. Please listen to him.

… (*Interruptions*)

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Hon. Members, you agreed something. He is going to tell you. Again, you come with that. Let him tell. But please go back to your seats.… (*Interruptions*) You should go back to your seats. That is the Rule. That is the practice.… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 1200 hours.

11.31 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Twelve of the Clock.

12.00 hrs.

Lok Sabha reassembled at Twelve of the Clock

(Madam Speaker in the Chair)

SUBMISSION BY MEMBER

RE;Illegal construction of gates by Maharashtra Government on Babhali Project on river Godavari

…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : लाल सिंह जी, आप बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

श्री नामा नागेश्वर राव (खम्माम): अध्यक्ष महोदया, धन्यवाद। आज जो भी हाउस में प्रणब दा जो सबसे सीनियर लीडर हैं, के साथ जो हुआ है, हमें उसके लिए खेद है। …(व्यवधान)

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर): माफी मांगिए।…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

श्री नामा नागेश्वर राव : अध्यक्ष महोदया, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, दो राज्यों के बीच वाटर डिस्पयूट का विषय बहुत महत्वपूर्ण है। गोदावरी के ऊपर बाभली, बाभली के साथ 13 इल्लीगल प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, आंध्र प्रदेश के साथ अन्याय हो रहा है और हम इसके बारे में छः साल से हर जगह जाकर बात की है। श्रीराम सागर प्रोजेक्ट का जवाहर लाल नेहरू जी ने 1965 में फाउंडेशन स्टोन रखा था। यह 30 साल बाद पूरा हुआ और यह इश्यू 18,00,000 एकड़ का है। तेलंगाना, जो आंध्र प्रदेश का पिछड़ा एरिया है, के लिए इस प्रोजेक्ट में 18,00,000 एकड़ जमीन की इरीगेशन की फेसिलिटी थी जिसे ग्रेविटी के साथ इस प्रोजेक्ट में यूज कर सकता है। श्रीराम सागर प्रोजेक्ट में रिजर्वायर के अंदर बाभली प्रोजेक्ट बनाया गया। आज तक पूरी दुनिया में ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं होगा जिसमें एक प्रोजेक्ट के रिजर्वायर के अंदर दूसरा प्रोजेक्ट बना हो। इस प्रोजेक्ट को बनाते समय आंध्र प्रदेश ने रिजर्वायर में जो लैंड आई, 6.01 करोड़ का कम्पेनसेशन महाराष्ट्र सरकार को दिया। इस सब के बावजूद इल्लीगल प्रोजेक्ट बनाया गया। हम वर्ष 2005 से इस प्रोजेक्ट के बारे में बोल रहे हैं और इसे रोकने के लिए कहा

है। पहली बार हमने बात की और इसे सीडब्ल्यूसी के नोटिस में लाया गया। इस प्रोजेक्ट की फाउंडेशन 11.07.2005 में हुई थी, तब हम इसे सीडब्ल्यूसी के नोटिस में लाए थे कि इल्लीगल प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन हो रही है, श्रीराम सागर प्रोजेक्ट के अंदर रिजर्वायर के अंदर प्रोजेक्ट बना रहे हैं। 2004 को सीडब्ल्यूसी के नोटिस में लाने के बाद चेयरमैन ने 3.03.2006 में एक लैटर लिखा था और मैं इस लैटर के आखिरी भाग को पढ़ना चाहता हूं -

> "Further construction of the Babhli Project will be kept on hold till an amicable agreement is reached in this regard between the two Governments."

यह लैटर जाने के बाद भी महाराष्ट्र सरकार ने प्रोजेक्ट्स को नहीं रोका। इसके बाद दो चीफ मिनिस्टर्स की मीटिंग 12.04.2006 में हुई। विलास राव देशमुख जी और राजशेखर रेड्डी जी की मीटिंग हुई और सौदा हुआ। मैं आपके नोटिस में इस मीटिंग का कन्कलूडिंग प्वाइंट लाना चाहता हूं -

> "A Technical Committee headed by the Chairman or a Senior Officer of the Central Water Commission and consisting of representatives of the States shall go into the details of various issues involved in the Babhli Barrage Project. The Technical Committee shall submit a report as early as possible but not later than 20th May, 2006. Till the Technical Committee submits the report, the *status quo* in respect of activities in the Babhli Barrage Project shall be maintained and further construction work will not be done by the Government of Maharashtra."

यह दो चीफ मिनिस्टर्स का एग्रीमैन्ट है। दो चीफ मिनिस्टर्स का एग्रीमैन्ट होने के बाद भी इस प्रोजैक्ट का कंस्ट्रक्शन किया गया है। इसकें बारे में यहां का एक बहुत महत्वपूर्ण लैटर है, जो वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर ने 12 अप्रैल, 2007 में लिखा था। तब प्रो.सैफुद्दीन सोज साहब मंत्री थे। उन्होंने बहुत क्लियरली लिखा है -

> "My Dear Shri Vilas Rao Deshmukh Ji,
>
> It has been brought to our notice that Maharashtra Government has gone ahead with the construction of Babhli Barrage Project. This has caused great anxiety to the people of Andhra Pradesh.
>
> You will recall that in the meeting held on April 4, 2006, when you and Shri Rajashekhar Reddy, Chief Minister of Andhra Pradesh were present, it had been agreed that no construction work would take place till the dispute was settled. It was also agreed that a Technical Committee headed by Chairman, Central Water Commission and representatives of both the concerned States shall go into details of various issues involved in Babhli Project…

> Recently, a delegation led by Chief Minister of Andhra Pradesh met hon. Prime Minister on the above issue and requested him to take necessary action to stop the construction activities at the project site. On the direction of the Prime Minister, a team of officers from CWC visited the project side during April, 2007 and submitted a report to the Ministry on 11.04.2007. As per the report, the construction activity is continuing at the project site."

प्रधान मंत्री के नोटिस में गया और प्रधान मंत्री जी के नोटिस में जाने के बाद मुख्य मंत्रियों के एग्री करने के बाद, सीडब्ल्यूसी टैक्निकल कमेटी के एग्री करने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने इस प्रोजैक्ट को बनाया।

MADAM SPEAKER: Please conclude now.

SHRI NAMA NAGESWARA RAO : Madam, this is a very important letter.

> "The Members of Parliament from Congress and Telugu Desam Party also met me on 11.04.2007 and requested to take necessary action for stopping the construction work. They expressed their anguish that the construction has continued in spite of the fact that the matter is pending before the hon. Supreme Court…
>
> I would like to request you either to sort out the matter directly with the Government of Andhra Pradesh or else wait for the decision on the same issue by the Supreme Court. It is, therefore, obvious that construction work will remain suspended in the mean time."

यह बात बोलने के बाद ये लोग पूरी प्रोजैक्ट को 2005 में जब फाउंडेशन स्टोन ले किया था, तभी हम इसे सीडब्ल्यूसी के नोटिस में लाये थे। प्राइम मिनिस्टर के नोटिस में लाये हैं। इन सबके नोटिस में लाने के बाद भी इन लोगों ने इस प्रोजैक्ट को कम्पलीट किया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है।

अध्यक्ष महोदया : कृपया कंक्लूड कीजिए। आपने अपना प्वाइंट रेज कर दिया है।

श्री नामा नागेश्वर राव : मैडम, आप मुझे दो मिनट बोलने दीजिए, यह बहुत महत्वपूर्ण इश्यु है।

MADAM SPEAKER: Please conclude now. You have made your point.

SHRI NAMA NAGESWARA RAO : This is very important.

MADAM SPEAKER: Now, the Government will respond. You have made your point. फिर आप बहुत लम्बा बोलेंगे।

श्री नामा नागेश्वर राव : इस पर भी बोला है "It shall not install the proposed 13 gates until further orders."

यह सब होने के बाद भी अभी गेट्स को लगा दिया है। इतना सब होने के बाद अब हमें प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमैन्ट चाहिए। यह दो स्टेट्स का डिस्प्यूट है। डाउन स्ट्रीम स्टेट के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। इसके लिए फैडरल गवर्नमैन्ट सिस्टम में प्राइम मिनिस्टर का इनवोल्वमैन्ट चाहिए। प्रीवियसली श्री पी.वी.नरसिंहराव जी जब कर्नाटक और तमिलनाडु के डिस्प्यूट में इनवोल्व हुए थे। इसके बाद वाजपेयी जी भी इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट में इनवोल्व हुए थे। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : अब आप समाप्त कीजिए।

श्री नामा नागेश्वर राव : आप मुझे एक मिनट और बोलने के लिए क्यों नहीं दे रही हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण इश्यु है। ...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Do not get emotional. You may speak.

श्री नामा नागेश्वर राव : इसके प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग है बोलकर हमारे लीडर श्री चंद्रबाबू नायडू जी और हम सब लोग प्रोजेक्ट को देखने के लिए चले गये। लेकिन महाराष्ट्र में हम लोगों को ज्यूडिशियल कस्टडी में रखा गया है, लाठीचार्ज किया गया। हम लोगों के साथ 66 रिप्रजेन्टेटिव्ज को ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइये।

श्री चंद्रकांत खैरे (औरंगाबाद): यह गलत है।...(व्यवधान)

श्री नामा नागेश्वर राव : हम लोग आपसे निवेदन करते हैं कि इस मामले पर हमें प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमैन्ट चाहिए। ...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Thank you so much. Please take your seat. You have made your point.

... (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Please sit down.

... (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: All this will not go on record.

(Interruptions) ...[*]

संसदीय कार्य मंत्री और जल संसाधन मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): अध्यक्ष महोदया, श्री नागेश्वरा राव ने खुद कहा है कि महाराष्ट्र और आन्ध्र प्रदेश के बीच में यह मसला बना हुआ है। आन्ध्र प्रदेश ने सुप्रीम कोर्ट में केस डाला हुआ है और मामला उनके समक्ष है। उस मामले में कुछ आंतरिम आदेश हुआ है। माननीय प्रधान मंत्री जी ने दो

[*] Not recorded

दिन पहले 2 अगस्त को महाराष्ट्र और आन्ध्र प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के साथ एक बैठक की थी। उस समय मैं भी उनके साथ बैठक में था। उस समय विस्तारपूर्वक बात हुई थी और यह बात उनके सामने रखी थी। यह बताया था कि वर्ष 2006 में यह केस सुप्रीम कोर्ट में डाला गया था जिसके लिये अंतरिम आदेश हुआ है। माननीय सदस्य का कहना है कि उस आदेश की पालना नहीं हुई है जबकि फैसला हुआ कि सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश है कि दोनों प्रदेश इस आदेश की पालना करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से मुझे हिदायत हुई है कि केन्द्रीय जल आयोग निरंतर उसकी समीक्षा करता रहेगा। इसके अलावा यह बात भी हुई है कि उसकी इंस्पैक्शन के बाद उसका एनालैसिस किया जाये और उसके कम्पलायंस के लिए केन्द्रीय जल आयोग रिपोर्ट बनाता रहे।

अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं चूंकि मसला इस समय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष है और पूरा सदन जानता है कि जब कोई मसला सुप्रीम कोर्ट के सामने होता है। The Supreme Court is seized of the matter. Even a contempt petition has been filed in the Supreme Court which is pending in the Supreme Court. Therefore, I would earnestly request all of you that there are other fora available for the point that we have raised here. Every hon. Member knows as to what is the role and what could possibly the role of the Government of India in the matter which involves disputes between the two States. I think, we should stop the matter here. There is the other matter relating to the reply of the hon. Finance Minister on yesterday's debate on price rise. I suppose, we should begin on that.… (*Interruptions*)

12.13 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

MADAM SPEAKER: Papers to be laid on the Table.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI V. NARAYANASAMY): On behalf of Shri Prithviraj Chavan, I beg to lay on the Table :--

(1) A copy of the Science and Engineering Research Board Rules, 2010 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 213(E) in Gazette of India dated the 29th March, 2010, under Section 22 of the Science and Engineering Research Board Act, 2008.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(Placed in Library, See No. LT 2725/15/10)

(3) A copy of the Statement (Hindi and English versions) regarding rejection of Board of Arbitration Award C.A. Reference No. 3 of 1986 given by the Board of Arbitration under the Joint Consultative Machinery and Compulsory Arbitration on Encashment of Earned Leave by Central Government Employees while in service.

(Placed in Library, See No. LT 2726/15/10)

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI JAIRAM RAMESH): I beg to lay on the Table a copy of the Notification No. S.O. 1329(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 7th June, 2010, notifying the species of plants and animals which are on the verge of extinction, mentioned therein, in the State of Madhya Pradesh, issued under Section 38 of the Biological Diversity Act, 2002.

(Placed in Library, See No. LT 2727/15/10)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI V. NARAYANASAMY): I beg to lay on the Table :--

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Asiatic Society, Kolkata, for the year 2008-2009, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Asiatic Society, Kolkata, for the year 2008-2009.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(Placed in Library, See No. LT 2728/15/10)

(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Institute of Applied Manpower Research, Delhi, for the year 2008-2009, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Institute of Applied Manpower Research, Delhi, for the year 2008-2009.

(4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

(Placed in Library, See No. LT 2729/15/10)

(5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central Institute of Buddhist Studies, Ladakh, for the year 2008-2009.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Central Institute of Buddhist Studies, Ladakh, for the year 2008-2009, together with Audit Report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Central Institute of Buddhist Studies, Ladakh, for the year 2008-2009.

(6) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (5) above.

(Placed in Library, See No. LT 2730/15/10)

(7) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Rampur Raza Library, Rampur, for the year 2008-2009, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Rampur Raza Library, Rampur, for the year 2008-2009.

(8) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (7) above.

(Placed in Library, See No. LT 2731/15/10)

(9) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the North Zone Cultural Centre, Patiala, for the year 2008-2009, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the North Zone Cultural Centre, Patiala, for the year 2008-2009.

(10) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (9) above.

(Placed in Library, See No. LT 2732/15/10)

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI KAPIL SIBAL): On behalf of Shrimati D. Purandeswari, I beg to lay on the Table:--

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Bihar Education Project Council (Bihar Shiksha Pariyojna Parishad), Patna, for the year 2004-2005, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Bihar Education Project Council (Bihar Shiksha Pariyojna Parishad), Patna, for the year 2004-2005.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(Placed in Library, See No. LT 2733/15/10)

(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Sarva Shiksha Abhiyan, Uttarakhand Sabhi Ke Liye Shiksha Parishad, Dehradun, for the year 2008-2009, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Sarva Shiksha Abhiyan Uttarakhand, Sabhi Ke Liye Shiksha Parishad, Dehradun, for the year 2008-2009.

(4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

(Placed in Library, See No. LT 2734/15/10)

(5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central Institute of Technology, Kokrajhar, for the year 2006-2007, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Central Institute of Technology, Kokrajhar, for the year 2006-2007.

(6) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (5) above.

(Placed in Library, See No. LT 2735/15/10)

(7) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central Institute of Technology, Kokrajhar, for the year 2007-2008, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Central Institute of Technology, Kokrajhar, for the year 2007-2008.

(8) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (7) above.

(Placed in Library, See No. LT 2736/15/10)

(9) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central Institute of Technology, Kokrajhar, for the year 2008-2009, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Central Institute of Technology, Kokrajhar, for the year 2008-2009.

(10) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (9) above.

(Placed in Library, See No. LT 2737/15/10)

(11) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Orissa Primary Education Programme Authority, Bhubaneswar, for the year 2008-2009, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Orissa Primary Education Programme Authority, Bhubaneswar, for the year 2008-2009.

(12) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (11) above.

(Placed in Library, See No. LT 2738/15/10)

(13) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Sant Longowal Institute of Engineering and Technology, Longowal, for the year 2008-2009, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Sant Longowal Institute of Engineering and Technology, Longowal, for the year 2008-2009.

(14) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (13) above.

(Placed in Library, See No. LT 2739/15/10)

(15) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Centre for Studies in Civilizations (Project of History of Indian Science, Philosophy and Culture), New Delhi, for the year 2007-2008, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Centre for Studies in Civilizations (Project of History of Indian Science, Philosophy and Culture), New Delhi, for the year 2007-2008.

(16) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (15) above.

(Placed in Library, See No. LT 2740/15/10)

(17) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the North Eastern Regional Institute of Science and Technology, Itanagar, for the year 2008-2009, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the North Eastern Regional Institute of Science and Technology, Itanagar, for the year 2008-2009.

(18) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (17) above.

(Placed in Library, See No. LT 2741/15/10)

(19) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Industrial Engineering, Mumbai, for the year 2008-2009.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the National Institute of Industrial Engineering, Mumbai, for the year 2008-2009, together with Audit Report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Industrial Engineering, Mumbai, for the year 2008-2009.

(20) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (19) above.

(Placed in Library, See No. LT 2742/15/10)

(21) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the School of Planning and Architecture, Bhopal, for the year 2008-2009, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the School of Planning and Architecture, Bhopal, for the year 2008-2009.

(22) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (21) above.

(Placed in Library, See No. LT 2743/15/10)

(23) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Council of Historical Research, New Delhi, for the year 2008-2009, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Council of Historical Research, New Delhi, for the year 2008-2009.

(24) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (23) above.

(Placed in Library, See No. LT 2744/15/10)

(25) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Science Education and Research Bhopal, Bhopal, for the year 2008-2009.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Science Education and Research Bhopal, Bhopal, for the year 2008-2009, together with Audit Report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Institute of Science Education and Research Bhopal, Bhopal, for the year 2008-2009.

(26) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (25) above.

(Placed in Library, See No. LT 2745/15/10)

(27) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Council of Philosophical Research, New Delhi, for the year 2008-2009, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Council of Philosophical Research, New Delhi, for the year 2008-2009.

(28) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (27) above.

(Placed in Library, See No. LT 2746/15/10)

(29) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 38 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009:-

(i) S.O. 750(E) published in Gazette of India dated 5th April, 2010, authorizing the National Council for Teacher Education as the academic authority to lay down the minimum qualifications for a person to be eligible for appointment as a teacher.

(ii) The Right of Children to Free and Compulsory Education Rules, 2010 published in Notification No. G.S.R. 301(E) in Gazette of India dated the 9th April, 2010.

(Placed in Library, See No. LT 2747/15/10)

<u>12.13½ hrs.</u>

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

AND

BILL AS PASSED BY RAJYA SABHA

SECRETARY-GENERAL: Madam, I have to report the following message received from the Secretary-General of Rajya Sabha:-

> "In accordance with the provisions of rule 111 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to enclose a copy of the Industrial Disputes (Amendment) Bill, 2010 which has been passed by the Rajya Sabha at its sitting held on the 3rd August, 2010."

2. Madam, I lay on the Table the Industrial Disputes (Amendment) Bill, 2010, as passed by Rajya Sabha on the 3rd August, 2010.

12.13¾ hrs.

Committee on Private Members' Bills and Resolutions

8th Report

श्री कड़िया मुंडा (खूंटी): अध्यक्ष महोदया, मैं गैर- सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्प संबंधी समिति का आठवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

12.14 hrs.

STANDING COMMITTEE ON HEALTH AND FAMILY WELFARE

(i) 43rd to 45th Reports

DR. JYOTI MIRDHA (NAGAUR): I beg to lay on the Table the following Reports of the Standing Committee on Health and Family Welfare:-

(1) Forty-third Report on the Action Taken by the Department of Health and Family Welfare on the recommendations and observations of the Committee contained in its Thirty-eighth Report on major issues concerning the three vaccine producing PSUs, namely, the Central Research Institute (CRI), Kasauli, the Pasteur Institute of India (PII), Coonoor and the BCG Vaccine Laboratory (BCGVL), Chennai.

(2) Forty-fourth Report on the Transplantation of Human Organs (Amendment) Bill, 2009.

(3) Forty-fifth Report on the Issues relating to Availability of Generic, Generic-branded and Branded medicines, their Formulation and Therapeutic Efficacy and Effectiveness.

(ii) Evidence

DR. JYOTI MIRDHA (NAGAUR): I beg to lay on the Table Evidence tendered before the Committee on the Transplantation of Human Organs (Amendment) Bill, 2009.

12.14½ hrs.

STANDING COMMITTEE ON PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES, LAW AND JUSTICE
40th and 41st Reports

SHRI MANISH TEWARI (LUDHIANA): I beg to lay on the Table the following Reports (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Personnel, Public Grievances, Law & Justice:-

(1) 40th Report on The Personal Laws (Amendment) Bill, 2010.

(2) 41st Report on Action Taken Replies of the Government on the recommendations/observations contained in the 23rd Report of the Committee on "Government's Policy of Appointment on Compassionate Ground".

STATEMENTS BY MINISTERS

12.15 hrs.

(i) Status of implementation of the recommendations contained in the 4th Report of the Standing Committee on Finance on Demands for Grants (2009-10), pertaining to the Ministry of Statistics and Programme Implementation *

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COAL AND MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI SHRIPRAKASH JAISWAL): Sir, I am making this statement on the implementation status of the recommendations contained in the Fourth Report of the Standing Committee on Finance in pursuance of Direction 73A of the hon. Speaker of Lok Sabha.

---

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 2748/15/10

The Standing Committee on Finance examined the Demands for Grants of the Ministry/ of Statistics and Programme Implementation for the year 2009-10 and presented / laid their Fourth Report to the Lok Sabha and Rajya Sabha on 02-12-2009. there were 8 recommendations made by the Committee in the said report where action was called for on the part of the Government. The major recommendations mainly related to –

1) The Ministry to undertake an effective exercise for identifying the shortcomings in the mechanism of the budgetary planning and ensuring proper utilization of funds.
2) It required strengthening the statistical systems of the States and avoiding the prolonged procrastinated discussions with the World Bank. The committee expected that the dependence on foreign or World Bank loans for such an important project should be avoided, in view of the fact that correct statistical data being extremely important for economic, social and strategic planning.
3) The committee was concerned that the sample size for NSSO Surveys has remained un-changed in the last 20 years despite the manifold increase in population.
4) The Committee recommended that building a strong statistical infrastructure with National Statistical System being in sync with the concerned Central Ministries and the State Govts, without any vested interest in the administrative system was an imminent necessity in the interest of the overall development and growth of the country.
5) There were shortcomings in the mechanism of inter-ministerial as well as inter-state co-ordination for resolving the problems for implementing the projects. It would be appropriate to take corrective steps for addressing issues contributing to delays and cost escalation in implementing projects.
6) The committee noted that despite repeated requests of the Ministry, eliciting

information from NHAI in respect of the budgetary outlays for individual NHBP packages, the organization has failed to furnish the requisite information in this regard.

7) The committee noted that the process of compiling and bringing out separate Consumer Price Indices for urban and rural areas CPI (Urban) and CPI (Rural) was yet to materialize.

8) The Committee noted that too much time was taken for releasing the final results of the Economic Census Surveys.

The present status of implementation of the various recommendations made by the hon. Committee is indicated in the Annexure to my statement which is laid on the Table of the House.

I would not like to take the valuable time of the House and read out the contents of the Annexure. Hence, I would request that this may be considered as read.

12.16 hrs.

ELECTION TO COMMITTEE
National Tiger Conservation Authority

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI JAIRAM RAMESH): Madam, I beg to move the following:-

> "That in pursuance of sub-section (3) of the section 38M of the Wild Life (Protection) Act, 1972, the Members of this House do proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct, one Member from amongst themselves to serve as a Member of the National Tiger Conservation Authority for the remaining term of the Authority *i.e.* up to 3 September, 2010 *vice* Shri Jitendra Singh resigned from the Authority, subject to the other provisions of the said Act."

MADAM SPEAKER: The question is:

> "That in pursuance of sub-section (3) of the section 38M of the Wild Life (Protection) Act, 1972, the Members of this House do proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct, one Member from amongst themselves to serve as a Member of the National Tiger Conservation Authority for the remaining term of the Authority *i.e.* up to 3 September, 2010 *vice* Shri Jitendra Singh resigned from the Authority, subject to the other provisions of the said Act."

The motion was adopted.

12.17 hrs.

MATTERS UNDER RULE 377 [*]

MADAM SPEAKER: Hon. Members, the Matters under Rule 377 shall be laid on the Table of the House. Those Members, who are desirous of laying their matters under Rule 377 on the Table of the House may send slips at the Table within 20 minutes. Only those matters for which slips have been received at the Table, shall form part of the proceedings and the rest of the matters shall be treated as lapsed.

(i) Need to include Bharatpur district in Rajasthan in the National Capital Region for the overall development of the area

श्री रतन सिंह (भरतपुर): जिला भरतपुर दिल्ली से सीधे तौर पर 100 कि0मी0 की दूरी में है। भरतपुर जिला उत्तर प्रदेश, हरियाणा से होते हुए दिल्ली से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा यह अलवर से भी जुड़ा हुआ है। हरियाणा, उत्तर प्रदेश के कुछ जिले एवं अलवर राष्ट्रीय राजधानी परियोजना क्षेत्र में सम्मिलित है। भरतपुर की भौगोलिक स्थिति एवं आवश्यकता भी इन्हीं जिलों के अनुरूप है। भरतपुर जिले का समुचित समग्र विकास हो एवं यहां से आबादी का निष्क्रमण न हो, इसके लिए भरतपुर जिले को राष्ट्रीय राजधानी परियोजना क्षेत्र में सम्मिलित किए जाने का आदेश प्रदान करावें। इससे भरतपुर का त्वरित गति से चहुंमुखी विकास होगा।

[*] Treated as laid on the Table

(ii) Need for setting up of Water Purifier Plants to ensure supply of clean drinking water in Bahraich district, Uttar Pradesh

श्री कमल किशोर कमांडो (बहराइच): मेरे संसदीय क्षेत्र के जनपद बहराइच में प्रतिवर्ष भयंकर बाढ़ का प्रकोप रहता है। यह जनपद नेपाल का सीमावर्ती इलाका है। इस जनपद के भूजल पेयजल में आर्सेनिकोसिस की मात्रा बहुत है, जिसे पीने से यहां के लोग लीवर, हृदय, गुर्दा, पाचन, प्रजनन, त्वचा आदि की बीमारियों से ग्रसित हैं। यह क्षेत्र काफी पिछड़ा व गरीब है। इस इलाके में बहुतायत की संख्या में अनुसूचित जाति व जनजाति तथा पिछड़ी जाति के लोग निवास करते हैं। यहां अशिक्षा व बेरोजगारी बहुत है। गरीबी के कारण यहां लोग मंहगी दवा नहीं खरीद पाते हैं। नदियों तथा उपरी सतह का जलस्तर अत्यंत प्रदूषित है। जनहित में पेयजल के लिए जल शुद्धिकरण यंत्र लगाया जाना आवश्यक है।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि जनपद बहराइच के सभी ब्लाकों के पेयजल का जांच कराकर आर्सेनिकोसिस युक्त जल वाले इलाकों में केन्द्रीय योजना के अंतर्गत शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का आदेश देने की कृपा करें।

(iii) Need to continue the services of south bound trains from Egmore Railway Station, in Tamil Nadu

SHRI N.S.V. CHITTHAN (DINDIGUL): Chennai is the fourth largest city of India. Chennai Central Railway Station was started in the year 1873 and the Egmore Railway station was established in 1906. Now, steps are being taken to create a third terminal at Tambaram Railway Station. More than 16 Express trains have now started from Egmore Railway Station to entire south Tamil Nadu. Egmore station is located at the centre of the city and it is very convenient for passengers. While creating a third terminal at Tambaram, it is feared that all the south bound trains will be operated form Tambaram which is 30 Kilometers away from Egmore Railway Station. Passengers have to reach Tambaram amidst much traffic congestion, loss of time and money. So, the present arrangement of operating south going and coming trains from Egmore Railway station should be continued.

(iv) Need to maintain standards in the ongoing construction of rail under bridge at Nangangud railway station in Karnataka besides expediting its completion

SHRI R. DHRUVANARAYANA (CHAMRAJANAGAR): The Mysore-Chamrajanagar section in the South Western Railway Zone requires more allocations in the railway budget. Nanjangud Town is an important railway station in this section which serves a highly developed industrial township. A rail under bridge is under construction at Nanjangud Station area but the construction has taken a long time and yet to be completed. The design of the RUB is faulty and is too narrow to allow free movement of pedestrian and vehicular traffic. Moreover, there is possibility of water logging during rains which may block the traffic at the intersection.

I have made several visits to the site of the RUB and observed that the quality of the construction is not upto the mark compared to the standards railways has set for such projects where public safety is of paramount importance. I urge upon the Government to ensure that the shortcomings cited above are set right and project completed fast.

(v) Need to provide irrigation facilities in the tribal areas of Gadchiroli district, Maharashtra through a Centrally Sponsored Scheme

श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे (गडचिरोली-चिमूर): देश के जनजातीय बाहुल्य क्षेत्रों में जनजातीय लोगों को जीविकोपार्जन के लिए कृषि उपज हेतु वन भूमि का आबंटन किया गया है, लेकिन उनके लिए भूमि के सिंचन हेतु जल की कोई सुविधा प्रदान नहीं की जा रही है, जिस कारण जल के अभाव में आदिवासी लोग अपनी भूमि को कृषि उपज के लिए उपयोग में न लाकर बेकारी की स्थिति में है। जब तक आदिवासी लोगों को आबंटित की गई भूमि के सिंचन हेतु जल की व्यवस्था नहीं कराई जाती है, तब तक वह भूमि उनके किसी उपयोग की नहीं है।

इस संबंध में यह बताना भी उचित होगा कि आज देश नक्सलवाद से बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। इसका एक प्रमुख कारण इन क्षेत्रों को अविकसित होना भी है। यदि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास करके वहां के लोगों को राष्ट्र की मुख्यधारा से जोड़ने का सतत प्रयास किया जाये तो नक्सलवाद की समस्या से काफी हद तक निपटा जा सकता है।

अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि देश के जनजातीय क्षेत्रों में विशेषकर महाराष्ट्र राज्य के आदिवासी गड़चिरोली-चिमूर संसदीय क्षेत्र में आबंटित की गई भूमि के लिए केन्द्रीय स्तर पर एक कार्यक्रम तैयार करके भूमि सिंचन हेतु पानी उपलब्ध करवाया जाये, जिससे नक्सलवाद से प्रभावित लोग केन्द्रीय योजना से लाभान्वित होकर राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ सकें।

(vi) Need to formulate a comprehensive policy to regulate procurement procedure of opium in order to safeguard the interests of opium cultivators in the country

SHRI DUSHYANT SINGH (JHALAWAR):Opium growers in the country are held back from economic gains in cumbersome procurement procedure set by the Union Government. First the Government Opium and Alkali Factories procure the produce, then export it to big pharma companies for further medicinal processing. The same drug processed in such Multinational companies are sold back in the country at many fold Prices.

In the larger interest of the country as well as of the opium cultivators, the Government must provide indigenous set-ups for the Pharma Processing of opium. At the same time when processed opium is being exported, the farmers must be ensured fair prices. It could be possible if the Government can draw a mechanism where the linkage between suppliers and Pharma companies are based on free market price behaviours.

Hence, I demand a sustainable and fair opium policy from Government of India.

(vii) Need to accord special status to Gulbarga, Raichur, Bidar and Koppal regions of Karnataka by amending article 371 of the Constitution with a view to remove regional imbalances in the regions

SHRI D.B. CHANDRE GOWDA (BANGALORE NORTH): There are 175 Talukas in the State of Karnataka out of which 144 Talukas are backward. Most of these Talukas, numbering about 59, are in Northern Karnataka. Gulbarga is one of the most backward districts in Karnataka. Crops failure is rampant in northern Karnataka. Water is scarce. Farmers are burdened with debt. In this regard, the State Government of Karnataka constituted a Committee under the Chairmanship of Dr. D.M. Nanjundappa to make recommendations to remove the regional imbalances in Karnataka especially in northern Karnataka. The Committee found that Gulbarga, Raichur, Bidar and Koppal areas forming part of Hyderabad- Karnataka region were the most backward and made several recommendations to remove backwardness and for removal of regional imbalances. The State is doing its best to address the problems of backwardness and regional imbalances, but the resources of the State alone cannot solve this gigantic problem. State needs assistance from the Central Government. There has been a long pending demand of the State of Karnataka for amending Article 371 of the Constitution and providing special status to Hyderabad Karnataka region, namely Gulbarga, Raichur, Bidar and Koppal. Hence, I urge upon the Central Government to take necessary steps to provide special status to Hyderabad Karnataka region by amending Article 371 of the Constitution as has been done in cases of several States like Andhra Pradesh, Assam, Manipur and Nagaland.

(viii) Need to take steps to curb the social evil of 'Online gambling'

DR. RATNA DE (HOOGHLY): Online gambling being the most dangerous social evil has surfaced in our society for last few years. This has turned into an epidemic form and mushroomed in such areas dominated by poor working class or slum areas of the below poverty line. The flash of easy earnings and spot cash payment attract the ill fated persons with temptation. Virtually 99% of the online customers are put into trap and become addicted to gambling virtually financially saturated and compelled to commit suicide. The online gambling shops are operated in broad day light in busy locality in public places. To save the lives and families of the ill fated poor from the clutches of the economic offenders, stringent action should be taken to save the society.

(ix) Need to resume operation of Rock Fort Express running between Trichi and Chennai in Tamil Nadu

SHRI P. KUMAR (TIRUCHIRAPPALLI): The 'Rock Fort express' which is called as 'Malaikottai Express' in Tamil was originally plying between Trichirapalli-Chennai-Trichirapalli (Train No. 6178/6177) for decades. People from Trichirapalli and nearby Pudukottai district are benefited by this train. Due to the gauge conversion on the main line and lack of train connectivity from Thanjavur to Chennai, the train was first extended upto Thanjavur in July 2000 and later on to Kumbakonam in September, 2004. Now the gauge conversion have been completed on the main line and Thanjavur and Chennai are connected by various trains. After restoration of train connectivity on main line the 'Rock Fort Express' which was extended upto Kumbakonam is to be resumed from Trichichirapalli to Chennai. Due to the extension of 'Rock Fort Express' the people of Trichi and Pudukottai are unable to get reservation. On behalf of the people of my parliamentary constituency, I appeal to the Government through this House to resume the operation of 'Rock Fort express' from Trichi-Chennai-Trichi.

12.18 hrs.

MOTION RE: CONSIDER OF INFLATIONARY PRESSURE ON THE ECONOMY AND ITS ADVERSE IMPACT ON THE COMMON MAN – Contd.

MADAM SPEAKER : The House will now take up item No. 14 – further discussion on the motion moved by Smt. Sushma Swaraj

*SHRI HSSAN KHAN (LADAKH) : Rising is affecting people in all areas of the country including people living in the far flung hilly areas of Ladakh in Jammu & Kashmir State. People in these areas have been worst affected by the rising prices especially Kerosene oil, cooking gas and diesel. The UPA Government has allotted Rs. 500 crores to Ladakh on New and renewal energy owing to its extrem weather condition but these projects are at planning stage. People use kerosene oil and cooking gas for all types of heating purpose in this most harsh climate areas. Increase in the prices of kerosene oil, cooking gas has made common man life miserable to meet their two ends meet. Increase in the cost of diesel have increased cost of transportation in the vast areas far away from the cities. Now I would request the Government to consider providing some relief to these people by way of subsidy on kerosene oil and cooking gas etc. til the new and renewable energy plants start production to meet the energy deficiency.

---

* Speech was laid on the Table

*SHRI BADRUDDIN AJMAL (DHUBRI) :I am happy that the unnecessary debate over how to debate on such issue is over.

I agree with the esteemed members that Indians especially the poor and fixed income groups are the worst sufferers.

India has more hungry people than any other country. Not having enough to eat is a reality for half of India's 1.1 billion people.

It is obvious that with the current sharp surge in food prices, more and more people would join the group of people going to bed without food.

We all know it well that we have no magic wand that can bring down the prices. There is little the Governemnt can do and not much that the opposition can suggerst.

High prices are here to stay. More than the headline inflation rate, what concerns policy makers and the common man the most is food inflation that has averaged a double-digit rate for the past year. No matter what, it is unlikely that the trend would reverse. There has been a structural shift because everything that goes into producing and transporting food – fuel, fertilizer, water, labour and even seeds – has become costlier. And there has been no major technological breakthrough to cushion farmers against rising input costs.

* Speech was laid on the Table

The reality is that prices will not come down and the tragedy is that we are not doing enough to let people have more money to spend.

The recession in the world economy presented us an opportunity that we chose to miss. If we had opted to make those who were left out of economic boom of 2004-2008 lead the economic recovery, it would have been a very different story today. We should have directed the $20 billion fiscal stimulus towards building infrastructure, investing in all such measures that would have created new demand and broadbased growth. But we looked the other way, mostly doing out tax concessions to shore up corporate profits, stock indices and bring some cheer to middle class that won't last long. In contrast, our neighbour China did something different, and smart. Beijing not only came with a much bigger stimulus package - $570 billion, or 23 times more than ours – but it spent much of this in preparing the Chinese economy for the next phase of accelerated growth. Through 2009, China's import of coal saw a surge that puzzled many western economists who began to ask: where is all the coke going? Since the Chinese economy had slowed in the face of the global recession, demand for energy and therefore demand for coal should have declined. As it turns out now, a Chinese Government statement said last week, the country's import of coal tripled to 130 million tonnes in 2009 because of fiscal stimulus measures that "pushed up demand for coking coal in steel, cement and chemical industries." Needless to say, all the extra production of steel and cement was going into building a whole new lot of infrastructure across China even as the rest of world battled a recession and cut jobs and investment. The result: the Chinese economy is back on a sizzling 10 per cent plus growth track. And we are struggling to stay the course with a growth rate of 8 to 8.5 per cent.

India is a land of contrasts where there are some who invest lakhs and crores of rupees on an apartment or have the right to splurge in a licentious way while others are content and happy at being able to pay Rs. 25/ - for a square meal. The satisfaction at the macro economic situation gets camouflaged with the stark fact that nearly 77 percent of our population earns an income of Rs. 20/- per day. The inequalities in human development have an adverse impact on the lives and capabilities of the people.

The two faces of India should converse for a sustainable growth and bring about a social harmony in the country.

It seems that our price control organization simply does not function. There are price control at paper and this being evaded everyday. Its advisers are the people who are interested in high prices and are content as they are usually in their self-complacency. Consumers are thought to have no knowledge of the affair and they are not consulted. This type of red-tapism of the government is also responsible for high prices.

To take an example a CBI enquiry has been initiated that too after consistent demands of the opposition parties in Assam on Rs. 1000 crore scam of development funds. I am sure there are many more thousand crores of development funds are being siphoned off in many more states. If these funds could have been utilized properly it could have definitely eased the lives of the poor.

I would like to strongly link the black marketing, hoarding and corruption with increase in prices of essential commodities. Nothing much the Government is doing on this. I would blame state Governments for this.

The horading Government is doing also needs a review. Government godowns are overlowing and food grains are getting rotten. As on April 2010, the FCI is having 183 lakhs tones wheat in the Central pool. Of this 80 lakhs wheat are lying in open warehouses, have got rotten.

Against buffer stock requirement of 200 lac tones Government godowns have 453 lac tons as on 1st March 2010.

I am pained to attract your notice the reaction of the Government of Assam. In Assembly session (July 2009) the Food and Civil Supply Ministry of Government of Assam washed his hands off the matter of price rise. As per the Government of Assam it was due to the cascading effect of rise in the prices of essential commodities across the country as most of the items are procured from outside the state.

It seems that the Governemnt of Assam has virtually surrendered to the unscrupulous traders who are responsible for this abnormal price rise.

Government has introduced the Public Distribution System (PDS) so that people can access essential commodities at the fair prices.

All of us are aware that in the wake of such huge price hike an effective PDS can bring relief to both the poor and non-poor.

Paradoxically, PDS in Assam is pegged with allocation less than requirement, release further less than allocation and actual receipt further less than release. Over and above these the incidence of corruption is also highest in Assam.

An analysis of the statistical data of released by Governemnt of Assam indicates essential food times like rice is available only for 30% of ration card holder.

If we add corruption in delivery, diversion and fake ration cards than actual receipt of rice by poor through PDS will be less than 10% of the actual requirement.

Through you, I wish to strongly demand to look into this seriously and initiate appropriate action so that food meant for poor reaches poor. Presently as per Governemnt data only 10% poor are covered under PDS network.

I would like to bring to the notice of the House of an RTI application which has forced the Government of Assam to order probe into the anomalies of PDS in all 27 districts. Over 700 cases had been registered in different districts concerning ;PDS irregularities in the past one year while 37 persons had been arrested in this connection. Preliminary reports indicates that the amount of rice involved in the scam stood anywhere between 19 and 20 lakh tones.

The reality is that prices will not come down and the tragedy is that we are not doing enough to let people have more money to spend.

In view of the abnormal price rise and corruption ridden Public Distribution System I would demand:

1. Complete allocation and release of required food grains for PDS.
2. Revamping of Public Distribution System.
3. Re-survey of BPL population. Thios time there should be house to house survey instead od sample survey.
4. Stern action against Black Marketers and Hoarders.
5. Convey to the Governemnt of Assam that it has also role to play in curbing the price of essential commodities by way of increased vigilance, disassociating itself form the association of Black Marketers and Hoarders and ensuring that food grains as per requirement reaches to the card holders.
6. I also agree with the suggestions of other esteemed members which will improve the situation.
7. As part of the long-term resilience package, it is suggested for greater investment in agriculture and technology transfer, improving grain stocks and enacting regulatory measures to curb market speculations.

I would like to end with the request that all of us should act above party lines to support the people who had sent us in this August House.

MADAM SPEAKER: Hon. Leader of the House.

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE): Madam Speaker, first of all, I would like to express my regret and apology because I lost my cool and temper with one of my young colleagues, which I should not have done. But nonetheless it has happened on the floor of the House, I sincerely apologize to the House.

Madam, I had the privilege of listening to 33 hon. Members who have participated in this important discussion on the motion moved by the hon. Leader of the Opposition; and in one way, all of us are party to it because it was the agreed text on which all of us -- putting together, cutting across this side or that side – decided, and its one of the objectives was, of course, to resolve the impasse, which developed over few days where we could not find a way out. Ultimately, with the collective wisdom of the leaders representing political parties in this House, we could find a mechanism through which we have done it.

It also reminded me, particularly looking at the senior leader Advaniji; it comes to my mind that about 25 years ago, when he was the Leader of the Opposition in the Rajya Sabha, we had a similar occasion when the conduct of a State Chief Minister was to be discussed on the floor of the House; and we were trying to find out through what rules we could bring it. Collectively sitting with Mr. Advaniji, the then legendary parliamentarian Mr. Bhupesh Gupta and some others, we could find a way out. The short point which I am trying to divulge is that sometimes, it happens; and then by our collective wisdom we find out a mechanism through which we can resolve apparently the most vexatious issues.

First of all, I would like to place certain things before this august House. It is not merely to scoring debating points. The whole objective when I agreed to have the sense of the House, reflected through the observations of the Speaker. I had the intention, and I had that intention that these important issues are to be resolved to the satisfaction of the economy, to the satisfaction of the people through our collective efforts.

It is because when I talk, I keep it at the back of my mind that today the political scenario in this country is not exactly the same which was 20 years ago or 15 years ago. Today, nearly 60 per cent of the people are being administered by political parties which are not the principal parties of the coalition, that is, Indian National Congress. Seven States are ruled by the BJP Government. Bihar is ruled collectively by JDU and BJP. U.P is ruled by the BSP. Three States are ruled by Left parties.

Handling the inflationary pressure and taking corrective steps to lower the adverse impact on the people, to my mind are the collective responsibility of the political leadership sitting here, sitting there and also the political leadership of the States. That is the reason when in the course of a debate when some hon. Member, if I remember correctly, perhaps, Lalu Ji suggested to the Prime Minister to call the meeting of the Chief Ministers. Before the Budget Session, we called them and it is being followed up.

Public Distribution System is to be implemented in the States. Essential Commodities Act has to be implemented by the State Governments. Maintenance of essential supplies is to be implemented by the State Governments.

Therefore, unless there is a coordinated effort both by the State Governments and the Central Government, I am afraid it would be difficult to address this problem and particularly, the wishes of the Members to ensure that the adverse impact of the prices can be insulated so far as the vulnerable section of the society is concerned.

I will elaborate a little about the steps which we have taken and which we are going to take. But this is the first point which I would like to suggest because I would like to use this opportunity not merely to state certain facts but also to try to have some sort of understanding amongst the political spectrum, leadership so that we can achieve larger objectives for the betterment of the economy, for the improvement of the economy.

Madam Speaker, the inflationary pressure is being felt in the economy for quite some time. You will recollect in the beginning of 2008, we had the problem of the pressure of international commodity prices followed by the oil prices, in the first half of

2008. Before that shock could be observed, in the later half of 2008 a minor event, sub-prime lending in some banking systems in USA sooner than later engulfed itself into a major financial crisis which compelled not only the leaders in India but all over the world to inject trillions of dollars in the form of stimulus package to ensure that further deceleration of the economic crisis does not take place.

India was no exception. We had to inject in doses fiscal stimulus to the extent of Rs.1,85,000 crore – in terms of GDP, almost 3 per cent. This had its effect. Fiscal expansion took place. Fiscal deficit increased. It went to the extent of 6.6 per cent in the year 2008-09 and 2009-10. Sushmaji was saying that my budgetary exercise has been to balance the Budget. Yes, I admit because I do agree that this level of fiscal deficit cannot be maintained, cannot be sustained over a longer period of time. Therefore, this fiscal deficit is to be addressed.

But that is not the only thing. There are other ways and means which we have taken. You cannot ignore the important component in this. I am not going into the merit. But the hardcore fact today is that petroleum sector is an important revenue yielding measure. It is applicable to the States, it is applicable to the Centre. I agree with the Leader of the Opposition when she said that I have used it as a means of raising revenue. Yes, 34 per cent of the States revenue comes from the petroleum products. In absolute terms in 2009-10, Rs.72,000 crore were raised by States collectively. I am talking of 28 States. I am not going to make any discrimination as to which State has a little more and which State has a little less. Other Members have done it and all of us are fully aware of it. Collectively it is contributing about 34 per cent to the States revenue mobilisation efforts. Therefore, if I suggest that do not do it because I will not do it, I shall have to find an alternative mechanism to support them because they have to carry on the constitutional responsibilities which are vested in them by the Constitution itself. Therefore, this aspect also has to be kept in mind.

I agree with you that petroleum prices should be rationalised. How could we do it? Here, I am not for scoring a debating point. You know, Advaniji knows and the Leader of the Opposition in the other House knows because I discussed this issue. Let

us introduce GST, Goods and Services Taxes, because in your own manifesto you have stated that Goods and Services Taxes would be introduced. You have said that Central Sales Taxes should be abolished and Goods and Services Taxes should be around 12 to 14 per cent. Let us try to achieve that. If we can do that, then the entire spectrum of the Service Taxes, entire spectrum of the Excise Duties, entire spectrum of the VAT, will be brought under the constitutional mechanism where the scope of individual discretionary decisions could be regulated. In your manifesto correctly you have stated it. If we want to implement it, it cannot be implemented by me nor can it be implemented by you alone, unless you have 350 Members of this House, more than 127 or 128 Members of Rajya Sabha and at least 50 per cent of the States. Neither you can have it, nor can we have it alone. We shall have to do it collectively. All the 28 States have to be taken on board. It is not therefore I am saying suddenly coming out of my hat, like coming out of a magician's hat. For four years we have been discussing this issue.

The Empowered Committee of the State Finance Ministers is meeting. They have circulated the discussion paper. That is in the domain of the public knowledge. If we can do that, then not only the petroleum products but the entire range which is covered, can be considered. It is a win-win game. I am taking this opportunity only because of this debate to say that time is running out. If we want to do the constitutional amendment, the Bill is to be introduced here, in this Session. It will have to be examined by the Standing Committee and it will have to be ratified by 15 States. All these exercises cannot be done unless we take some steps. Otherwise, it will be again delayed. Nobody knows what would be the picture because series of State elections will take place. This is one major tax reform for which I seek the cooperation of the entire House. You will have to support; the Left will have to support; Shri Mulayam Singhji and Kumari Mayawatiji will have to support; Shri Lalu Prasadji will have to support. Everyone will have to support if we want to have this major tax reform which can address the problems of the fluctuating price at least domestically. We cannot deal with the international prices.

You raised a point. But, perhaps, in your over-enthusiasm, you missed it. It is true. The prices rose to as high as 124 dollars per barrel in the month of June, 2008. But after that, the prices started coming down. When the prices have started coming down, then there is no question of either imposing taxes or revising them because it was the occasion where to allow the situation to ensure. When did we withdraw the import duty? It was in the month of June, 2008. Five per cent customs duty on petroleum crude was withdrawn; excise duty at one rupee per litre was withdrawn in June. There was no question of reimposing it because I have provided the stimulus package. I have given series of tax concessions in the excise duty, in the import duties starting from December onwards. This stimulus package and its impact continued from the month of December, 2008 till February, 2010 when I partially rolled it by imposing five per cent import duty on the crude and excise duty at one rupee per litre for diesel and petrol.

Therefore, this is the chronology of the events. There was no window left through which we could play. As I mentioned, I cannot blame the States for having taxes on it because this is one of their important components. If we can collectively decide, which is possible only through the institutional mechanism of GST, it will be good. Similarly, we are bringing DTC. It is not merely the majority of this House. One year ago I put it on the website of the Ministry so that all the stakeholders can participate in it. I had the privilege of receiving the comments of the BJP and many other political Parties. I have incorporated them. Again, I have revised the draft and put it on the domain for public knowledge. When I am bringing it to this House, it will be scrutinised by the Standing Committee and thereafter it will be debated by this House. Nothing can be done at the back of this House. It will have to be decided by the House itself because these are the taxation measures.

The question is what we could do about the food related inflationary pressures. There are two factors here – supply side and demand side. You look at the pulses. All these figures are available as my colleague, Agriculture Minister, has stated them umpteen number of times. There is a continuous shortfall in the production of all the important pulses, sometimes it is more and sometimes it is little less. What happened?

Actually during the period when we had short supply of pulses, at that particular point of time, the international prices also went reasonably high. Pulses are being produced maximum in India and also consumed maximum in India, and a little bit pulses are being produced by Myanmar, Turkey, Argentina and some other countries.

It is a fact, and I have no hesitation to admit it, that long ago when the Pulse Mission Mode Approach was taken to have the breakthrough … (*Interruptions*) Under the Oil Mission and Pulses Mission, we could not achieve that much success which we have achieved in the production of grains - rice, wheat or even the coarse grains, or in the production of liquid milk under White Revolution. We could not achieve it. That is why, I have decided in this Budget that let us identify on the Sixtieth Year of Republic of India 60,000 pulses and edible oil villages, where the work has already started.

Somebody has pointed out and rightly so – I do not deny – that I said that with the good *rabi* crop, I would expect to have some moderating influence in the price front. It did not happen because of the fact that most of our pulses' production is under *kharif* crop and not the *rabi* crop. This year, I am told, substantial enhancement in the crop position has been made. The Agriculture Minister has given all the details and we are going to have that. Therefore, this year we are expecting to have more production of the pulses. Similar is the case with edible oils. These are the two commodities which are in perpetual short-supply, to the extent of about 15 per cent of total requirement. In absolute terms, about three million tonnes to four million tonnes of pulses and about a million tonne-plus of the edible oils are in short-supply. Therefore, we are making efforts to improve it so that the management goes well and the supply side improves.

Now the question is about the prices. We shall have to give more prices to the farmers. If we do not give more prices to the farmers, they will not produce. It is not a populist scheme. To my mind, if we have increased the procurement price of wheat from Rs. 640 per quintal to Rs. 1,100 per quintal between 2004 and 2009, it was not done as a populist measure but to ensure that the production goes up. If we have increased the Minimum Support Price of per quintal of paddy from Rs. 560 to Rs. 1000 within a span of five years between 2004 and 2009 and if the various State

Administered Prices of the sugarcane are well above the Minimum Statutory Prices, which were prescribed by this House – Rs. 129 per quintal - it is not to indulge in populism but also to ensure that there are more crops.

Therefore, there would be a cost boost element in the inflationary pressure in the prices. How to ameliorate it? The schemes are there for this. … (*Interruptions*)

श्री शरद यादव (मधेपुरा): मैं एक बात कहना चाहता हू कि देश में पल्सेज़ की शार्टेज आज से नहीं है, वर्षों से है।

SHRI PRANAB MUKHERJEE : Yes, correct.

श्री शरद यादव : किसानों को आपने जो दिया है, वह इतना ज्यादा नहीं है कि जिस तरह का दाम बाजार बढ़ा है। बिचौलियों के खेल की बाबत भी कुछ बताइए।

SHRI PRANAB MUKHERJEE : I agree to it, and there are no two opinions in it. It is because there is a big difference in the prices, which the farmers -- the farmers from the farm's gate to the kitchen plate -- are getting. The question is how to address this difference; the question is who is to do it; and the question is what mechanism would be there. … (*Interruptions*)

SHRI ANANTH KUMAR (BANGALORE SOUTH): The Union Government will have to do it. … (*Interruptions*)

SHRI PRANAB MUKHERJEE : If you say that it will have to be done by the Union Government, you may have this wish. But it will have to be done collectively by the State Governments and the Union Government. … (*Interruptions*)

SHRI ANANTH KUMAR : No. … (*Interruptions*)

SHRI PRANAB MUKHERJEE : It is because the powers are vested in the States. The Essential Commodities Act; hoarding; de-hoarding; and notification has been issued during your time. It was taken … (*Interruptions*)

SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): Why cannot you amend the Essential Commodities Act? … (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Mr. Acharia, please sit down.

… (*Interruptions*)

SHRI PRANAB MUKHERJEE : Please, everybody cannot interrupt. I have listened to everybody with utmost patience. I have interrupted Shrimati Sushma Swaraj a couple of times. So, I will allow double the interruptions from her. But I did not interrupt anybody else. Therefore, it is not correct.

ESMA is with you; the Essential Commodities Act is with you; and determining the quantity to store is vested in the State Governments. But I do not pass on the buck to them alone. I am prepared to work with them. It is easy to say Universal Public Distribution System. But before that, should we not think of the fact that today it is Targeted Public Distribution System with limited number of commodities to serve the limited number of people? Let us search our heart and analyze State after State to find out the state of affairs of the Public Distribution System, which is one of the biggest, most vital, and important instruments to ameliorate the sufferings of the people by providing subsidized food grains and subsidized essential commodities to them. If that instrument is in place, then whatever be the number -- 6.1 crore families, who are given rice at Rs. 6.40 and rice at Rs. 8, and at Rs. 3 and Rs. 2 under the Antyodaya programme -- are going to have it. If the Tendulkar Committee's Report is accepted, it would be 8.1 crore families that will be able to have it. Therefore, this instrument is to be made effective.

The Prime Minister decided to set up a Sub-Committee with the Chief Ministers plus the Planning Commission in the Conference of the Chief Ministers to revamp the Public Distribution System because State after State explained the situation prevailing there.

To score a debating point, I can say that I do not agree with you. Fine, I have no problem. But if we want to address the problems; if we want to reach the people; and if we want to ameliorate their sufferings, then we shall have to take concrete steps, and revamping the Public Distribution System is one such step. I am afraid that it cannot be done by the Centre. It will have to be done collectively by the States and the Centre because this is the Constitutional scheme of things.

It has been suggested, and some of the States are doing well. I am not going to say that everybody is not doing.

SHRI ANANTH KUMAR : I just want to ask you why you are shifting the responsibility to the State Governments. You are shifting the responsibility to the State Governments. … (*Interruptions*)

SHRI PRANAB MUKHERJEE: No.

SHRI ANANTH KUMAR : I want to seek a clarification from you. My straight question to you is that between 1998 and 2004, under the Prime Ministership of Shri Atal Bihari Vajpayee, the prices of essential commodities were under check. What has happened in the last six years? Why are the prices skyrocketing? That is the question.

SHRI PRANAB MUKHERJEE: I am answering your question. I have not yet completed by answer, Shri Ananth Kumar. Have a little patience. From what I am saying, you will get the answer yourselves.

Yes, with a growing economy and with a higher growth, there will be inflationary pressure. You must look at the income generation of the people. During the NDA regime, there was no right to the people to get certain services backed by legal entitlement. We were accused that the Government was not sensitive. If the Government was not sensitive, the Government would not have provided the rights backed by legal enactment, entitlement backed by legal enactment, whether it is in the case of jobs for the landless rural poor people, entitlement of Right to Education at a cost of Rs. 2,31,000 crore, and the ratio of sharing between the Centre and the States being 65 : 35. These are the indications of the sensitivity of the Government. Sensitivity should not be a temporary thing.

Yes, I was sensitive when my colleague and my colleague, the Petroleum Minister, decided to enhance the price of kerosene from Rs. 9 to Rs. 12. I knew there would be sufferings. I am a village boy. I studied up to Class X under a kerosene lamp. I used to commute to my school by walking, as per today's terminology, ten kilometres every day. So, I know the life of a villager. But do not ridicule my sensitivity. When you raised it from Rs. 2 to Rs. 9, you completely forgot this sensitivity, but remember

this sensitivity when it was raised from Rs. 9 to Rs. 12. I do not believe in this type of variation of sensitivity.

The short point is, we shall have to do it. What is the production of our petroleum products? What is your total indigenous production? In the early 1980s, we used to have 29 million tonnes, today it has hardly been increased by four or five million tonnes. It is not available; which is not available, is not available. Any amount of debate, any amount of emotion, any amount of rhetoric cannot locate petroleum sources in this country. The answer lies somewhere, that is, we will have to reduce its use by new technology.

You are talking of providing subsidies. In the Supplementary Demands, for which I will be coming to this very House tomorrow or day after, it has been circulated and you have seen it, Rs. 14,000 crore has been provided. Despite the enhancement of the prices, this year itself I am to provide Rs. 14,000 crore. A question has been raised about the profitability of the Oil Marketing Companies. True, in 2008-09, three Oil Marketing Companies had more than Rs. 4,000 crore profits, but how did this profit arise? This profit arose because the upstream Oil Marketing Company provided cross subsidy to the Oil Marketing Companies to the extent of almost Rs. 50,000 crore.

The balance came from the Government subsidy. Next, Rs.1,03,000 crore from the upstream oil company and the subsidy route was given to the oil marketing companies in 2008-09. After getting Rs.1,03,000 crore they made profit otherwise there would have been a loss of Rs.99,000 crore of our public sector companies. Should I not protect the public sector companies? These are the ground realities. … (*Interruptions*) Let me complete… (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया : अनंत कुमार जी, आप बैठ जाइए। आप बोल चुके हैं।

…(व्यवधान)

श्री अनंत कुमार : आप महंगाई का जस्टीफिकेशन दे रहे हैं, महंगाई का समर्थन कर रहे हैं।…(व्यवधान)

श्री प्रणब मुखर्जी: पहले मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए, उसके बाद कहिए।

अध्यक्ष महोदया : अनंत कुमार जी, आप बैठ जाइए। अभी उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए।

…(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Please sit down. He is not yielding.

… (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया : आप उनकी बात सुन लीजिए।

…(व्यवधान)

SHRI PRANAB MUKHERJEE: I am answering his question. … (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया : प्लीज शान्त रहिए। उनकी बात सुनिए।

…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : अनंत कुमार जी, आप बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

SHRI PRANAB MUKHERJEE: I will answer your question. … (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Nothing will be recorded. Nothing will go on record.

(Interruptions) … *

SHRI PRANAB MUKHERJEE: I will answer his question. In fact, I am answering the earlier question. Then you put the second question. I am not yielding Shri Ananth Kumar. Please excuse me. I am not yielding. … (*Interruptions*) Therefore, my point is this. Shri Ananth Kumarji asked me how during the regime of the NDA, the prices were stabilized. Yes, I do admit. What was their growth? What was the GDP growth? What was the rate of investment? I have some figures. These figures are not compiled by my Ministry. These figures are of National Council of Applied Economic Research (NCAER), Centre for Macro Consumer Research, Report on Household Earnings and Spending. They have studied from 1985 to 2009-10 and from there, certain figures have been revealed. The total income of the household of the low income group which was in 2001-02 65.2 per cent, in 2009-10 it has come down to 41 per cent. For middle income group, in 2001-02, it was 109.2 million and it has gone up to 140.7 million. For high income group, from 13.8, it has gone up to 46.7. These are the studies conducted. I

---

* Not recorded

have asked my Ministry to verify the figures further. But I thought that I should share this information. That is one of the reasons why … (*Interruptions*) I did not interrupt you. If you do not want to listen, I have no problem. If you insist me, I will not utter a word.

अध्यक्ष महोदया : बसुदेव आचार्य जी, बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

SHRI PRANAB MUKHERJEE: I am sorry. I will not. Then I am sitting down, Madam. I am completing my reply. … (*Interruptions*) I will not answer. … (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: This is not the way.

… (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया : आप उनकी बात सुन लीजिए।

…(व्यवधान)

SHRI PRANAB MUKHERJEE: I am answering his question. Let them have cross talks. If the figures are not favourable to him, what can I do? If the expert body's figures are such that the growth was not there at that time at the level of nine per cent, investment was not there, purchasing power was not there, merely by the rhetoric of Shri Ananth Kumarji or somebody else, we cannot engage the purchasing power of the people in the year from 1998 to 2004. If it was not there, it was not there.

If it is there, it is there. As a result of that I must say that this is not the same. If you believe that this economic debate and the complex subject like inflation and price rise can simply be sorted out by the power of lung, it is not possible.

The third aspect on the demand is of excess liquidity in the market. If too much money is changed for too few goods, surely there will be inflationary pressure. As I have already stated, deliberately we have injected liquidity into the system. Fiscal expansion took place. We have injected stimulus. Gradually we are rolling out things. If I want to compromise with a growth rate of five per cent or five and a half per cent, if I want to compromise on my export growth - in your time it was negative or very small in two consecutive years - I can surely control the rate of inflation. I can even adopt the

mechanism which some countries did and that is to fix the prices. Prices are fixed on paper but goods are not available. Goods have evaporated. They are available in the black market. That type of situation we do not want in the country. We want that goods should be available, producers must get remunerative prices, and economy must grow.

For excess liquidity, the Reserve Bank from time to time is announcing the monetary policy. The Reserve Bank has recently reduced the corridor between the repo rate and reverse repo rate. Appropriate monetary policy is mopping up the excess liquidity. But if interest rates are hiked abnormally, naturally there will be no investment, there will be no growth, and there will be no job creation.

When I will come tomorrow to seek your approval for the Supplementary Demands, I will say that for the first time I am coming with a huge quantum of money as the first batch of Supplementary Demands. Why am I doing so? That is because I want that the full working season, which will start from October, is utilized for the developmental work. In the Supplementary Demands I have given Rs.14,000 crore to oil companies for subsidies. I am giving a substantial quantum of money to implement the right to education which is the objective of the UPA-II Government. That is entitlement backed by legal enactment. I have given Rs.6,000 crore for the Prime Minister's Gram Insurance Yojana. These are developmental activities. I am giving Rs.2000 crore for IMF in order to have a larger share in the IMF. Somebody may say, what is the need of these things? Please do not forget that in the near past, not in the remote past … (*Interruptions*)

Yes, *mehangai* is a problem. But at the same time availability is equally a problem. If a day comes when you will not have any money to buy petrol, to buy diesel, to buy kerosene, … (*Interruptions*)

Therefore, it is not proper to say that we are not sensitive or we are not aware of it. We are aware of it. We are sensitive that goods must be available.

13.00 hrs.

At the same time, the producer of goods and services must have the incentive to produce more so that there is no short supply. To protect the vulnerable sections of the society, we have taken certain steps. What we have done particularly in regard to agriculture sector, specially about the food grains. I am going to inform the hon. Members.

Yesterday, it was suggested that when the goods are rotting in the godowns, when the food grains are rotting in the godowns, why don't you give it to the States? It was decided, announcement has been made – Central issue price of the food grains meant for the Public Distribution System, it is sensitivity. From 2001, we have not changed things. Whatever was the price fixed at the ration shop for APL families, for BPL families, for AAY families, it has not been changed. Today, we are in 2010. That is sensitivity. Central Issue Price of food grains meant for the Public Distribution System - I have given statistics since 2002 – despite the increasing of the cost of procurement. That means, when you are procuring at Rs.640 per quintal, whatever was the issue price - when you are procuring at Rs.1,100 - the same issue price remains. The CIP for rice is fixed at Rs.5.65 per kg. for BPL; Rs.3 per kg. for AAY; and for wheat, Rs.4.15 per kg. for BPL; and Rs.2 for AAY. For pulses and edible oils, the Government of India is bearing a subsidy of Rs.10 per kg. and Rs.15 per litre respectively for distribution of these items through the PDS, through the Fair Price Shops. This is the figure, and it is available right now, and it will continue to be so. Recently, the Government has also decided on providing an additional allocation of 4.57 lakh tones of food grains per month for APL families. … (*Interruptions*)

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी) अध्यक्ष महोदया, प्लानिंग कमीशन के उपाध्यक्ष जी उनके द्वारा अपाइंट हुए थे और उन्होंने कहा था कि किसान का जो लागत मूल्य आता है, उसके उत्पादन का मूल्य उसी के अनुसार देना चाहिए। प्लानिंग कमीशन आपके द्वारा अपाइंट किया हुआ था। किसान का 950 रुपये प्रति क्विंटल पर खर्च आया था और उस वक्त किसान को 800 रुपये प्रति क्विंटल दे रहे थे। उन्होंने रिक्मेंड किया था कि किसान को 1300

रुपये प्रति क्विंटल मिलना चाहिए। मैं उनका नाम भूल गया हूं, आपको नाम भी बता दूंगा, क्या आप उनकी सिफारिश को मानेंगे?

SHRI PRANAB MUKHERJEE: So far as the Commission for Agricultural Costs and Prices is concerned, every year, we have totally accepted its recommendations. Sometimes, we have included. I can assure you that whatever be the recommendations of the Commission for Agricultural Costs and Prices in regard to the Minimum Support Prices of the crop – whether wheat, jowar – it will be fully implemented.

Secondly, as I have said, I am giving them 4.57 lakh tones of food grains. … (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Hon. Members, please sit down. Let him give the reply.

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Another question is being discussed – what are we going to do about protecting the grains, which we are collecting from the farmers.

It is true that there are no storing facilities; and as a result of that, there has been some wastage. Newspaper reports have come; I have also the figures; please do not mind my mentioning them because you have provoked me; otherwise, I would not have given these figures. … (*Interruptions*)

श्री मुलायम सिंह यादव : हम जानना चाहते हैं कि महंगाई घटेगी या नहीं? इतना बता दें।...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: He is not yielding. Please take your seat. Please sit down.

… (*Interruptions*)

SHRI PRANAB MUKHERJEE: During your period, from 2.18 million it went to 1,80,000 and to 1,35,000 and to 97,000. … (*Interruptions*) Therefore, this year also, there has been some wastage. … (*Interruptions*) But what are we going to do? … (*Interruptions*) We are going to take three steps. … (*Interruptions*) one step is that we are encouraging the public sector, FCI and others to go for making production. … (*Interruptions*)

श्री शरद यादव : महोदया, बहुत उपाय किए गए हैं, सारे एक्सपलेन कर रहे हैं। आपने कई उपाय किए हैं लेकिन सवाल यह है कि महंगाई कम नहीं हो रही है, बढ़ती जा रही हे। आपने बहुत से कदम उठाए हैं लेकिन वे कारगर नहीं हो रहे हैं।...(व्यवधान)

SHRI PRANAB MUKHERJEE: I am answering you. Take the case of rice. Three months before, it was Rs.23, today it is Rs.22; wheat was Rs. 15, now it is Rs.14. … (*Interruptions*) Do not laugh. … (*Interruptions*) If you buy one quintal of paddy, yielding 62 kg of rice, convert it and take it to the market place, what would be the price? … (*Interruptions*) So far as *atta* is concerned, it has come down from Rs.17.5 to Rs.16. … (*Interruptions*) Gram dal has come down from Rs.39 to Rs.34; masur dal has come down from Rs.63 to Rs.55; sugar has come down from Rs.44 to Rs.31; mustard oil has come down from Rs.71 to Rs.68. … (*Interruptions*) Onion has come down from Rs.23 to Rs.14. … (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Please listen to him; please take your seats.

… (*Interruptions*)

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Not only in Delhi, we have the figures of all the four metropolitan cities. … (*Interruptions*) You live in the make-belief world and want to have your own satisfaction; … (*Interruptions*) the Communist leaders are speaking; … (*Interruptions*) I will request them how many food marches have taken place in West Bengal which was the recurring feature during the earlier years? … (*Interruptions*) What have you done? … (*Interruptions*) What is your distribution system? … (*Interruptions*) It was completely destroyed. … (*Interruptions*) Have you ever heard that the ration dealers are surrendering them? … (*Interruptions*) It was a complete collapse and you are having the accusing finger. … (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Please sit down.

… (*Interruptions*)

SHRI PRANAB MUKHERJEE: I would also like to make another submission. … (*Interruptions*) Please let me complete. Therefore, what we have decided is this. Earlier, when they constructed the godowns, not from the public sector, but from the private sector, they were allowed to have the guarantee for the use of seven years; we have extended it to ten years. We have provided that they will be given concessions – not concessions in terms of interest rates, but concessions in the list of priorities for lending

from the banks so that in the private sector, godowns come and storing facilities are created.

Similarly, in the public sector, for the 11th Five Year Plan - through FCI - we have given Rs.149 crore. There is another proposal to create 5.25 lakh tonne of additional storage capacity in the North-Eastern States with an investment of Rs.468 crore. The identification of the storage capacity is based on consumption requirement and consuming States and stock levels in procuring States. Additional capacity of 1,27,127.65 tonne has been identified in fifteen States. Therefore, the Central Warehousing Corporations, State Warehousing Corporations are going to complete these warehousing facilities.… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Lalu ji, please sit down.

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Lastly, a new Section 35 (a)(d) has been inserted in the Income Tax Act, 1961 which will be effective from 1st April, 2010 to allow deduction of expenditure of capital nature made for construction of the godown for agricultural produce from income for tax calculation.

Therefore, we have addressed the problem of providing subsidised essential commodities to the vulnerable sections of the society through the revamped Public Distribution System. We have ensured that the excess liquidity in the market is moped up by adjusting the Repo Rates, Reverse Repo Rates and CRR. Reserve Bank is keeping its eye constantly on that. We have ensured that adequate production in the agriculture sector takes place. For providing extension, we have given money in the Plan. We have decided to extend the Green Revolution to the Eastern India. We have made provisions. I have told that money will be provided as and when the schemes are being made. Therefore, with these factors, I do feel, it would be possible.

So far, as I have suggested, we receive cooperation from both the Houses concerned and introduce GST and bring within the purview of GST petrol and petroleum products and introduce it with their support, from April 2011 I do feel the type of variations in the petroleum prices could be taken care of. Thank you, Madam.

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): अध्यक्ष महोदया, चूंकि यह प्रस्ताव मेरे द्वारा प्रस्तुत किया गया था और नियमों के तहत मुझे उत्तर देने का भी अधिकार है, आपने उसी अधिकार के नाते मुझे बोलने के लिए खड़ा किया है, जिसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूं।

महोदया, यह प्रस्ताव हम सबने एक विशेष परिस्थिति में माना था कि इसके बाद एक सैंस ऑफ दि हाउस निकलेगी और पूरा सदन एकमत होकर कोई बात कहेगा। चूंकि पहली बार महंगाई के बारे में ऐसा हो रहा था। पूरा देश आज वित्त मंत्री के भाषण की तरफ देख रहा था कि वह अपने भाषण में कुछ राहतों का जिक्र जरूर करेंगे, कुछ उन उपायों की घोषणा करेंगे, जिन उपायों के कारण महंगाई का बोझ कम होगा। लेकिन मैं बहुत अदब के साथ कहना चाहती हूं कि वित्त मंत्री के भाषण से केवल सदन ही निराश नहीं हुआ, बल्कि वे तमाम लोग जो टी.वी. पर देख रहे थे, उन सबको निराशा हाथ लगी है और निराशा इसलिये हाथ लगी क्योंकि वित्त मंत्री जी ने महंगाई कम करने के लिये कोई उपाय या उस में सुधार की कोई बात नहीं की है बल्कि उन्होंने यह कहा कि इनफ्लेशन प्रेशर क्यों है, उस महंगाई को उचित ठहराते हुए उसका औचित्य पूरे सदन के सामने रखा। उनका एक थीसिस यह था कि अगर विकास दर बढ़ती है तो महंगाई बढ़ती ही है। जब मेरे साथी श्री अनंत कुमार जी ने यह बताया कि हमारे समय में 6 साल में महंगाई कैसे कम रही तो उसके प्रत्युत्तर में वित्त मंत्री जी ने यही कहा कि तुम्हारे समय में ग्रोथ कम थी, इसलिये इनफ्लेशन कम था।…(व्यवधान) वित्त मंत्री जी की बात सुनने के बाद मैं कहना चाहूंगी कि कल मैंने अपने भाषण में कहा था कि सरकार असंवेदनहीन है लेकिन आज मैं कहूंगी कि यह सरकार दुविधाग्रस्त भी है। सरकार यह समझ नहीं पा रही है कि महंगाई घटानी है या नहीं? यह दुविधा वित्त मंत्री जी से ज्यादा प्रधानमंत्री जी की है क्योंकि प्रधानमंत्री जी अर्थशास्त्री हैं। अर्थशास्त्र का सिद्धान्त यह कहता है कि विकास दर महंगाई का द्योतक होती है और उनका पूरा का पूरा भाषण इसी बात को बताने के लिये था कि महंगाई विकास दर की द्योतक होती है। इसलिये उन्हें लगता है कि जब वह अंतर्राष्ट्रीय् जगत में जाकर यह बताते हैं कि इंडिया की इकोनोमी पर इनफ्लेशन प्रेशर है तो लोग उनकी पीठ थपथपाते हैं और कहते हैं कि हां, आपकी इकोनोमी ग्रो कर रही है। लेकिन मैं आज माननीय प्रधानमंत्री जी से और वित्त मंत्री से कहना चाहती हूं कि यह ठीक है कि महंगाई विकास दर की द्योतक होती है जो अर्थशास्त्र का सिद्धान्त है लेकिन देश में विकास दर किसी और की बढ़ रही है और महंगाई की मार किसी और पर पड़ रही है, यह तालमेल आपका अर्थशास्त्र नहीं सिखाता। यह तालमेल जो जमीन की राजनीति करते हैं, जो गांव-गांव जाकर भटकते हैं, वे देखते हैं। ये जो बेमेलपन है, यह केवल वही व्यक्ति देख सकता है जो जमीन पर जाकर देख रहा है कि एक तरफ चिमनियों के धुयें निकल रहे हैं, करोड़पति अरबपति हो रहे हैं। हिन्दुस्तान के सौ-सौ लोगों का नाम उस सूची में आ रहा है जो अरबपति हो रहे हैं लेकिन उसके बाद उन लोगों की संख्या बढ़ रही है जो गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं। यह

तालमेल कैसे बैठाया जाये,यह प्रश्न आपके सामने है। जो ग्रोथ है, हम उसे स्वीकार करते हैं लेकिन इस ग्रोथ के साथ महंगाई होगी, इसका मतलब यह नहीं कि...(व्यवधान)

श्री शरद यादव : अध्यक्ष महोदया, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जो प्रणब बाबू ने कहा कि उन्होंने इसके लिये कई उपाय किये हैं, वे किस-किस तरह से पीडीएस में , नरेगा में काम कर रहे हैं लेकिन इन सब के नतीजे नहीं निकल रहे हैं जो वित्तमंत्री जी कह रहे हैं।, मैं कहना चाहता हूं कि उनमें नतीजे तो निकलने चाहिए।

श्रीमती सुषमा स्वराज : यही तो मैं कह रही हूं।...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : ठीक है, आपकी विकास दर बढ़ी। ऐसे 125-130 परिवार हैं जो अरबपति-खरबपति हैं, उन्हें अलग कर दीजिये। उसके बाद पता लगाईये कि विकास दर कितनी बढ़ी है और किसान और मजदूर की हालत क्या है?...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : मुलायम सिंह जी, आप बैठ जाइये। सुषमा जी को बोलने दीजिये।

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष महोदया, यह जो बेमेलपन है, यह जो विषमता है, यह जो असमानता है, अभी जो भारत बंद हुआ, उसमें अरबपति या खरबपति नहीं आये, उस बंद में कोई करोड़पति या लखपति भी नहीं आया और जो हजारों कमाता है, वह भी नहीं आया। उस बंद में वह व्यक्ति निकलकर रोड पर आया जिसे दो वक्त की रोटी नहीं मिलती...(व्यवधान) अध्यक्ष जी, सड़क पर संघर्ष करने के बहुत से माध्यम होते हैं - धरने होते हैं, प्रदर्शन होते हैं, लोग रैलियां निकालते हैं लेकिन एक अभूतपूर्वक भारत बंद सब से कड़ा, सब से प्रभावी माध्यम होता है। इसीलिए हमने चाहा था कि अगर सड़क पर सबसे प्रभावी माध्यम का इस्तेमाल उस आम आदमी ने किया है तो हम भी सबसे प्रभावी माध्यम के अंतर्गत यहां चर्चा करें और इसीलिए हमने एडजर्नमेंट मोशन दिया था कि वह उस आदमी के संघर्ष से मेल खा जाये जो भारत बंद में निकला था। आपने नियमों का हवाला देकर हमारा एडजर्नमेंट मोशन खारिज कर दिया। उसके बाद हमने कहा कि मतदान के तहत नियम 184 में चर्चा करेंगे। मैं आज प्रधानमंत्री जी से कहना चाहती हूं कि अगर उस पर मतदान होता तो हम मतदान में यह नहीं दिखाना चाहते थे कि सरकार के साथ कौन है या सरकार के खिलाफ कौन है। हम यह दिखाना चाहते थे कि आम आदमी के साथ कौन है और महंगाई के साथ कौन है। उस नियम 184 को भी आपने स्वीकार नहीं किया और फिर हम लोगों ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। मैं कहना चाहती हूं कि जिस तरह भारत बंद में वह आदमी निकला था जो भूख से मर रहा है,...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप लोग शांत हो जाइये।

श्रीमती सुषमा स्वराज : महोदया, भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में एक हस्ताक्षर अभियान चलाया था। उस पर करोड़पति ने हस्ताक्षर नहीं किये थे, उस पर लखपति ने हस्ताक्षर नहीं किये थे, उस पर हजारों कमाने वाले ने भी

हस्ताक्षर नहीं किये थे, उस पर उन दस करोड़ गरीब लोगों ने हस्ताक्षर किये थे, जो भूखों मर रहे हैं। वे हस्ताक्षर हम महामहिम राष्ट्रपति जी को सौंपकर आये थे। इसीलिए हम चाहते थे कि यहां एक प्रभावी विधा के तहत चर्चा हो, लेकिन जब यह तय हुआ कि इस प्रस्ताव के तहत चर्चा होगी तो हमने वित्त मंत्री जी से कहा कि जो मोशन हमने तय किया, उसमें सरकार का आह्वान करने की बात की। उन्होंने कहा था कि मैं क्या स्टेप्स लूं? हमने कल कहा था कि आप रेवेन्यू न्यूट्रल रिजिम लाइये, वह एक स्टेप है। मैं एक और स्टेप आपको बताना चाहती हूं। आपके यहां भंडारण की बहुत बड़ी समस्या है। कल मैंने भी इसके बारे में कहा और बाकी लोगों ने भी इसके बारे में कहा कि एफसीआई के गोदामों में माल बाहर पड़ा हुआ सड़ रहा है और आप खाने वालों को, भूखे लोगों को नहीं दे रहे हैं। इसके बारे में मैं आपको एक सुझाव देना चाहती हूं। शायद प्रधानमंत्री जी को इसके बारे में पता हो, चूंकि वे पंजाब से आते हैं। एक बार पंजाब में वह सुझाव इस्तेमाल किया गया था। जिस समय मंडी में गेहूं, चावल की नयी आवक आती है, उस समय अगर आप अपने छोटे से छोटे कर्मचारी को व्हीट एडवांस या राइस एडवांस देना शुरू करें और बाद में राज्यों से भी कहें कि वे भी उन्हें व्हीट एडवांस या राइस एडवांस देना शुरू करें तो प्रधानमंत्री जी, लाखों-लाख लोग सीधे मंडी से उस माल को उठायेंगे। इससे आपको तीन फायदे होंगे- पहला यह कि लाखों-लाख घरों में खाद्य सुरक्षा निश्चित हो जायेगी। अप्रैल आते ही लोगों के घर में पूरे वर्ष का गेहूं, राशन पहुंच जायेगा। घर की गृहणी शांत हो जायेगी कि कम से कम मेरे पास गेहूं, आटा आ गया है, मैं नमक डालकर बच्चों को रोटी खिला दूंगी, लेकिन बच्चे भूखे नहीं मरेंगे। दूसरा फायदा यह होगा कि लाखो-लाख घरों में भंडारण होगा, कहीं दो क्विंटल, कहीं चार क्विंटल और कहीं छह क्विंटल और वह भंडारण उसकी देखरेख में होगा। वह गेहूं सड़ेगा नहीं। जब हम छोटे थे तो हमारे घरों में हमारे पिता आवक के आते ही गेहूं ले आते थे। हम लोग नीम की पत्तियां लगाकर उसे अपने-अपने घरों में रखते थे। एक-एक घर में चार-चार क्विंटल, छह-छह क्विंटल, आठ-आठ क्विंटल गेहूं का भंडारण हो जायेगा। इसके लिए आपको एक नया पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। लाखों-लाख घरों में भंडारण होगा, लाखों-लाख घरों में खाद्य सुरक्षा होगी और जो पैसा आप एडवांस के रूप में देंगे, आप जो एफसीआई के गोदाम खरीदते हैं, उनमें भी आपका पैसा जाता है, यह लोन होगा जो उनके वेतन से कटकर आपके पास वापस आ जायेगा। आप हमारे साथ बैठिये, हम आपको ऐसे बहुत से सुझाव देंगे, जिनसे आम आदमी को राहत मिलेगी और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होगी।...(व्यवधान) पैट्रोल, डीजल पर मैंने आपको बताया कि जब हमने एपीएम तोड़ा था तो उसके साथ हमने यह तय किया था कि हर सात दिन बाद हम ऑयल कंपनीज़ के साथ बैठा करेंगे। जो रेवेन्यू आता था, उसमें से आधा ऑयल कंपनी को देते थे और आधा उपभोक्ता को देते थे। रेवेन्यू न्यूट्रल रिजिम रखते थे, अगर आप इस नीयत से बैठेंगे कि देश की महंगाई कम करनी है, लोगों को राहत देनी है तो हम लोग सुझाव देंगे। आप हमारे साथ बैठिये, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आप दुविधा में है। आपको यह पता ही नहीं है कि महंगाई कम करनी है या नहीं करनी है। आप इधर बढ़ाते हैं और उधर कहना शुरू कर देते

हैं कि हम वापस नहीं लेंगे, वापस नहीं लेंगे, कम नहीं करेंगे, कम नहीं करेंगे। मैं आज आपसे कहती हूं कि सदन की यह सैंस उभरकर आयी है और महोदया, उस सैंस में आप सरकार से कम से कम यह जरूर कहिये।

आप ये तो कहेंगे कि महंगाई कम करिए, उपाय करिए, लेकिन इन्होंने जो कीमतें बढ़ाई हैं, उसमें से कम से कम थोड़ा रोलबैक करके आम आदमी को राहत दें। यह सेंस उभर कर आई है, अगर यह सेंस आप देती हैं तो मुझे लगता है कि यह चर्चा थोड़ी सार्थक हो सकेगी।

MADAM SPEAKER: Hon. Members, I place the following Resolution before the House.

> "This House, having considered the inflationary pressure on the economy of the country, urges upon the Government to take further effective action to contain its adverse impact on the common man."

I hope the House agrees.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

MADAM SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 2.30 p.m.

13.27 hrs.

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Thirty Minutes past Fourteen of the Clock.

<u>14.31 hrs.</u>

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at Thirty-one Minutes past Fourteen of the Clock.

(Mr. Deputy-Speaker *in the Chair*)

MOTION RE: CONSIDERATION OF ISSUES OF POPULATION STABILISATION IN THE COUNTRY

MR. DEPUTY-SPEAKER: The House will now take up item no. 15.

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI GHULAM NABI AZAD): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I beg to move:

> "That this House do consider the issues of Population Stabilisation in the country."

उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं माननीया स्पीकर साहिबा का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने जनसंख्या के स्थिरीकरण पर हमें यह बहस करने का अवसर प्रदान किया।

माननीय डिप्टी स्पीकर साहब, सबसे पहले इस विषय पर लगभग 35 वर्ष पूर्व चर्चा हुई थी। इस सदन में हमारे बहुत सारे मैम्बर्स ऑफ पार्लियामेंट ऐसे हैं, जिनके सामने फेमिली प्लानिंग या पॉपुलेशन स्टैबिलाइजेशन के बारे में इस हाउस में पहली बार चर्चा हो रही है। यदि एग्जैक्ट कहूं, तो ठीक साढ़े 33 साल इस चर्चा को हुए हो गए हैं और साढ़े 33 साल एक इंसान की उम्र होती है। इतने वर्षों के बाद आज पॉपुलेशन स्टैबिलाइजेशन पर सदन में दुबारा चर्चा हो रही है।

महोदय, पिछले साल, जब मैंने हैल्थ मिनिस्ट्री का चार्ज संभाला, तो चार्ज संभालने के एक-डेढ़ महीने के अंदर-अंदर वर्ल्ड पॉपुलेशन डे आ गया। 11 जुलाई को 'वर्ल्ड पॉपुलेशन डे' मनाया जाता है, जिसमें पूरे विश्व में जनसंख्या को किस तरह से स्थिर रखा जाए, इसके बारे में चर्चा होती है। राज्य सरकारों की साल भर में क्या-क्या उपलब्धियां है और स्विटजरलैंड में डब्ल्यू.एच.ओ. की मीटिंग होती है, जिसमें 192 देश आते हैं और हजारों की संख्या में सारे विश्व से ऑफीसर्स आते हैं। वहां बड़े-बड़े जो इश्यूज होते हैं, उन पर चर्चा होती है और उन्होंने साल भर में क्या-क्या उपलब्धियां की हैं, वे पूरे साल चर्चा का विषय बनती रही हैं। मैंने देखा, जब हमारे मंत्रालय ने विश्व पॉपुलेशन डे पर एक एयरकंडीशंड कमरे में फंक्शन रखा, उसमें जाहिर है कि चीफ गैस्ट मैं ही था। सब स्टेट्स से ऑफीसर्स बुला लिए गए।

2-4 आदमियों को ईनाम दिया गया कि आपने शादी 18 साल की उम्र में की है और बात खत्म हो गई। मैंने पूछा कि क्या पिछले वर्षों से इसी तरह से यह वर्ल्ड पोपुलेशन डे मनाया जा रहा है कि हम एयरकंडीशंड कमरे में आयें, पोपुलेशन को, आबादी को पूरे देश में किस तरह से स्थिर किया जाये, उस पर एयरकंडीशंड कमरे में हम बहस करें और अगले साल का इन्तजार करें कि अगले साल फिर यह डे आयेगा, उस दिन फिर एक एयरकंडीशंड कमरे में इस पर हम बहस करेंगे। क्या यही सिलसिला है तो मुझे ऑफिसर्स ने कहा कि गवर्नमेंट्स बदल गईं, सरकारें बदल गईं, दांये की बांये हुई, बायें की दांये हुई, सैण्टर की भी दांये-बायें हो गईं, लेकिन यह एयरकंडीशंड कमरा नहीं बदला और न ही सोच बदली।

मैंने यह सोचा और अपने साथियों से कहा कि यदि हम इसी गति से एयरकंडीशंड कमरे में बैठकर हिन्दुस्तान की पोपुलेशन को स्थिर करना चाहेंगे तो हमको यह पोपुलेशन स्थिर करने में शायद कई हजार साल लगेंगे और कई जैनरेशंस निकल जाएंगी, शायद 5000 साल और लगेंगे। इसीलिए मैंने उसी वक्त और उसी दिन यह निश्चय किया और यह निर्णय लिया कि अगर हमको जनसंख्या को स्थिर करना है, जनसंख्या का स्थिरीकरण करना है तो एयरकंडीशंड कमरों में भाषण करने से, चाहे वह मैं हूं या ये हों या ये हों तो यह कभी नहीं हो पाएगा। इसके लिए हमको सड़कों पर उतरना होगा। उसके लिए पार्लियामेंट में बहस होनी चाहिए, उसके लिए विधानसभाओं में बहस होनी चाहिए, उसके लिए जिला परिषद् में बहस होनी चाहिए, उसके लिए कारपोरेशन में बहस होनी चाहिए, उसके बाद इसे हमें एक आन्दोलन की तरह लेना होगा और पार्टी पोलिटिक्स से ऊपर उठकर लेना होगा।

बदकिस्मती से पहले यह कार्यक्रम जब शुरू हुआ तो राजनीति ने बीच में आकर इसको ऐसे लिटा लिया कि अभी 33 साल के बाद आज हम सब इस पर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि इन 33 वर्षों में सभी राजनैतिक दलों ने, चाहे वह अपोजीशन है या रूलिंग पार्टी है, छोटा अपोजीशन है या बड़ा अपोजीशन है, वे इस बात पर पहुंच गये, इस नतीजे पर पहुंच गये हैं कि इस देश में जब तक जनसंख्या का स्थिरीकरण हम नहीं करेंगे तो हमारे देश के लिए बहुत मुश्किल होगी। आपको यह सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा कि जितनी भी दुनिया की जमीन है, भूमि है, उस भूमि का सिर्फ 2.5 प्रतिशत, टू बी प्रीसाइज़ 2.4 प्रतिशत हिन्दुस्तान, भारत के हिस्से में आया, लेकिन आबादी विश्व की कितनी हिस्से में आई है-17 प्रतिशत। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। मुम्बई के लोग ज्यादा अच्छी तरह से जान सकते हैं, अब दिल्ली के भी जानने लगे हैं कि जो घर 2.5 आदमियों के लिए बना है, उसमें 17 आदमी रह रहे हैं। अभी तक जो बहस हो रही थी, सुषमा जी ने जिसको आरम्भ किया और खत्म भी किया, महंगाई पर, ठीक है, महंगाई के और बहुत कारण हैं, मैं यह नहीं कह सकता हूं। लेकिन यह भी एक कारण है।

यह भी एक कारण है कि जो भूमि ढाई लोगों के लिए बनी है, उसका अनाज 17 लोग खा रहे हैं। मुझे अफसोस है कि इस पर भी किसी को चर्चा करनी चाहिए थी, क्योंकि ये दोनों मुद्दे जुड़े हुए हैं। सरकार की जिम्मेदारी कितनी है, क्या है, राज्य सरकारों की कितनी जिम्मेदारी है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन यह जरूर है कि हर साल जमीन घटती जा रही है और आबादी बढ़ती जा रही है। हर साल 18 करोड़ आबादी बढ़ती है, लेकिन जमीन हर साल घटती रहती है। ढाई प्रतिशत जमीन का हिस्सा, जिसके बारे में मैंने कहा, उसी ढाई प्रतिशत जमीन पर हर साल लाखों मकान बनते हैं, उसी भूमि पर हर साल लाखों झोपड़ियां बनती हैं, उसी ढाई प्रतिशत जमीन पर हजारों-लाखों बड़ी और छोटी सड़कें बनती हैं, नहरें बनती हैं, पुल बनते हैं, रेलवे ट्रैक्स बनते हैं, रेलवे और बस स्टैंड्स बनते हैं, अस्पताल बनते हैं, स्कूल्स बनते हैं, डिस्पेंसरीज बनती हैं, कालेजेज और यूनिवर्सिटीज बनती हैं। आखिरकार ये हवा में तो नहीं बनते हैं, जितना भी हम इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें, देश के हर गांव तक पहुंचने के लिए सड़क बनायें, वह आसमान पर नहीं बनती है, वह जमीन पर बनती है। इसी ढाई पर्सेंट जमीन पर सब कुछ हो रहा है। आबादी बढ़ती जा रही है और जमीन घटती जा रही है। यह मिसमैच है। आबादी की जितनी संख्या बढ़ रही है, अगर एक चौथाई के हिसाब से जमीन भी बढ़ती जाती, तो शायद हम कहीं पहुंच पाते, लेकिन ये बिल्कुल नार्थ पोल और साउथ पोल हैं। इन हालात में क्या हमने कभी यह सोचा है कि इसका मुकाबला कैसे करें?

उपाध्यक्ष जी, मैं कहना चाहूंगा कि इस पर एक हेल्थ मिनिस्टर का, एक हेल्थ मिनिस्ट्री का, केवल गवर्नमेंट के अकेले का बस नहीं है। इसके लिए हम सबको एक होना पड़ेगा। मैं कुछ आंकड़ें यहां बताना चाहूंगा और आपको उनको जानकर हैरानी भी होगी। हमारी पापुलेशन पालिसी वर्ष 2000 में बनी थी। उस वक्त वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। इसे बने दस साल हो चुके हैं, जिसमें तीन-चार चीजें रखी गयी थीं। उसका आब्जेक्ट, लक्ष्य क्या था, जिसे मानकर यह सरकार इसे आगे चला रही है। एक लक्ष्य तो यह था कि अनमेट नीड्स फार कांट्रासेप्टिव्ज का इस्तेमाल, इसके बाद इन्फ्रास्ट्रक्चर की कमी है, फेमिली प्लानिंग या हेल्थ से जुड़ी चीजों को ठीक करना। इसके मिड टर्म आब्जेक्टिव्स क्या थे और लांग टर्म आब्जेक्टिव्स क्या थे? मैं सबसे पहले मिड टर्म आब्जेक्टिव के बारे में कहना चाहता हूं। मिड टर्म आब्जेक्टिव था कि वर्ष 2010 तक हमारा टीएफआर, जिसको हम हिंदी में कुल प्रजनन कहते हैं, यह 2.1 होना चाहिए। यदि वर्ष 2010 तक टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 हो गया, तब वर्ष 2045 तक हमारी पापुलेशन का स्टेब्लाइजेशन होगा।

इसका मतलब उसके बाद होगी, कई साल लगेंगे। लेकिन टीएफआर की नेशनल ऐवरेज क्या होगी। टीएफआर को देसी भाषा में कुल प्रजनन कहते हैं, एक पति और पत्नी के पूरी उम्र में सिर्फ दो बच्चे हों। अगर यह ऐवरेज पूरी कंट्री की 2.1 आ गई और य वर्ष 2010 में हुई, तब 2010 में ही स्टैबिलाइजेशन नहीं होगा, उसके बाद भी 35 साल लगेंगे, 2045 में स्टैबिलाइजेशन होगा, क्योंकि जो बच्चे 5 साल, 8 साल या 10 साल पहले एक-एक कपल

से 6,7,8 या 4,5,6 पैदा हुए हैं, 2010 तक उनकी बहुत ज्यादा संख्या पैदा करनी होगी और वे बच्चे पैदा करते रहेंगे। अगर वे दो बच्चे भी पैदा करेंगे, तब भी हमें स्टैबिलाइजेशन में 35 साल लगेंगे। लेकिन वर्ष 2045 में स्टैबिलाइजेशन कब होगी और जनसंख्या स्थिर होगी? वर्ष 2045 में जनसंख्या तब स्थिर होगी, जब 2.1 2010 में होगी। हमारी नेशनल ऐवरेज 2006 है। लेकिन आज मैं 14 राज्यों का नाम लेकर बधाई देना चाहता हूं। आज कौन सी पार्टी है, क्योंकि यह एक दिन में नहीं हुआ, जिन्होंने 2.1 का लक्ष्य 2010 तक पूरा कर दिया है। इनमें तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और पंजाब, वैस्ट बंगाल और हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और सिक्किम, चंडीगढ़, पांडिचेरी और अंडमान-निकोबार है। मैं हैल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से, अपनी तरफ से और इस सदन की तरफ से उन सरकारों और उनसे पहले वाली सरकारों को, क्योंकि यह एक दिन में नहीं होता, इसमें दस साल लगते हैं और इसमें बारी-बारी सब सरकारें आईं, और उन सरकारी कर्मचारियों को बधाई देना चाहता हैं, उनसे भी ज्यादा उन लोगों को बधाई देना चाहता हूं, उन माता-पिता को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने यह उपलब्धि प्राप्त की है।

माननीय डिप्टी स्पीकर साहब, तीन-चार और राज्य हैं जहां 2.8 और 3.0 के बीच है, वे मणिपुर, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश हैं। जम्मू कश्मीर भी इसी में है। लेकिन इससे काम नहीं बनेगा। हमारी चिन्ता, इस देश की सबसे बड़ी चिन्ता सैंट्रल इंडिया की है, जिसमें उत्तर प्रदेश,...(व्यवधान) यह किसी सरकार पर टिप्पणी नहीं है, माफ कीजिए। आज एक सरकार है, कल दूसरी थी, उससे पहले तीसरी थी। ये चीजें बराबर चलती आई हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं लाया, माफ कीजिए। वह मेरी पार्टी हो या आपकी पार्टी हो, इसमें किसी पर टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस चीज में परिवर्तन कभी आया होता, मैं बाकी चीजों में नहीं कह रहा हूं, मैं एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं कह रहा हूं, लॉ एंड आर्डर की बात नहीं कर रहा हूं। मैं केवल आज के संदर्भ में बात कर रहा हूं कि दुर्भाग्य से इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं ला पाए हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी): औरों का तो बताया, आपके कितने बच्चे हैं?

श्री गुलाम नबी आज़ाद: मेरे दो बच्चे हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव : मेरे एक ही है।

श्री गुलाम नबी आज़ाद: मेरे दो बच्चे हैं, एक लड़का है और एक लड़की है।

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): आपके दो हैं, इनके एक है और वह लड़का है, लेकिन मेरे तो एक ही बच्चा है और वह भी बेटी है। इस तरह मैं इकलौती बेटी की मां हूं।

श्री गुलाम नबी आज़ाद: मैं अभी घोषणा कर देता हूं, लेकिन हम वर्ल्ड पॉपुलेशन डे याद रखें, जो हर साल 11 जुलाई को मनाया जाता है, उसमें ऐसे लोगों को ईनाम दिया जाता है। आप ऐसे लोगों की लिस्ट में आ गए हैं।

श्रीमती सुषमा स्वराज : मेरे एक ही बेटी है, उसके लिए क्या करेंगे?

श्री गुलाम नबी आज़ाद: एक वाले को तो सबसे ज्यादा मिलेगा। हम बहुत ही गम्भीर विषय पर चर्चा कर रहे हैं। इसमें किसी राज्य सरकार या जो आज सत्ता में हैं, माफ कीजिए मैं किसी पर भी आरोप नहीं लगा रहा हूं और कोई यह न समझे कि उन पर कोई टिप्पणी है। इनमें कई राज्यों में कांग्रेस पार्टी की भी सरकारें हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि आबादी के मामले में सबसे बड़ा चिंता का विषय यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड राज्य हैं, क्योंकि यहां पर टीएफआर सबसे ज्यादा है। किसी राज्य में 3.7 है, तो किसी में 3.8 या 3.9 है। यह तो एक एवरेज है, क्योंकि मान लो किसी के एक ही बच्चा है, जैसे मुलायम सिंह जी के है, तो उसे भी साथ लेकर चलें तो एवरेज छः या सात बच्चे एक परिवार में आज भी पैदा हो रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: आपने सुषमा जी क्यों छोड़ दिया, इनके भी तो एक ही बच्ची है।

श्री गुलाम नबी आज़ाद: मैं यूपी, बिहार आदि राज्यों की बात कर रहा हूं, यह उनमें नहीं आतीं। इन राज्यों में एवरेज 3.8, 3.9 है और यहां एक बच्चे वालों की एवरेज कम है, दो बच्चे वालों की भी कम एवरेज है, लेकिन फिर भी काफी संख्या है। इन राज्यों में टोटल एवरेज देखी जाए तो पांच-छः बच्चों वाले परिवार का चलन अब भी है और यही हमारे लिए चिंता का सबसे बड़ा विषय है।

मैं इस बात का भी उल्लेख करना चाहता हूं कि रजिस्ट्रार जनरल आफ इंडिया जो सेंसस करते हैं, उनकी रिपोर्ट भी बड़ी चिंता का विषय है। उन्होंने बताया है कि सन् 2001 से 2026 तक यानि 25 बरसों में 37 करोड़ आबादी बढ़ेगी। अब इन 25 बरस में से दस बरस तो निकल गए, उसका पता अगले साल चलेगा। लेकिन इन 25 बरसों में 37 करोड़ आबादी बढ़ेगी, उसमें से 50 प्रतिशत आबादी इन सात राज्यों की होगी, जिनका जिक्र मैंने कुछ देर पहले किया है। बाकी जो राज्य हैं और केन्द्र शासित राज्य हैं, उनमें शेष 50 प्रतिशत आबादी बढ़ेगी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना काम इन राज्यों में हमें करने की जरूरत है।

मुझे खुशी है कि हमारे यूपी, बिहार से आने वाले माननीय सदस्य इस समय यहां मौजूद हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उनके सहयोग के बिना यह काम नहीं हो सकता। वे भी इस मामले की गम्भीरता को समझते हैं और जानते हैं।...(व्यवधान) साउथ वालों ने अपना काम कर दिया है।

यह मजाक की बात नहीं है, यह जो वास्तविकता है, इस वास्तविकता को कभी न कभी हमें मानना पड़ेगा। हम हजार बार यहां बहस करें कि पानी नहीं है, बिजली नहीं है, अनाज नहीं है, उस बहस से सरकारें आयेंगी, बदलेंगी, लेकिन उससे कुछ निकलेगा नहीं। एक सरकार ठीक नहीं करती दूसरी आयेगी, लेकिन जैसे मैंने शुरू में कहा कि जमीन तो वही ढाई परसेंट है, उसमें उतना ही अनाज पैदा होना है और उस ढाई परसेंट में भी मैंने बताया कि जंगल है, पहाड़ हैं, दरिया हैं, मकान और अस्पताल हैं तो उस जमीन में आप कोई भी तकनीक लगाओ, कितना अनाज निकलेगा?

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : माननीय मंत्री जी सही दिशा में बात कर रहे हैं, मैं आपका शुक्रिया करता हूं कि आपने इस बहस को यहां उठाया। यह जो जनसंख्या का मामला है, जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं, उसमें कुछ नये रास्ते और सोचे जाने चाहिएं। जो कम बच्चे वाले लोग हैं उन्हें कोई न कोई इंसेंटिव मिलना चाहिए। अगर यह कंपोनेंट आप इसमें नहीं डालेंगे तो आजकल नौकरी चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो, इस कंपोनेंट को इसके साथ लिंक किया जाना चाहिए। मैं मानता हूं कि इसके पीछे एक बड़ा कारण गरीबी भी है। जिन सूबों का आपने नाम लिया, ये सूबे इतिहास गवाह है कि पहले से ही आबादी के हिसाब से बड़े रहे हैं। मुझे याद आता है इमरजेंसी का, स्वर्गीय संजय गांधी को कुछ लोग दोष देते हैं लेकिन मैं सोचता हूं कि कोई-न-कोई उपाय इस बढ़ती आबादी पर लगाना होगा और संजय गांधी ने जो बातें रखी थीं कि कुछ बातें मजबूती और सख्ती से भी करनी होंगी। इसलिए इसमें सख्ती भी बरतिये और इंसेंटिव भी दीजिए, इससे कोई रास्ता निकलेगा।

श्री गुलाम नबी आज़ाद : मैं आपका धन्यवाद करता हूं और माननीय उपाध्यक्ष जी का भी धन्यवाद करता हूं और मैं इसीलिए हाउस में आया हूं कि जब हमारे एयर-कंडीशन्ड कमरों में किसी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने की बात होती है तो फिर वही बात होती है जिसकी चर्चा मैंने शुरू में की। इस हाउस में जब मैं आया हूं और अगले हाउस में भी इसी स्तर पर बहस होगी, तो मैं यहां इसलिए आया हूं कि यहां 120 करोड़

लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग बैठे हैं और ये 120 करोड़ लोगों के प्रतिनिधि सुबह-शाम पानी की मुसीबत से, सड़क-बिजली, नौकरी की मुसीबत से, अनाज दिलाने की मुसीबत से जूझते रहते हैं, उन्हें मालूम है कि छोटी आबादी क्या है, बड़ी आबादी क्या है, उनको मालूम है कि आज से 30 साल पहले जहां खेत थे, आज वहां मकान हैं, किसान खेती किस पर करेगा? जमीन रही कहां, भूमि रही कहां? इसलिए मैं इस सदन में आया हूं कि हमारे कमरों में स्कीमें तो बनती हैं लेकिन उन स्कीमों से परिवर्तन नहीं आयेगा। ये संसद जो कानून बनाती है, जो निर्देश देती है, जिस पर पूरे देश की आशाएं और उम्मीदें हैं.

15.00 hrs.

जिस पर पूरे देश की आशाएं और उम्मीदें हैं, वे पार्टी और राजनीति से हटकर निर्धारित करें और रास्ता दिखाएं कि आने वाले वक्त में देश को किस दिशा में जाना है। हम अपने बच्चों के लिए क्या सम्पत्ति छोड़ कर जा रहे हैं और उनके भविष्य के लिए क्या कर रहे हैं? हमें पता नहीं है कि जब तक हम जिंदा हैं, तब तक खाने के लिए अनाज और अनाज को बोने के लिए जगह उपलब्ध होगी या नहीं होगी। भारत और चीन बड़े देश हैं, लेकिन अमरीका, जिसकी आबादी 30 करोड़ है और हमसे ज्यादा एरिया है, बहुत सारे देश जैसे अस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आदि हैं, वहां आबादी बहुत कम है, वहां जमीन ही जमीन है, लेकिन फिर भी वहां वर्ल्ड पापुलेशन डे मनाया जाता है। वे आज से ही आने वाले 400-500 साल की बात सोच रहे हैं, वरना वे रात-दिन बच्चे पैदा करते। वे भी स्थिरता की बात करते हैं। इक्का-दुक्का देश हैं, जहां बिलकुल ही पापुलेशन नहीं है, फर्टिलिटी कम है, उनकी अलग बात है, लेकिन जहां फर्टिलिटी ठीक है, मर्द और औरत की बच्चे पैदा करने की क्षमता ठीक है, वे भी स्थिरता की बात करते हैं।

जहां जनसंख्या तूफान बन कर आ रही है और जमीन घटती जा रही हैं, वहां हम इसे अगर टाप प्राइयोरिटी नहीं देंगे, तो हम तमाम जो पेरिफिरल क्वैश्चन करते हैं, वे सब बेमानी हैं। हमें इस विषय पर डटे रहना है। ऐसा न हो कि कल हमें पानी और दूसरी चीजों की तरह सांस लेने के लिए भी लाइन में खड़ा होना पड़े। यह स्थिति पैदा न हो, इसलिए हमें आज इस विषय पर चर्चा करनी है।

मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपने यहां स्वर्गीय संजय गांधी का जिक्र किया। इसी कारण मैंने शुरू में ही कहा है कि आज 35 साल के बाद इस विषय पर चर्चा हो रही है। हम उस समय के और इस समय के इम्प्लिमेंटेशन में अंतर लाए हैं। हमें इसे समझना चाहिए और यह समझाना चाहिए। कभी-कभी यह होता है कि दूध का जला छाछ भी फूंक-फूंक कर पीता है। जब कभी हम परिवार नियोजन की बात करते हैं, तो लोग सोचते हैं कि कोई जबरदस्ती पकड़ तो नहीं लेगा। मैं एक बात सदन को बताना चाहता हूं कि इस सरकार ने और पिछली सरकारों ने भी, मैं पूरा क्रेडिट नहीं लेना चाहता, पिछली सरकारों ने भी यह निर्णय लिया कि हम कोई ऐसा सख्त कानून नहीं बनाएंगे, जिसकी वजह से कोई कोटा फिक्स किया जाएगा या जोर-जबरदस्ती होगी या आफिसर को कहा जाएगा कि इतने केस लाओ, वरना तुम्हारी तरक्की नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है।

15.04 hrs.

(Shri P.C. Chacko in the Chair)

हम चार-पांच चीजों द्वारा इस चीज को करना चाहते हैं। इसमें कोई कानून नहीं होगा, अलबत्ता आपने इन्सेंटिव की बात कही, वह बिलकुल वाजिब है। इसी कारण सदन में चर्चा हो रही है, क्योंकि दस साल पहले जो जनसंख्या पालिसी बनी थी, वह तो गई, क्योंकि उस पालिसी में हमें वर्ष 2010 तक टोटल फर्टिलिटी रेट 1.2 लानी थी, अब जहां बच्चे पैदा होते हैं, वहां हम 3-4 में ही हैं। हमें नई पापुलेशन पालिसी लानी ही होगी। पालिसी में क्या-क्या इन्सेंटिव्स, क्या-क्या डिसइन्सेंटिव्स, कहां कमियां रही हैं, कहां कमजोरियां रही हैं, कहां हम चूक रहे हैं, वे चीजें हमारे सामने नार्थ, वेस्ट, साउथ, ईस्ट से सदन में चर्चा करते समय आएंगी, तब जा कर हमारी मिनिस्टरी को एक अच्छी पालिसी बनाने में मदद मिलेगी।

अभी टार्गेट कोई नहीं दिया जाएगा, फोर्स इस्तेमाल नहीं की जाएगी बल्कि वालेंटरी तौर पर लोगों को तैयार करना होगा और इसके लिए अवेयरनेस और जानकारी की जरूरत है। तीसरी चीज फैमिली प्लानिंग से मुत्तालिक है, आज से 30-35 साल पहले वे साधन नहीं थे जो आज हैं। औरतों के लिए तो बिल्कुल ही नहीं थे और मर्दों के लिए थोड़े से साधन थे। कान्ट्रासेप्टिव नहीं थे, मर्दों के लिए सिर्फ कन्डोम थे और वे भी नहीं पहुंचते थे। लेकिन आज तकनीक ने इतनी प्रगति की है कि अब हमारी बहनों और बच्चों के लिए बहुत चीजें हैं। हमने इन साधनों को उन तक पहुंचाना है। विशेष रूप से उन राज्यों में जहां लोक संख्या ज्यादा बढ़ती है। हमें इसके कारण भी ढूंढने पड़ेंगे, कारण है - गरीबी, बेकारी, बैकवर्डनेस और जानकारी का न होना भी है।

श्री मुलायम सिंह यादव : गरीबी एक कारण है। एक ही कमरे में 15-20 लोग रहते हैं, वे मनोरंजन कहां करेंगे?

श्री गुलाम नबी आज़ाद : मैंने शुरू में ही कहा है कि गरीबी सबसे बड़ा कारण है। मनोरंजन के भी साधन कुछ नहीं हैं। गरीबी, बेकारी और रोजगारी तमाम चीजें हैं। ये बेकारी और बेरोजगारी भी गरीबी से है, ये अमीर की बीमारी थोड़ी है। इससे आबादी बढ़ती जा रही है। एक चीज जो इससे जुड़ी है उसका संबंध गरीबी से तो है ही लेकिन सोशल कस्टम से ज्यादा है, वह है अर्ली मैरिज। अगर पूरे देश का एवरेज निकालें तो 35 प्रतिशत देहातों में 15-16 साल की बच्चियों की शादी होती है। मैं शहर की बात नहीं कहता लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि केवल बिहार के गांवों में जितनी शादियां होती हैं, 70 प्रतिशत 18 साल से नीचे की उम्र में होती है जबकि सरकार ने 18 साल की उम्र निर्धारित की है। इसी तरह से उत्तर प्रदेश में 59 प्रतिशत 18 साल से कम उम्र की बच्चियों की शादी होती है। इन इलाकों में एवेरज तकरीबन 36 प्रतिशत लड़कियों के बच्चे 18-19 साल की उम्र से पहले होते हैं। हमने शादी के लिए 18 साल का कानून बनाया लेकिन इससे पहले शादी भी हो गई और बच्चे भी हो गए। इससे दो नुकसान होते हैं, इससे बच्चे का भी नुकसान होता है और मां का भी नुकसान होता है। आप रोज हमसे जवाब

मांगते हैं कि बाल मृत्यु दर कितनी है और माता मृत्यु दर कितनी है? हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि सबसे ज्यादा बाल और माता मृत्यु दर, इसी छोटे माता और इसी बच्चे की होती है।

जिसकी शादी 15, 16 या 17 साल में हुई हो और 16, 17 साल में उसका बच्चा पैदा हुआ हो। इसका मतलब है कि बच्चे के बच्चा पैदा हुआ है। जो खुद बच्ची है, उसे यह मालूम नहीं है कि मुझे अपने आपको कैसे संभालना है, उसे यह मालूम नहीं है कि मुझे बच्चे को कैसे संभालना है तो उसके कारण बच्चे की भी मृत्यु होती है और मां की भी मृत्यु होती है। तब जो हमारी माता मृत्यु दर, एमएमआर एंड आईएमआर है, यह भी कम नहीं होगा। जब तक हमारे समाज में चाइल्ड मैरिज की एक प्रथा बनी हुई है, इस चाइल्ड मैरिज का जब तक हम मुकाबला नहीं करेंगे तो मृत्यु दर भी कम नहीं होगी और पापुलेशन भी कम नहीं होगी। इसलिए हमारे आने वाले वक्त का जो सबसे बड़ा मुद्दा है, जिसमें हमें ऑनरेबल मैम्बर्स ऑफ पार्लियामैन्ट का कोऑपरेशन चाहिए कि यदि अगर हम डायरेक्टली काम करेंगे तो इनडायरेक्ट वाला फायदा पापुलेशन से होगा और यदि हम यह गांवों में कहेंगे कि यदि मृत्यु दर को कम करना है, मैटर्नल मोर्टेलिटी रेट को कम करना है, अगर बाल मृत्यु दर, इनफैन्ट मोर्टेलिटी रेट को कम करना है तो आप 18 साल के बाद शादी कीजिए तो उससे गांव के लोग समझ जायेंगे कि यह हमारे हित की बात है और उसका बाई प्रोडक्ट जो होगा, उससे अपने आप फैमिली प्लानिंग होगी और स्टेबिलाइजेशन होगा। इसमें कोई जबरदस्ती नहीं है। हम कानूनन भी ठीक कह रहे हैं और यह उसके स्वास्थ्य के लिए भी ठीक है। उसकी मां के लिए भी ठीक है, उसके बच्चे के लिए भी ठीक है।

सर, हम तीन-चार चीजें रिकमैंड करते हैं। यह मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि इस पर ऑनरेबल मैम्बर्स ऑफ पार्लियामैन्ट अपनी-अपनी राय जितनी यहां दे सकते हैं, दे दें और जितनी नहीं दे सकते हैं, वे लिखकर हमारे मंत्रालय में मेरे नाम भेज दें, जो वे सोचते हैं। प्रथम जो शादी की उम्र 18 साल है, हम इसका प्रचार करें और इसे सुनिश्चित करें।

श्री मुलायम सिंह यादव : बिल लाकर कर दीजिए, नहीं तो पत्रकारों से अपील कीजिए, ताकि यह छप जाए।

श्री गुलाम नबी आज़ाद : बिल से नहीं होगा, वह कानून तो बना हुआ है। वह कानून है, उसे इम्पलीमैन्ट करना है। मैं उस पर बाद में आ जाऊंगा।

श्री मुलायम सिंह यादव : मैं सहमत हूं।

श्री गुलाम नबी आजाद : कैसे करना है, मैं उस पर भी बाद में आऊंगा। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि पहले और दूसरे बच्चे के बीच में तीन-चार साल का गैप हो। उससे मां का भी फायदा है और बच्चे का भी फायदा है। क्योंकि छोटे की परवरिश होगी और उसके बाद अगला चार साल के बाद होगा, इससे पापुलेशन कम होने में भी मदद मिलेगी।

तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जो बच्चियां अनपढ़ हैं, अभी मैं इन्हीं राज्यों की ज्यादा बात कर रहा हूं। यदि अगर हम बच्चों की, लड़कियों की शिक्षा पर ध्यान देंगे तो लड़कियां कम से कम 12वीं, 13वीं या 14वीं तक पढ़ेंगी तो 15, 16 या 18 साल की उम्र से ऊपर निकल जायेंगी। अभी क्या होता है, हमारे बिहार के अंदर कितनी लड़कियां 12वीं पास हैं, सिर्फ 15 प्रतिशत लड़कियां सैकेन्डरी पास हैं और उत्तर प्रदेश में सिर्फ 30 प्रतिशत हैं। अगर हमारी शिक्षा भी बढ़ जाए तो पहला अर्ली मैरिज के खिलाफ, दूसरा दो बच्चों के बीच में गैप और तीसरा लड़कियों की शिक्षा के बारे में अगर हम काम करें तो बहुत अच्छा रहेगा।

मेरे माननीय बुजुर्ग और मुझसे बहुत प्रेम करने वाले हमारे नेता जी ने सुझाव दिया है, हालांकि उसके लिए कानून है। लेकिन मेरा यह मानना है कि पार्लियामैन्ट और विधान सभा का इलैक्शन आता है। इस देश में कितने लोग कांग्रेस में हैं, बीजेपी में हैं,

बीएसपी हो, एस.पी. हो, सीपीआई हो , सीपीएम हो, डीएमके हो, एआईडीएमके हो लेकिन 100 प्रतिशत तो नहीं है। हमारे हमदर्द 40 प्रतिशत होंगे। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि मैं पिछले 35 सालों से कांग्रेस पार्टी का देश कई राज्यों का जनरल सैक्रेटरी और इंचार्ज रहा हूं, यू.टी से लेकर बड़े राज्यों तक मेरा अनुभव है कि कोई भी पार्टी नेशनल लैवल या स्टेट लैवल पर अपने बलबूते से सरकार नहीं बना सकती है। यह उस पार्टी की क्षमता होगी या उसके वरकर्स पर निर्भर होगा या पार्टी की कनविंसिंग पावर की बात होगी जो उस फरूटिंग पापुलेशन को जो नॉन-पार्टी पापुलेशन है, जो नॉन अलाइंस पापुलेशन है, 50-60 प्रतिशत को कनविंस करे कि मेरा उम्मीदवार, मेरी पार्टी दूसरे उम्मीदवार और दूसरी पार्टी से बेहतर है। जो पार्टी या जो उम्मीदवार अपनी मेहनत के द्वारा, अपने भाषण के द्वारा, अपनी शक्ति, - पैसे की शक्ति नहीं - मसल पॉवर की शक्ति नहीं बल्कि जब अपनी कनविंसिंग पावर का इस्तेमाल करता है तो वह पार्टी बाज़ी मार जाती है और वह सत्ता में आ जाती है। हम एक पार्टी हैं और अगर हम एक महीने के प्रचार में अपोजीशन को सरकार में और सरकार को अपोजीशन में ला सकते हैं तो अगर सभी पार्टियों का लक्ष्य एक है तो क्यों नहीं पापुलेशन में स्टेबिलिटी ला सकते हैं? इसमें कोई पार्टी नहीं है, कोई रीजन नहीं है, कोई रिलीजन नहीं है, कोई ऊंच-नीच नहीं है तो 365 दिन में यह आईएमआर का एक पाइंट या दो पाइंट क्यों नहीं कर सकते हैं? मेरा मतलब यह है कि कहीं न कहीं हमारी विल में कमी है, हमारी जो मेहनत है, उसमें कमी है, हमारी सोच में कमी है या हमारे इरादों में कमी है, इसलिये हम लक्ष्य नहीं पा सकते हैं।

सभापति जी, मैं सदन में माननीय सदस्यों से निवेदन करने आया हूं कि आज हम एक निश्चय कर लें कि हम सब इस मामले में एक हैं। कोई लैफ्ट -राईट सैंटर नहीं है, कोई नार्थ-साऊथ या ईस्ट-वैस्ट नहीं है। हमने वर्ष 2045 के लिये लक्ष्य रखा था कि हम पापुलेशन को स्टेबल करेंगे लेकिन जब हम वर्ष 2010 में रिव्यु करते हैं तो ऐसा लग रहा है कि उपलब्धि 2020 तक भी नहीं होगी। मैंने तीन-चार बातें कहीं हैं। एक तो यह है कि बाल

विवाह बंद कर दें जो प्रोडक्टिव स्टेज में है। पापुलेशन स्टेबल करने में उसका फायदा आज नहीं 20 साल के बाद होगा। जो शादी के लिये तैयार लड़के-लड़कियां हैं, अगर हम उनके लिये प्लानिंग करेंगे, उसका फायदा अभी होगा। अगर हम 10-20 साल जल्दी शादी नहीं करेंगे, उनके बीच में स्पेस देंगे, उन की फैमिली प्लानिंग के जितने साधन हैं, चाहे वे मर्दों या औरतों के लिये हैं , हम उन्हें उपलब्ध करायेंगे। आपके लिये खुशी की बात होगी कि फैमिली प्लानिंग से जुड़े हुये साधन उन मर्दों के लिये विशेष रूप से हैं जो हम राज्य सरकारों को भेजते हैं। हमारी मिनिस्ट्री की खुद की फैक्ट्रियां हैं। जब राज्य सरकारों को भेजते हैं तो 50 प्रतिशत स्टोर में पड़े रहते हैं और 50 प्रतिशत डिस्ट्रिक्ट में पड़े रहते हैं।

अब हमने निर्णय किया है कि इस साल से हम 100 डिस्ट्रिक ले लेंगे, जिनमें हम ब्लाक लेवल, प्राइमरी हैल्थ सेंटर लेवल, सब सेंटर तक और आशा के द्वारा गांव तक उसे पहुंचायें ताकि घर-घर तक मर्द और औरत तक जो फैमिली प्लानिंग के साधन है, वे मिल सकें। जिसमें कोई ताकत नहीं लगती है, कोई जोर-जबरदस्ती नहीं लगती है, उसे इस्तेमाल करें। उसके लिए भी आपको प्रचार करना होगा। मैं हिन्दुस्तान के हर गांव में नहीं जा सकता, मैं हर खेड़े में नहीं जा सकता। हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को उन पर चर्चा करनी होगी। मेरा आपसे निवेदन है कि सिर्फ दो लोग परिवर्तन ला सकते हैं, कायापलट कर सकते हैं। लोकतंत्र में इलेक्शन लड़ने वाले और दूसरे हमारे जो ऊपर बैठते हैं, मीडिया वाले और मीडिया में भी प्रिंट मीडिया से ज्यादा इलैक्ट्रानिक मीडिया वालों का सबसे बड़ा रोल है। उनका रोल हमसे भी ज्यादा है। यहां सदन के बाद मैं चाहूंगा कि आप सब मेरे साथ सहयोग देंगे। हम विधान सभाओं के एमएलऐज़ के साथ बात करें, हम जिला परिषद के प्रतिनिधियों के साथ बात करें और उन्हें बतायें कि क्या खतरे हैं, क्या खदशात हैं, कहां कमियां हैं और उन्हें दूर करें। मेरी इस शेर के साथ बड़े अदब के साथ इलैक्ट्रानिक मीडिया से अपील है। मुझे टेलीविजन देखने का बहुत कम समय मिलता है, लेकिन जब भी देखता हूं, या तो किसी हीरो की शादी हो रही होती है या किसी हीरोइन की शादी हो रही होती है। सभी चैनलों पर हो रही होती है।...(व्यवधान) या किसी खिलाड़ी की शादी हो रही होती है। उनका हनीमून कैसा होगा, वह भी इन्हें ही कवर करना है। कृपया, इन्हें मॉफी दे दीजिये। अभी राहुल महाजन कितनी लड़कियों के साथ शादी करेगा, कैसे करेगा, वह भी इन्हें ही दिखाना है। अगर यह आप दिखाओगे तो वह क्या करेगा।...(व्यवधान) मेरा उनसे निवेदन है। फैज़ अहमद फैज़ उर्दू के मशहूर शायर हैं। मैंने स्टूडेंट लाइफ में उनका एक शेर सुना और उस शेर से मेरी जिन्दगी में परिवर्तन आया। वह परिवर्तन यह था कि इस दुनिया में ऐशोआराम ही नहीं है, इश्क और माशूक ही नहीं है, इस दुनिया में उससे भी कई जरूरी चीजें हैं। ऍनजायमेंट ही सब चीज नहीं है। आज इस देश में हजारों, लाखों सड़कें बनती हैं, हजारों, लाखों पुल बनते हैं, एक-दो खराब हो गये, लेकिन लाखों ठीक भी बनते हैं, हजारों, लाखों अस्पताल और स्कूल बनते हैं, विश्वविद्यालय बनते हैं। मुझे माफ कीजिये, वह कहीं दिखाई नहीं देता है। हां, अगर कहीं कोई बिल्डिंग या स्कूल गिर गया तो फिर चौबीस घंटे क्या, वह एक हफ्ते तक दिखेगा।

जो बन गयी है या बन रही है, वह दिखाई नहीं देती है। मैं बड़े अदब के साथ, बड़े प्रेम और प्यार के साथ एक शेर, वह जो चौथा स्तंभ है, जो डैमोक्रेसी की ज्यूडिशियरी, पार्लियामेंटेरियन और फोर्थ स्टेट, जो चौथी टांग है, क्योंकि तीन टांगों पर कोई बिल्डिंग खड़ी नहीं रहती है, चौथी टांग मीडिया है। मैं उनसे भी कहूंगा इस देश को बनाने में डैमोक्रेसी ने आपको हिस्सा दिया है। यह शेर उनके लिए हैं। और भी गम हैं जमाने में मुहब्बत के सिवा, ये जो आप फिल्में आदि दिखाते हैं, ये तो एक चीज है। और भी गम हैं जमाने में मुहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा, और भी हैं गम जमाने में मुहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं, राहतें मतलब सैटिस्फैक्शन, जिस चीज से आपको सैटिस्फैक्शन हो, प्यार से हो, खेलकूद से हो, खिलाड़ी से हो, राहतें और भी हैं, वस्ल की राहत के सिवा, प्रेम और प्यार के अलावा भी कई चीजें हैं, जिससे आपको सैटिस्फैक्शन हो सकता है। अगर आप समाज के लिए, देश के लिए भी कुछ काम करेंगे तो वह सैटिस्फैक्शन आपको हो सकता है।

उसमें आपको ज्यादा सेटिसफेक्शन होगी, पैसा कम होगा, लेकिन सेटिसफेक्शन ज्यादा होगी।

सभापति महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं तमाम पार्लियामेंटेरियंस और तमाम मीडिया से अपील करूंगा कि इस कार्यक्रम को देश के हित के लिए चलाने में हमारी मदद मदद करें। यदि पार्लियामेंटेरियंस और मीडिया एक हो जाए तो मुझे कोई संदेह नहीं है, हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। टाइम की सीमा में पापुलेशन को मत बांधिए, जितनी भी बहस होगी, हम उसे नोट करेंगे। मैंने बहुत ज्यादा इसलिए बोला ताकि आपको इसी में से बहुत सारा मेटिरियल मिल जाए, क्योंकि बहुत से एमपीस ये चाहते थे। उसका विश्लेषण मैंने जुबानी किया, जो उसमें लिखा है, इसलिए इसी से आपको बहुत सारा मेटिरियल मिल जाएगा। आप अगर अपने सुझाव हमें बताएंगे तो वे सुझाव हमारी आने वाली पॉलिसी बनाने में सहायता करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।

MR. CHAIRMAN : Motion moved:

> "That this House do consider the issues of Population Stabilization in the Country."

Now we start the discussion on this. We have got 20 speakers to speak and four hours have been allotted. I request all the hon. Members to confine their speeches within five to ten minutes.

Shrimati Sumitra Mahajan.

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इन्दौर): सभापति महोदय, आज कम से कम बहुत दिनों बाद मुझे एक बात अच्छी लगी, विषय तो डिसकशन के लिए अच्छा है ही, लेकिन एक समय ऐसा था, उस समय हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी का एक स्टेटमेंट कहीं पेपर में आया था, कुछ टी.वी. देखते रहो, ज्यादा से ज्यादा टी.वी. देखो, पापुलेशन कंट्रोल हो जाएगा। तब मेरी जैसी महिला का मन धक करके रह गया, कि ये कैसे स्वास्थ्य मंत्री
मिले हैं, ये क्या कर सकेंगे, क्या बोल रहे हैं। टी.वी. तो ये भी देखते हैं, आज जैसे थोड़ा-थोड़ा बताया, क्या टी.वी. देखने से आकांक्षाएं, इच्छाएं कम होंगी या उभरेंगी। मगर आज जिस तरीके से आपने गंभीरता से बात रखी है और जो इच्छा प्रकट की है, यह वास्तविकता है और ऐसा लगा कि आपने भी कुछ सही दिशा में सोचना प्रारम्भ किया है, इसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद दूंगी।

सभापति महोदय, वास्तव में यह एक बहुत चिन्ता और चिन्तन का भी विषय है। यह बात सही है कि 1951 से हम इस विषय पर अलग-अलग तरीके से सोच रहे हैं। पहले 40 साल तक हम इसे फैमिली प्लानिंग करके टारगेट बेस सोचते रहे और फिर एक परिवर्तन आया। अभी जो इमर्जेंसी का उल्लेख हुआ, वह भी था, कई प्रकार की बातें चलती थीं। उसके बाद एक परिवर्तन आया और 1990 से 2000 तक हमने एक मंथन किया कि इसकी कोई एक नेशनल पॉलिसी होनी चाहिए, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति होनी चाहिए। सन् 2000 में हमने पॉलिसी भी बनाई और उस पॉलिसी के अंतर्गत काम करना भी प्रारम्भ हुआ। जैसा कि आपने कहा, यह बात सही है कि कुछ प्रदेश ऐसे हैं, जो उसमें सहयोग करें, लेकिन कुछ प्रदेशों की अपनी कुछ समस्याएं हैं। सन् 2045 तक स्थिरीकरण होना है और यह बात भी सही है कि यह स्थिरीकरण होगा या नहीं होगा, यह कहीं न कहीं हमारे मन में प्रश्न है। आपने जो बात कही, वह बात भी सही है कि इन सब के कारण क्या हैं। आपने जो बातें कहीं, उसी आधार पर मैं बात करूंगी कि आज जो समस्या है, यह क्यों नहीं हो पा रहा है। आपने जिन प्रदेशों का उल्लेख किया, उन प्रदेशों में आखिर बात क्या है? अगर हम सोचें, देखें, मैं पहले उस आधार पर एक बात करूंगी। आपने कॉंट्रासेप्टिव की बात कही, गांव-गांव में पहुंचना चाहिए। मगर मुझे ऐसा लगता है, development is the best contraceptive.

सभापति महोदय, जिन प्रदेशों की हम बात कर रहे हैं, आपने ठीक कहा कि कुछ प्रदेश ऐसे हैं, मेरे पास भी आंकड़े हैं, जहां 18 साल से कम उम्र की लड़कियों की शादी हो जाती है। शिक्षा की कमी है। आपने जैसा कहा कि 18 साल में शादी की उम्र सुनश्चित करें। मगर उससे पहले यह भी सोचना पड़ेगा कि कहीं न कहीं जो गरीब तबका है, ...(व्यवधान) आप ठीक कह रहे हैं कि कानून है, लेकिन इसके इम्पलीमेंटेशन की आवश्यकता है।

श्री गुलाम नबी आजाद : कानून है। यह आलरेडी है।

श्रीमती सुमित्रा महाजन: मैं भी जानती हूं कि ऐसा कानून है। मैंने भी एल.एल.बी. किया है। जो हम लोग यहां बैठे हैं, जब सामूहिक शादियों में जाते हैं, तो यह देखते हैं। मेरे जैसी महिला तो घूंघट उठा-उठा कर देखती है और

कहती है कि - देख यदि छोटी लड़की की शादी करेगी, तो मैं शादी में नहीं आऊंगी। बड़ी लड़की की शादी होनी चाहिए। यह हमारे जैसे लोग करते हैं, भले ही लोग नाराज हो जाएं। कानून तो मुझे भी मालूम है और उस गांव में बैठे हुए व्यक्ति को भी मालूम है। मुझे माफ करना, लेकिन उसका पालन बहुत कम होता है। मैं इन बातों की चर्चा घर के अंदर जाकर गृहिणी तक से करती हूं।

आपने कहा कि 18 साल से कम उम्र की लड़की की शादी नहीं होनी चाहिए, बिलकुल सही बात है, लेकिन आज गांवों में क्या वातावरण है। शिक्षा देना चाहिए। हमने उसका बिल भी पारित किया, लेकिन मुझे माफ करना, आज जो परिस्थिति है, उसमें गांव-गांव तक असुरक्षा का वातावरण बना हुआ है और यह वातावरण केवल गांवों में ही नहीं है, बल्कि शहरों में भी हो गया है। लड़कियों वाली कई माताओं से जब मेरी चर्चा होती है, तो मुझे पता चलता है कि शहरों में भी माताएं सोचने लगी हैं कि यदि 20 साल की लड़की उम्र हो गई है, तो उसकी शादी कर के उसके ससुराल पहुंचा दूं, तो मेरी जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी। गांवों में तो इससे और ज्यादा खराब बात यह है कि गरीबी के कारण खाने को ही नहीं है। माल न्यूट्रीशन, जो आपने कहा, वह इतना है कि ...(व्यवधान)

श्री शरद यादव : सुमित्रा जी, एक मिनट के लिए मुझे बोलने दीजिए।

श्रीमती सुमित्रा महाजन : यादव जी, या तो मेरी ओर से आप ही भाषण दे दें, मैं बैठ जाती हूं। चूंकि मेरा समय सीमित है, इसलिए मैं अपने पाइंट ही इतने कम समय में रखने में कठिनाई अनुभव कर रही हूं। इसलिए पहले मुझे अपनी बात कह लेने दीजिए।

MR. CHAIRMAN : Are you yielding ?

श्रीमती सुमित्रा महाजन : जी नहीं। मेरे इतने मुद्दे हैं और 10 मिनट में सभी बोलने हैं।

MR. CHAIRMAN : She is not yielding. सुमित्रा जी, आप अपना भाषण कंटीन्यू कीजिए।

श्रीमती सुमित्रा महाजन : सभापति जी, बोलने में थोड़ी मैं भी गड़बड़ कर रही हूं, क्योंकि मैं सोच रही हूं कि 10 मिनिट में मैं क्या बोलूं।

मैं यह कह रही थी कि जब हम अशिक्षा की बात करते हैं, तो आज स्थिति यह है कि गांवों में इच्छा होते हुए भी हमारी लड़की स्कूल में नहीं जा सकती। हम मध्य प्रदेश और अन्य अनेक प्रदेशों में लड़कियों को साइकिल देने की योजनाएं बना रहे हैं, लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, असुरक्षा का वातावरण है। इसलिए मां-बाप अपनी लड़की को यदि तीन किलोमीटर से थोड़ा सा ज्यादा दूर स्कूल है, तो भी वे उन्हें स्कूल नहीं भेजते, क्योंकि सुरक्षित वातावरण नहीं है। इसलिए हमें सबसे पहले शहर और गांवों में सुरक्षित वातावरण बनाना चाहिए। मंत्री जी

ने जो पहली बात कही कि यह स्वास्थ्य मंत्रालय का काम नहीं है। मैं उनकी इस बात से बिलकुल सहमत हूं। इसलिए मैं यह बात उठा रही हूं, क्योंकि कहने में सब आसान होता है।

पहली बात तो यह है कि हम गांव-गांव में स्कूल नहीं दे पा रहे हैं। कितनी भी कोशिश करें, लेकिन हर गांव में स्कूल नहीं दे पा रहे हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश में 10वीं तक पढ़ी लड़कियों की संख्या 72 परसेंट से ज्यादा है। स्कूल नहीं हैं, ऐसा भी मैं नहीं कह रही हूं। स्कूल हैं, लेकिन 10वीं से आगे स्कूल ही नहीं हैं और यदि हैं, तो वे इतनी दूर हैं कि वहां माता-पिता भेज नहीं सकते हैं, क्योंकि उस स्कूल में लड़कियों के लिए जो आवश्यक मूलभूत सुविधाएं हैं, वे उपलब्ध नहीं हैं। अब हमने देना शुरू किया है जैसे बाथरूम वगैरह। शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, यह पहली बात है। कहीं न कहीं असुरक्षा का वातावरण भी है और गरीबी उससे आगे का कारण है। गरीब की सोच बदलना भी एक आवश्यक कारण है। आपने जैसा कहा, मैं एक बात कहना चाहूंगी कि शिशु मृत्यु दर भी इसमें कहीं न कहीं एक कारण है, क्योंकि बच्चे पैदा तो हो जाते हैं, लेकिन उसमें से बचते कम हैं। पैदा तो आठ हो गए, लेकिन उनमें से जिन्दा तो चार ही हैं। उनमें बच्चों की कमी का एक भाव होता है। इसलिए वे बच्चे पैदा करते ही चले जाते हैं और जो चार हैं, वे कहीं न कहीं माल-न्यूट्रीशन से ग्रस्त हैं।

महोदय, लड़की के बारे में हमारी जो सोच है, वह भी कहीं न कहीं बदलनी पड़ेगी। केवल शिक्षा से काम नहीं चलेगा। लड़की के लिए जो न्यूट्रीशन है, वह ठीक नहीं है। इसके लिए पूरे परिवार की सोच बदलनी आवश्यक है।

कि यह केवल मेरी बेटी नहीं है, यह कल की मां है, कल की जननी है, यह कल किसी को जन्म देने वाली है और इसलिए उसकी हैल्थ, उसका स्वास्थ्य, यह सबसे जरूरी है, नहीं तो अक्षम या अस्वस्थ लड़की स्वस्थ लड़के या लड़की पैदा ही नहीं कर सकती, यह भाव आना चाहिए। मगर हम क्या दे रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय हो या अन्य मंत्रालय हों, माफ करना, मध्यान्ह भोजन-दो रुपये प्रति लड़का-लड़की, तीन रुपये प्रति लड़का-लड़की, यह आंगनबाड़ियों में है।

आपने कहा आंगनबाड़ी के जरिये एक जागरुकता पैदा करने की कोशिश हो गई थी, अच्छी योजना थी, मगर अच्छी योजनाओं को न जाने सरकार के दरबार में क्या हो जाता है। आज देश में जो आंगनबाड़ी हैं या आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं, उनकी क्या स्थिति है, वहां पर क्या-क्या हो रहा है? वहां पर यह अपेक्षित था कि वे इन बातों की तरफ देखें, बच्चों के हैल्थ की तरफ देखें, गर्भवती माताओं को भी थोड़ा-बहुत देखें। वे उनके लिए काम कर रही हैं। बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो या मध्य प्रदेश हो, ये स्टेट अपने तंई काम कर रहे हैं, लेकिन काम बहुत बड़ा है, इस बात पर थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है।

उसके बाद यह बात भी सही है कि अन्तर ज्यादा होना चाहिए। लेकिन अन्तर ज्यादा होना चाहिए, यह केवल कहने से नहीं चलेगा, अवेयरनैस होनी चाहिए, उन तक बात पहुंचनी चाहिए, पहुंचानी चाहिए। यह भी कहीं न कहीं आवश्यक है और यह सब क्यों होता है, यह भी हमारी जो सोच है, हमारी एक ट्रेडीशनल थिंकिंग है, वह भी एक वजह है। सबसे पहली बात तो यह है कि लड़का होना ही चाहिए, यह ट्रेडीशनल थिंकिंग है। यह ठीक है कि एकाध उदाहरण है कि कोई लड़की पर रुक गया, लेकिन लड़का होना ही चाहिए, इसलिए बच्चे होते जाते हैं, इस पर रोक नहीं लगती। यह ट्रेडीशनल थिंकिंग है, यह बदलनी बहुत आवश्यक है। मगर यह बदलने से क्या होगा, इसमें केवल महिलाओं को भी प्रशिक्षित करके नहीं चलेगा। मेरी मान्यता है कि महिलाओं की शिक्षा बहुत आवश्यक है, महिलाओं की सुरक्षा बहुत आवश्यक है। जब मैं महिला कह रही हूं तो उसका मतलब लड़की है, उसकी सुरक्षा बहुत आवश्यक है। उसमें जागृति बहुत आवश्यक है, मगर कहीं न कहीं साथ-साथ, क्योंकि आपने भी देखा होगा कि पुरुष ज्यादा से ज्यादा एक प्रतिशत ऑपरेशन कराते हैं, 96 प्रतिशत महिलाओं के ऑपरेशन होते हैं। इसको भी कहीं न कहीं बदलना आवश्यक है। यह सोच बदलनी आवश्यक है तो कहीं न कहीं पुरुष का भी प्रबोधन होना चाहिए। मुझे लगता है कि हमेशा हम इस बात पर ध्यान देते हैं कि महिला का प्रबोधन हो, लेकिन पुरुष का प्रबोधन भी आवश्यक है।

मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, एक बार मैं एक कार्यक्रम में गई थी, वह संस्थान माता-बालक प्रतिष्ठान था। माता-बालक प्रतिष्ठान में सब कार्यक्रम अच्छा हो गया, उसमें ज्यादातर ग्रामीण महिलाएं थीं और अवेयरनैस कार्यक्रम हुआ, सब कुछ हुआ, उनसे चर्चा हो गई। मेरे मन में कौतूहल हो गया और मैंने उनमें से एक महिला को पूछा कि यह माता-बालक प्रतिष्ठान क्या है, इसमें पिता कहां है? आप समझदार हो गईं, आपका बच्चा भी समझदार हो गया, लेकिन क्या पिता को नहीं होना चाहिए, आप पिता को अपने आपमें नहीं समा सकते हो, इसमें पिता क्यों नहीं आया है? उस ग्रामीण महिला ने वास्तव में बोलते-बोलते मजाक में उत्तर दिया, लेकिन वह सोचने लायक बात थी, उसने कहा कि वह पिता पीते-पीते न जाने कहां चला गया, हमें नहीं मालूम। यह बात है, क्योंकि मैंने कहा, पिता है तो बोली कि वह पीता ही है। वह पीते-पीते कहां चला गया, पता नहीं। अब यह ग्रामीण क्षेत्र की महिला थी, वास्तव में अनपढ़ महिला थी, मगर उसने जब यह उत्तर दिया, तब मेरे मन में प्रश्न आया कि कहीं न कहीं पुरुषों का प्रबोधन भी आवश्यक है। आप इसको भी प्रोग्राम में शामिल कीजिएगा, केवल माताओं या लड़कियों को प्रशिक्षण या उनमें अवेयरनैस लाने से काम नहीं चलेगा। जो कुटुम्ब बनता है, जो फैमिली बनती है, यह दोनों से बनती है, किसी एक से नहीं बनती है और इसलिए इस बात को भी हम थोड़ा सा सोचें।

आपकी यह बात भी ठीक है कि इसका एक कारण गरीबी है। गरीबी तो एक कारण है ही, लेकिन गरीबी के साथ-साथ जो प्रसव पूर्व निदान होता है, जैसा मैंने कहा, लड़का चाहिए, लड़की नहीं चाहिए, अब इसका भी कानून बना है, मगर उस पर अमल कितना हो रहा है? इस पर भी हमें थोड़ा ध्यान देना होगा। ...(व्यवधान)

अब मैं केवल सुझाव दे दूंगी, मुझे मालूम है कि मैं दस मिनट ले चुकी हूं। आपने यह बात ठीक कही कि यह केवल एक स्वास्थ्य मंत्रालय की बात नहीं है। बहुत सारे प्रदेशों में बहुत सारी अच्छी योजनाएं चल रही हैं। हमारा जो नेशनल कमीशन है, इस पर कहीं न कहीं पार्टी से ऊपर उठकर हमें सोचना होगा। उसमें भी ज्यादातर मैं युवाओं के बारे में कहूंगी, क्योंकि जो आंकड़े आपने बताए हैं, अगर उनके अनुसार हम देखें तो वर्ष 2016 तक 15 वर्ष से नीचे आयु के बच्चों की संख्या घटने वाली है, जो 35 प्रतिशत से घटकर 28 प्रतिशत होने वाली है, लेकिन 15 वर्ष से 59 वर्ष के बीच की जो जनसंख्या है, जो आज 58 प्रतिशत है, वह बढ़कर 64 प्रतिशत होने वाली है। वही आगे चलकर बच्चे पैदा करने वाले हैं, मगर उनको केवल बच्चे पैदा करने वाले मत समझिए, वे अपने हिंदुस्तान के लिए सोचने वाले भी हैं। उनके मन में यह भाव आना चाहिए कि it is a question of survival of the nation. उनकी जब तक हम सहभागिता सुनिश्चित नहीं करेंगे, अवेयरनेस प्रोग्राम कहिए या बातचीत कहिए, जब तक उनके साथ हम नहीं करेंगे, तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इस बात को ध्यान में रखना होगा।

दूसरी जो पापुलेशन बढ़ने वाली है, वह 60 साल से अधिक उम्र वालों की है, जो सात प्रतिशत से नौ प्रतिशत होने वाली है। कई बार यह भी होता है, जैसा मैंने पहले कहा कि असुरक्षा की भावना केवल लड़की के मन में ही नहीं रहती है, माता-पिता के मन भी रहती है कि कौन देखेगा, कौन पालेगा, कौन क्या करेगा? आपने कहा कि एक लड़की बस या लड़की दो भी हो जाए, तो बस। मेरे मन में एक बात आयी जिस पर आप विचार कर सकते हैं। जैसे कुछ इंश्योरेंस एजेंसीज सीनियर सिटीजन्स के लिए काम करती हैं, इसमें रिवर्स मार्टगेज एक योजना है, आप इसका अभ्यास करें, मैं यही नहीं कहूंगी, लेकिन सोशलाइजेशन आफ इंश्योरेंस सेक्टर हो। जिसके कारण असुरक्षा की भावना होती है, उसे हम कैसे दूर करें कि दो लड़के तो होने ही चाहिए या इससे ज्यादा होने चाहिए और हमें कौन देखेगा?

यह केवल स्वास्थ्य मंत्रालय की बात नहीं है, जितने भी अलग-अलग मंत्रालय हैं, जो सामाजिक मंत्रालय हैं, चाहे सोशल जस्टिस हो, मानव संसाधन मंत्रालय हो या और भी दूसरे मंत्रालयों की एक ग्रुप आफ मिनिस्टर्स का समूह बनाना चाहिए। मानव विकास की योजना और उसके साथ-साथ जो अनेक योजनाएं चलती हैं, इन योजनाओं का लाभ, जैसे अभी माननीय शरद जी बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि जिनके बच्चे कम हैं, उनको ज्यादा लाभ मिले या ज्यादा बच्चे हों तो उनके थोड़े से लाभ में कमी कैसे हो सकती है, यह भाव भी रहे, लेकिन उनको

बिल्कुल लाभ नहीं देना, मैं यह बात नहीं कहूंगी। हमें उनको लाभ देना है। सबको इस प्रकार से सोचना आवश्यक है। जैसा कि मैंने कहा कि पार्टीवाद से ऊपर उठकर इस पर विचार करें। ऐसे कई धार्मिक नेता हैं, आपने भी प्रचार माध्यमों की बात कही, इसके साथ ही हमारी अपनी जो संस्कृति है, क्योंकि कई बार हमारे संत महात्मा भी बहुत अच्छी बात कह जाते हैं, लेकिन हम उनकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। हमारे यहां एक संत ने कहा था - लेकुरे उदण्ड झाली, तोते लक्ष्मी निगोनिगली। एक छोटी सी बात है कि अगर बच्चे ज्यादा हों, तो लक्ष्मी चली जाती है, यह उन्होंने कहा। एक बात यह भी होती है कि केवल बच्चे कम कैसे हों या लोकसंख्या स्थिर कैसे हो, हमें यही नहीं देखना है, बल्कि जो हमारी लोकसंख्या है, हम उस आंकड़े से डरें भी नहीं। इस संबंध में एक पोजीटिव थिंकिंग भी आवश्यक है।

जो यंग पौपुलेशन है, आने वाला हिन्दुस्तान यंग पौपुलेशन का है, अगर हमारी योजनाएं ठीक नहीं चलीं या ठीक तरह से नहीं चलवाई गईं तो यह हमारा ह्यूज एसैट बन सकता है या डेंजरस लॉयबिलिटी भी बन सकता है। यह विकास का सहायक बन सकता है, विनाश का कारण भी बन सकता है। यह सशक्त संख्या भी बन सकती है। लेकिन अगर हमारी योजनाएं गरीब तक नहीं पहुंची तो यह हमारे लिए अधमरी विपदा भी बन सकती है। इसलिए मैं चाहूंगी कि सब मंत्रालय मिलकर, साथ ही हमारी संस्कृति, हमारे वेदों में लिखा हुआ है कि किस प्रकार संतति का निर्माण हो। हम उसका भी अभ्यास करें। अनेक शास्त्रों में कुछ-कुछ होगा। अगर हम कहीं न कहीं इन सबका सहयोग लेते हुए काम करने की सोचें तो कुछ हो सकता है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बंद कमरे से बाहर आकर, खुले दिमाग से पार्टियों को अलग रखते हुए, युवाओं का साथ लेकर, धार्मिक नेताओं का साथ लेकर अगर सोचें तो कुछ हो सकता है। मैं उदाहरण के लिए बताना चाहती हूं। अभी मिलेनियम डैवलपमैंट गोल की बात हो रही है, उसी में एक बात यह भी है। युनाइटेड नेशन्स का डैवलपमैंटल ग्रुप है। उन्होंने पौपुलेशन स्थिर करने के लिए दो सौ बैस्ट प्रैक्टिसेज़ निकालीं। हिन्दुस्तान के लिए चौंकाने वाली बात है कि उसमें हिन्दुस्तान की केवल चार प्रैक्टिसेज़ दर्ज हुईं। मेरे लिए गौरव की बात है कि उन चार प्रैक्टिसेज़ में से दो प्रैक्टिस गुजरात सरकार की है, जिसे हम कोसते हैं। उसमें उनकी एक इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी है। उसे हम भी महत्व दे रहे हैं, सब प्रदेश महत्व दे रहे हैं। जननी सुरक्षा योजना भी बनाई गई है। मध्य प्रदेश भी कर रहा है। मगर उनकी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी की कल्पना है, आपके इसमें भी इसका उल्लेख है कि प्राइवेट मेटरनिटी होम्स का सहयोग लेना। वहां वे 50 हजार की इम्प्रैस्ट मनी रखते हैं। उसमें कहते हैं कि आदिवासी हो, गरीब परिवार की हो, नीचे की जाति जैसे दलित आदि हो, अगर वह डिलीवरी के लिए आए तो आपको एडमिट करना है। कई बार समस्या आती है कि अस्पताल नहीं है, प्राइवेट वाले देखते नहीं हैं, सरकारी कुछ नहीं है। हमारी कई संस्थाएं हैं, लेकिन वे मौजूद नहीं हैं तो वे कहां जाएं। उसके लिए यह व्यवस्था की गई है। ये वर्ल्ड की चार बैस्ट प्रैक्टिसेज़ में आई हैं। इसलिए मैंने कहा कि यदि हम पार्टी पोलीटिक्स को छोड़कर विचार करेंगे और सब मंत्रालय मिलकर विचार करेंगे, तो जनसंख्या हमारे लिए एसैट

बन सकती है, अच्छा कारण बन सकती है। लेकिन गरीब की सोच गरीबी के साथ बदलनी पड़ेगी। गरीबी में भी कहीं न कहीं परिवर्तन लाना होगा। इसलिए development is the best contraceptive, हम यह बात ध्यान में रखें।

श्री शरद यादव : मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आपने बहुत महत्वपूर्ण चर्चा छेड़ी है। लेकिन इस समय आप टीवी पर सीरियल देखिए। अभी श्रीमती महाजन चाइल्ड मैरिज के बारे में बोल रही थीं। टीवी में दो सीरियल - लाडो और बालिका वधु चल रहे हैं। हमारे पास शारदा एक्ट है। शारदा एक्ट के होते हुए इस देश में ऐसे सीरियल मानसिक बीमारी हैं। जैसे श्रीमती महाजन ने कहा, मैं कहना चाहता हूं कि आबादी बढ़ाने में चाइल्ड मैरिज भी बहुत बड़ा कारण है।

दूसरा, लाडो सीरियल में बच्चियों को पैदा होते ही मार दिया जाता है। उस सीरियल की सबसे ज्यादा टीआरपी है। आप इस पर भी ध्यान दीजिए। आईबी मिनिस्ट्री, जिसमें आप खुद रहे हैं, उनसे बात करके आप ऐसे सीरियलों को रोक सकते हैं।

श्री नवीन जिन्दल (कुरुक्षेत्र): महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे देश में जनसंख्या स्थिरीकरण मुद्दे पर बोलने का अवसर दिया है। मेरे विचार में देश के अंदर तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या एक गंभीर और ज्वलंत मुद्दा है। मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री गुलाम नबी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने स्वयं ही सदन के सामने प्रस्ताव पेश करके इस गंभीर और महत्वूपर्ण विषय पर चर्चा का अवसर प्रदान किया है। यह चर्चा 33 साल बाद सदन में हो रही है, इसलिए भी मैं माननीय मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। सदन में आज ही महंगाई जैसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा समाप्त हुई है। इस चर्चा के दौरान भी कुछ माननीय सदस्यों ने महंगाई के विभिन्न कारणों में से एक प्रमुख कारण जनसंख्या वृद्धि को माना है। मैं भी इस विचार से पूरी तरह सहमत हूं कि जनसंख्या वृद्धि का सीधा-सीधा असर हमारे सीमित साधनों पर पड़ता है, जिससे महंगाई बढ़ती है। देश में जनसंख्या स्थिरिकरण आज समय की मांग है। इस विषय में कामयाबी हासिल किए बिना देश की प्रगति व विकास अधूरा है। इस विषय में मेरी गहरी रुचि है और पिछले कुछ वर्षों से मैं इसका गहराई से अध्ययन कर रहा हूं। मैंने इस विषय पर बहुत से विशेषज्ञों, बुद्धिजीवियों, विभिन्न दलों के माननीय सांसदों तथा अपने क्षेत्र कुरुक्षेत्र के विभिन्न वर्गों के लोगों से चर्चा की है। इसी अनुभव के आधार पर मेरी जो धारणा बनी है, उसको आपके माध्यम से माननीय सदन के सामने रखना चाहूंगा। आज हमारे देश की जनसंख्या लगभग 120 करोड़ हो गई है और यह तेजी से बढ़ती जा रही है। अब तक के प्रयासों के परिणामस्वरूप जनसंख्या विकास दर जो कि 1981-91 के दशक में 2.14 प्रतिशत थी, वह घटकर 1.4 प्रतिशत हो गई है। विश्लेषण दर्शाते हैं कि इस दर के बावजूद, मतलब 1.4 दर के बावजूद हमारी जनसंख्या हर वर्ष 1 करोड़ 80 लाख बढ़ती जा रही है। हम हर वर्ष एक अस्ट्रेलिया अपने देश में शामिल कर रहे हैं। इस दर से हमारी जनसंख्या वर्ष 2030 तक 142 करोड़ के लगभग हो जाएगी और चीन से अधिक हो जाएगी। भारत विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश हो जाएगा। दुखः की बात यह है कि सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश होने के नाते हमें कोई स्वर्ण पदक नहीं मिलेगा, बल्कि हमें और ज्यादा मुसीबतें झेलनी पड़ेंगी। कुछ लोग इस बात का भी प्रचार करते हैं कि बड़ी जनसंख्या हमारी ताकत है और इस तरफ ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। यह अपने आप ही कंट्रोल हो जाएगी, लेकिन मैं समझता हूं कि वे भूल जाते हैं कि ज्यादा जनसंख्या देश के लिए तो दिक्कत की बात है ही, लेकिन उस परिवार के लिए भी बहुत दिक्कत की बात है, जिसकी संख्या ज्यादा है। सभी अपने-अपने अनुभव से जानते हैं कि वे परिवार ही ज्यादा खुशहाल हैं, जिनके एक या दो बच्चे हैं, उन परिवारों की अपेक्षा जिनके सात, आठ या नौ बच्चे हैं। जिस परिवार में बच्चों की संख्या कम होगी, वहां बच्चों की अच्छी परवरिश हो सकेगी। उनको अच्छी शिक्षा मिल सकेगी। अगर इस दिशा में हमने कारगर कदम नहीं उठाए, तो अगले 50 वर्षों में हमारी जनसंख्या लगभग दुगुनी हो जाएगी। अभी हमारी जनसंख्या 120 करोड़ है, यह जनसंख्या बढ़ कर 240 करोड़ हो जाएगी। जिसके मेरे ख्याल से बहुत

ही गंभीर परिणाम होंगे। इस भयावह स्थिति के लिए हम सब जिम्मेदार होंगे और हमारी आने वाली पीढ़ी हमें कभी भी माफ नहीं करेगी।

मैं माननीय सदन को जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणामों से अवगत कराना चाहता हूं। जैसा माननीय मंत्री जी ने बताया कि प्राकृतिक संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ जाएगी। भारत के पास विश्व की केवल 2.4 प्रतिशत भूमि है और जनसंख्या 17 प्रतिशत है। हमारा जनसंख्या घनत्व पौने चार सौ के करीब है, वह और ज्यादा बढ़ जाएगी। जनसंख्या का बढ़ता दबाव प्रति व्यक्ति के लिए भूमि की उपलब्धता को, खाद्यान्न को, पेयजल को तथा दूसरी आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता पर प्रतिकूल असर डालता है।

इससे स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और आवास के लिए होड़ और ज्यादा हो जाएगी। परिवारों की गरीबी और ज्यादा बढ़ जाएगी। हम जानते हैं कि मिडिल क्लास फैमिली में एक बच्चे को 18 साल की आयु तक पढ़ाने और पालने के लिए चार से पांच लाख रुपए खर्च होते हैं। यह बात स्वाभाविक है कि अगर किसी परिवार में ज्यादा बच्चे होंगे तो उनकी गरीबी और ज्यादा बढ़ेगी।

संयुक्त राष्ट्र संघ और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट में मल्टी डाइमेंशनल पावर्टी इन्डेक्स (एमपीआई) के मापदंड में कहा गया है और माननीय मंत्री जी ने भी जिक्र किया है कि भारत के आठ राज्य- बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल की जनसंख्या को देखते हैं तो पता चलता है कि अफ्रीका में 26 गरीब देशों से ज्यादा गरीब लोग इन आठ राज्यों में रहते हैं। अब हम शहरीकरण की बात करते हैं, जिसके कारण शहरों में झुग्गी झोपड़ियां बढ़ेंगी। हमारा लक्ष्य पांच साल के अंदर अपने देश को झुग्गी झोंपड़ी रहित बनाना है। अभी कुछ दिन पहले रिपोर्ट आई थी कि यह पांच साल में नहीं, यह बीस साल में संभव होगा। मैं समझता हूं कि इसी तरह से जनसंख्या बढ़ती रहेगी तो बीस साल में भी यह संभव नहीं हो पाएगा। हम आज क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं। बढ़ती जनंसख्या का इस पर प्रतिकूल असर पड़ेगा।

महोदय, अब मैं उन मुख्य कारणों की चर्चा करना चाहता हूं जिनके कारण जनसंख्या बढ़ रही है। नेशनल फैमिली हैल्थ सर्वे के अनुसार टोटल फर्टिलिटी रेट 2.72 है जो 2.1 होना चाहिए था। माननीय मंत्री जी ने दक्षिण भारत के राज्यों के बारे में बताया कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल आदि कई राज्यों ने यह लक्ष्य हासिल किया है। लेकिन कुछ राज्यों में यह 4 तक हैं खास तौर से उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि ये राज्य भी अपनी जनसंख्या पर नियंत्रण कर

सकें। एक बड़ा कारण मेल चाइल्ड प्रेफरेंस यानी लड़कों को तरजीह देना है और लोग ज्यादा बच्चे पैदा करना चाहते हैं। हम कई बार लोगों से मिलते हैं तो हम पूछते हैं कि आपके पास सात बच्चे कैसे हैं? तो वे कहते हैं कि छः लड़कियां हुई। इस तरह से लड़के की चाह में और ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा है और इसके कारण भी जनसंख्या बढ़ती है। शरद यादव जी ने इन्सेन्टिव की बात कही थी। मैं भी इस बात का

पक्षधर हूं कि अगर किसी के बेटा नहीं भी है तो उनके बुढ़ापे की पेंशन को तीन या चार गुना कर दिया जाए ताकि उन्हें कोई फर्क न पड़े और उन्हें पता लगे कि हमारा सोशल सिक्योरिटी मेकेनिज्म पावरफुल है। सुमित्रा महाजन जी ने एक और कारण कम उम्र में लड़कियों की शादी कर देने का जिक्र किया। यह कानूनन अपराध है लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि बहुत राज्यों में 18 साल से कम उम्र की लड़कियों को ब्याह दिया जाता है। इससे हम बेटियों की जान जोखिम में डाल रहे हैं और उनके बच्चों की जान भी जोखिम में डाल रहे हैं। इसके लिए बहुत अनिवार्य है कि हम सुनिश्चित करें कि 18 साल से पहले शादी न हो, अगर हो जाती है तो भी पहला बच्चा 20 साल की उम्र के बाद ही हो। अगर इसे हम सुनिश्चित करते हैं तो बेटियों की जान की सुरक्षा कर सकते हैं। दूसरा बड़ा कारण परिवार नियोजन सेवाओं की कमी का है। सर्वे के आंकड़े बताते हैं कि करीब बीस करोड़ लोगों को गर्भ निरोधकों की आवश्यकता है जबकि इनमें से 50 प्रतिशत लोगों को ही सेवाएं मुहैया करा पाते हैं।

16.00 hrs.

इसके कारण बहुत से अनवान्टेड गर्भपात भी किये जाते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि हम लोगों को परिवार नियोजन सेवाओं की उपलब्धता करवायें। हम जैसे ही प्राइमरी हैल्थ केयर इम्प्रूव करेंगे, उससे हाई इनफैन्ट मोर्टेलिटी रेट में कमी आयेगी। उससे लोगों के अंदर एक कांफीडैन्स आयेगा कि अगर उनके बच्चे कम भी होंगे तो भी वे जीयेंगे। वरना लोग यह सोचते हैं कि अगर बच्चे कम हुए और अगर किसी बच्चे का देहांत हो गया तो वह बिना बच्चों के रह जायेंगे। इसलिए हमें अपनी हैल्थ सर्विसेज को भी इम्प्रूव करना होगा। इसके अलावा इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी की जो बात कही गई, यह बहुत आवश्यक है कि हम संस्थागत डिलीवरीज को बढ़ायें। क्योंकि कुछ राज्य जैसे छत्तीसगढ़ और झारखंड में केवल 20 या 25 प्रतिशत इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज होती हैं। इसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि जब घर में डिलीवरीज होती है तो उसमें बहुत ज्यादा इनफैन्ट मोर्टेलिटी रेट और मैटर्नल मोर्टेलिटी रेट भी इन राज्यों में बहुत ज्यादा है। हमारे देश में जो जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, उसका एक कारण यह भी है कि उसमें पापुलेशन मोमैन्टम है। उस मोमैन्टम को कम करने के लिए, उस गति को कम करने के लिए हमें बच्चों में अंतराल को बढ़ाना पड़ेगा। एक बच्चे से दूसरे बच्चे के बीच अगर समय बढ़ता है तो उससे भी पापुलेशन मोमैन्टम में फर्क पड़ेगा। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि जनसंख्या स्थिरता कोष, राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरता निधि के विशेषज्ञों ने भी इसमें बहुत अच्छे सुझाव दिये हैं। वे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं उनके कार्यों की सराहना करना चाहूंगा और मैं समझता हूं कि उन्हें और बढ़ावा दिये जाने की आवश्यकता है, ताकि वे और ज्यादा बढ़-चढ़कर इसमें काम कर सकें।

अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो काम किया जा सकता है, वह है एक राजनीतिक आम सहमति को बनाना, एक राजनीतिक इच्छा शक्ति का विकास करना। यदि हम सब लोग मिलजुलकर अपनी दलगत राजनीति से ऊपर उठकर अगर इसमें काम करें तो मैं समझता हूं कि हम इस लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं और हम अपने देश में उन्नति और खुशहाली भी ला सकते हैं। माननीय मंत्री जी ने कहा कि तमिलनाडु राज्य ने आवश्यक गर्भ निरोधक पर फोकस किया और टीएफआर के अंदर बीस प्रतिशत की कमी लाने में सफलता पाई। गुजरात के बारे में अभी श्रीमती सुमित्रा महाजन कह रही थीं और मैं भी कहना चाहता हूं कि गुजरात में चिरंजीवी योजना की सहायता से मातृत्व मृत्यु दर में महत्वपूर्ण कमी लाने में सफलता मिली है। हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में भी महिला शिक्षा और महिला सशक्तीकरण पर ध्यान दिया गया है, जिससे मैटर्नल मोर्टेलिटी रेट में काफी कमी आई है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण काम जो

16.03 hrs.

(Shri Arjun Charan Sethi in the Chair)

हम कर सकते हैं, वह महिला शिक्षा और महिला सशक्तीकरण, इस पर पर्याप्त बल देने की आवश्यकता है। यह हमारा अनुभव हैं कि जो हमारी बेटियां अगर 12वीं कक्षा तक अगर पढ़ लेती हैं तो न तो उनकी कम उम्र में शादी होती है और वे जितने भी महत्वपूर्ण निर्णय हैं, उन महत्वपूर्ण निर्णयों को लेने के काबिल हो जाती हैं। जैसे कि बच्चों की संख्या कितनी होनी चाहिए, बच्चों में अंतराल कितना होना चाहिए। वे परिवार नियोजन के तरीकों का चुनाव करने के लायक हो जाती हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि हम महिलाओं और अपनी बेटियों की शिक्षा पर पूरा ध्यान दें। हमें सामाजिक व्यवहार और सोच में बदलाव लाने तथा जागरूकता के लिए बहुत काम करने की आवश्यकता है - जैसे शादी की सही आयु पर बल देना, लिंग समानता, महिला रोजगार को महत्व देना आदि।

इसके अलावा हमें अपने समाज में रोल माडलों को तैयार करना चाहिए। मैं समझता हूं कि हमारे संसद के अंदर भी बहुत से ऐसे सांसद रोल माडल्स हैं, जिनके पास केवल एक बेटा या बेटी है। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए सिर्फ एक या दो ही बच्चे पैदा किये। मैं समझता हूं कि शादी की सही उम्र को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। 18 साल से कम उम्र में हमारी किसी भी बेटी की शादी न हो, ताकि उनकी जान जोखिम में न डले और जहां ऐसा हो तो उसके लिए जो कानून है, उसके अनुसार कानूनी कार्यवाही को इम्पलीमैन्ट करना चाहिए।

मैं समझता हूं कि सब से बड़ी बात इसमें यह की जा सकती है कि उस व्यक्ति को इंसैंटिव दिया जाये जो एक या दो बच्चे पैदा करता है, उसे बुढ़ापे में चार गुना पैंशन दी जाये। इस काम मे देश के सिर्फ 500 करोड़ रुपये खर्च होंगे लेकिन बुढ़ापे का सहारा हो जायेगा। जो लोग लड़के का वहम करते हैं कि हमारा लड़का जरूर होना

चाहिये जिससे कि वह बुढ़ापे का सहारा बने, उससे काफी हद तक निजात मिलेगी। हमारे हरियाणा में लाडली स्कीम को काफी कामयाबी मिली है।

सभापति महोदय, मैं अंत में आपका और सदन का आभार प्रकट करता हूं कि मेरे विचारों को धैर्य और शान्ति से सुना गया। मैं अपेक्षा करता हूं और मुझे विश्वास है कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री के संरक्षण में स्वास्थ्य मंत्रालय वह सभी कदम उठायेगा जो व्यक्ति, परिवार ,देश और समाज के हित में हैं। मैं माननीय मंत्री जी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उन्हें इस प्रयास में पूरे सदन का समर्थन मिलेगा। उन्होंने माननीय सदस्यों से आह्वान किया है कि हम लोग अपने-अपने क्षेत्रों में जाकर बात करें। पहले इस बारे में हम लोग संकोच करते थे लेकिन समय की मांग है कि आज हम लोगों में जागरूकता लेकर आयें। अगर हम सब में आम सहमति होगी, दलगत राजनीति से हटकर काम करेंगे तो मुझे विश्वास है कि हम अपने देशवासियों के लिये खुशहाली और सम्पन्नता लेकर आ सकते हैं और हम सब मिल जुलकर अपने सपनों का भारत बना सकते हैं।

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने स्वास्थ्य मंत्री श्री गुलाम नबी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव देश में जनसंख्या स्थरीकरण मुद्दे पर मुझे बोलने का मौका दिया। मैं माननीय मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं कि वह इस महत्वपूर्ण मुद्दे को सदन में लेकर आये।

मैंने बहिन सुमित्रा और श्री जिन्दल जी के विचारों को सुना है। मैं हिन्दुस्तान जैसे 120 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में जनसंख्या पर नियंत्रण करने के लिये मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर अपने विचार रखना चाहूंगा। वर्तमान वर्ष 2010 चल रहा है और देखा जाये तो प्रतिवर्ष औसतन एक से डेढ करोड़ की जनसंख्या बढ़ रही है। मैं माननीय मंत्री जी के विचारों को थोड़ा सा इसलिये सुन पाया क्योंकि मैं बीएसी की मीटिंग में गया हुआ था। सदन जनसंख्या मुद्दे पर चिन्ता व्यक्त कर रहा है। अगर शिक्षा, जनसंख्या और जागरूकता - तीनों का मिलन हो जाये तो मेरे ख्याल से बहुत सारी समस्यायें हल हो सकती हैं। देश का आम जनता का विकास हो सकता है। खासकर जो बीपीएल कार्डधारक हैं, उनका भी विकास हो सकता है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री बता रहे थे कि हम लोग हर वर्ष विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। एक ए.सी. कमरे में बैठकर मना लेते हैं। वैसे उन्होंने जनसंख्या मुद्दे पर बड़े विस्तार से बातें कही हैं। मैं उन पर तो नहीं जाना चाहूंगा लेकिन विश्व जनसंख्या दिवस मनाने के लिये मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं...(व्यवधान)

श्री गुलाम नबी आज़ाद : महोदय, मैं उस समय इस बारे में बताना भूल गया क्योंकि बहुत सारी चीजें आ रही थीं। जब हमने पिछले साल निर्णय लिया कि आइन्दा ऐसा नहीं होगा तो इस साल हमने यह कार्यक्रम कमरे में नहीं मनाया। इस साल इंडिया गेट पर सुबह छह बजे हजारों लड़के और लड़कियों ने तीन किलोमीटर की रेस की। इसे तमाम चैनल्स ने दिखाया, उसके लिए मैं समाचार पत्रों और टेलीविजन चैनल्स को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने गलती से इसे दिखा दिया और इस बार हमने एक दिन नहीं, इसे एक हफ्ता मनाया। जहां ज्यादा समस्याएं हैं जैसे- उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में तकरीबन साढ़े तीन सौ जिलों में पूरे एक हफ्ते तक कार्यक्रम हुए और उसमें मुख्यमंत्रियों ने हिस्सा लिया। चाहे वे विपक्ष के मुख्यमंत्री हों या कांग्रेस के हों, मंत्रियों ने हिस्सा लिया, अधिकारियों ने हिस्सा लिया। जो आखिरी प्रोग्राम था, वह जयपुर में पूरे दिन का हुआ, जिसमें हजारों लोगों, हजारों वर्कर्स और बाकी लोग आये थे। खाली पिछले साल कहा तो ऐसा नहीं है कि हमने किया नहीं, इस दफा हम तीन सौ जिलों में गये हैं, अगली दफा यदि हम सब मिलकर करें तो हम तीन हजार, तीन लाख फंक्शन कराना चाहेंगे।

श्री शैलेन्द्र कुमार : महोदय, मेरा इसमें एक सुझाव है कि आप इसे एक पखवाड़ा या एक महीना मनाइये। स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय की तरफ से आपने सभी संसदीय क्षेत्रों स्वास्थ्य मेला लगवाने का काम किया था, इस वक्त वह बंद हो गया है। हो सकता है कि बजट की कमी हो, जो भी हो, लेकिन उसमें परिवर्तन करके आप विश्व जनसंख्या दिवस को पखवाड़े के रूप में हर संसदीय क्षेत्र में या हर विधान सभा में इसे मनवाने की व्यवस्था कर दीजिए। चाहे आपको इसके लिए यहां से कुछ धन भी निर्गत करना पड़े। आप यह राज्य सरकारों को दीजिए क्योंकि बढ़ती हुई जनसंख्या हिन्दुस्तान के विकास में बहुत बड़ा रोड़ा है। यह मेरा आपको सुझाव है।

महोदय, मेरी दूसरी बात यह है, जो बुकलेट आपने हम लोगों को दी है, उस रिपोर्ट को हम लोगों ने देखा है कि परिवार नियोजन से संबंधित आपने तमाम प्रोत्साहन दिये हैं। जिसमें राष्ट्रीय परिवार बीमा योजना की भी बात आपने कही है। मेरा आपको यह सुझाव है कि परिवार नियोजन योजना से संबंधित अगर कोई भी स्त्री या पुरूष उसमें सहभागिता देता है तो उसे जो भी सरकारी सुविधाएं मिलती हैं, उसमें उसे प्राथमिकता मिलनी चाहिए। यह प्रोत्साहन देने से लोगों में जागरूकता आयेगी और लोग सक्रिय होकर परिवार नियोजन को एडॉप्ट करेंगे। परिवार नियोजन आठ सौ रूपये देते थे, आपने आठ सौ रूपये से उसे डेढ़ हजार रूपये बढ़ाया है। आज की महंगाई में यह धनराशि कोई मायने नहीं रखती है। आपको प्रोत्साहन स्वरूप कोई न कोई कार्य योजना बनानी पड़ेगी। खासकर इसमें जो दलित, मुस्लिम और बैकवर्ड जाति के लोग हैं, ये इससे ज्यादा प्रभावित होंगे। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप इसमें प्रोत्साहन दें। यह धनराशि बहुत कम है और आज की महंगाई को देखते हुए इसे बढ़ाने की जरूरत है।

महोदय, मैं रिपोर्ट में देख रहा था कि विभिन्न राज्यों की जो प्रजनन दरें हैं, जो जन्म-मृत्यु की दर आपने दर्शायी हैं, यह बात सत्य है कि, सुमित्रा महाजन बहन जी ने बड़े विस्तार से इस बारे में बताया है कि हर राज्य की जनसंख्या, हर राज्य की भौगोलिक परिस्थिति, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक परिस्थितियां अलग-अलग हैं। बहुत से ऐसे राज्य हैं, जो बहुत पिछड़े हुए हैं। चाहे आप झारखंड ले लीजिये, बिहार ले लीजिये, उत्तर प्रदेश ले लीजिये, मध्य प्रदेश ले लीजिये, उड़ीसा ले लीजिये, ये तमाम राज्य पिछड़े हुए हैं। आज भी यहां इन तमाम बातों का अभाव है। मैं चाहूंगा कि इन राज्यों में आपको इस योजना को विशेष तौर पर प्रोत्साहन देकर आगे बढ़ाने की जरूरत है। यह देखा गया है कि जो बड़े लोग हैं, जो समझदार और पढ़े-लिखे लोग हैं, मैंने अभी कहा था कि इस अभियान में मुख्य चीज शिक्षा और जागरूकता है। इसलिए इन्हें बढ़ावा दिया जाना चाहिए। मानव संसाधन मंत्रालय भी आपके मंत्रालय से संबंधित है।

अगर अवेयरनैस के लिए दोनों मंत्रालय मिल कर इसकी व्यवस्था करें तो मेरे ख्याल से आपका यह प्रस्ताव बहुत कारगर साबित होगा। जहां तक मनोरंजन की बात है, बड़े-बड़े लोगों के पास या मध्यम वर्गीय पढ़े-लिखे जो लोग हैं, उनके पास धनराशि एवं सुविधाएं हैं। वे मनोरंजन कर लेते हैं, लेकिन जो स्लम बस्तियों में गरीब हैं, खास कर जो बीपीएल एवं अशिक्षित हैं, जिनके यहां अभी भी अज्ञानता है, ऐसे लोगों के यहां केवल टेलीविजन ही एक माध्यम है। अभी यहां बात चली है, कई बार राज्यसभा में भी यह बात उठ चुकी है, हमारे पहले नेता प्रो. रामगोपाल जी ने भी कहा था, टेलीविजन में इतनी अश्लीलता दिखाते हैं, हम जितने भी सदस्य यहां बैठे हैं, अपने परिवार के साथ समाचार नहीं देख सकते। आप बीच-बीच में जो विज्ञापन देते हैं, वह इतना अश्लील होता है कि हमें अपना मुंह दूसरी तरफ करना पड़ता है, क्योंकि बच्चे भी हमारे साथ बैठे होते हैं। आज यह स्थिति है।

सभापति महोदय, अभी आदरणीय शरद यादव जी कह रहे थे कि भारतवर्ष में यह कानून बना है। बाल विवाह के ऊपर यहां बात आई है कि 18 वर्ष की लड़की और 21 वर्ष के लड़के की शादी के लिए आपने वैधता की है। टी.वी. में एक सीरियल बालिका वधु आता है, जिसमें शारदा एक्ट की बात कही गई है, इसे कड़ाई से लागू करें, जो प्रभावित हो रहा है। इस पर आपको गंभीरता से सोचना पड़ेगा। दूसरा, लाडो सीरियल भी टी.वी. में आता है। उसमें वहां की जो महिला है, उसके यहां जो भी लड़की पैदा होती है, उसकी तत्काल हत्या कर दी जाती है, यह दिखाया जा रहा है। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय : आपकी पार्टी की तरफ से एक अन्य माननीय सदस्य ने भी बोलना है।

श्री शैलेन्द्र कुमार : मैं आपको यह भी ध्यान दिलाना चाहूंगा कि इतनी सख्ती न करें, जिससे आपकी सरकार चली जाए। पहले भी आपकी सरकार इसकी वजह से गई थी। स्वर्गीय संजय गांधी जी ने अपने पांच सूत्री कार्यक्रम में परिवार नियोजन रखा था तो सरकार भी चली गई थी। इसलिए इस चीज का भी ख्याल रखें। यह जो आपदा है, यह राष्ट्रीय आपदा है और राष्ट्रीय कार्यक्रम भी है। इसलिए मैं चाहूंगा कि पक्ष-विपक्ष, सदन में जो भी हमारे सम्मानित सदस्य हैं, उनका सहयोग मिलना अतिआवश्यक है। बाल-विवाह पर रोक लगाने की बात है। कभी-कभी हम लोग टी.वी. पर देखते हैं कि बहुत बड़ा समारोह होता है। उसमें हमारे जनप्रतिनिधि और मंत्रिगण गए हैं। जिस विवाह समारोह में वे गए हैं, वहां उन बच्चों की आयु कम थी। ऐसे बाल-विवाह को रोकने के लिए खास कर जनप्रतिनिधियों को देखना चाहिए कि जिस परिवार में समारोह में हम जा रहे हैं, उस लड़का एवं लड़की की उम्र क्या है। अगर हम वहां जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम बाल-विवाह को प्रोत्साहन दे रहे हैं। इस पर हमें चिन्ता व्यक्त करनी चाहिए। अगर कहीं भी हमारे जनप्रतिनिधि जाएं तो तत्काल अधिकारियों को सूचना दें। उस पर रोक लगानी चाहिए ताकि आने वाले समय में इस प्रकार की घटनाओं की पुर्नावृत्ति न होने पाए। इसीलिए सरकार ने कहा कि दो या तीन बच्चे, होते हैं घर में अच्छे। स्वास्थ्य मंत्री जी, आज अगर हमारे यहां की महिलाओं की

स्थिति देखी जाए तो पता चलेगा कि उनमें हीमोग्लोबिन और एनिमा की कमी है। खास कर बच्चों की जो मृत्यु दर है, जो कुपोषण के शिकार हैं, ऐसी महिलाओं और बच्चों पर भी आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। आप यहां से योजनाएं भेजते हैं, लेकिन राज्य सरकारें कहीं योजना लागू कर पाती हैं, कहीं नहीं लागू कर पाती हैं। आज भी जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं, वे आपकी तमाम योजनाओं से वंचित हो जाती हैं। उन्हें सुविधाएं नहीं मिल पातीं। उसमें इतनी फोरमेलिटी होती है। वह बेचारी महिला अगर गर्भवती है तो वह कहां-कहां जाए। उसे क्या योजना मिलेगी, कितना पैसा मिलेगा, उसे कुछ नहीं मिल पाता। इसलिए इसमें कुछ सरलीकरण कीजिए। मान लीजिए कि अगर स्थानीय स्तर पर सीएचसी, पीएचसी या जो भी है, वहां से उसे डायरेक्ट सुविधा मिल जाए, यह व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी।

सभापति महोदय, दूसरा मेरा कहना यह है कि एक बच्चे से दूसरे बच्चे के बीच में अंतर का जो विषय है, इसमें भी आपको कानून बनाना पड़ेगा। आज हमारी जो जनसंख्या बढ़ी है, उसका मैन कारण है कि एक बच्चे से दूसरे बच्चे के बीच में कम से कम पांच साल का अंतर होना चाहिए, यह मेरा मानना है। तभी हमारी महिलाओं में जो हीमोग्लोबिन की कमी है और बच्चे जो कुपोषण के शिकार हैं, उस पर रोक लग सकती है।

यह बात मैं आपको सुझाव के तौर पर बताना चाहता हूं।

इस समय, पूरे देश में जो लिंग अनुपात का असंतुलन है, वह बहुत है। अल्ट्रासाउंड से लोग बच्चे का पता लगा लेते हैं कि वह लड़का है या लड़की। आजकल पंजाब और हरियाणा में ऐसी जापानी किट आ गई हैं जिससे लड़का या लड़की होने का आसानी से पता लगाया जा सकता है। यहां जिंदल साहब बैठे हुए हैं। वे जानते होंगे। जापान या जर्मनी से कोई ऐसी किट आई है कि उस किट पर यदि ब्लड की एक ड्रॉप रख दीजिए, तो पता लग जाएगा कि गर्भवती महिला के पेट में लड़का है या लड़की। ऐसी किट की भी आपको जांच करानी पड़ेगी और उस पर रोक लगानी पड़ेगी। मंत्री जी, आप ठीक कह रहे हैं कि ऐसा कई सालों से है, लेकिन मेरा कहना है कि इस पर आपको रोक लगानी पड़ेगी और खासकर आपने जो योजना 'सेव दि गर्ल चाइल्ड मिशन' बनाई है, उसे चलाने के लिए ऐसा करना पड़ेगा। इस योजना को प्रभावी बनाने के लिए कुछ प्रोत्साहन योजना आप राज्यों को भेजें, ताकि इसका प्रभाव नीचे जमीन तक जाए।

मैं, माननीय मुलायम सिंह जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जब वे हमारे प्रदेश के मुख्य मंत्री थे, यानी तत्कालीन मुख्य मंत्री, उस समय इन्होंने लड़कियों के लिए एक योजना 'कन्या विद्या धन' नाम से चलाई थी, जिसके अनुसार प्रत्येक लड़की को 20-20 हजार रुपए देने की व्यवस्था की गई थी। उस योजना के कारण बहुत सी ऐसी लड़कियां थीं, जिन्होंने इंटर पास करने के बाद ग्रेज्युएट या पोस्ट ग्रेज्युएट अथवा और ऊंची पढ़ाई की। यदि किसी पिता की बहुत मजबूरी रही होगी, तो उसने कम से कम उस बालिका के हाथ पीले करने का काम

किया होगा। यह बहुत अच्छी योजना है। इस प्रकार की योजना आपको भारत सरकार की ओर से डायरैक्ट प्रदेशों को देनी चाहिए। तभी देश में जो लिंग-अनुपात असंतुलन है, वह व्यवस्थित हो पाएगा।

इस समय आपने भी आबादी के ऊपर चिन्ता व्यक्त की है कि आबादी बहुत बढ़ती जा रही है। हमारी जमीन उतनी ही है, बल्कि सिकुड़ रही है और हमारी आबादी बढ़ रही है। इसलिए हमें बढ़ती जनसंख्या पर चिन्ता व्यक्त करनी चाहिए। मैं सभी सम्मानित सदस्यों से यही निवेदन करूंगा कि यह जो प्रस्ताव आया है, इसका वे पुरजोर समर्थन करें और इसमें अपना सहयोग दें। यदि जनसंख्या को हम कंट्रोल कर लेंगे, तो हमारे जो सीमित संसाधन हैं, उन्हीं के माध्यम से हम अच्छा विकास कर लेंगे। अन्त में, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं और इसका समर्थन करता हूं।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय (भदोही): माननीय सभापति जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव कि देश में जनसंख्या के स्थिरीकरण के मुद्दे पर विचार किया जाए, जिस पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं आपका आभारी हूं।

महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा कि साढ़े 33 वर्ष के बाद इस पर हम सदन में चर्चा कर रहे हैं। आपने बताया कि 11 जुलाई को 'वर्ल्ड पॉपुलेशन डे' पूरे विश्व में मनाया जाता है। देश के विकास में बढ़ती हुई जनसंख्या सबसे बड़ी समस्या है। यदि हम इसे जनसंख्या विस्फोट कहें, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। देश के विकास में सबसे बड़ी बाधा, बढ़ती हुई आबादी है। आपने बताया कि विश्व में हमारे देश की जमीन का जो प्रतिशत है, वह ढाई प्रतिशत है और विश्व की जनसंख्या की दृष्टि से हमारे देश की जनसंख्या का अनुपात साढ़े 17 प्रतिशत है, जो इस पर रहता है। यानी ढाई प्रतिशत भूमि पर साढ़े 17 प्रतिशत लोग रहते हैं। इस देश के विकास के लिए निश्चित रूप से यह संकट है। माननीय मंत्री जी को मेरा सुझाव है कि जहां हमें अपने देश में उपयोग के लिए ढाई प्रतिशत जमीन मिली है, उसमें भी हमारी आधी जमीन बंजर और परती जमीन है। ऐसे लोग जो खेती करना चाहते हैं, जो गरीब हैं, जो गांवों में रहते हैं और जिन्हें आबादी बढ़ाने में कहीं न कहीं पहली लाइन में रखा जा रहा है, अशिक्षा अथवा गरीबी है, उनमें यदि इस परती और बंजर जमीन को बांटा जाए, तो उन्हें देश में अन्न का उत्पादन बढ़ाने और अपनी व्यवस्था चलाने में भी मदद मिलेगी। जनसंख्या वृद्धि पर इसका भी असर पड़ेगा।

महोदय, आपने बताया कि हम कड़ा कानून नहीं बनाना चाहते, लेकिन आपने पूरे सदन से अपील की है कि एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए, जिसमें लोग मिलजुल कर कुछ करें और निचले स्तर तक इस बात को ले जाएं। लोगों में जागरुकता पैदा करें कि हम जनसंख्या पर कंट्रोल करें। हम विश्व में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा आबादी वाले देश हैं। चीन ने अपनी जनसंख्या पर कंट्रोल किया। उसने कुछ कानून बनाए। उसने व्यवस्था दी कि यदि लोग एक से अधिक बच्चे पैदा करते हैं, तो कहीं न कहीं उन्हें अन्य सुविधाओं से वंचित किया जाएगा।
सरकारी नौकरियों में उन्हें व्यवस्था नहीं मिल पाएगी, उनकी जमीन-जायदाद में दूसरे, तीसरे बच्चे को हिस्सा नहीं मिलेगा, यह कानून बना और उसका कुछ असर भी पड़ा, आबादी पर कंट्रोल हुआ। हमारे देश में, पूरे देशों या विश्व की बात हम अगर करें तो हम जो विकास की बात करते हैं, वह गणितीय विधि से बढ़ता है, 1-2-3-4-5, वहां जाकर विराम उसका हो जाता है और जब हम जनसंख्या की बात करते हैं तो यह ज्यामितीय विधि से बढ़ रही है, दो दुना चार चौके 16, इसका कोई अन्त नहीं है। आज जो चिन्ता का विषय है, हम इस पर बहस ही न करें, बल्कि इसको जमीन तक ले जायें, लोगों में जागृति पैदा करें और इस पर कंट्रोल करें।

महोदय, आपने कहा और सारे हमारे माननीय सदस्यों ने भी चिन्ता जताई कि बढ़ती हुई आबादी के कई कारण हैं। उसमें सबसे अहम कारण अशिक्षा है। माननीय मंत्री जी ने साउथ इंडिया के कई राज्यों का नाम लिया,

जिन्होंने जनसंख्या की वृद्धि पर कंट्रोल किया, लेकिन वहां भी अगर ध्यान दिया जाये तो शिक्षा की प्रतिशत दर उनकी बढ़ी है, वे शिक्षित हुए हैं। हमें उधर भी ध्यान देने की जरूरत है और प्रशिक्षण की आवश्यकता है। माननीय मंत्री जी ने कहा कि पहले कानून बना था, 30 साल पहले हम उस समय पढ़ाई-लिखाई कर रहे थे, तब एक कड़ा कानून बना, लेकिन उसका कुछ इस तरह से प्रचार-प्रसार किया गया कि उसका रूप बदरूप हो गया। आज जरूरत शिक्षा की अनिवार्यता की है। शिक्षा की अनिवार्यता की बात तो की जाती है। आज ग्रामीण अंचल में जो दबे हैं, पिछड़े हैं, कुचले हैं, ऐसे लोगों को व्यवस्था मिलनी चाहिए, जिसके वे हकदार हैं।

मनोरंजन की भी बात आई। निश्चित रूप से आज गांवों में मनोरंजन की जरूरत है। शहरों में तो दो तरह की व्यवस्थाएं हैं। वहां एक तो सारी सुविधाएं हैं और उन्हें अपने स्तर से जीने की व्यवस्था है, लेकिन गांव का वह गरीब, गांव का वह किसान, गांव का वह मजदूर मनोरंजन के अभाव में अपने परिवार के बीच में रहता है और ज्यादा परिवार के बीच में रहने से भी यह स्थिति बनती है, जो बढ़ती हुई आबादी का एक कारण बनती है।

कम उम्र में बच्चे-बच्चियों की शादी, यह देहात में अभी भी चल रहा है। कानून बने हैं, लेकिन उसके बाद भी गांवों में कम उम्र के बच्चे-बच्चियों की शादी कर दी जाती है। जच्चा और बच्चा दोनों को इससे संकट होता है, बीमारियां होती हैं, उनका स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति भी उन्हें कहीं न कहीं प्रभावित करती है। इसमें भी एक व्यवस्था की आवश्यकता है। अभी हमारे माननीय सदस्य ने कहा कि टी.वी. पर एक सीरियल आता है, उसमें एक व्यवस्था दी गई है, उसमें जो कुछ बताया जा रहा है, वह देश के लिए, समाज के लिए हितकर नहीं है।

मैं आपका ध्यान उत्तर प्रदेश सरकार की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा, वहां आज भी बच्चियों को शिक्षित करने के लिए, बच्चियों को उनके विकास के लिए जो चाहे अनुसूचित जाति की है, गरीब है और चाहे बी.पी.एल. धारक है, उन बच्चियों को शिक्षित करने के लिए हाईस्कूल पास करने के बाद 15 हजार रुपये और एक साइकिल दी जा रही है, ताकि वे बच्चियां पढ़ सकें। जब वे इण्टर पास कर लेती हैं तो उन्हें 10 हजार रुपया मिल रहा है। यह हमारी गवर्नमेंट और उतर प्रदेश की मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी ने व्यवस्था की है। पूरे प्रदेश में उससे दो लाभ हुए। एक तो जो बच्चियां गरीबों की हैं, पढ़ाई के अभाव में, धन के अभाव में, व्यवस्था के अभाव में वे घरों में बैठ जाती थीं, उनकी जल्दी शादी कर दी जाती थी, उनके बच्चे पैदा हुआ करते थे, उस पर विराम लगा और वे पढ़ाई की तरफ बढ़ीं और शिक्षित हुईं, उनकी साक्षरता बढ़ी। उत्तर प्रदेश में एक दूसरी महामाया आशीर्वाद योजना बनी। किसी भी जाति में, किसी भी वर्ग में कोई भी बच्ची अगर पैदा होती है, समाज में जो गरीब समाज है, उसमें बच्ची का पैदा होना आज भी अभिशाप माना जाता है। जैसा कि हमारे माननीय सदस्य जी ने कहा कि आज भ्रूण हत्या कराई जा रही है, लिंग परीक्षण कराया जा रहा है, इसमें भी आवश्यकता है, जैसे कि उत्तर प्रदेश सरकार में हमारी मुख्यमंत्री जी ने एक योजना बनाई कि अगर किसी भी गरीब परिवार में बच्ची पैदा हो रही है तो पैदा होते ही उसके नाम से 20 हजार रुपये जमा करा दिये जाते हैं और 18 साल के बाद उसे एक लाख रुपये का चैक

प्रदान किया जाता है, तब तक वह लड़की पढ़ती रहती है और 18 साल की उम्र होने के साथ-साथ वह इण्टर तक की शिक्षा प्राप्त कर लेती है।

एक लाख रूपए का जो चेक उसे मिलता है, वह उसे पढ़ाई में सहयोग करता ही है, साथ ही साथ जब उसकी शादी होती है, उसकी शादी जो अवसाद के रूप में देखी जा रही थी, उसमें भी उसे मदद मिलती है। महोदय, मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से और माननीय मंत्री जी से यह आग्रह करना चाहूंगा कि केवल बहस करके, व्यवस्था बनाकर, केवल आपस में वार्तालाप करके इस पर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। एक नीतिगत व्यवस्था होनी चाहिए। उतर प्रदेश सरकार ने जो व्यवस्था बनायी है, आप भी इस तरह की व्यवस्था पूरे देश में करें। पूरे देश में एक व्यवस्था दें और केंद्र सरकार की तरफ से मदद दें। उतर प्रदेश सरकारों की उसमें सहभागिता हो, ताकि जो बढ़ती हुयी आबादी है, उस पर कंट्रोल किया जा सके। यह बढ़ती आबादी हमारे देश के विकास में बाधक है और अगर इसे हम जनसंख्या विस्फोट कहें, तो अतिश्योक्ति नहीं होगी।

महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पुनः आग्रह करना चाहूंगा कि समाज में जागरूकता की आवश्यकता है, प्रशिक्षण की आवश्यकता है, मनोरंजन की व्यवस्था करने की आवश्यकता है और कम उम्र में होने वाली शादियों को रोकने की आवश्यकता है। ऐसे गरीब परिवारों को, निर्धन परिवारों को, झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले परिवारों को ऐसी सुविधायें प्रदान की जाएं कि उनका विकास हो सके, वे शिक्षित हो सकें। बच्चियां शिक्षित हों, क्योंकि जब एक लड़की शिक्षित होती है, तो उसका परिवार शिक्षित होता है, । उस बच्ची को हम कैसे शिक्षित करें? इस संबंध में हमारी उतर प्रदेश सरकार ने जो व्यवस्था दी है, वहां की मुख्यमंत्री जी ने जो व्यवस्था की है, इस तरह की व्यवस्था केंद्र की ओर से हो तो निश्चित रूप से बढ़ती हुयी आबादी पर रोक लगेगी और देश का विकास हो सकेगा।

श्री सुशील कुमार सिंह (औरंगाबाद): सभापति महोदय, आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूं। जब माननीय मंत्री जी अपनी बात सदन के सामने रख रहे थे, तो उन्होंने बड़े विस्तार से आंकड़ों के साथ बताया कि देश में बढ़ती हुयी जनसंख्या के कारण क्या हैं? सुझाव के तौर पर भी उन्होंने कुछ बातें रखीं और बताया कि सरकार की क्या योजना है और सरकार क्या सोचती है?

महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जनसंख्या वृद्धि का सीधा संबंध गरीबी से है। गरीबी के कारण अशिक्षा है और अशिक्षा के कारण जागरूकता का अभाव है। ये बातें एक-दूसरे से जुड़ी हुयी हैं। गरीबी और अशिक्षा के कारण, जागरूकता की कमी के कारण जो गरीब लोग हैं, उनके अंदर यह भावना होती है कि यदि हम ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे, तो वे हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। मैं जब अपने सुझाव रखूंगा, तब अपनी बात सरकार के सामने रखूंगा कि इसके लिए क्या किया जाना चाहिए। मैं यह कहना चाहता हूं कि जब से हमने होश संभाला है, तब से यह सुन रहा हूं कि छोटा परिवार, सुखी परिवार। मैं परिवार कल्याण से संबंधित तमाम कार्यक्रम और नारे सुन रहा हूं। लेकिन जो कार्यक्रम चल रहे हैं और जो नारे हैं, उन नारों से कोई खास फायदा अभी तक नहीं मिल पाया है। देश की जनसंख्या जिस तीव्र गति से बढ़ रही है, माननीय सदस्य ने ठीक कहा कि यह केवल जनसंख्या वृद्धि का ही मामला नहीं है, बल्कि यह कहें कि स्थिति विस्फोटक है, तो आज के दिन यही कहना सही होगा। आपने समस्या के संबंध में बड़े विस्तार में कहा, लेकिन मैं आपको यह बताना चाहूंगा और आप जब बार-बार आंकड़े पेश कर रहे थे, तो आपने बिहार का नाम हर संदर्भ में लिया, जहां से मैं चुनकर आता हूं। अशिक्षा है तो सबसे ज्यादा बिहार में है, टोटल फर्टिलिटी रेट बिहार का सबसे ज्यादा है और बालिकाओं की अशिक्षा की दर भी सबसे ज्यादा बिहार में है।

सभापति जी, मुझे आपके माध्यम से सदन को बताने में खुशी हो रही है, पहले क्या हुआ, नहीं हुआ, मैं नहीं कह सकता, लेकिन अभी की जो स्थिति है, बिहार में एनडीए की सरकार और वहां के माननीय मुख्य् मंत्री नीतीश कुमार जी ने जनसंख्या वृद्धि पर लगाम लगाने के लिए राज्य में जो कार्यक्रम बनाए हैं, जो सबसे सुधारात्मक कार्यक्रम लाए गए हैं, उनमें महिला सशक्तीकरण के तहत पंचायत में महिलाओं को 50 प्रतिशत का आरक्षण दिया गया है ताकि महिलाएं निर्णय लेने वाली संस्थाओं में बैठें, वहां निर्णय ले सकें और उनके अंदर जागरुकता आए।

दूसरा, जहां तक महिलाओं में अशिक्षा का सवाल है, मुख्य मंत्री बालिका साइकिल योजना, मुख्य मंत्री बालिका पोषाक योजना है जिसके कारण काफी प्रगति हुई है। हमारी बच्चियां पहले प्राथमिक विद्यालयों तक शिक्षा ग्रहण करती थीं, उसके बाद उनका विद्यालय जाना बंद हो जाता था । लेकिन अब उच्च विद्यालय में नवीं कक्षा में पढ़ने वाली बालिकाओं को राज्य सरकार की तरफ से साइकिल दी जा रही है। इसके काफी अच्छे परिणाम

आए हैं। उन्हें पढ़ने के लिए कॉपी-किताबें दी जा रही हैं, स्कूल जाने के लिए पोषाकें दी जा रही हैं। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि बिहार में बालिकाओं की अशिक्षा की दर कम करने के लिए, उन्हें शिक्षित बनाने के लिए राज्य सरकार कारगर कदम उठा रही है।

मैं इस संदर्भ में आजादी से पहले की बात बताना चाहता हूं। जब हिन्दुस्तान गुलाम था, तब खैबर दर्रे से लेकर पटना तक लोगों ने आजादी की लड़ाई में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। इसका नतीजा यह हुआ कि हम अंग्रेजों के निशाने पर रहे और आज की स्थिति भी यह है कि हम केन्द्र सरकार द्वारा उपेक्षित किए जा रहे हैं। अभी यहां जो आंकड़ा पेश किया गया, आपने बताया कि दक्षिण के राज्यों ने टोटल फर्टीलिटी रेट पर नियंत्रण कर लिया है। लेकिन जहां ज्यादा है, मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि उन्होंने उन राज्यों के लिए क्या कार्यक्रम बनाए? किस कार्यक्रम के लिए कितना धन आवंटित किया गया ताकि उन राज्यों में उसे नियंत्रित किया जा सके। आपने उत्तर प्रदेश, बिहार और अन्य राज्यों का नाम लिया, लेकिन इसके नियंत्रण के लिए क्या कार्यक्रम चलाए, मै यह जानना चाहता हूं? समस्या बताना हमारा काम है। यह कर्तव्य विपक्ष का है। आपका काम उनका समाधान ढूंढना है। हम सुझाव दे सकते हैं, लेकिन उन पर अमल करना, उन्हें लागू करना सरकार का दायित्व है।

कई माननीय सदस्यों और मंत्री महोदय ने कहा कि इसमें इलैक्ट्रॉनिक मीडिया का काफी अहम रोल है। इस बात को प्रचारित करने में, देश को जागरुक बनाने में कि जनसंख्या पर किस तरह नियंत्रण किया जाए, इलैक्ट्रॉनिक मीडिया का काफी अहम रोल है। लेकिन हमारे देश में शारदा एक्ट है। उसका उल्लंघन करते हुए टीवी पर कई सीरियल चल रहे हैं।

हमारे नेता श्री शरद जी ने इस बात को कहा और इसके पहले के सत्रों में भी उन्होंने इस बात को मजबूती से उठाया है, लेकिन अभी तक सरकार उस बात पर गंभीर नहीं है। इस प्रकार के सीरियल देश में चल रहे हैं बालिका वधू, न आना इस देश में लाडो। सरकार इस विषय में क्या कर रही है? एक तरफ तो आप चिंतित दिखाई दे रहे हैं कि हम जनसंख्या पर नियंत्रण करें और आपने भ्रूण हत्या, लिंग परीक्षण सारी बातों को स्वीकारा है। दूसरी तरफ आप इन पर कोई कार्यवाही नहीं करते हैं, तो मैं कैसे समझूं कि सरकार इस बात को लेकर गंभीर है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारे देश ने पिछले दशकों में तरक्की की है। यद्यपि इस विकास का सही रूप से वितरण नहीं हो पाया, हमारे देश में इसका उदाहरण है कि दक्षिण के राज्यों में ज्यादा विकास हुआ है। बढ़ती हुई जनसंख्या कारण है कि विकास में अपेक्षित संतुलन नहीं हुआ है। जनसंख्या पर नियंत्रण समकालीन भारत के लिए गंभीर चुनौती है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि वर्ष 2030 में भारत की जनसंख्या 150 करोड़ से ज्यादा हो जाएगी और हम दुनिया के जनसंख्या के मामले में नम्बर एक देश हो जाएंगे। नोबल पुरस्कार विजेता डॉ. अमृत्य सेन का भी मानना है कि तब तक किसी देश का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता है,

जब तक उस देश की महिलाओं को मुख्यधारा में शामिल नहीं किया जाता है। राज्य सरकारों ने अपने दायित्व का बखूबी निर्वाहन किया है। मैं बिहार सरकार की बात कह रहा हूं, लेकिन भारत सरकार इस विषय में क्या कर रही है, मैं यह जानना चाहता हूं?

मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। आपातकाल के दौरान लोगों को पकड़-पकड़ कर नसबंदी की गई। डर के कारण लोगों ने बाजार जाना छोड़ दिया। मैं उस दौर की बात नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन मंत्री जी ने जैसा कहा है कि किसी प्रकार की जोर-जबरदस्ती नहीं होगी, मैं आपसे सहमत हूं। लेकिन मुझे लगता है कि वह समय आ गया है जब बहुत कड़े कदम नहीं, बहुत कड़े कदम नहीं, लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा, जिससे जनसंख्या पर रोक लगे। इन्सेंटिव की बात कही गई है। इन्सेंटिव देना चाहिए, लेकिन इसके साथ-साथ कोई प्रतिबंधात्मक कदम भी उठाना चाहिए, जिस तरह से चीन ने उठाया है। हम जनसंख्या पर रोक लगाने का कोई उपाय जरूर करें कि दो बच्चों को पैदा करने के बाद आपको फला-फला सुविधा नहीं मिलेगी। इस विषय पर सदन में चर्चा करके सभी दलों की राय लेने के बाद मैं समझता हूं कि कुछ न कुछ कड़े कदम दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ बिना राजनीति के उठाने की आवश्यकता है। अब वह समय आ गया है कि कुछ न कुछ कदम आने वाले एक, दो सालों में उठाने पड़ेंगे, जिनका परिणाम आने वाले समय में दिखाई देगा। बहुत लचीलापन दिखाने से काम नहीं चलेगा। यह समस्या विकराल होती जा रही है। आपने सही कहा है कि बाकी चीजों का उत्पादन तो हम कर लेंगे, लेकिन जमीन का उत्पादन कैसे बढ़ाएंगे? जमीन घटती जा रही है और जमीन के कारण इस देश में कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब होती जा रही है। भूमि सुधार के लिए एजिटेशन्स चलते हैं, लेकिन जनसंख्या इस तरह से बढ़ती रहेगी, तो कोई एजिटेशन सफल नहीं होगा। हम कई तरह की योजनाएं बनाते हैं, लेकिन विस्फोटक जनसंख्या के कारण सारी योजनाएं फेल हो जाती हैं और आगे भी फेल होती जाएंगी।

आज हमारे देश की जनसंख्या विस्फोटक स्थिति में है। संसद में बड़ी गंभीर चर्चा हो रही है कि हम इसे कैसे रोकें? हम इसे रोक तो नहीं सकते हैं लेकिन इसे कम कैसे करें, इस पर चर्चा हो रही है। दूसरी तरफ इसी देश में प्रतिदिन हजारों लाखों की संख्या में बाहरी लोग, बांग्लादेशी आ रहे हैं और हम उन्हें रोकने के लिए गंभीर नहीं हैं। इसमें कहीं न कहीं राजनीति है। अपने देश की कीमत पर हम उन्हें संरक्षण दे रहे हैं, उन्हें संरक्षित कर रहे हैं। यहां लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, रोजगार नहीं है, लोगों के पास काम नहीं है और दूसरे देशों से यहां लोग आ रहे हैं। अगर मैं चाहूं कि अपना राशन कार्ड बनवा लूं तो समय लगता है लेकिन बाहरी लोग हमसे पहले आइडेंटी प्रूफ बना लेते हैं, हर जगह ऐसा हो रहा है। झुग्गी झोंपड़ी की समस्या दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों में है। यह समस्या बांग्लादेशियों के कारण है। इनके कारण कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ रही है। इस पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। आप सबसे पहले बांग्लादेश इन्फिलट्रेशन को रोकिए और कड़े कानून बनाइए।

सभापति महोदय : आपके लिए जितना टाइम अलाटिड था आपने उससे डबल ले लिया है। अभी 26 और स्पीकर हैं।

श्री सुशील कुमार सिंह : मैं अपनी पार्टी से अकेला मैम्बर हूं। माननीय मंत्री जी, आप अपना मन कड़ा कीजिए, इच्छा शक्ति को दृढ़ कीजिए और प्रतिबंध लगाने के लिए उपाय सोचिए। हम आपको सुझाव देंगे तब जाकर अगले 20-25 वर्षों में देश की जनसंख्या पर नियंत्रण हो पाएगा। आपने ठीक ही कहा कि आदमी को सांस लेने के लिए भी लाइन लगानी पड़ेगी। मुझे खुशी है कि संसद इस विाय पर गंभीर है और इस गंभीर विाय पर चर्चा हो रही है।

आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

श्री शरद यादव : महोदय, यहां सबने बेटे और बेटियों की संख्या बताई है। पहले परंपरा थी कि एक घर में एक साधु बनता था। यहां महंत जी बैठे हैं, यह हमारे सामने उदाहरण हैं कि कैसे आबादी कम की जाए। इनके कोई बाल बच्चा नहीं है। अगर एक घर में एक साधु बन जाए तो आबादी कम हो जाए।

SHRI ABDUL RAHMAN (VELLORE): Thank you very much Mr. Chairman, Sir, for having given me an opportunity to participate in the discussion on stabilization of population. While the population growth worldwide is alarming, especially the growth rate and available development resources in Asian countries pose a tremendous problem primarily on the food and health fronts. Even though the economists are not accepting, the Malthusian theory of population is there. Some economists are accepting it is viable and it is to be corrected in the population growth in the world.

According to the Malthusian theory, the population grows at a geometrical progression whereas the available resources grow at arithmetical progression. Simply speaking, the growth rate of population does not match the foodgrain production to feed the exploding population which may result in confusion if steps are not taken to arrest the situation.

The World Conference on Population held at Cairo during the year 1994 explored the possibility of bringing down the population growth. Not only the population experts, but also the Governments are seriously thinking about population growth to be directly related to the development. According to the survey and the result released by the World Conference held at Cairo during 1994, if adequate measures are carefully carried out, the population growth can be very easily controlled.

Even though the rate of population growth depends on several factors, the main indicator is the birth rate and the death rate. While the death rate factor is beyond human approach of any country, India decided to launch the concept of family planning in 1952 to reduce the birth rate as the first country in the world. Unfortunately, the equilibrium between the death rate and the birth rate after 1952 did not match to achieve the desired results. The estimated population may touch around 1,263 million by the year 2016 from 971 million in 1998.

According to the survey done by the Technical Working Group on Population Projections of Planning Commission, on 11.5.2000, India was projected to have one billion people, which means 16 per cent of the world population in 2.4 per cent of the

land area of the globe. If this current trend continues, India may overtake China in 2045 to become the most populous country in the world. While the global population has increased three-fold during the last century from two billion to six billion, the population of India has increased five times from 230 millions to one billion in the same period.

Mr. Chairman, Sir, presently, more than 50 per cent of the population in India is in the reproductive age, in-between 14 years and 49 years, which may impart a momentum to population growth. At this moment, according to the detailed report of the Indian Government, we are facing a challenge in respect of population in certain States, very particularly in the States of Bihar, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Rajasthan. If you see the population of these few States, they are covering almost 50 per cent of the whole Indian population.

If one considers the factors behind this kind of population growth, it very clearly comes out that low literacy rates and higher levels of poverty are responsible for this. If you take certain States like Kerala, Tamil Nadu and other few States in India, where you see that the population growth has tremendously reduced, we can definitely see that the literacy rate is more. So, it means that the Government should take adequate steps to increase the literacy level in all the States wherever the rate of population growth is high.

Any legislation to implement the population stabilisation will result in anger and agony of the Indian population, irrespective of their caste, religion or creed. A positive and educational approach only shall have the desired results.

Indirectly speaking, higher literacy rate can bring the desired result in family planning and thereby pave way for population stabilisation.

At this moment, I would like to bring to your kind notice the ways in which we can bring down population and increase literacy rate. The Government should take adequate steps to conduct awareness programmes among the people by identifying certain States where illiteracy is too much. Even though, some States that are found to be more literate is appreciable like Kerala, Tamil Nadu and a few other States, yet in

these States also, in certain parts, we find that the population growth is enormous. If you see in depth the reason behind this, then you will find that in those States also -- wherever we find that illiteracy is more -- those parts are having enormous population growth.

How will we find out that illiteracy is alarmingly increasing? Further, within the literate States also we find that in certain parts, the number of illiterates is increasing. Every year, the Government should take measures to find out in which area illiteracy is found, and ways to increase the literacy rate in those areas. For this purpose, death rate and birth rate have to be accounted for on an annual basis in each and every State; within the State in each and every district; within the district in each and every Taluk; and within the Taluk in each and every part of that geographical area. We do not have to wait for a decade to pass to get a census done to find out the literacy rate of each and every part of the country. The Government should have a proper count of birth rate and death rate by taking such measures at least once a year, and for this the death registration and birth registration should be made compulsory. Though, it is officially announced by the Government that this procedure should be followed, yet the process is not being followed stringently by the Government.

So, I would like to conclude by taking this opportunity to mention that population can be controlled only in two ways. One is by increasing the literacy rate, and the other is by decreasing or wiping out high levels of poverty.

Thank you very much for having given me the opportunity.

16.58 hrs.

STATEMENTS BY MINISTERS (C0ntd.)

(ii)Situation in Jammu and Kashmir

MR. CHAIRMAN: Now, the hon. Minister of Home Affairs will make a statement.

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI P. CHIDAMBARAM): Mr. Chairman, I make this statement in response to the request made by hon. Shri L. K. Advani and many other hon. Members.

The situation in the State of Jammu & Kashmir continues to be a cause for concern. It has taken a serious turn in recent days. Beginning June 11, 2010, there has been a cycle of violence threatening law and order and public peace. The violence in the State has followed a certain pattern. Usually, the violence is triggered by stone pelting by large crowds and their targets of attack are police stations, police outposts and other public property.

In the discharge of their duty to maintain law and order, the security forces have been compelled by the situation to resort to lathicharge and, if the lathicharge failed to yield results, to tear-gassing. When all attempts to control the crowds failed and there was the danger of the crowds over-running the police station or police outpost, the security forces have been compelled to resort to firing. While the security forces have been advised to deal with the crowds in a restrained manner, the relentless stone pelting and the danger of police stations and police outposts being overrun have compelled the security forces to use force both in self defence and in order to protect public property.

17.00 hrs.

There have been 39 civilian deaths since June 11, of these 22 deaths have occurred since July 30, 2010. Each case of death has been followed by more protests, stone-pelting and violent attacks. There have been instances where the security forces have been fired upon by someone in the protesting crowds. There is reliable intelligence that some armed militants may have mingled with the crowds and fired at the security forces.

Sir, the Central Government deeply regrets the loss of lives in Jammu and Kashmir. Many of them were young men and children. I convey our deepest sympathies to the families of the deceased. A number of people have also been injured and the State Government has assured that they will be given the best medical treatment. Even while we regret these incidents, I would appeal to the people of Jammu and Kashmir to put an end to the current cycle of violence. I have a special appeal to parents: your children's safety and welfare is our paramount consideration – as it must be yours – and I would urge you to ensure that they do not join the violent protests.

Sir, it is my duty to point out that the security forces have conducted themselves with commendable restraint in a highly volatile situation. They have shown courage and fortitude. There has been a total of 872 stone pelting incidents in June and July, 2010. One thousand two hundred and sixty-six security personnel have been injured in the last two months alone. On August 2, 2010, the Chief Minister chaired a meeting of the Unified Command in Srinagar. I am confident that the security forces will discharge the responsibilities entrusted to them by the State Government and restore law and order and maintain peace.

On August 2, 2010, after a meeting with the Prime Minister, the Chief Minister appealed to the people of Jammu and Kashmir to put an end to the cycle of violence and maintain peace. He offered a dialogue for the redressal of grievances, including a dialogue to resolve the political issues that concern the people of Jammu and Kashmir. Delegations of Ministers have been sent to the affected districts. Earlier, an all Party meeting was convened in Srinagar on July 12, 2010 and certain administrative measures,

including ex-gratia payments to the next of kin of those killed in the violence, were announced.

The Government of Jammu and Kashmir is actively considering a number of political and administrative measures that will help restore normalcy in the State. However, the Chief Minister, while affirming his commitment to take certain political and administrative measures, has made it clear that the current cycle of violence would have to end before he can take the initiative in this regard. The Central Government endorses his appeal and sincerely hopes that the cycle of violence will come to an end immediately.

Sir, Government's policy on Jammu and Kashmir has been declared on many occasions. We recognize that the issues concerning Jammu and Kashmir are issues concerning our own people; and they have to be addressed through the political process and through a dialogue with all sections of the people of Jammu and Kashmir. Government has always favoured a dialogue. In fact, in 2009, the Central Government initiated a "quiet dialogue" with key political groups and individuals. I had hoped that the dialogue would open a window of opportunity to activate the political process in order to find solutions. However, that dialogue was interrupted on December 4, 2009, when there was an attempt on the life of Shri Fazl-ul-Haq, a leader who favoured dialogue, and he was seriously injured.

I may assure this House that adequate forces are available to the Government of Jammu and Kashmir.

Sir, in conclusion, I would urge all sections of the people of Jammu and Kashmir to heed the voices of reason and desist from violent protests. Mindless violence and destruction of public property will not lead to any solution. On the contrary, they will result in loss of lives and injuries to the protestors, an outcome that is entirely avoidable and that should be avoided at all costs.

The people of Jammu and Kashmir have elected a Government and they must repose their faith in that Government to find solutions to the problems of Jammu and Kashmir. Once peace and order are restored, I am confident that we can explore the possibility of

reactivating the political process that holds the key to solutions. On its part, the Central Government offers its full support to the State Government in restoring law and order, holding a dialogue, redressing genuine grievances, accelerating development programmes, and ensuring equity, justice and honour for all sections of the people of Jammu and Kashmir.

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर): सभापति जी, हमारे यहां पर राज्यसभा की कोई परम्परा नहीं है, इसलिए मैं अभी सवाल नहीं पूछुंगा, लेकिन आपके द्वारा मैं अध्यक्ष जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी इस विषय पर, इस वक्तव्य के प्रकाश में सदन चर्चा करे। उस अवसर पर हम शासन से जानना चाहेंगे कि आज की परिस्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए, ठीक करने के लिए इस अपील के अलावा वे क्या सोच रहे हैं? क्या कोई उपाय योजना है, कुछ ओप्शंस हैं, जो सोचे गए हैं या सोचे जा सकते हैं, उस पर चर्चा तब करेंगे, जब इस पर बहस होगी।

SHRI P. KARUNAKARAN (KASARGOD): Sir, the Government should send an all-party delegation.… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN : Shri Karunakaranji, we have the precedent in the House that, as has been mentioned by the hon. Member Shri Advaniji, this message will certainly be conveyed to the hon. Speaker and as per her advice as well as the procedure in the House that can be discussed. There is no harm.

DR. RAM CHANDRA DOME (BOLPUR): Sir, an all-party delegation should be sent to Jammu and Kashmir. … (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Please sit down, Dr. Dome.

… (*Interruptions*)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI V. NARAYANASAMY): All these issues will come at the time of the discussion. The Chair has already ruled that hon. Speaker will fix the time.

17.07 hrs.

MOTION RE: CONSIDERATION OF ISSUES OF POPULATION STABILISATION IN THE COUNTRY – Contd.

MR. CHAIRMAN: I have an announcement to make. I have a list of 25 Members to speak on this issue of Population Stabilization. Those who want to lay their written speeches, they can do so. It will be treated as part of the proceedings.

Now the hon. Member Dr. Anup Kumar Saha.

DR. ANUP KUMAR SAHA (BARDHMAN EAST): Thank you Chairman, Sir, for giving me a chance to speak on the important matter of Population Stabilization in India.

If we look into the world population trends, we can see that it requires all the human history up to 1800 AD for the world population to reach one billion. The second billion came in 130 years, around 1930, the third billion in 30 years in 1960, the fourth billion in 15 years in 1975, the fifth billion in 12 years in 1987 and the sixth billion in 12 years. The world population became six billions on 12th October, 1999. It is expected to reach eight billions by 2025.

17.09 hrs.

(Dr. M. Thambidurai *in the Chair*)

The problem we face in India in population is enormous. There is population explosion in India. At present, India is second most populous country in the world and it only after China; whereas land area of India is seventh in the world. With only 2.4 per cent of the world's land area, India is supporting about 16.87 per cent of world's population.

The United Nations has estimated that world's population grow at the rate of 1.4 per cent whereas India's population grow at 1.9 per cent at the present time and India will reach 1.61 billion by the year 2050, the present population is 1.18 billion in 2010.

India is a country of striking socio-economic and cultural diversity with great variation among States, districts and social groups. Population and development

situation is a consequence of this diversity reflecting marked variation in demography as well as programme performance.

Population growth of India continues to be high on account of high fertility rate due to: (i) high level of poverty and literacy; (ii) large size of reproductive female population; (iii) high level of unmet need of contraception and family planning; (iv) high infant mortality rate leading to high fertility rates (this contributes to about 20 per cent increased birth rate as repeated childbirths are seen as an insurance against infant deaths): (v) high maternal mortality rate (this leads to multiple marriages and increase in the family size; and (vi) early age of marriage.

So to make the population size of India stable we need to take measures in every aspect that leads to population explosion. One of them is improvement in literacy and socio-economic status. We have seen that population growth is most in low literacy and socio-economic groups. Hence we must leave no stone unturned to improve the literacy and socio-economic status in our country. It may be said that the improvement of socio-economic status is the best contraceptive, and education is the best incentive.

The next aspect is the age of marriage. The age of marriage of a female has a great impact on her fertility. Those who are married before 18 years have a larger number of children. If the age of marriage can be raised to 20 years, the number of births would decrease by 20 per cent to 30 per cent. In India early marriage is a long established custom. Only law cannot stop it. We need a sustained and vigorous campaigning regarding awareness of evils of early marriages.

With regard to duration of married life, it has been seen that 10 per cent to 25 per cent of births occur in the period between one to five years of married life, 50 per cent to 55 per cent within 5 to 15 years. This suggests that family planning should be concentrated in early years of marriage.

Then comes spacing of children. Studies have shown that if births are postponed by one year in each age group, there is a definite decline in fertility rates. Also, there is variation in birth rate in different social groups. However it is due to varied socio-economic status of different groups. There is a relationship between nutritional status

and fertility level. Poorly fed society has higher fertility. Hence we should try to improve nutritional status of our nation. We must improve our IMR and MMR to stabilize the population.

With regard to family planning, WHO defines family planning as "a way of thinking and living that is adopted voluntarily, upon the basis of knowledge, attitudes and responsible decisions by individuals and couples in order to promote the health and welfare of the family and group and thus contribute effectively to the social development of the country". Aims of family planning are: (a) To avoid unwanted birth; (b) to bring wanted birth; (c) to regulate the intervals between pregnancies; (d) to control the time at which birth occurs in relation to the ages of the parent; and (e) to determine the number of children in the family. Its scope also includes: (i) sex education and education on parenthood; (ii) screening of pathological condition directly related to reproduction, genetic counseling, and teaching home economics and nutrition.

Though family planning is one of the most important factors in fertility reduction, in India it is associated with numerous misconceptions. Lots of evils have been attributed to it. One of them is its strong association in the mind of people with sterilisation. Others equate it with birth control. The recognition of welfare concept came only after a decade and half of its inception. The family welfare programme aims at achieving a higher end, to improve the quality of life.

The obstacles to family planning could be overcome by improving health, education, nutrition, food security, employment and poverty alleviation. We have to stress on educating the people regarding the good effects of family planning. We have to make people aware that family planning not only improves the quality of life of a family but also improves the nation as a whole. Birth control and spacing of birth are much more effective than sterilization. Gender bias in sterilisation should also be avoided. Hence we can change our family planning policy accordingly.

With this I conclude. Thank you once again.

[*]श्री नारनभाई कछाड़िया (अमरेली): अपने देश में बढ़ती हुई जनसंख्या में बहुत अच्छा वक्तव्य रहा और मुझे उसमें मेरा सुझाव देना चाहता हूं अगर पॉप्यूलेशन को रोकना है देश में परिवार नियोजन के लिए कानून बनाना जरूरी है और उस पर अमल होना चाहिये। मेरा सुझाव जो है अगर देश की जनसंख्या पर रोक लगाना केन्द्र सरकार चाहता है तो देश में हर बच्ची को जो 12वीं तक पहुंचे चाहे वह पास हो या नापास सरकार की तरफ से उसे 25000 हजार लाभ दिया जायेगा। कंट्रोल हो जायेगा। जितना पैसा स्वास्थ्य के पीछे और अन्य खर्च करते हैं, वह भी कम हो जायेगा।

दूसरा सुझाव यह है कि अगर दो बच्चे से ज्यादा बच्चा जिसका भी होगा वह चुनाव लड़ नहीं पायेगा। उसी तरह सभी को, देश में रहने वाले हर जाति के लिए सरकारी फायदे का लाभ नहीं मिलना चाहिये। अगर कानून पर अमल करता है तो उसे प्रोत्साहित करना चाहिए, नौकरी नहीं मिलना चाहिये। अगर ज्यादा बच्चे हों तो उस व्यक्ति को नौकरी से निकाल देना चाहिये और जितना भी सरकारी लाभ उसे मिल रहा है, वह रूकवा देना चाहिये और दो बच्चे से ज्यादा होने पर बिजली, पानी और सभी सुविधाओं से वंचित कर देना चाहिये। सरकार को कड़े कानून बनाना पड़ेगा तभी हमारे देश का जनसंख्या में रोक लगा सकेंगे और पॉप्यूलेशन और पोलयूशन कम कर सकेंगे।

और जो सल्म ऐरिया है, गरीब बस्ती है, वहां उनके लिए मनोरंजन फ्री युक्त व्यवस्था होना चाहिये तभी हम देश की आने वाली पीढ़ियों को अच्छी तरह संभाल पायेंगे और कोई रास्ता नहीं है। धन्यवाद।

---

[*] Speech was laid on the Table

*SHRI S. SEMMALAI (SALEM):

For long, I had a doubt whether the country has forgotten the problems associated with population explosion. But today's debate has convinced me that we are alive to the issue. Over 200 years ago, Thomas Malthur brought to light the adverse effect of population on development. India is one of the first few countries to formulate a national family planning policies in 1951. As we all know, the country has later expanded the policy to include Mother and Child health, family welfare and nutrition. We are a fast developing country. Philip Stephen, the American Economist once said "The nest phase of globalization will most likely to have an Asian face". He meant that India and China would lead the World in the path of development. Such good news are pleasant music to our ears.

This is one side of India. There is another side of our country also. Nearly, 77 per cnet of Indian population are living below Rs. 20/- a day. Why, this contradictory picture of India, on one side growing as a wealth nation and on the other side, a nation with poor people. The main reason is unchecked growthof population. Our population grows at an undersirably high rate and the fruits of development could not be enjoyed by the growing population. India's current population is 1.20 billion i.e. 120 crores it will increase by 371 million in 2020. Over taking China's current population of 1.35 billion. If we grow at the present level, we will double our population in the next 50 years. The figures released by the Governemnt shows that while India's population grow by 1.4 per cent annually over the last 5 years, China, our neighbour witnessed only 0.6 per cent population growth for the same period. India will overtake China to become world's most populated nation within the next 25 years.

What is the solution? The answer lies in population stablization. It is not any easy taks. Population stablization is a challenging job. The Government has to intensify the d rive and provide dynamism in its strategies. At this juncture, I regret to

---

* Speech was laid on the Table

say that the popular symbol of family planning 'inverse triangle' is now no more seen anywhere. We all know, our people mostly illiterate, identify an idea or concept more easily through a symbol. The Maharaja Symbol of Air India, SBI symbol are more popular. I do not know why family planning symobol is not exhibited fully now a days. I make fervent appeal to the Hon'ble Health Minister to rejuvenate and give rebirth to the family planning symbol. This will create grater awareness.

Secondly, education more particularly female education, will bring miraculous change in population front. There is a direct connection between female education and family planning devices. According to a Report only 48.3 per cent of married women are using family planning methods. That means 53 per cent of married women are not adopting any family planning methods. Worst still male sterilization is the lowest. Men do not undergo vasectomy operation. This has to change. The Government has to work out suitable strategy to attract more men to undergo family planning operation. I quote a research paper from Guttmacher Institute, USA "Every 1.4 dollar spent on family planning saves 1.4 dollar in medical costs.

At this juncture, let me request the Government to popularize slogans stressing the need for limiting the family size. I may say that Governemnt may employ slogan like "Children by choice and not by chance" to create awareness among the people. I appeal to theGovernemnt to consider the desirability of raising the marriageable age of girls from the present 18 years to 21 years. Another suggestion I would like to place before the August House, the Government has to persuade a plan for limiting the size of family to "One Baby per Couple".

Finally, I may say that the Government may give some attractive incentives and concessions like tax concessions, employment opportunities, loan facilities etc to the couple, those who have limited the size of their family with one baby. It will give some fruitful result.

श्री वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़): जनसंख्या स्थिरीकरण पर सदन के सभी दलों के सदस्य गंभीर हैं तथा सभी की एक ही राय है कि देश में बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकना आवश्यक है। क्योंकि यह एक ओर जहां विकास में बाधक है, वहीं देश की अर्थव्यवस्था पर भी बोझ बढ़ाती है। गांवों में आठवीं कक्षा से आगे पढ़ाई करने छात्राओं को दूर जाना पड़ता है। जिससे माँ-बाप बच्चियों को नहीं पढ़ाना चाहते हैं। अतः छात्राओं के लिए नजदीक ही कन्या हाई स्कूल ज्यादा संख्या में खोला जाना चाहिए। एक बच्चे के बाद दूसरा बच्चा पैदा होने में 3-4 वर्ष का अंतर होना चाहिए तथा लड़की की शादी 18 वर्ष से कम उम्र में नहीं हो इसके लिए नियम तो बना है किंतु शहर एवं गांवों के जनप्रतिनिधियों को जागरूक रखकर कम उम्र की शादियों को रोकना चाहिए। क्योंकि कई बार शासकीय कर्मचारियो की लापरवाही के चलते सामूहिक विवाह सम्मेलनों में कुछ बच्चियों की कम उम्र में शादी हो जाती है।

धर्म गुरूओं को भी देश में बढ़ती हुई जनसंख्या को नियंत्रित करने का आह्वान अपने उपदेशों के माध्यम से बताना चाहिए क्योंकि सभी समाजों एवं धर्मों में अपने संत महात्मा, पादरी, मुनिजन एवं मौलवियों को बहुत अधिक सम्मान दिया जाता है। अतः दूरदर्शन के माध्यम से सभी धर्मगुरूओं से आह्वान कराना चाहिए।

स्कूलों एवं कॉलेजों में छात्र-छात्राओं को बढ़ती जनसंख्या के खतरे एवं दूसरे देश के विकास में बाधा तथा उपलब्ध संसाधनों जमीन, पानी, मकान, रोजगार आदि की समस्याओं के संबंध में चर्चा, वाद-विवाद, सेमिनार आका भी आयोजन शासकीय स्तर तथा शैक्षणिक, सामाजिक संस्थाओं का सहयोग लेकर करना चाहिए। बढ़ती जनसंख्या सम्पूर्ण देश के लिए गंभीर चुनौती है। अतः दलीय सीमाओं से ऊपर उठकर इसे नियंत्रित करने के बारे में सदन में सिर्फ चर्चा ही नहीं बल्कि व्यवहारिक रूप में कार्यक्रम एवं योजनाएं बनेंगी तभी देश आगे बढ़ सकेगा। (इति)

SHRI B. MAHTAB (CUTTACK): Mr. Chairman, Sir, I stand here before this House today to deliberate on the discussion that we are having on an important subject relating to population stabilization. At present, India's population stands at around 1,198 million to China's 1,345.8 million. The Minister, in his opening remarks, had mentioned about alarming situation we are going to face in the near future. While average population growth in China was 0.6 per cent between 2005 and 2010, it was 1.4 per cent in India. Projections, therefore, are that by 2050 India will be home to 1,613.8 million people compared to China's 1,417 million. In that respect, we will be overcoming China by 2050.

Here, I am reminded of former Prime Minister, Narasimha Rao's statement, while on his visit to the United Nations, he had mentioned in his interaction with his counterpart of China. How much competition we may have at different levels, but we intend to never compete or over-cross you in the matter of population. But the figure which the Minister has said, which many demographers have been stating is that by 2050, India's population will be much much higher than that of China.

While some States like Kerala, Himachal Pradesh, West Bengal, Maharashtra, Karnataka, Andhra Pradesh and Delhi have already achieved replacement level fertility, other States will take many more years like Uttar Pradesh would be achieving at 2027, Madhya Pradesh at 2025, Chhattisgarh at 2022; Bihar at 2012, Assam 2019, and Rajasthan 2021. this is relating to the fertility rate. Population stablisation is very vital for India's future as the country has 17 per cent of the world's population with only 2.5 per cent of global land. Small families are, therefore, important. Strict implementation of late marriage as has been suggested by the Minister, law about age of marriages, and delayed first child with proper spacing will help in dealing with population problem. These are the three suggestions which I have come across. I will be dealing with that towards completion of my speech.

But let us understand as to what is the present position of our country. Keeping the last decade in between 1998 and 2008 – when both NDA was in power and UPA was also in power and administering the country. Silently and without much *Sarkari*

fanfare, dramatic changes are taking place. It is not that we are not achieving something. We have achieved many things.
The issue is not only confined to the South but also North because North has totally neglected the issue. I will quote some figures. Changes are taking place in the population indicators of some States that you will not see or reflected in the country level data.

Crude birth rate, that is the number of live births per 1000 population dipped from 26.4 to 22.8 for the whole country between 1998 and 2008, and that is, 14 per cent decline. But in eight major States, the decline was much more. In Punjab, the birth rate fell by 23 per cent, followed by Kerala and Maharashtra, both 20 per cent and West Bengal, 18 per cent. Country-wide, the crude death rate or the number of deaths per 1000 population in child birth came down by 18 per cent in a decade. There are surprises in the toppers' list. Both Madhya Pradesh and Rajasthan, about which the Minister said and also, many hon. Members mentioned, saw a 23 per cent dip in death rates, closely followed by Bihar with 22 per cent and UP with 20 per cent. How was this achieved?

During this decade, a specific programme was initiated by the Health Ministry, that all pregnant women will be brought to the health institutes, whatever it may be, it may be primary health centre or dispensary, but they will be provided with a certain amount of funds – for their ambulance charge and also to have a regular birth in the institution. That created a dramatic change to bring down the child mortality rate, and that should be encouraged, because that is a support; you hardly give Rs. 500 or Rs.800; a number of States also have chipped in to support that programme. That was one of the revolutionary programmes which actually brought it down and it had made the change.

Subtracting death from birth rate, it gives the national growth rate of the population. For India, this key indicator declined by 11 per cent, but in Kerala and Punjab, the two States which stand out from other States, the rate of population growth by as much as 32 per cent; in Maharashtra, it was down by 23 per cent; in Andhra, Tamil Nadu and West Bengal by 18 per cent. All this has happened between 1998 and 2008.

There has been significant decline in infant mortality rate in India from 72 per 1000 in 1998 to 53 in 2008. Yet, I would say the figure is still shocking, but there has been decline of 23 per cent over the past decade; many States are way ahead in their fight to bring down the baby-deaths. Tamil Nadu has slashed infant mortality by an incredible 42 per cent; West Bengal by 34 per cent, Maharashtra by 33 per cent and Orissa by 30 per cent. A few smaller States – this is the alarming part – actually have shown an increase in infant mortality rates; and you will be surprised to know that one of those smaller States is Delhi. The Health Minister should find out why this has happened and why this infant mortality has taken place, and at which level.

There are States like Jammu & Kashmir and Meghalaya also which added to that group. India today is passing through a demographic transition, to a society where population will grow slowly and people will live longer, hopefully leading a healthier life.

I am reminded here of the First Five Year Plan's declaration, titled 'Family Planning'.

This is given in the Chapter 'Health' in a sub-section called 'Family Planning' and I would quote:

> "The recent increase in the population of India and the pressure exercised in the limited resources of the country have brought to the forefront the urgency of the problem of family planning and population control. The main appeal for family planning is based on considerations of the health and welfare of the family. Family limitation or spacing of the children is necessary and desirable in order to secure better health for the mother and better care and upbringing of children. Measures directed to this end should, therefore, form part of the public health programme."

And, what we hear today from the Health Minister! This was in the First Plan outlay. One can say since 1951 India was the first country in the world to talk about family planning. Everything that the Health Minister wants now is late marriage, delayed first children and proper spacing. This was in the agenda in 1951 also. The Health Minister says that this should the agenda even now. So, what should we construe? Has this not worked? Why it has not worked? These are the two basic questions which we should address ourselves. The question that was posed in the First Plan and the question that we are deliberating today which the Health Minister is putting before the country is the same. Has it not worked and why it has not worked? Are we deliberating today on these two aspects?

We have heard it a number of times since 1974 when I think Dr. Karan Singh was the Health Minister. He went to attend the Bucharest Meeting. Shrimati Indira Gandhi was then the Prime Minister. I do not know who coined that word. It is said development is the best contraceptive. Even today we are hearing the same line. Why should we say population is a liability rather than an asset? Nobody anticipated India's Green Revolution in 1951. I agree that there is a second Green Revolution, every Prime Minister and every Government since 1991 have talked about it. There is a quote ascribed to Mao Zedong "With every mouth there are two hands".

Since 1976 Chinese have adopted a policy of "Later, longer, fewer" which eventually became the coercive one child policy. Surely, we do not want to follow China in becoming a country that becomes grey before we become wealthy with all its adverse consequence which China is facing today. But India's demographic dividend will whittle away by 2040. One wants later, longer, fewer but that should be the outcome of natural and voluntary choice. Health Ministry should show the outcomes instead of giving more stress on outlays and here I would come to the specifics.

I heard once the present Health Minister saying that he would prefer 'family planning' instead of 'family welfare'.

I am not into that debate. It can be family welfare and planning or family planning and welfare or whatever it may be. Let us remove that baggage which we have been carrying for the last 35 years. But the question here is that the growth rate is coming down since 1980-85. A woman will be bearing two children that consciousness will come as it is being anticipated by 2025-26. The size will be going up but it will stabilize or in a way will come down by 2060-65 which means another five decades. But here for the last 60 years, why all our family welfare programmes and family planning programmes have been vertical? We have to spread. It has to be horizontal. Unless that is done, you can have very little impact.

I heard the Minister saying let us have more maternity huts erected in every village. That is a very good idea. He also said that contraceptives to be made available abundantly both in rural and urban areas. That is also a good thing. And you have battalion of personnel – 25,000 Primary Health Centres and 1,45,000 Sub-Centres, seven lakh ASHA Karmis in the country. But here I am reminded instead of comparing ourselves with other developed countries, let us see what Bangladesh has done relating to infant mortality rate. I think Bangladesh will be better understood by Bihar, Uttar Pradesh, Orissa, Assam and West Bengal also. How an Islamic country could stabilize? That is a challenge which they had taken up. Why can we not do that?

Here I have certain suggestions. The Chief Minister of Orissa has taken a lead in this. The best thing which I would say, the respective State Governments can consider

– the Minister also can consider is that instead of observing one day in a year, the Orissa Government has announced every Monday as Parivar Kalyan Diwas that means you are observing 52 Mondays in a year as Parivar Kalyan Diwas. The supply chain management of family planning products and contraceptives, that is also being taken care of. Further proposal I would say, the district specific family planning plan is being worked out. Even today, we are State specific. I would suggest let us be district specific because the other day when we were having discussion in the Forum on Population and Public Health, this thing came up. Though in South, even in Tamil Nadu, population stabilisation has taken up at a greater length, yet there are districts where population explosion is taking place. Let us concentrate on districts. Let us find out which are those districts where population explosion is picking up and where we have to concentrate more. Of course, the State Government is the mechanism through which this has to be delivered and monitored.

Before ending my speech, I am reminded of a small story which was narrated to me by a farmer of my village which is around 150 kilometres from the State Capital of Orissa. That area is represented by my leader, Mr. Sethi. That farmer is not a literate person. He told me that, Sir, I have learnt about planning my family by planting a brinjal in my courtyard. The more I pluck brinjal from the tree, the tree will give me more brinjals.

The day I leave one brinjal for the seeds for the next season, the plant will die leaving the seed. This is the knowledge that the plant gives us. We are human beings. If we are sure about the seed, about our off-springs, about our progenies, then we do not have to have more children. It is quite explicit in the *Mahabharata*. King Dhritarashtra was not sure about his children and therefore he had 100 children. But Pandu did not have so many. It is a question of mindset.

Sir, I think, with these words, let us create awareness amongst us; let us create awareness in our constituencies and districts and in our country. Through awareness we can stabilise population in our country and make the demographic dividend favourable for the country's progress and prosperity.

***श्री सी.आर.पाटिल (नवसारी):** हमारे देश की बढ़ती जनसंख्या का परिणाम है कि असुविधाएं हो रही हैं। कई गांव में स्कूल तो हैं, बच्चे स्कूल भी जाते हैं लेकिन वह टीचर के नाम से केवल एक टीचर ही आते हैं और बच्चे पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं इससे कोई लेना-देना नहीं है। कई जगह तो स्कूल तक नहीं हैं। इसलिए हमें इस विषय की गंभीरता को देखते हुए कारगर कदम अभी नहीं उठाये गये तो आगे जाकर इसका बहुत भयंकर परिणाम होगा।

इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि क्या सरकार इसमें ऐसा कोई कानून लाने वाली जिससे जो लोग इस कानून का उल्लंघन करते हैं। उनको कई तरह के पाबंदी लगाये जैसे की उन्हें कहीं सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी और स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी और राशन कार्ड नहीं दिया जाएगा। ऐसे कड़ाई से अगर सरकार कोई उपाय करती है तो हमें लगता है कि इस पर थोड़ी तो कामयाबी मिल सकती है। हमारे देश ने तरक्की तो करी है लेकिन गरीबी में भी बहुत तरक्की कर रही है। जैसे कि कमर तोड़ महंगाई का विषय जिस पर आज माननीय वित्त मंत्री जी ने उत्तर दिया लेकिन हमें इस विषय पर केवल सोचना नहीं है कुछ कर दिखाना पड़ेगा। जनसंख्या बढ़ने से हमारे संसाधनों पर भार बढ़ रहा है। बढ़ती जनसंख्या के लिए आवश्यक खाद्यान्न सुरक्षा हमारे लिए चेतावनी है। आज बढ़ती जनसंख्या और बेरोजगारी के कारण शहरों पर भी बोझ बढ़ रहा है।

गांवों से जनसंख्या का पलायन यह इसी की एक कड़ी है। हमें बढ़ती संख्या के लिए बुनियादी सुविधा और अवसंरचनात्मक ढांचा खड़ा करने में काफी मशक्कत का सामना करना पड़ सकता है इसलिए इस मामले में राजनैतिक इच्छाशक्ति का प्रदर्शन कर देश में 2000 में लागू की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का सफल क्रियान्वयन कराने के लिए एक राष्ट्रीय अभियान चलाये। इसके लिए देश में सभी राज्यों को साथ लेना होगा और एक ओर राजनीतिक इच्छाशक्ति और दूसरी ओर जन-जागरण कराकर हमें देश की जनसंख्या को सीमित करना होगा।

मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि सरकार इस मामले में चिंता जाहिर करने के बजाय उपचारात्मक प्रयास करने के लिए ध्यान केन्द्रित करे।

---

* Speech was laid on the Table

[*]श्री ए.टी. नाना पाटील (जलगांव): आज सदन में जनसंख्या स्थिरीकरण के अतिमहत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं। कई वक्ताओं ने इस विषय पर काफी प्रकाश डाला है। उनकी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं अपनी बात सदन के सामने रखना चाहता हूं। भारत वर्तमान में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। जनसंख्या में अगर ऐसा ही चलता रहा तो देश किसी चीज में आगे बढ़े या न बढ़े लेकिन जनसंख्या में तो दुनिया का सबसे बड़ा देश बन जायेगा। हमें इस विषय में कई ठोस कदम उठाने की जरूरत है। अगर हम ऐसे केवल चर्चा करते रहे तो सभी विषयों की तरह ही यह भी एक चर्चा ही रह जाएगा। इसलिए हमें कुछ ठोस कदम उठाने पड़ेंगे जैसे कि हमारे देश में लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या कितनी कम हो गई है। ऐसा क्यों हो रहा है। हमारे देश में कानून तो बनते रहते हैं लेकिन उन पर अमल करने में या अमल कराने में कई दृष्टि से हम लोग ही दोषी हैं। जैसे मैंने भ्रूण हत्या का विषय सदन में उठाया था। सबसे ज्यादा भ्रूण हत्या हमारे देश में हो रही है। अगर लड़कियों की संख्या इसी तरह कम होती रही तो क्या होगा। यह हमारा देश है इसलिए हमें इस विषय पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है। भ्रूण हत्या रोकने का कानून (पी.एन.डी. एक्ट) तो बना है और इसमें कुछ दोषियों को सजा भी दी गयी है। लेकिन हमें इसे कड़ाई से लागू करना पड़ेगा। कन्या भ्रूण हत्या के कारण हमारे सामाजिक समीकरण को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए।

हमारे देश की बढ़ती जनसंख्या का परिणाम है कि असुविधाएं हो रही हैं। कई गांव में स्कूल तो हैं, बच्चे स्कूल भी जाते हैं लेकिन वहां टीचर के नाम से केवल एक टीचर ही आते हैं और बच्चे पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं इसका कोई लेना-देना नहीं है। कई जगह तो स्कूल तक नहीं हैं। इसलिए, इस विषय की गंभीरता को देखते हुए कारगर कदम अभी नहीं उठाये गये तो आगे जाकर इसका बहुत भयंकर परिणाम होगा। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि क्या सरकार इसमें ऐसा कोई कानून लाने वाली जिससे जो लोग इस कानून का उल्लंघन करते हैं। उन पर कई तरह की पाबंदी लगाये जैसे कि उन्हें कहीं सरकारी नौकरी नहीं दी जाए और स्कॉलरशिप नहीं दी जाये और राशन कार्ड नहीं बनाया जाए। ऐसे कड़ाई से अगर सरकार कोई उपाय करती है तो हमें लगता है कि इस पर थोड़ी तो कामयाबी मिल सकती है। हमारे देश ने तरक्की तो करी है लेकिन गरीबी बहुत तरक्की कर रही है। जैसे कि कमर तोड़ महंगाई का विषय जिस पर आज माननीय वित्त मंत्री जी ने उत्तर दिया लेकिन हमें इस विषय पर केवल सोचना नहीं है कुछ कर दिखाना पड़ेगा। जनसंख्या बढ़ने से हमारे संसाधनों पर भार बढ़ रहा है। बढ़ती जनसंख्या के लिए आवश्यक खाद्यान्न सुरक्षा हमारे लिए चेतावनी है। आज बढ़ती जनसंख्या और बेरोजगारी के कारण शहरों पर भी बोझ बढ़ रहा है। गांवों से जनसंख्या का पलायन इसी की एक कड़ी है। हमें बढ़ती संख्या के लिए बुनियादी सुविधा और अवसंरचनात्मक ढांचा खड़ा करने में

[*] Speech was laid on the Table

काफी मशक्कत का सामना करना पड़ सकता है इसलिए इस मामले में राजनैतिक इच्छाशक्ति का प्रदर्शन कर देश में 2000 में लागू की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का सफल क्रियान्वयन कराने के लिए एक राष्ट्रीय अभियान चलाये। इसके लिए देश में सभी राज्यों को साथ लेना होगा और एक ओर राजनीतिक इच्छाशक्ति और दूसरी ओर जन-जागरण कराकर हमें देश की जनसंख्या को सीमित करना होगा।

मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि सरकार इस मामले में चिंता जाहिर करने के बजाय उपचारात्मक प्रयास करने के लिए ध्यान केन्द्रित करे।

श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव (बुलढाणा): सभापति महोदय, आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

माननीय स्वास्थ्यमंत्री जी ने बढ़ती हुई आबादी के बारे में जो चिंताएं यहां व्यक्त की हैं और इस सदन के सभी पक्ष के सदस्यों से यह अपेक्षा की है कि बढ़ती हुई आबादी को रोकने के लिए हम लोगों को भी कुछ प्रयास करने चाहिए, हम लोगों को जनता को यह बताना चाहिए कि कम उम्र में शादी न करें, जल्दी बच्चे पैदा न करें और बढ़ती हुई आबादी को थोड़ा रोकें। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि बढ़ती हुई आबादी रोकने के लिए यहां पर जो कदम उठा रहे हैं, उनसे मुझे शंका होती है। यहां पर सभी मंत्रीगण एवं एमपीज बैठे हुए हैं, हमें लगता है कि आबादी कम होनी चाहिए, लेकिन शायद हम सोचते हैं कि लोगों के घर में आबादी कम होनी चाहिए, हमारे घर में आबादी कम नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमने यह कानून बनाया है कि अगर किसी व्यक्ति के दो से ज्यादा बच्चे हैं तो वह नगरपालिका में, जिला परिषद पंचायत समिति में चुनाव नहीं लड़ सकता है। लेकिन यही कायदा विधानसभा और लोक सभा के चुनावों पर लागू नहीं किया गया है। अगर हमारी नीयत अच्छी है, हमें अपनी जनसंख्या को बढ़ने से रोकना है, तो हमें अपने से ही शुरूआत करनी चाहिए।

सभापति महोदय, अभी मंत्री महोदय ने बताया है कि हमें प्यार से लोकसंख्या घटानी है, हमें कोई सख्ती करनी नहीं है, न हमें किसी के ऊपर सख्ती करनी है कि आबादी कम करो। लेकिन प्यार से आबादी कम नहीं होगी, प्यार करने से तो आबादी बढ़ेगी। इसलिए सख्त कानून होना चाहिए। जिस तरह से हमारे यहां कानून है कि 18 साल से कम उम्र की लड़कियों की शादी नहीं होनी चाहिए। कुछ राज्यों में इसे सख्ती से लागू किया जाता है, लेकिन बहुत से राज्यों में 15 या 16 साल की उम्र में लड़कियों की शादी होती है। ये शादियां क्यों होती हैं? ग्रामीण इलाकों में सातवीं तक के स्कूल हैं, वहां की लड़कियां जब सातवीं कक्षा पास होती हैं, आगे पढ़ने के लिए वे शहर नहीं जा सकती हैं। वहां उनके रहने के लिए ठिकाना नहीं होता है, अगर वहां हॉस्टल में रहने के लिए भेजते हैं, तो उनकी सुरक्षा निश्चित नहीं होती है और उनके मां-बाप के अनपढ़ होने से उनके मन में यह बात रहती है कि 17-18 साल की बच्ची अगर बच्चों में जाकर पढ़ने लगेगी, तो वह ठीक नहीं होगा। इसलिए वे लोग उनको उच्च शिक्षा के लिए नहीं भेजते हैं।

इसीलिए मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि यदि आप लड़कियों की शिक्षा पर ध्यान देना चाहते हैं तो उसके लिए ग्रामीण इलाकों में महिला कालेज खोले जाने चाहिए। गांव के लोग, खासकर गरीब लोग और खेती करने वाले लोग अपनी लड़कियों को 18 वर्ष के बाद उच्च शिक्षा के लिए दूर भेजना पसंद नहीं करते। यही कारण है कि ग्रामीण इलाकों में अधिकांश लड़कियां 12वीं तक पढ़ाई करके ही रह जाती हैं।

लोक संख्या कम करने के लिए आपको कुछ न कुछ सख्त कानून बनाना जरूरी है। यहां पर कई सदस्यों ने कहा कि स्लम एरियाज में ज्यादा आबादी बढ़ती है या जहां पर गरीब रहते हैं वहां पर भी आबादी काफी बढ़ती है। उसका मुख्य कारण शिक्षा की व्यवस्था वहां न होना है। इसलिए मैं विनती करूंगा कि जो सहूलियतें सरकार की तरफ से दी जाती हैं, वे एक परिवार में दो से ज्यादा बच्चे होने पर न दी जाएं। उन्हें कहा जाए कि अब इनकी परवरिश आप करो, सरकार मदद नहीं देगी। लेकिन आजकल ऐसा होता है कि सरकार सबको सहूलियतें देती हैं और नतीजा यह होता है कि लोग सोचते हैं कि कितने ही बच्चे पैदा करो, जिम्मेदारी तो सरकार उठाएगी।

सभापति महोदय, आबादी बढ़ना भी महंगाई बढ़ने का एक कारण है। अगर देश की आबादी बढ़ेगी तो अन्न की खपत भी ज्यादा होगी, जबकि हमारे यहां अन्न का उत्पादन आबादी के हिसाब से नहीं बढ़ रहा है। मंत्री जी ने खुद कहा है कि जमीन कम होती जा रही है। अधिक मकान बन रहे हैं, डैम आदि बन रहे हैं इसलिए जमीन की कमी हो रही है। इसलिए आबादी को बढ़ने से रोकने के लिए हमें सख्त कानून बनाने की आवश्यकता है। जैसे इमर्जेंसी के समय संजय गांधी जी ने कदम उठाया था, मैं वैसा तो करने के लिए नहीं कहूंगा, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि कुछ न कुछ सख्त कदम आपको भी उठाने चाहिए।

जो पढ़ा-लिखा वर्ग है, उसमें फैमिली प्लानिंग की समझ आ चुकी है। मैंने महाराष्ट्र के अखबार में एक खबर पढ़ी कि वहां 1000 लड़कों के पीछे 869 लड़कियां हैं। जब ये लड़के जवान होंगे, शादी के लायक होंगे तो कैसे इनकी शादी होगी, क्योंकि लड़कों और लड़कियों के रेशो में 131 का फर्क है। यदि इसी तरह लड़कों की संख्या देश में बढ़ती रहेगी, तो देश की क्या हालत होगी, इस पर भी गम्भीरता से विचार करना चाहिए।

लोक संख्या पर कंट्रोल काफी हद तक शिक्षित वर्ग में तो हो गया है, लेकिन अशिक्षित वर्ग में नहीं हो पाया है। इसके लिए सख्त कानून बनाने की जरूरत है। आज आप देखें कि गरीब परिवारों में या स्लम एरियाज में आबादी बढ़ने से कई नुकसान भी होते हैं। अगर गरीब परिवार में बच्चे ज्यादा होंगे तो उनमें से कई क्राइम की तरफ रुख कर लेते हैं। इसीलिए स्लम एरियाज में क्राइम ज्यादा होते हैं। वहां पर कई बच्चे बड़ें होकर आतंकवादी, चोर-डाकू या लुटेरे बन जाते हैं, क्योंकि उनके पास पेट भरने के लिए दूसरा कोई साधन नहीं होता इसलिए मजबूरी में अपराध की दुनिया की तरफ रुख कर लेते हैं।

मीडिया को भी इस तरफ संज्ञान लेना चाहिए। इस बात को मंत्री जी ने भी कहा है और उससे अपील भी की है। आज आप देखें की टीवी पर कई सीरियल जैसे 'न आना इस देश में लाडो' और 'बालिका वधू' में क्या दिखाया जा रहा है। एक सीरियल में कन्या भ्रूण हत्या बताई गई है और दूसरे में छोटी बच्ची की शादी होते दिखाई गई है। इस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए।

अगर आप आबादी को रोकने के लिए सख्त कानून नहीं बनाएंगे तो हमारा जो उद्देश्य है और जो टाइम लिमिट हमने तय की है जनसंख्या कम करने की, वह हम नहीं कर पाएंगे। आज लोक संख्या बढ़ने से काफी दिक्कतें भी आ रही हैं। जो योजनाएं बनती हैं, उनमें से कई बढ़ती आबादी के कारण पूरी नहीं हो पातीं या उनमें कमी रह जाती है। गरीबी और अशिक्षा जनसंख्या बढ़ने का मुख्य कारण है। इसके अलावा और भी कारण हैं। कुछ लोग धर्म का हवाला देते हैं या कुछ लोग अपनी परम्पराओं का भी हवाला देते हैं और इनका फायदा उठाकर जनसंख्या बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हम सबको समझना चाहिए कि यह देश का विषय है और देश की चिंता है। इसलिए धर्म से आगे जाकर देश हित को ध्यान में रखकर जनसंख्या रोकने के लिए सख्त कदम उठाने चाहिए।

जो लोग एक बच्चा या दो बच्चे पैदा करें, उन्हें ज्यादा सहूलियतें दी जाएं। आज लोक संख्या देश के सामने एक चिंता का विषय है। लोक संख्या रोकने के लिए हम सब लोगों को प्रयास करना चाहिए और सब दलों को प्रयास करना चाहिए।

सभापति महोदय, कुछ लोग जनसंख्या के बढ़ने पर भी राजनीति कर रहे हैं। सभी जानते हैं कि पिछड़ी जातियों में लोकसंख्या ज्यादा तेजी से बढ़ रही है और कुछ लोग यह सोचते हैं कि इनकी बढ़ती हुई संख्या हमारी वोटों की संख्या को बढ़ाएगी और ऐसे लोग आबादी को बढ़ाना चाहते हैं। वे सोचते हैं कि आबादी बढ़ेगी तो उनके वोटर तैयार हो जाएंगे और उनके बल पर हम अपनी सरकार बनाएंगे। इस तरह की सोच से आबादी कंट्रोल में नहीं आयेगी, यही मेरा कहना है।

SHRIMATI SUPRIYA SULE (BARAMATI): Thank you, Mr. Chairman, for giving me this opportunity to speak here this afternoon. I would like to first congratulate the Ministry of Health and Family Welfare for bringing up this issue which is the most critical challenge in front of our nation right now. It is actually a shame that it has taken us 33 years to bring this topic to debate. But, I think, it is better late than never.

The hon. Minister in his extensive speech right at the beginning has covered most pieces of the entire puzzle. I really take this opportunity to only talk about incentives because most of my colleagues have covered most of the critical points in the debate. In Satara district, which is a part of Maharashtra State, in the zilla parishad, we have started a programme. As per that programme, if a couple gets married, they are paid Rs. 5,000 if the first child is born after two years. It is within the budget of the zilla parishad; after that if the gap between the two children is over three years, then they are given another Rs. 2,500. After that for sterilization, they are paid Rs. 7,500 as an incentive for family planning. The entire cost is covered by the Health Ministry of the Maharashtra State as well as the zilla parishad. So, a lot of incentives are given in our State.

Take, for example, Pune. We have a sterilization programme where a car is sent from the Pune Corporation to a woman or a man, whoever calls, to bring them, the entire procedure is done and is dropped back home. We are monitoring this entire programme especially in the slums. It is because the elite, the top pyramid, is definitely doing the family planning. Most people are choosing not to have children or at the most only one child. But at the bottom of the pyramid, that is not the case and we are concerned about it today. It is definitely a challenge and it is painful that a lot of States, particularly the BIMARU States, like Madhya Pradesh and Bihar, have not done well in this regard. I will urge my colleagues from these States to take the initiative. I have asked the hon. Minister to highlight it in the NDC. Unless it is competitive amongst our States, when will other States catch up with us?

The other big challenge, which I would like to highlight is that, we see it more among the migrant workers. Most workers who come for construction work in various

States, come as young couple. By the time the building is ready, they have probably two or three children within a short span of time. That is the biggest challenge. They are probably not counted in the census because they are the moving population. I do not even know whether they are ever counted. The only way it is going to happen is through the democratic means and awareness programmes, which we have to take to the *panchayat* level. The discussions and debates here will make some difference.

I am sure what the hon. Minister has said is absolutely true that air-condition room discussions will not make a difference and we have to take it to the people. I urge the hon. Minister to use our SHGs as a major tool to strengthen this. We have seen in Bangladesh that these SHGs made a huge difference financially and are helping women to make a choice. The States like Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Kerala and Maharashtra have done exceptionally well. The population is actually declining more than stabilising in these States. So, the SHG is a big way forward. When women have the right and when they have a choice to say no to second or third child, it makes a huge difference.

Along with this what we really need to do is to save the girl child. My colleague from Maharashtra mentioned earlier about the girl child. I am a proud example of that. My parents had only one child and stopped with one child. But have we been able to take this forward? There is a Bill regarding two children norm, which is lying, for which I have also put in, has not come even for a discussion. My colleague earlier said that it is applicable to zilla parishads and panchayat samitis. Why are we forcing all our changes on the people at the bottom of the pyramid? Why can the MLAs and MPs not take this forward? I think the buck stops at us. Let us make a difference. The difference will come only when we practise what we preach. As a group, let us give a deadline. Children who are already born need not necessarily suffer. But at least in the future we have to give us a benchmark, either one child or two children. We have to practise what we preach.

I urge the hon. Minister to take this programme. I promise on behalf of all my colleagues present here today that whatever supports he needs in whichever State or in whichever district, we are all with him. I think this is the first experience for me being here in four years that the entire House has the same feeling towards it. I think it is for a good cause. We are setting a good example even to the nation that when it comes to serious issues like us, we are together and we want to make a difference in the progress of this country.

*SHRI HASSAN KHAN (LADAKH): The State of Jammu and Kashmir consists of three regions - Kashmir, Jammu and Ladakh. Ladakh Region is the largest region in the State from area point of view. Ladakh is bigger than Jammu and Kashmir together in size but the population in this area is low, as low as the density is only 7 to 8 persons per km, which is lowest in the country. Increase in population is also not very fast but the concentration or movement of population from far off places to the two towns, Leh and Kargil is very fast because of non-availability of social and other facilities in the remote areas. This concentration of population to the main towns is creating lot of problem on every front of economic dispersal of resources. Towns are becoming over populated and rural areas empty in ladakh. Along with check on population or stabilizing the growth, the government needs to have plans for containing the rural population at their original places than to make the towns over populated against the available resources. MNREGA and other schemes formulated for rural population are not proving effective in ladakh on this direction. Over population in regions like ladakh is no problem at the moment provided the government is able to contain the rural population by shifting from remote areas to main towns. Population stabilization programmes can be more effective if we can keep people at their original places than making the towns slum and harder as the BPL population is less interested in adopting population stabilization schemes than the above poverty line people. Today, Ladakh in Jammu Kashmir State is heading towards this kind of economic and social problems and at the long run it would not be able to contain or follow the population policies of the country.

* Speech was laid on the Table

*SHRI C. SIVASAMI (TIRUPPUR): Mr. Chairman, Sir, I thank you for giving me an opportunity to speak on this Motion on Population Stabilization that is being discussed in this august House.

119.8 crore is the population of India today. Our country's population is about 17 per cent of the global population. This is not an encouraging fact. The land mass of India is just 2 per cent of the world's land mass. A country that occupies just 2 per cent of the world's land surface accommodates 17 per cent of world's population and this is a matter to ponder over.

When we are to compare ourselves with China, the most populous country which is in our neighbourhood, that has got a population of 134 crores, the population growth rate of that country is now at a slower pace and it will reach only 141 crore in 2050 whereas our country is expected to touch upon the figure of 161 crore from about 119 crore. All these are causing great concern.

Cultivable lands are being converted to residential areas. At this juncture, the alarming increase in our population give us an apprehension that we may be forced into great scarcity for food as we exploit the natural resources in a big way with a big population. We have just now concluded a discussion in this august House on price rise which is a reflection on the demand and supply that involves food production too. It is appropriate to hold a discussion on population growth and to evolve ways to contain the same.

In India, we find in the Southern States, which are considered to be developed ones, population growth rate coming down. We have succeeded there in bringing down the population increase. But in certain Northern States we are quite unable to control population explosion and we are really struggling hard. This has resulted in a situation where the Northern States get more funds according to their

---

* English translation of the speech originally delivered in Tamil

population and the so-called developed States in the South are getting reduced funds from the Centre. I urge upon the Union Government to evolve a method to provide incentives to the Southern States which have succeeded in effectively controlling the population growth, but to the contrary they are being deprived of their share.

Normally families resort to family planning method only after getting a male child. They avoid adopting family planning methods till they get a male child. When they get girl child, with a hope to get a male child subsequently, they continue to increase their progeny without resorting to family planning measures.

It is an urgent need to create an awareness in the minds of all our people that no girl is inferior to a boy and they are equal. We must gain confidence that women can succeed in all fields and they are in no way lagging behind. The Presiding Officer of this august House is a lady, the Leader of the Opposition is also a lady Member, our Leader Dr. Puratchi Thalaivi, General Secretary of our Party is also a lady and they have all significantly contributed to the society in their public life. They are vastly popular and famous in their fields. So, we must make people realize that men and women are equal and they are in no way inferior to one another. Women are more capable of leading and managing a house. I would like to emphasize this point. If the man of the family dies, the lady, the mother of the children in the family, takes over courageously and bring up the children overcoming all hardships. But when a wife dies, the husband most often goes for remarriage ignoring, in the process, the tender care and protection needed by the children born to him through his previous wife. This normal happening establishes the fact that women are more capable than men in leading and managing family life.

That is why, when our Leader Dr. Puratchi Thalaivi was the Chief Minister of Tamil Nadu extended a special scheme for the welfare of the families that had resorted to family planning method after stopping with two girl children. During her tenure, our General Secretary, when she was the Chief Minister of Tamil Nadu, accorded equal status to mothers along with the fathers. She announced that children can have their mother's name also as initials of their names. In order to instill courage and confidence

in the minds of our women folk we must ensure that all our girl children get education which has been made compulsory and available as a right.

Right from the days of golden rule of our founder leader Dr. Puratchi Thalaivar and the measures that continued during the reign of our General Secretary Dr. Puratchi Thalaivi Amma, we have been ensuring in Tamil Nadu that the drop-out rates in schools are contained by way of successfully implementing the Nutritious Noon Day Meal Scheme, free distribution of textbooks and distribution cycles free of cost to the gill children to begin with especially in rural areas.

Women getting education will directly benefit the society and that will also help us to bring down the growth rate of population. Hence, I urge upon the Union Health Minister to consider introducing a scheme to give incentive to girls getting education throughout the country. Assuming that they attend school for 240 days in a year, extending a sum of 5 rupees per day to every girl child and working it out to be a total of Rs. 1,200 a year, the Government must give every girl child that much of money to continue their education till they complete schooling. That amount should be deposited in the name of each girl child which will be of great help to them to build a bright future after completing their school education. This will help our society in a big way and will make the compulsory education a meaningful one. Hence, I urge upon the Union Minister to look into this and consider implementing it to give a boost to women education. The Government must come forward to encourage families that may stop with one child. Such children should be extended with grant from the Government to get education till they complete their collegiate education. They must get priority in the job market. Apart from priority in employment opportunities, they also must get Government assistance and funds when they go in for self-employment. They must get loan for investment at reduced rate of interest. These incentives to encourage one-child-a-family norm will go a long way in containing population explosion. Through our primary health infrastructure facilities and by way of utilizing the services of Rural Health Workers in every village, we must take this message to every house in every nook and corner of our country. The Government may also think in terms of extending

to every newly married couple a gift box consisting of books and materials on sex education and family planning methods.

We had inverted red triangle as the symbol of the family control programme in the past. Later on, when it became family planning programme, we introduced the slogan of "Let us not have more than two children now and not have any at all after three children". It was further changed to "We Two, Ours Two". Now we are harping on "One Family, One Child". We must uphold and promote this to bring down the growth rate, contain population going in for population stabilization. With these words, I conclude.

MR. CHAIRMAN : Hon. Members, I am still having a list of 18 hon. Members to speak. Therefore, I want the sense of the House. Another 18 Members are yet to speak.

… (*Interruption*

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI GHULAM NABI AZAD): We will continue with this discussion.… (*Interruptions*)

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह): आप पहले जीरो आवर लीजिए और उसके बाद चर्चा कन्टीन्यु करें।...(व्यवधान)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI V. NARAYANASAMY): Sir, I have one suggestion.… (*Interruptions*)

18.00 hrs.

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : महोदय, अभी जीरो ऑवर ले लिया जाए और उसके बाद इस डिस्कशन को कांटीन्यू किया जाए।...(व्यवधान) यह डिस्कशन जीरो ऑवर के बाद लिया जाए।...(व्यवधान)

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी): आप हाउस के बिजनेस को निर्धारित समय पर खत्म करिये। अभी जीरो ऑवर लीजिए।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : The hon. Minister wants to say something. Please take your seat.

… (*Interruptions*)

SHRI V. NARAYANASAMY Mr. Chairman, Sir, we are going to complete this discussion within one hour and after that 'Zero Hour' can be taken up.… (*Interruptions*)

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : आप अभी जीरो ऑवर ले लें, उसके बाद हाउस को कांटीन्यू करें। ...(व्यवधान) कल भी जीरो ऑवर नहीं हुआ। इसका क्या मतलब है? ...(व्यवधान) हमारा नाम बैलट में निकलता है।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : We are going to take up 'Zero Hour' also. Let us finish this discussion quickly. We do not want to create a new convention.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN : I think within one hour we will finish this discussion and then we can take up 'Zero Hour.'

… (*Interruptions*)

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : सभापति जी, हमारा यह कहना है कि अभी जीरो ऑवर ले लिया जाए।...(व्यवधान)

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी): आप निर्धारित समय पर काम खत्म करिये। ...(व्यवधान)

SHRI GHULAM NABI AZAD :Mr. Chairman, Sir, my submission is Calling Attention, 'Zero Hour' are very important. I do not undermine the importance of 'Zero Hour.' But, as I said in the beginning, we are discussing this issue after more than three decades, after 34 years, in this House. We are discussing about family planning measures, population stabilization and how to go about it etc. I am extremely happy that Members from all sections of the House, irrespective of their party affiliations, are taking active part in this discussion. We will stay here till 7.00 p.m. or 7.30 p.m. also for 'Zero Hour.' So, let us finish this important discussion first.

MR. CHAIRMAN : All right. We are extending the sitting of the House by one hour for this discussion.

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : जीरो ऑवर माननीय सदस्य का अधिकार है। वह गैर सरकारी चीज है। सरकारी काम रोका जा सकता है, लेकिन गैर सरकारी सदस्यों को जो अधिकार प्राप्त है, उस अधिकार में कटौती हम नहीं होने देंगे। ...(व्यवधान) आप बैठिये और इसे रात को 12 बजे पास कराइये।...(व्यवधान)

श्री गुलाम नबी आजाद : क्या यह बिल पास नहीं हो रहा है। आप मेरी बात सुनिये। यह न सरकारी है और न गैर सरकारी है। ...(व्यवधान)

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : कल भी जीरो ऑवर नहीं लिया गया था। ...(व्यवधान) आज भी आप जीरो ऑवर नहीं ले रहे हैं।...(व्यवधान)

श्री गुलाम नबी आजाद : आपको तीन घंटे से सरकारी और गैर सरकारी काम मालूम ही नहीं है।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : We are going to take up 'Zero Hour' after this discussion is completed. Please take your seat.

… (*Interruptions*)

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : कल भी जीरो ऑवर नहीं लिया गया था और आज भी नहीं ले रहे हैं। आप इस पर कल बहस कराइये और अभी जीरो ऑवर लीजिए।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : The Minister has also made a request and generally, first we finish the ongoing discussion and then take up 'Zero Hour.' So, please cooperate.

*श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): भारत के स्वास्थ्य मंत्री, श्री गुलाम नबी आजाद द्वारा सदन में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसमें भारत में बढ़ती हुई जनसंख्या का स्थिरीकरण करने के संबंध में है। यह विषय सत्ता अथवा प्रतिपक्ष का नहीं है बल्कि सम्पूर्ण सदन एवं देश की चिंता है कि आज भारत में दुनिया का कुल क्षेत्रफल की जमीन मात्र ढाई प्रतिशत है जबकि आबादी दुनिया के कुल का 17% है। यह स्थिति भारत के लिए आने वाले दिनों में यदि जनसंख्या का स्थिरीकरण नहीं किया गया तो देश के लिए चुनौती उत्पन्न हो जायेगी। क्योंकि उक्त ढाई प्रतिशत जमीन पर भी कृषि भूमि दिन प्रतिदिन वकास की योजनाओं के कारण कम होती जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में जनसंख्या पर नियंत्रण करने के लिए न केवल सरकारी स्तर पर केवल उपाय किये जायें बल्कि भारत के सभी लोगों को सहभागिता जरूरी है। इसके लिए केन्द्र तथा राज्य सरकारें तथा जनप्रतिनिधियों को लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। क्योंकि बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए खाद्यान्न उपलब्ध कराना सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। आज भारत के अंदर जिन राज्यों में शिक्षा का प्रतिशत अधिक है, लोगों में जागरूकता है, जिसके कारण केरल, कर्नाटका, तमिलनाडु, गोवा, हिमाचल आदि राज्यों में जनसंख्या के स्थिरीकरण के लिए कारगार उपाय किये हैं लेकिन उत्तर भारत के उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश आदि राज्यों की जनसंख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है जबकि पंजाब में 23% की जन्म दर में गिरावट आई है। इसी तरह दक्षिण भारत के राज्यों में 18% की जन्म दर में गिरावट आई है। लेकिन सन् 2000 में भारत में जनसंख्या के लिए नीति निर्धारित किया था आज सन् 2010 में आ तक अपेक्षित कार्यवाही नहीं हई। यदि समय रहते हमने प्रयास नहीं किया तो सन् 2025 तक चीन की जनसंख्या के स्तर पर पहुंच जायेंगे। जनसंख्या बढ़ने से केवल खाद्यान्न की चुनौती नहीं उत्पन्न होती बल्कि विकास भी प्रभावित होता है। पिछले दिनों दुनिया वैश्विक मंदीकरण से गुजर रहा था जिससे भारत भी अछूता नहीं रहा। आज 2010 में हमने विकास दर 8% हासिल की है। विश्वास है कि आने वाले वित्तीय वर्ष के अंत तक 9% विकास दर होगी। आज सभी को खाद्यान्न उपलब्ध कराने हेतु कृषि विकास दर 4% रखना होगा तभी आने वाले दिनों में सभी को खाद्यान्न उपलब्ध करा पायेंगे। यदि भारत की विकास दर को दुनिया के सापेक्ष प्राप्त करना है तो गर्भ निरोधक प्रक्रिया को अपनाना होगा। आज उत्तर भारत के राज्यों में जनसंख्या स्थिरीकरण के लिए यदि कानून नहीं बना सकते हैं तो हमें जागरूकता को आम जन में पैदा करना होगा। उसके लिए विवाह की कानूनी उम्र 18 वर्ष से कम में शादी की इजाजत नहीं मिलनी चाहिये। सबसे पहली प्राथमिकता हम लोगों को होनी चाहिये कि बाल विवाह पर प्रतिबंध हो। उसे लोगों को अंगीकार करना चाहिये। शादी के बाद बच्चा भी पैदा करने में कम से कम 3 से 4 वर्ष का अंतर होना

---

* Seech was laid on the Table

चाहिये। इसके लिए आशा बहुओं को देश के 25000 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर गर्भ निरोधक के लिए महिलाओं के बीच में जागरूकता पैदा करनी होगी। आज पूरे देश में 7 लाख आशा बहुयें ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य कर रही हैं। उनका सीधा सम्पर्क ग्राम की महिलाओं से रहता है। उन्हें परिवार नियोजन के काम को कम से कम सप्ताह में एक बार उसके लिए प्रयास किया जाना चाहिये। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा राज्य है, जहां जनसंख्या में विस्फोटक स्थिति पैदा हो गई है। देश की बढ़ती हुई आबादी का पचास प्रतिशत हिस्सा केवल उत्तर भारत के राज्यों में बढ़ रहा है। इसका एक प्रमुख कारण उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं झारखंड आदि राज्यों में गरीबी भी एक प्रमुख कारण है। गरीबी अभिशाप है और उसमें अधिक बच्चे होने के बाद उस परिवार के लिए एक बोझ पैदा हो जाता है। आज सभी सहमत हैं कि भारत के विकास को दुनिया के प्रतिपर्धा में ठहराना है तो जनसंख्या स्थिरीकरण पर आज प्रभावी कदम उठाने की जरूरत है। इसके लिए शिक्षा का अभाव एक प्रमुख कारण है। इसलिए सबसे पहले कन्याओं की शिक्षा के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में कॉलेज के खोलने की आवश्यकता है जिससे लड़किया शिक्षित होकर के एक पूरे घर को शिक्षित करेगीं। आज जिस तरह नगर पालिकाओं एवं जिला परिषदों के चुनाव में दो बच्चे का फैसला हुआ है उसी तरह से तमाम सरकार द्वारा शासकीय योजनाओं की सुविधा उन्हें मिलनी चाहिये। जो जनसंख्या स्थिरीकरण में विश्वास रख रहे हैं, केवल जागरूकता से प्रभावी सफलता नहीं मिल पायेगी। लेकिन सरकारों के द्वारा भी कारगर कदम उठाया जायेगा तो सफलता मिलेगी। आज जो चर्चा सदन में हो रही है उसे सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करके एक सामूहिक सम्यक रूप से एक रणनीति बनाने की आवश्यकता है। आज सबसे महत्वपूर्ण देश के समक्ष जनसंख्या स्थिरीकरण करने की है। मुझे विश्वास है कि सर्वोचच सदन में इस प्रस्ताव पर चर्चा से सार्थक निष्कर्ष निकलेगा। क्योंकि देर से ही लेकिन अब भी यह कदम उठाना समीचीन होगा।

*SHRI S.S. RAMASUBBU (TIRUNELVELI):

Population explosion problem is an important and vital problem in almost all the countries of the world. In developed economy, they are having vast area of land and resources. At the same time their population is very meagre.

Population explosion in India is a matter of great concern. We are having 17% of total population of the world. But the land availability to accommodate all the population and developmental activities are only 2.54% of total world available land.

If the population growth is not checked, in this limit, whatever may the steps taken by the Government for development, it is not going be fruitful.

Effect of Population growth

1. Food material shortage will be occurring continuously.
2. The unemployment problem will be augmented.
3. The problem of shelter will be arising.
4. We will need more medicine and hospitals to meet out the various diseases of the growing populations.
5. Infrastructure facilities such as road, transport, hospitals, water facilities, power production have to be enhanced.

It is calculated that during 2050 we will reach 162 crores. China it may be only 148 crores. India's population growth rate is 1.4% when the growth rate in China is only 0.6%.

Advanced countries are having larger amount of area of land with the lesser population strengths. So, it is possible for them for development.

The alarming population growth must be minimized in the following ways.

Our Government has taken various steps.

1. Usage of contraceptive has been increased from 41% to 56% during 2008 from 1993.
2. Fixed day family planning services in P.H.Cs.
3. Introducing new and effective method of contraceptive in programme.

* speech was on the Table

4. National family planning insurance scheme has been introduced in 2005 to compensate the sterilization failure and complications.

5. Compensation to sterilization is enhanced from Rs.800 to Rs.1500 in the year 2007 for vasectomy and Rs.800 to Rs.1000 for Tubectomy.

Measure to reduce the population growth we can keep in the following attempts

1. The child marriage should be strictly prohibited.
2. The marriage age can be increased.
3. The family planning programme and propaganda should be reached the public still more.
4. Enactment of law for having only two children for a couple of family.
5. Awareness campaign should be accelerated.
6. The educational instruction and also the curriculum must be introduced for creating more awareness for the students regarding the consequence of population growth.

In order to bring down the population growth and stabilization, all the State Governments should co-operate with Central Government by considering it as a common problem. Then only we can bring all the development and peaceful situation in our country.

*डॉ. संजीव गणेश नाईक (ठाणे): श्री गुलाम नबी आजाद साहब ने आज देश की जनसंख्या स्थिरीकरण के मुद्दे को विचार करने के लिए सदन में रखा है। मैं उन्हें धन्यवाद करता हूं।

, मैं समझता हूं देश को आजादी मिले 62 साल से ज्यादा हो गये हैं पर हमें इस मुद्दे पर जितनी पहल करनी चाहिए थी या ध्यान देना चाहिये था, दुर्भाग्य से दिया नहीं गया। हमारा देश 115 करोड़ की आबादी का हुआ है। इसी तरह अगर आबादी बढ़ती गयी तो 2045 तक हमारा देश जनसंख्या के बारे में विश्व का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश होगा जो कि चीन के भी आगे जायेगा। महाराष्ट्र में 23% जनसंख्या में कमी आई है। इसलिए हमें देश में महाराष्ट्र की तरह सभी राज्यों में जनसंख्या कम कैसे की जायेगी, इस बारे में ध्यान देना चाहिए। शिक्षा में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात इसमें काम करती है। हमारी जनता शिक्षा की कमी से बच्चे पैदा न करने की सलाह या शिक्षा को समझती नहीं है। फैमिली प्लानिंग के ऑपरेशन सिर्फ महिलाओं में किये जाते हैं। इसलिए हर राज्य को टारगेट दिया जाना चाहिए। उन्हें ज्यादा सुविधा दी जानी चाहिए। पर मैं समझता हूं (पुरूष) - आदमी के ऑपरेशन के लिए ज्यादा उन्हें प्रोत्साहित करने की ज्यादा और नई योजना लानी चाहिये।

हमारे देश को आने वाले 25 सालों में बहुत समस्या का सामना करना पड़ने वाला है। पीने के पानी, शिक्षा, आरोग्य, मकान, अनाज बड़ी मात्रा में आवश्यकता लगने वाली है। मैं समझता हूं कि अगर हमें आने वाली नई पीढ़ी को अच्छा नागरिक बनाना है तो देश को समूह देश बनाना है। तो सभी राज्यों को इस बात को गंभीरता से लेने के लिए ज्यादा मिटिंग लेकर, जिला, तहसील, गांव स्तर पर। छोटे-छोटे गांव, खेड़े, कबीले, शहरों में प्रयोग करना चाहिए। देश के हर राज्यों को इसलिए नई योजना को लागू करके परिवार कल्याण दिवस, जैसा उड़ीसा में आयोजित होता है, आयोजन करने को कहना चाहिए।

महाराष्ट्र राज्य एक जमाने में ज्यादा जनसंख्या का राज्य और जनसंख्या बढ़ने का स्तर गति ज्यादा थी। पर पिछले 25 साल में राज्य में बहुत अच्छी तरह केंद्र शासन और राज्य शासन की फैमिली प्लानिंग की ऑपरेशन दी हुई संख्या से ज्यादा और जल्दी अपनी राज्य में किया गया है।

मैं समझता हूं कि स्वास्थ्य मंत्री जी ने इस पर जो सुझाव दिया है कि हमारे परिवार में कम उम्र में शादी न करके, कम बच्चों को पैदा करें। पर इस बात को लोगों को कुछ अच्छे सुझाव देना चाहता हूं। सभी राज्यों में हमें राज्य के कानून में बदलाव करने की आवश्यकता है।

जिनके 3 से ज्यादा बच्चे हों, उन्हें सरकार के फायदे न दिये जायें। ज्यादा बच्चे कम अनाज और थोड़ा मंहगा दिया जाये, जिस परिवार के 2 बच्चे हैं उन्हें ही सरकार की योजनाओं के फायदे दिए जायें।

---

* Speech was laid on the Table

जिन परिवारों में 2 से ज्यादा बच्चे हैं, उन्हें ज्यादा पैसे से बिजली दी जाये।

हमें जवानों का देश बनाना है। स्थिति यह है देश अपने जवान जनता को खाने के लिए लगने वाले साधन उपलब्ध न कर पा रहा है, अच्छी शिक्षा दे पा रहा है। शहरों में आबादी बढ़ रही है। उन्हें पानी, शिक्षा अच्छी तरह नहीं दे पा रहे हैं। गाड़ियां शहरों में इतनी हो गई हैं कि ट्रैफिक जाम लगा रहता है।

मैं चाहूंगा कि मंत्री जी सभी राज्यों में कड़ा नियम बनाकर उसे राज्य सरकार को लगाने के लिए आज से शुरूआत करनी चाहिए।

*SHRI P. KUMAR (TIRUCHIRAPPALLI) : I wish to put forth my views on the motion regarding population stablization, moved by the Hon'ble Minister of Health and Family Welfare in this House on behalf of AIADMK Party.

During the discussion on stablization of population in our country I wish to point out that India is having 119 crore population at present which is expected to go up to 161 crores in the year 2050. China whichis thickly populated is having 134 crore of population now and expected to reach only 141 crore. The increase in Indian population estimated as 1.4 percent per year whereas the Chinese population is expected to increase only 0.6 percent. There is a huge difference in between India and China in increase of population. Comparing the world population India is haivng 17 percent of the world population and having only 2 percent of land comparing to the availability of world.

The population increase in Uttar Pradesh is 22 percent, in Rajasthan and Madhya Pradesh each 7 percent, in Bihar 8 percent and the four souther states counts only total population of 13 percent. The Government is spending huge money for the improvement of northern states and introducing new schemes for northern states only, thus neglecting southern states. Despite the schemes the population of northern states are not controlled whereas the population of southern states are under control. The Government should think seriously to bring down the population growth in northern states. The Government is contemplating awareness schemes to bring down the population but it is not ready to bring any legislation in this regard. The awareness scheme should be implemented properly in northern states in order to bring the population under the control.

In Tamil Nadu during the regime of our Hon'ble General Secretary, AIADMK Party several schemes for controlling population have been successfully launched.

The population in urban areas are decreasing whereas the population in rural areas in increase. The awareness programmes are not implemented properly is the main

* Speech was laid on the Table

reason for this situation. The primary health centres and the hospitals situated in rural areas are not equipped with required doctors strength. The Central Government should come forward to provide incentives to those doctors who are going to serve in rural areas. Then only the awareness programmes instituted by the Government to control the population will be succeeded.

The Government should come forward to provide incentives and increase in salary for those Government servants who are having one or two child. The poor people who have followed the family planning norms of the government should be given priority in getting bank loans for their small business. The Government should come forward to provide scholarship for the poor women children to remove the illitieracy in rural areas. The parents should be given priority in getting the admission for their children in professional institutes at free of cost.

Parents those who are adopting two children norms should be provided with free train and bus passes. The Government should oversse the utilization of the National Population stabilization fund and to see that the scheme is being implemented properly. Then only the growing population of our country will be under control.

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर): सभापति महोदय, जनसंख्या स्थिरीकरण संबंधी माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी ने जो प्रस्ताव सदन के सम्मुख रखा है, मैं इस साहसिक कदम के लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं और इस प्रस्ताव का स्वागत भी करता हूं। लेकिन उनके द्वारा जो प्रस्ताव आया है, सरकार ने अब तक जो उपाय प्रारम्भ किये थे, यह उन्हीं में थोड़े बहुत संशोधन से संबंधित है। इसलिए आने वाले समय में हम लोग जनसंख्या को प्रभावी रुप से नियंत्रित कर पायेंगे, मुझे इस पर अभी भी संदेह है। लेकिन निःसंदेह यह अच्छा प्रयास है, इसलिए इसका स्वागत किया जाना चाहिए। जनसंख्या विस्फोट की इस समस्या को कम से कम सरकार ने स्वीकार तो किया, वरना अब तक इस समस्या को ये लोग स्वीकार ही नहीं कर रहे थे।

जनसंख्या विस्फोट है लेकिन इस देश के लिये संसाधन नहीं हैं जो एक समस्या बनती जा रही है। आज भी इस देश में बहुत बड़ी जनसंख्या निरक्षर है जिन्हें बुनियादी सुविधायें प्राप्त नहीं पाती हैं। हम ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं और देखते हैं कि उन लोगों के लिये सड़क नहीं, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था नहीं है। वहां विद्यालय नहीं हैं, चिकित्सालय की उचित व्यवस्था नहीं है। किसी भी बुनियादी सुविधा से वंचित लोगों से समाज के निर्माण में या राष्ट्र के विकास में योगदान करने की अपेक्षा मुझे लगता है कि यह अत्यंत अव्यावहारिक होगी। इसलिये सरकार ने

अगर इस समस्या को सुना और इस समस्या का समाधान करने के लिये एक प्रस्ताव के माध्यम से प्रयास किया है तो मैं विश्वास कर सकता हूं कि वह एक संकल्प के रूप में भी सदन में आ जायेगा और पूरा देश उस संकल्प के साथ जुड़कर इस बीमारी के उपचार में अपना योगदान देगा। जनसंख्या विस्फोट के देश में बहुत से कारण हैं। जिनमें कुछ रूढ़िवादी कारण हैं। मुझे आश्चर्य होता है कि जब पल्स पोलियो अभियान चलते हैं तो कुछ मज़हबी वर्ग उसे स्वीकार नहीं करते हैं। वे कहते हैं कि पल्स पोलियो ड्राप्स हम लोगों की जनसंख्या रोकने के लिये एक षड्यंत्र हो रहा है।

सभापति महोदय, मुझे याद है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में इन्सफलाईटिस एक बीमारी है और इससे पिछले 25-30 वर्षों से बहुत बड़ी संख्या में मौतें हो रही हैं। एन.डी.ए. सरकार के समय वहां के क्षेत्रों में टीकाकरण की व्यवस्था की गई थी। वर्ष 2005-06 में पहली बार वहां टीकाकरण का प्रयास प्रारम्भ हुआ था। मैं विभिन्न क्षेत्रों में देखने के लिये गया था कि एक से 15 वर्ष के बच्चों पर कहां-कहां टीकाकरण हो रहा है। मुझे आश्चर्य हो रहा था कि उस समय भी पल्स पोलियो की तर्ज़ पर बहुत सारे मज़हबी समूह टीकाकरण का बहिष्कार कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हम टीकाकरण नहीं लेंगे, यह हमारे खिलाफ बहुत बड़ी साज़िश है। मुझे लगता है कि यह रूढ़िवादिता है, इसे या तो जागरूकता के माध्यम से या प्रभावी कानून बनाकर या फिर समाज के उन मजहबी समूहों के जो धार्मिक नेता हैं, उनके माध्यम से रूढ़िवादिता को समाप्त करने का प्रयास होना चाहिये था लेकिन वह नहीं हुआ। मुझे लगता है कि जब हिन्दू परम्परा में भी किसी को आशीर्वाद देते थे तो सौ पुत्र होने का आशीर्वाद देते थे। लेकिन वह परम्परा हटी, लोग उससे हटे। एक शुद्ध हिन्दू परम्परा में चार आश्रमों की व्यवस्था की गई है। एक से 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम, 25 से 50 वर्ष तक गृहस्थ आश्रम, 50 से 75 वर्ष तक वानप्रस्थ आश्रम और 75 वर्ष के बाद अगर आदमी जीता है तो सन्यास आश्रम की परम्परा का विधान किया गया था। मेरे विचार में समाज की सभी समस्याओं का एक आदर्श समाधान प्रस्तुत करता था। आज यहां जो बातें हो रही हैं कि बाल विवाह होते हैं, कुपोषण की समस्या आती है। इन समस्याओं के समाधान का उचित माध्यम आश्रम व्यवस्था थी। बालिका की आयु 18 वर्ष और बालक की आयु 21 वर्ष विवाह के लिये किस प्रकार से की गई है? मेरे विचार से यह मैडिकल साईंस के अनुसार भी नहीं है और यह सामाजिक व्यवस्था के अनुरूप भी नहीं है। अगर आपको करना था तो एक आदर्श आश्रम परम्परा थी, आप विवाह की आयु 25 साल क्यों नहीं कर रहे हैं, 21 वर्ष ही क्यो करना चाहते हैं? आप 25 साल तक कर सकते हैं। अगर आप 18 और 21 वर्ष कर सकते हैं तो 23 से 25 साल से पहले हम शादी नहीं होने देंगे, अगर यह भी एक कानून बने और देश में सभी लोगों पर समान रूप से लागू हो तो उसमें किसी को आपत्ति नही होगी।

सभापति महोदय, परिवार नियोजन व्यवस्था में बहुत सारे मतभेद हैं। हो सकता है कि कुछ लोग संजय गांधी के मामले का समर्थन नहीं करते हों लेकिन उनके फैसले स्वयं के हित में नहीं रहे होंगे। उन्होंने उस समय

समाज और राष्ट्र की समस्या को जानकर ही उस तरह की व्यवस्था लागू करने का प्रयास किया । लेकिन उस फैसले को एक नकारात्मक दृष्टि से देखा गया। हम लोग हर कार्य को नकारात्मक दृष्टि से क्यों लेते हैं, हम उसे सकारात्मक दृष्टि देने का प्रयास क्यों नहीं करते हैं ?

हम उसमें सकारात्मक दृष्टिकोण क्यों नहीं अपनाते हैं? मुझे लगता है कि अगर समाज की इन सभी दुरःव्यवस्थाओं का समाधान करना है तो हमें इस समस्या पर कहीं न कहीं कोई प्रभावी कानून बनाने के लिए तैयार होना पड़ेगा। एक बात तो यह है।

महोदय, दूसरी बात, हम लोगों के सामने एक समस्या और आयी है। आज देश की आबादी लगभग 120 करोड़ है। इसमें चार से छह करोड़ विकलांग बच्चे हैं, जो शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग हैं। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि आने वाले समय में उनकी भी संख्या बढ़ेगी। वैक्टरजनित बीमारियां बढ़ रही हैं, इंसेफेलाइटिस बढ़ रहा है, डेंगू है, कालाजार आदि के प्रभावी उपचार की कोई व्यवस्था आज तक नहीं हो पायी है। आप कुछ भी कहें, आपके आंकड़े कुछ भी कहते हों कि देश के अंदर इतने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, इतने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, लेकिन क्या सचमुच वे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उन ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य की उचित सुविधा दे पा रहे हैं। स्वास्थ्य की उचित सुविधा तो दूर क्या वे प्राथमिक स्वास्थ्य की सुविधाएं भी वहां उपलब्ध करा पा रहे हैं, कोई उपलब्ध नहीं करा रहा है। आंगनबाड़ी की जो कार्यकर्त्रियां ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करती हैं, क्या वे ईमानदारी से कार्य कर पर रही हैं? क्या बाल- पुष्टाहार जो उनके द्वारा वितरित होना है, वह सचमुच वहां तक जाता है, वह वहां तक नहीं जाता है। वह ब्लाक स्तर पर बिक जाता है। ब्लाक स्तर पर ही उस सारे बाल-पुष्टाहार को कुछ लोग बेच देते हैं। क्या आप यह कल्पना करेंगे कि हम उनके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में फैमिली प्लानिंग की योजना को पहुंचायेंगे। जो बाल-पुष्टाहार उन तक नहीं पहुंच रहा है, आप इसकी ईमानदारी से जांच करायेंगे तो इस मामले में बहुत सारे आंकड़े आपके पास आयेंगे। आपको एक वीभत्स दृश्य देखने को मिलेगा। जिस प्रकार से पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में तमाम प्रकार की विसंगतियां हैं, वैसे ही इस मामले में भी लूट-खसोट चरम पर है। जब लूट-खसोट होगी और आप उनके माध्यम से इस योजना को लागू करने की बात कर रहे हैं तो मुझे संदेह पैदा होता है। आपने उन विकलांग, वृद्ध लोगों के पुनर्वास की क्या व्यवस्था की है? उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। एक समय भारत में संयुक्त परिवार की परंपरा थी। यह ठीक बात थी, लेकिन जैसे-जैसे आधुनिकीकरण और पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव पड़ता जा रहा है, वैसे-वैसे संयुक्त परिवार टूटते जा रहे हैं, समाप्त होते जा रहे हैं। चूंकि हम लोग आश्रमों में रहते हैं, हम इस बात को देखते हैं। हमारे पास बुजुर्ग आते हैं और कहते हैं कि हमारे लड़के ने हमें घर से निकाल दिया। आप हमारे लिए कोई व्यवस्था कीजिये, हम भी यहीं रहना चाहते हैं। उन वृद्ध लोगों की एक बहुत बड़ी संख्या है। आप उन लोगों के लिए क्या व्यवस्था कर रहे हैं, सरकार उनके लिए क्या कदम उठाने जा रही है? महिला और पुरूष के अनुपात में बहुत सारे राज्यों में जो

विसंगतियां आयी हैं, उस विसंगति को दूर करने के लिए महिला सशक्तीकरण का अभियान चलना चाहिए। यह अभियान बिल्कुल चलना चाहिए और हर व्यक्ति इसका समर्थन करेगा। भारतीय मातृशक्ति का पाश्चात्यीकरण न हो, मुझे लगता है कि यह भी एक खतरा है, संकेत है, हम लोगों को इस पर भी अवश्य ध्यान देना पड़ेगा।

महोदय, बहुत सारी चीजें हैं। जनसंख्या विस्फोट का कारण गरीबी और अशिक्षा है। गरीबी होगी तो अशिक्षा होगी ही। इसके साथ-साथ बाहर से आने वाले लोग भी कम जिम्मेदार नहीं हैं। आज के दिन बांग्लादेश की लगभग पांच करोड़ की आबादी भारत में रह रही है। वे झुग्गी-झोंपड़ियों में जगह-जगह रह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होने के बावजूद भी हम उन्हें वापस भेजने के लिए तैयार नहीं हैं, हम उन्हें केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से देखने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जब तक हम राजनीतिक दृष्टिकोण से ऊपर उठकर, राष्ट्र के हित को सर्वोपरि मानकर कोई प्रभावी कदम नहीं उठायेंगे, मुझे लगता है कि तब तक हम जनसंख्या विस्फोट को नियंत्रित नहीं कर पायेंगे। इसके साथ-साथ आपने जो कुछ बातें यहां पर कही हैं, खास तौर से फैमिली प्लानिंग के बारे में, हम लोगों को यह करना चाहिए कि अगर कोई राष्ट्रीय कार्यक्रम है तो वह कार्यक्रम राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक पर समान रूप से लागू होना चाहिए। अगर राष्ट्र का हर व्यक्ति, राष्ट्र की सभी सुविधाओं का उपभोग समान रूप से कर रहा है तो राष्ट्र के कार्यक्रम को या राष्ट्र के कानून को उस पर समान रूप से लागू क्यों नहीं किया जा सकता है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इसके लिए एक प्रस्ताव नहीं, एक बिल लेकर आना चाहिए। एक समान जनसंख्या नीति को पूरे देश के अंदर लागू करने के लिए इस प्रकार का एक बिल इस सदन में आना चाहिए। इस पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए इस प्रकार के कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है। आपने अपने प्रस्तावना भाषण में उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्य के बारे में इस बात का उल्लेख किया था कि इन राज्यों में जनसंख्या की दर अन्य राज्यों की तुलना में बहुत ज्यादा है।

हम मानते हैं कि प्रदेशों की जनसंख्या पहले से ही बहुत ज्यादा है। जनसंख्या का सघन अनुपात इस क्षेत्र में भी है। प्रकृति और परमात्मा की ऐसी कृपा भी इस क्षेत्र विशेष पर है, ये क्षेत्र वैसे भी अपने आप में प्राकृतिक दृष्टि से फर्टाइल है ही, जनसंख्या की दृष्टि से फर्टाइल होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह भी जानना चाहूंगा कि क्या सरकार ने कोई सर्वे करवाया कि इन क्षेत्रों में जनसंख्या का जो सघन घनत्व है, उस सघन घनत्व के साथ-साथ ऐसे कौन से वे समूह हैं, जिनमें जनसंख्या की दर ज्यादा पाई गई है। क्या सरकार इस बात को सदन के सामने रखेगी? जनसंख्या स्थिरीकरण के बारे में, सरकार ने अभी तक जो बातें फैमिली प्लानिंग से संबंधित की हैं या रखी हैं, मुझे उसमें संदेह है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि सरकार इस पर ईमानदारी से प्रयास करे। राष्ट्र के व्यापक हित में, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में उस पर ध्यान देने के लिए एक समान जनसंख्या नीति पूरे देश के अंदर बने। इसके लिए आवश्यकता पड़ती है तो जनसंख्या नियंत्रण के लिए एक प्रभावी कानून भी बनाया जाना चाहिए। जो लोग शासन

की उस नीति को नहीं मानते हैं या नेशनल प्रोग्राम में भागीदार नहीं होते हैं, उन पर बहुत सारे अंकुश लगाएं। उसे सरकारी सुविधा से वंचित किया जा सकता है, आप उसे मताधिकार से वंचित कर दीजिए। बहुत सारे राज्यों में यह व्यवस्था है कि वहां पर पंच, प्रधान नहीं बन सकता या फिर वहां पर चेयरमैन नहीं हो सकता। क्या आप यह नहीं कह सकते कि जिसके दो से ज्यादा बच्चे होंगे, उसे हम सांसद और विधायक नहीं बनने देंगे। अगर यह भी आप लागू करेंगे और सरकारी नौकरी से उसे वंचित करेंगे तो मुझे लगता है कि काफी हद तक इसे नियंत्रित करने में सफल होंगे।

आप इस प्रस्ताव को लाए हैं, इसलिए मुझे लगता है कि इस पर कोई फतवा भी जारी नहीं कर पाएगा। दिनेश जी या कोई अन्य मंत्री अगर इस प्रस्ताव को यहां रखते तो मुझे भय था कि इस पर फतवा जारी हो सकता था। आप इस प्रस्ताव को यहां लेकर लाए हैं, आपने एक साहसिक कदम उठाया है, जिसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं और आपके इस प्रयास की सराहना करता हूं।

* **श्री घनश्याम अनुरागी (जालौन):** मैं सरकार का ध्यान इस गंभीर मुद्दे पर तथा इससे हो रहे व्यापक दुष्परिणामों पर आकर्षित करना चाहता हूं।

देश में जनसंख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। वर्ष 2010 में यह मुद्दा सदन के समक्ष है और यह एक संयोग ही है कि यह वर्ष जनगणना का वर्ष भी है। सम्पूर्ण देश में जनगणना की जा रही है। इस संबंध में कई सुझाव सदन के सामने पहले से ही हैं जिसमें जनगणना फार्म में विभिन्न प्रकार के कॉलम बनाए जाने का अनुरोध किया गया है।

देश में जनसंख्या के अनुपात में व्यापक विषमताएं बढ़ती जा रही हैं। पुरुषों की संख्या लगातार बढ़ रही है और भ्रूण हत्या एवं कन्या हत्याओं के कारण देश में महिलाओं की संख्या पुरुषों के अनुपात में काफी कम हो गई है। यह गंभीर विषय सरकार के सामने हैं परन्तु सरकार इस संबंध में कोई भी कारगर कदम उठाने में असमर्थ रही है। मैं यह नहीं कहता कि सरकार ने इस दिशा में कोई प्रयास ही नहीं किए, लेकिन जितने भी प्रयास किए गए हैं वे सभी अपर्याप्त, नाकाफी और निष्प्रभावी रहे हैं। केवल लड़के की चाह रखना भी जनसंख्या वृद्धि का एक प्रमुख कारण है। इस संबंध में कानून बनाने की अपेक्षा सरकार को जनमानस को मानसिक रूप से तैयार करना अति आवश्यक है ताकि जनमानस की यह अवधारणा खत्म हो जाए कि केवल लड़का ही उनको वैतरणी पार लगाएगा। यह सबसे महत्वपूर्ण कारक है जनसंख्या वृद्धि का।

दूसरा एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण कारण है देश में अशिक्षा। मैं इसे दूसरा नहीं पहला ही कारण कहूंगा क्योंकि अशिक्षा के कारण ही उपरोक्त जनभावना है। इस संबंध में मेरा यह सुझाव भी है कि पहले सरकार को महिलाओं की शिक्षा में ज्यादा जोर देना चाहिए यदि वे शिक्षित होंगी तभी आने वाली पीढ़ी को सही दिशा दिखा पाएंगी तथा जनसंख्या नियंत्रण हो सकेगा। शिक्षा के अभाव के कारण ही आज भी गांव देहात में लोग बच्चों को भगवान की देन मानते हैं। इस धारणा को भी बदले जाने की अति आवश्यकता है।

एक अन्य कारण जिस तरफ मैं सदन का विशेष ध्यान चाहूंगा, वह यह कि गांव देहातों में अस्पतालों का अभाव है, अस्पताल हैं, तो डॉक्टर नहीं है, यदि डॉक्टर हैं तो विशेषज्ञ नहीं हैं। विशेषज्ञ यदि कहीं हैं भी तो दवाईयां नहीं है और महिला डॉक्टरो की बेहद कमी है या यूं कहिए कि कई जगह तो महिला डॉक्टर हैं ही नहीं। डॉक्टरों में कम प्रशिक्षित डॉक्टरों की संख्या ज्यादा है। महिला डॉक्टरों के न होने के कारण दूर-दराज गांव, देहात की महिलाओं को जनसंख्या नियंत्रण संबंधी सरकार द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों और अन्य गर्भ निरोधकों संबंधी जानकारी महिलाओं को लज्जावश नहीं मिल पाती है या ऐसे भी कहा जा सकता है कि गर्भ धारण न करने के साधनों के बारे में ज्ञान नहीं है या वे पुरुष डॉक्टरों से इस संबंध में सार्थक जानकारी नहीं ले पाती है। इसलिए,

* Speech was laid on the Table

मेरी सरकार से यह भी मांग है कि देश में महिला डॉक्टरों की अधिक नियुक्तियों पर बल दिया जाना चाहिए। कम उम्र में शादी अथवा बाल विवाह पर भी सख्ती से रोक लगाए जाने की आवश्यकता है क्योंकि कम उम्र में शादी होने के कारण भी जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं पाया जा रहा क्योंकि खेलने खाने की उम्र में यदि विवाह हो जाता है तो मानसिक रूप से तैयार न होने के कारण इस समस्या में वृद्धि हो रही है।

लगातार जनसंख्या वृद्धि ही देश की सभी समस्याओं का मुख्य कारण है, यह सभी जानते हैं क्योंकि केन्द्र सरकार या राज्य सरकारें देश के लिए जो भी कार्यक्रम और नीतियों को लागू करते हैं, जनसंख्या की वृद्धि के कारण सबकी उपयोगिता निरर्थक हो जाती है। जितने भी रोजगार के अवसरों का सृजन किया जाता है वह बेकार चले जाते हैं। इससे देश में बेरोजगारों की फौज बढ़ती जा रही है। शिक्षित बेरोजगारों की संख्या में भी व्यापक वृद्धि हो रही है। हर क्षेत्र में लम्बी-लम्बी कतारें दिखाई देती हैं। जनसंख्या वृद्धि गरीबी का मुख्य कारण हैं। जनसंख्या नियंत्रण से ही कई प्रकार की समस्याएं मनुष्य की और देश की हल हो सकती हैं। इसलिए इस कानून को सख्ती से लागू करने की ही आवश्यकता नहीं बल्कि सरकार को जनमानस को मानसिक रूप से तैयार करने की भी आवश्यकता पर बल देना चाहिए क्योंकि पूर्व में भी ऐसे अनुभव रहे हैं जब सरकारों ने सख्ती बरती है जैसे कि नसबंदी कार्यक्रमों को इमरजेंसी के दौरान सख्ती से लागू करने के कारण यह कार्यक्रम अलोकप्रिय एवं फेल हो गया था।

SHRI DEEPENDER SINGH HOODA (ROHTAK): Mr. Chairman, Sir, first of all let me congratulate the hon. Health Minister for bringing in this debate. He rightly said that it is after a gap of 33 years that we are having such an important debate in our Parliament.

I was trying to look up to the debate that took place in 1976. What I have found out that even in 1976, it was tabled and was not discussed much.

Let me start by quoting Swami Vivekananda: "We are responsible for what we are, and whatever we wish ourselves to be, we have the power to make ourselves. If what we are now has been the result of our own past actions, whatever we wish to be in future can be produced by our present actions."

18. 08 hrs.

(Shrimati Sumitra Mahajan *in the Chair*)

Madam as I deliberate further, let me just start by highlighting the dimensions of this problem, the contours of this problem from a perspective of a young Indian and not just as a parliamentarian, as I see it. After that, towards the conclusion, I would point out some of things that we can do to address them.

Much has been said about the enormity of the problems that we are facing, namely, 17.3 per cent of the world's population living on 2.4 per cent of world's total land, having only four per cent of world's total water resources to quench our thrust. By 2025, we are going to overtake China; by 2050, our population will be more than 1.6 billion people; in the next 10 years, we will have 350 million more mouths to feed, which is more than the population of the United States; there will be 350 million more jobs to produce, which are more than the jobs in the world's largest economy today. I am just talking about the next 10 years. Every year, our population is increasing by more than 20 million, which is the size of the population of Australia. For the next 20 years, one-fourth of all the population increase in the world is going to come from India and one-eighth of all the population increase in the world is going to come from Uttar Pradesh.

And, one-eighth of all the population increase of the world is going to come from Uttar Pradesh. The TFR, as the Minister pointed out, stands at 2.7. We wanted it to be at 2.2 in 2010 but it stands at 2.7 with Bihar and U.P, the TFR is almost 4.0. The problem manifests itself in multiple forms.On resources about which the Minister pointed out, in our youth and in urbanisation, we are going to see great churning in the next 25-50 years in our country, and we have to address that churning. Of course, on the resources, enormous pressure is going to be put for water. Like I pointed out, the world's total fresh water resources would be four per cent. I am talking about demand. Today our demand is 950 billion cubic metres of water. The total supply that we have in our country, including exhaustive ground water is 1.4 trillion cubic metres. By 2050, we will double our demand for water. The demand will be 1.9 trillion cubic metres. Our supply, including from all the rivers, fresh water, rainfall, ground water, will stay at 1.4 trillion cubic metres. We will far exceed the total supply that we have. हम पानी तो उगा नहीं सकते। आज इस बात के बारे में हमें सोचना पड़ेगा।

In our cities on average every year the ground water table is falling by six feet on annual basis. In Gurgaon in Haryana, we are having 300 per cent water exploitation rate which is above the highest in the world, which means every year for every one litre of water that goes in, we are taking out three litres already and we are just looking at the demographic tsunami that we will see over the next few years.

Regarding food grains, even today our *per capita* availability of food grains is 525 grams *per capita* per day in our country. Compare this to China. The *per capita* food grains availability per day in China is 980 grams. In the United States, it is already 2,850 grams. Even at this level, by 2050, we will need to produce 430 million tonnes on annual basis. We do not even produce 200 million tonnes today.

Now, we can say that we will put into place wide irrigation network; and we will improve our agricultural sector but we do all know that agriculture sector has been growing just at about two per cent. We do have some good growth here but at the same time we do have some bad growth. Last year our agricultural growth rate was minus 0.2 per cent. Are we surprised that we are facing inflation?

Regarding urbanisation, millions and millions of people are going to move to cities. Are our cities ready to accept them? Forty per cent of our population by 2020 will move to cities, and not just by the young people looking for livelihoods. They will move because of desertification. They will move because of the depletion of water table in Rajasthan, Haryana and in a lot of other places. They will move because of deforestation and loss of livelihoods in their own habitats. This will lead to great churning.

But one particular manifestation of this problem that was not talked about by any of the other esteemed Members before me that I want to touch on is the problem of the youth. Even today 60 per cent of our youth is tied to agriculture, the primary sector. Over the next 10 years, we need to move a majority of this into secondary and tertiary sectors.

Even in the current Plan, the Planning Commission knows that between 2007 and 2012, we need 100 million more jobs to maintain the current level of employment. By 2020, we need to create 350 million more jobs and to create more jobs, obviously, we need growth but we also need employability.

You know, two economists David Bloom and David Canning coined the words, "Demographic dividend". They did lot of brilliant work but I am not a big fan of them for coining these words because behind these words, it has become an easy tool for us to forget the problem that we are seeing. Any macro economic model will tell you that it is not just the growth in labour force which will see our economic growth but it is also good human capital. You see any Human Development Index. We are having numbers.

But, as far as human development index is concerned, we are not doing that well. We stand at the spot of 127th out of 177 nations when we look at the human development index. All this has happened because of our population increase and because we have not been able to effectively provide this lesson to our youngsters, to our next generation.

The demographic dividend that we talk about, I think we are inching closer to demographic disaster. The problem for our youth is showing in Kashmir. The restlessness and the negative energy of our youth is showing in Chhattisgarh. I am afraid that if we are unable to tackle this, it is going to show all over our country. Recently, a magazine called *Open* painted rather a grim picture in which they envisioned that India is on the verge of disaster, if the young and their youthful energy is not tapped properly. Then we can fragment into a lot of different nation-states and the entire complexion of our country and the nationhood can change.

One of the things that I have been arguing for long is that, just looking at the GDP growth and inflation, these are the two measures that we talk about in our Parliament a lot, along with that we should also talk about unemployment rate. That should be one of the main measures on which our Finance Minister and the Government of the day should be measured. When the Finance Minister stands up in the Parliament and talks about the Budget, he should say that in the last year how many lakh new jobs were created in our country. मैं किसान का बेटा हूं। मेरे दादा के पास 10 एकड़, 20 एकड़ जमीन थी, आज मेरे पास ढाई एकड़ जमीन, एक एकड़ जमीन आ रही है, ढाई कीले जमीन आ रही है। अगली पीढ़ी के पास कितने कीले जमीन आएगी, वे लोग कहां जाएंगे? The population of youth is also important. The problem of population is the problem of youth and this is the mother of all problems.

I looked at many population control policies throughout the world. Taking a look at China, Iran, Bangladesh, I want to point out some of those in our House today. Of course, China has much feigned one child policy. But the consensus on one child policy did not come in one day. In 1948, after the Revolution, they thought of their population as an asset, as a lot of us think. It was after their great leap forward that they started thinking about it as an obstacle. Then, they reversed their policies after cultural revolution and it was only decisively in 1973 when Mao Zedong associated himself with the population control policies.

सभापति महोदय : आप जितना ज्यादा बोल रहे हो, आपके बाद के बाकी लोगों का समय कम हो रहा है, आप इतना ध्यान में रखिये।

SHRI DEEPENDER SINGH HOODA : In 1979 they decisively enacted the single child policy. Even in China, under special circumstances, for ethnic and religious minorities, they are relaxing this single child policy to two or three children. Of course, they are bringing about this policy through propaganda, coercion, commune birth planning committees and so on and so forth.

Iran is very unique and I want to point this out to our hon. Minister. Iran has done something which no other country in the world has done. They are most successful in population planning. What they have done is that it is the only country in the world which has made contraceptive courses mandatory for both males and females before they can obtain a marriage certificate. Everybody has to go through this training one day for five hours before they can obtain a marriage certificate. This has been very successful in Iran.

Of course, we have done a lot of things as the hon. Minister pointed out. As I conclude, let me just quickly run through a list of some of the suggestions that I have for the hon. Minister. The first and foremost is that we have to have a dialogue. That is why, I congratulate him for initiating that dialogue. I also congratulate the Minister because when he initiated the dialogue he was able to hit a common ground across all political parties in Lok Sabha.

We need to have incentives. Without incentives the schemes are not going to work. Of course, Shri Naveen Jindal pointed out about the retirement age, old age pension, etc. We can think about having a longer retirement age for parents who have less children, we can think about giving additional marks to their wards in interviews for Government jobs. We can think about a lot of different incentives. But incentives have to be there.

Female literacy is the most important thing. We all know that. We need to work on it, we need to work for female literacy.

Of course, the hon. Minister pointed out about the average age of getting married and said that 68 per cent of girls in Bihar were getting married before the age of 18.

Madam, I conclude with the last point. While we cannot force sterilisation, we need to enforce these things. We need to enforce the correct age at the time of marriage.

श्री जयंत चौधरी (मथुरा): सभापति महोदया, जनप्रतिनिधियों को हमेशा तैयार रहना होता है कि पत्रकार उनसे कब, कहां और कैसा सवाल पूछ लें? एक सवाल अगर मुझसे पूछा जाए, तो मैं भी थोड़ा डगमगा जाऊंगा कि भारत की जनसंख्या कितनी है? यह एक ऐसा आंकड़ा है, जो मेरे देखते-देखते बहुत तेजी से बदल रहा है। यह दर्शाता है कि कितनी बड़ी चुनौती हमारे देश के सामने है।

आज सरकार में चर्चा चल रही है कि खाद्यान्न की सुरक्षा के लिए हम एक कानून लाएंगे। यूनिवर्सल पीडीएस की जब मांग संसद में उठती है, तो जवाब मिलता है कि अनुदान का भार हमारी अर्थव्यवस्था सहन नहीं कर सकती। मेरे मन में ख्याल आता है कि मैं अपने जीवनकाल में वह दिन देखूंगा जब हमारे देश की जनसंख्या शायद दोगुनी हो जाएगी, उस समय अनुदान और अर्थव्यवस्था का बोझ कैसे उठा पाएंगे? यह सही है कि यह समस्या सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। अनुमान यह कहते हैं कि वर्ष 2025 तक विश्व की जनसंख्या आठ सौ करोड़ तक हो सकती है। मुझसे पूर्व कई सांसदों ने उल्लेख किया है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या मूवमेंट चल रहा है और क्या प्रयास हो रहे हैं? इसमें संयुक्त राष्ट्र की भागीदारी है। मेरी जानकारी के अनुसार 1960 के दशक में जागरूकता फैली कि विकास के लिए, बढ़ रही जनसंख्या एक चुनौती है। अमेरिका ने वर्ष 1967 में फंड दिया और संयुक्त राष्ट्र का एक जनसंख्या कोष स्थापित हुआ। काइरो की बैठक, जो बहुत प्रसिद्ध है और सदन में भी उसके बारे में चर्चा हुयी, वह एक मील का पत्थर साबित हुयी। ऐसा क्यों, क्योंकि उसके पूर्व जो सेमिनार होते थे, जैसे बुखारेस्ट में सेमिनार हुआ, मैक्सिको में वर्ष 1984 में सेमिनार हुआ, उनमें विशेषज्ञ जाते थे, जो अपनी सरकार का प्रतिनिधित्व करके यह दावा नहीं कर सकते थे कि हम अपनी नीतियों में परिवर्तन लाएंगे। काइरो में गैर सरकारी संस्थानों ने एकजुट होकर अपनी आवाज को बुलंद किया, महिला शशक्तीकरण के मुद्दे को उठाया और उनको इसमें सफलता मिली। मैं कोट करना चाहूंगा -

Chapter 4 of Cairo Programme of Action is entitled 'Gender Equality, Equity and Empowerment of Women' which says "Empowerment and autonomy of women, the improvement of their political, social and economic and health status is a highly important end in itself. In addition it is essential for the achievement of sustainable development."

हमें सराहना करनी होगी, लेकिन वहीं इस पूरे माहौल में, क्योंकि भारतीय परिप्रेक्ष्य में इमरजेंसी का कलंक भी हमने देखा और महसूस किया। उस समय के जो प्रयास थे, उनका दुष्प्रभाव आज भी हम महसूस करते हैं। उस परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो कहीं न कहीं जहां परिवार नियोजन और जनसंख्या को नियंत्रित करने की बात होनी चाहिए थी, वहीं आज हम जनसंख्या में स्थिरता की बात कहते हैं और फेमिली वेलफेयर तक ही सीमित हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इस बात को हम सब स्वीकार करते हैं और इस क्षेत्र में हुआ अनुसंधान भी यही बताता

है कि इनमें सीधे तौर पर एक लिंक है। महिला साक्षरता का एक इनवर्स रिलेशनशिप है, साथ ही साथ गरीबी हटेगी तो उसका एक इनवर्स रिलेशनशिप है। मंत्री जी ने बताया कि टीएफआर की चुनौती हमें कम करनी है और उसके आंकड़े भी उन्होंने प्रस्तुत किए। मैं कहना चाहता हूं कि दोनों एप्रोच, दोनों पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए एक नया तरीका क्यों नहीं निकाल सकते, जिसमें विकास भी हो, लेकिन साथ ही परिवार नियोजन को भी हम प्रमुखता से आगे रखें। जो आंकड़े हैं, वे चौकाने वाले हैं। मैं ज्यादा आंकड़े नहीं दूंगा। मंत्री जी ने खुद इस बात को कहा कि जो बीमारू प्रदेश हैं, वे हमारे लिए एक चुनौती हैं। कानून के बावजूद 18 वर्ष से कम उम्र में जिन लड़कियों की शादी हो रही है, उनका उत्तर प्रदेश में आंकड़ा 33 प्रतिशत है।

उसमें बहराइच जिले का 70.7 प्रतिशत, महाराजगंज का 62 प्रतिशत, शाहजहांपुर का 47 प्रतिशत, मेरे जिले मथुरा का 31 प्रतिशत है। ये चौंकाने वाले आंकड़े हैं। 15 से 19 साल की महिलाओं में टोटल बर्थ के प्रतिशत में सोनभद्र जिले का 20 प्रतिशत, महोबा का 17 प्रतिशत, मथुरा का 15 प्रतिशत है। ऐसा नहीं है कि कानून नहीं है। मेरी एक गैर सरकारी संस्था के साथ बात हो रही थी। वे कह रही थीं कि माननीय सदस्य शादियों में जाते हैं। आपने खुद भी इस बात को कहा। हम सब क्यों नहीं इस संकल्प को लेते कि जब हमें कोई इनविटिशेन आए, तब हम उसे देखें और सबसे पहले यह सवाल पूछे कि उम्र कितनी है। जब हम शादी में जाएं और बाहर एक गाड़ी सजी हुई हो और दहेज हो, तब हम सवाल पूछें कि यह दहेज किसलिए है। अगर हम यह कदम उठाएंगे तो उससे निश्चित रूप से और लोगों को प्रेरणा मिलेगी। मैं कहना चाह रहा था कि संयुक्त अभियान चले जिसमें प्रमुखता से वेल्फेयर, विकास, साक्षरता, सशक्तीकरण की बात हो, लेकिन वहीं नियोजन की बात भी होनी चाहिए। उसे अनुसंधान सपोर्ट करता है।

मैं एक रिसर्च पेपर पढ़ रहा था। श्री बृजेश पुरोहित नाम के एक व्यक्ति हैं। उनकी बेसिक फाइंडिंग थी। उन्होंने तीन प्रदेशों की रिग्रैशन एनालेसिस के माध्यम से स्टडी की थी जिसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उड़ीसा था। जहां पर केपिटा इनकम कम है, वहां डायरैक्ट सरकार का इंटरवैंशन काम आता है और जहां हाई पर केपिटा इनकम है, वहां आप कह सकते हैं कि इकोनॉमिक डैवलपमैंट मेजर इनफ्लुएंस बन जाता है। उन्होंने अपनी स्टडी में यह भी बताया कि उन्हें हर जिले में वेरिएंस मिला। उन्होंने जिला स्तर की इन्फार्मेशन को इस्तेमाल किया। हमारे जिलों में जो इन्फार्मेशन है, वह सही नहीं है।

दूसरी बात यह है कि इस क्षेत्र में अनुसंधान कर रही संस्थाएं हैं। आपके मंत्रालय में भी हैं। जो एपैक्स आर्गनाइजेशन हैं - नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हैल्थ एंड फैमिली वेल्फेयर, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पौपुलेशन साइंसेज़। रिसर्च आर्गनाइजेशन्स का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। में मंत्री जी से सिर्फ यह जानकारी चाहूंगा कि इन इंस्टीट्यूट्स की क्या हालत है? क्या इनमें ऑटोनॉमी है? क्या अनुसंधान हो रहा है? जैसे मैं पहले बताना चाह रहा था कि परिवार नियोजन एक बुरा शब्द बन चुका है। वेल्फेयर की बात है, फैमिली प्लानिंग अब बैड वर्ड है।

डैमोग्रैफिक सिचुएशन, जो समाज की आवश्यकता है कि हम उन बातों को नियंत्रित करें, हम भी बोलने से कतराते हैं। हमें देखना होगा कि इन संस्थाओं की क्या हालत है। जो मौजूदा कानून है, मैं जानता हूं कि यह स्टेट सब्जैक्ट है, लेकिन आप मॉडल एक्ट बना सकते हैं, कानून की आवश्यकता हो तो आप ला सकते हैं। अगर कानून का कहीं भी पालन नहीं हो रहा है और वहां आप प्रो-एक्टिव मेजर्स लेंगे, सरकारों, एजैंसियों से बात करेंगे, हम उसमें मदद कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से परिवर्तन होगा। मैं उदाहरण देना चाहूंगा। पीएनडीटी एक्ट जो प्री-नेटल डायगनौस्टिक टैस्टिंग के खिलाफ है।...(व्यवधान) सुप्रीम कोर्ट ने भी मैनडेट किया था कि आप अल्ट्रासाउंड की मशीन की रजिस्ट्री कीजिए। क्या वह रजिस्ट्री हो रही है? हर जिले में एक नोडल ऑफिसर चाइल्ड मैरिज पर नजर रखने और उसके खिलाफ कार्यवाही करने के लिए नियुक्त होना था। क्या वह है? एमपीज़ की मौनीटरिंग और विजिलैंस कमेटी बैठती है, हर क्वार्टर में एक मीटिंग होती है। क्यों नहीं उसके एजैंडा में जिले स्तर की जानकारी हमें उपलब्ध करवा सके? क्यों नहीं संबंधित विभाग के लोग हमें आकर प्रैजैंटेशन दें कि हमारे जिले की क्या हालत है, ताकि हम आप तक जानकारी पहुंचा सकें और उस पर अपनी कार्यवाही कर सकें?

मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। कोई कारण नहीं है कि हम इंसैनटिव से दूर रहें। इंसैनटिव हो सकते हैं। आप बैंकिंग सिस्टम में सुविधा दीजिए, लोन में सुविधा दीजिए। सरकारी नौकरियों में हम क्यों नहीं महिलाओं को आरक्षण दें, विशेषकर जो गरीब परिवारों से निकली हैं। हम सशक्तीकरण की बात तभी कर पाएंगे जब महिलाएं घर-गृहस्थी के कामों से निकलकर दुनिया में आएंगी। उन्हें आमदनी होंगी, जिसं वे घर ले जाएंगी। समाज में उनकी जो कद्र, पहुंच और आवाज होनी चाहिए, वह तभी बुलंद हो सकती है।

मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। मैं आखिरी प्वाइंट बताना चाहता हूं। मुझे मंत्री जी का पत्र वर्ल्ड पौपुलेशन डे के संबंध में मिला था। मैं उनकी सराहना करता हूं। आज की चर्चा में सब स्पीकर्स ने इस बात को कहा कि राजनीति से ऊपर उठने की आवश्यकता है। दलीय भावनाओं और सीमाओं को तोड़कर आगे बढ़ें, एकजुट होकर चलें। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश की हालत यह है। यहां विपक्षी दल के सांसद भी बैठे होंगे। मुझे पत्र मिला था कि वर्ल्ड पौपुलेशन डे पर माननीय सदस्यों को आना चाहिए। जब माननीय सदस्य आएंगे तो लोगों में जागरूकता बनेगी। मैं अपने जिले की नहीं, अपनी पार्टी के और सदस्यों की बात कह सकता हूं कि जानकारी भी नहीं मिली। सत्ताधारी दल के विधायक वहां चीफ गैस्ट थे।

[*]**श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह):** आज हमारा देश स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा रोजगार के क्षेत्र में आज भी कई देशों के मुकाबले काफी पीछे है। आज जो कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति से विस्फोट हो रहा है, उससे तीव्रतम विस्फोट जनसंख्या विस्फोट है। देश के अनेक हिस्सों में भू-जल का स्तर गिरता जा रहा है और करोड़ों लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। जिस अनुपात में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, उसके विपरीत जनसंख्या बढ़ रही है। आज आजादी के 63 वर्षों के बाद भी हम जनसंख्या विस्फोट को रोकने के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठा पाये हैं।

आज सत्ता का मुख्य बिन्दु वोट की राजनीति है। जब तक हम वोट की राजनीति से हटकर कार्य नहीं करेंगे तब तक हम भारत निर्माण की परिकल्पना नहीं कर सकते। आज हमारे देश के बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल रहा है। गरीबी के दंश से गरीबों को पर्याप्त और गुणवत्ता पूर्ण अनाज की कमी है, वहीं हम दूसरे देशों के लोगों को पनाह दे रहे हैं। क्यों वोट की खातिर? आज अशिक्षा, रूढ़ीवादिता, धार्मिक विश्वास की खातिर देश में जनसंख्या को रोकने में विवश हैं। आद देश में एन0जे0ओ0 के माध्यम से करोड़ों रूपये निधी सरकार द्वारा खर्च की जा रही है।, जिसका अधिकांश हिस्से का अपव्यय होता है। अगर सरकार इस कार्य को करने में विवश है तो इस टास्क को एन.जी.ओ के माध्यम से कार्यान्वित कराने का कार्य किया जाये और इसकी मॉनिटरिंग के लिए समाज के हर वर्ग, हर धर्म के लोगों की सहभागिता हो।

हमें याद है, 1974-75 में आपातकाल के दौरान नसबंदी कार्यक्रमों का अनुपालन। आज भी वह क्षण रोंगटे खड़ा कर देने वाला है। लेकिन हम अपनी ईमानदार कोशिश से जनसंख्या विस्फोट को रोकने के लिए जन-जागरूकता कार्यक्रम को चालू रखें। अगले 10-20 वर्षों में हमारी अगली पीढ़ी को जनसंख्या विस्फोट का भयानक परिणाम भुगतना होगा।

अतः सरकार से आग्रह है कि देश में जनसंख्या वृद्धि दर को रोकने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया जाये और इसके लिए एक प्रभावी कानून का निर्माण किया जाये।

---

[*] Speech was laid on the Table

*SHRIMATI. PARAMJIT KAUR GULSHAN (FARIDKOT) : I thank you, Madam Chairperson, for giving me the opportunity to speak on an important subject. Yesterday, in this august House, we discussed at length the serious issue of 'Rise in the prices of essential commodities'. Members expressed their grave concern on this issue. However, there is another very serious matter – the issue of population-explosion. This is a matter of more concern than price-rise. Population-explosion is the root cause of a plethora of problems. Inflation is one such problem. Population is sprialling out of control and it has engendered and aggravated a host of other problems like poverty, illiteracy, hunger, criminal activities, unemployment, taking of drugs and intoxicants by youths, left-wing extremism, terrorism, the widening chasm between the rich and the poor, adulteration in food-items, environment-pollution, malnutrition, corruption, graft etc. Thus, population-explosion is a hydra-headed monster.

Madam, in the last 5 years, the population of India increased by 14% whereas the population of China increased by a mere 6%. By 2050, India will have the dubious distinction of overtaking China as the most populous country in the world. In 2050, the population of India will be around 161.38 crores whereas that of China will be much less. This is nothing to be proud of. It will only lead us to catastrophe.

Madam, successive governments have taken several steps to rein in the burgeoning population but to no avail. Several commissions were set up, several committees were constituted, surveys were conducted, social reform measures were undertaken, family-planning and family-welfare programmes were initiated. However, the result has been a big cipher. We have miserably failed in realizing any of our targets.

Madam, the seriousness of the Government in tackling this gargantuan problem can be gauged from the fact that we are discussing this vital issue in this august House after a long gap of 33 years. We should have taken the bull by the horns much earlier.

---

* English translation of the speech originally delivered in Punjabi

Madam, it seems that the Government was afraid of losing the votes of the opponents of family-planning. That is why this issue was always brushed under the carpet.

Madam, various factors are responsible for this alarming increase in the population of our country. Due to paucity of time, I shall be brief. However, I must register my complain that members of Punjab are not given ample time to ventilate their grievances in the House.

Madam, I want to make a few suggestions. Until and unless we frame stringent laws, it will be almost impossible to control the population-explosion. However, the Hon'ble Health Minister does not plan to enact any legislation in this matter. In a press-briefing, the hon. Minister said, "Let me make it clear, we are not in favour of controlling population-growth through any kind of legislation. But we favour generating awareness and persuading people to have small size of family for betterment of the health of the mother and child."

However, a majority of wise people do not conform to this view. They know that the country is already bursting at its seams. The ever-increasing population is eating into the very vitals of all developmental efforts. The country is already over-burdened. It can not longer bear population-explosion. All family-planning schemes launched with much fanfare in the last 62 years have failed to deliver the goods. Hence, the need for a stringent law is the only realistic answer to this problem. It should be enforced uniformly on the rich and the poor and all segments of society. Only punitive measures can act as deterrent.

Madam, a special package should be granted to those states that have succeeded in controlling the population growth. I seek the attention of the Hon'ble Minister towards this suggestion. A special package should be given to the states that have succeeded in checking the alarming population-growth. There are six such states and I am happy to inform you that Punjab tops the list of such states. I want to congratulate the present Government of Punjab. It has taken concrete steps and reduced the population-growth in Punjab by 23% and it has slowed down the population-growth by 32%. This is a wonderful achievement of the Government of Punjab.

Madam, we must contain this malaise by taking political steps. Some states have made family-planning mandatory for those in local self-Government and also for the municipal council members. However, the need of the hour is for MPs and MLAs to take the lead and practice what we preach. Charity should begin at home. A benchmark should be set for Lok Sabha and Rajya Sabha members also. All political parties should refrain from granting tickets to people who have more than two children. Of course, there should be a cut-off date. Let me tell you that I have only 2 daughters. But, we must have a futuristic vision. We must embrace progressive ideas. All political parties must implement strictly such a norm and should not back regressive ideas.

Madam, we are the elected representatives of the people. We are the role-models of the people. The people look up to us for inspiration and guidance. If Ministers and Members of Lok Sabha and Rajya Sabha marry three or four times and have several children, what kind of precedence will we set? What kind of message will be sent to the public? How can we check population-explosion in such a scenario?

MADAM CHAIRMAN : Please wind up.

SMT. PARAMJIT KAUR GULSHAN : Madam, we must empower our women if we intend to control the population-growth. In this regard, the data and statistics that are reeled out by the Government are mostly fake. They are mostly concocted and fabricated. The bureaucrats in the ministries just want to achieve the targets. The ground-reality is different. The data that reaches the Government is generally fudged. The officials just want to save their skin. Thus, the Government remains under the misconception that it has achieved its targets. Constant monitoring should be done to verify the genuineness of the tall claims that are made by officials. Figures of the present year should be strictly compared with those of the previous years. If population-growth continues unabated, the Government should review its schemes and policies. The failure of our schemes should serve as an eye-opener for the Government.

MADAM CHAIRMAN : Please wind up. Many other hon’ble members have yet to speak.

SMT. PARAMJIT KAUR GULSHAN : Madam, I will conclude my speech in one minute.

The Government should also focus on Government employees. All employees should be asked to furnish am affidavit that they will stick to family-planning norms. If they fail to do so, no increments should be given to them. They should not be given any promotion either.

Madam, the Government must take stern measures if it wants to control population-growth. We can overcome all impediments. But the will and intention to do so should be there. 70% population of country is earning hardly Rs.20/- per day. The rate of 1Kg of pulses varies between Rs.60/- to Rs.100/-. Madam, time is running out. If we do not take concrete measures to check population-explosion, it will further aggravate other problems like poverty, inflation, illiteracy, unemployment and taking of drugs and intoxicants by youths. The country will lag behind in the race of progress and development and the future generations will suffer irreparable damage.

Hence, it is high time that we awake from our deep slumber and take the bull of population-explosion by the horns. Only then can we stabilize our population. The future generations will never forgive us if we fail to rise to the occasion.

[*] **श्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर):** माननीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा जनसंख्या स्थिरीकरण के संबंध में लाये गये मामले पर सदन में चर्चा चल रही है। आज हम विश्व में सबसे अधिक युवा जनसंख्या वाला राष्ट्र के नाते जाने जाते हैं। इस समय हमारी जनसंख्या का 50 प्रतिशत 15 से 49 आयु वर्ग के लोग होने से जनसंख्या वृद्धि में अधिक गति होने की आशंका भी है। हमने फरवरी, 2000 में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति अपनाई, लेकिन बावजूद इसके हम जनसंख्या नियंत्रण के लिए आवश्यक माहौल तैयार नहीं हो पा रहा है। इसके लिए सरकार भी उतनी ही दोषी है। देश में पुरुष और महिला में भेदभाव नहीं होना चाहिए। लिंग के आधार पर कायदे से पक्षपात नहीं किया जा सकता लेकिन सरकार ने पुरुष नसबंदी के लिए 2007 में 800 से 1500 रुपए दिए और महिला नसबंदी के लिए 800 से केवल 1000 रुपए दिए। महिलाओं के लिए केवल 200 रुपए बढ़ाये गए। दूसरी बात है, भारत में बाल विवाह की कुप्रथा का होना। बाल विवाह कायदे से बंद है, लेकिन आज भी कई प्रदेशों में यह हो रहे हैं, इससे जनसंख्या नियंत्रण को धक्का लगता है। इस पर कानून तथा जन-जागरण के माध्यम से नियंत्रण लाने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता है। हमारी जनसंख्या नीति के अंतर्गत हमने प्रजनन दर 2012 तक 2.1 पर लाने का लक्ष्य रखा है। लेकिन बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में यह 3 से 4 प्रतिशत है। इसे देखकर हमें जनसंख्या नियंत्रण के लिए कितना कष्ट करना पड़ेगा यह स्पष्ट हो जाता है। जनजातीय क्षेत्र में जनसंख्या की दर भी अधिक होती है। पिछड़े तथा अविकसित होने के कारण वहां शिशु जन्मदर अधिक है। वहीं शिशु मृत्युदर भी अधिक है। कुपोषण के कारण बाल मृत्युदर भी अधिक है, कुपोषण के कारण बाल मृत्यु होने पर वहां परिवार नियोजन के बारे में कोई सहयोग नहीं दिया जाता। अगर वहां पर अच्छी स्वास्थ्य सुविधा, पौष्टिक खाद्यान्न की भरपाई की गई तो वहां पर भी परिवार नियोजन सफल हो सकता है। भारत की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, ऐसे में हमें बढ़ती आबादी के लिए आवश्यक खाद्यान्न जुटाना, संसाधन और बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराने का भार भी हमें सहन करना होगा। ऐसे में हमें अपनी जनसंख्या सीमित करनी होगी। सरकार को चीन की तरह सोचना होगा। चीन ने अपनी जनसंख्या के बढ़ते दबाव को देखकर जनसंख्या स्थिरीकरण में सफलता पाई है। चीन के उन सभी प्रयासों और कार्यक्रम का अनुकरण करने पर विचार करें, अध्ययन करें।

किसी परिवार ने एक संतान के पश्चात् फैमिली प्लानिंग करने की इच्छा की तो सरकार विशेष पुरस्कार देने का कार्यक्रम चलाती है। कई राज्य सरकारें भी इसमें अपना हिस्सा देती हैं। मैं इस कार्यक्रम में सुझाव दूंगा इसमें स्वयं स्फूर्त फैमिली की चिंता होनी चाहिए कि उस एकलौती संतान को छह माह तक जांच करें किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित न होने पर ही एकलौते संतान पर फैमिली प्लानिंग की अनुमति दें। ऐसे कई परिवार देश

---

[*] Speech was laid on the Table

में पश्चाताप् कर रहे हैं उन्हें एकलौती संतान को गंभीर बीमारी का पता फैमिली प्लानिंग के बाद चला तब सारी बची जिन्दगी उन्हें पछताना पड़ रहा है।

जनसंख्या विस्फोट यह हमारी राष्ट्रीय आपत्ति है। इसलिए इसके नियंत्रण हेतु हमें धर्म, लिंग, भेदों से ऊपर उठकर एक राय बनाकर सोचना होगा। सरकार को जनसंख्या का स्थिरीकरण करने के लिए जन-जागरण अभियान चलाना चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण के लिए हमें कुछ कड़े कदम भी उठाने होंगे। जो लोग इसमें साथ न दें उन्हें दरकिनार करना होगा। जनसंख्या स्थिरीकरण के खिलाफ जो लोग हैं, उन्हें कोई सरकारी योजनाओं का लाभ न मिले, ऐसी व्यवस्था करनी होगी। सरकारी नौकरी में रहने वाले लोगों को परिवार नियोजन करने की शर्त रखनी होगी। दूसरे क्षेत्र में भी हम राशन, सरकारी योजनाओं में हिस्सेदारी के लिए छोटे परिवार की शर्त लगाये तो हम जनसंख्या स्थिरीकरण में सफलता पा सकते हैं। महाराष्ट्र राज्य में पंचायतों के चुनाव में 2 बच्चों से अधिक वालों को उम्मीदवार नहीं बनाया जाता इससे भारी लाभ हुआ। वहां पर दो बच्चों के बाद परिवार नियोजन करने का अच्छा चलन हो गया। इसे पूरे देश में लागू करना होगा। सरकार जनसंख्या स्थिरीकरण के मामले को गंभीरता से ले और इस मामले में राजकीय इच्छाशक्ति का परिचय देकर इसे लागू कराये।

*SHRI P. LINGAM (TENKASI): Madam Chairperson, the House is now deliberating on the ways and means to stabilise our population and contain the population growth rate. I thank you for giving me an opportunity to participate in this discussion and share some of my views.

In 2001-02, the total number of families in India was about 18.20 crores and it had risen to 22.84 crores in 2009-10. I deem it fit that this discussion on Population explosion has been taken up at this juncture and it is appropriate.

We must put our heads and hearts together to find out the causes for the population increase. It is not enough to talk about population and containing the same. Population is our asset, wealth and resource. It is a natural resource and is taken as human resource. In the Asian Continent, we are the second largest country to have such a vast human resource. Both in the North and South Pole region and in the West, there is not much scope for increased population growth. But in the tropical region where we find ourselves in the Asian Continent the natural potential for increased population is more. The climatic conditions here are responsible for more population than other regions. This is not only a human factor but also a climatic factor. If we scientifically analyse the demographic distribution, we find that increased population is found among the society that is more relying on religions and religious practices. People who are responsible for increase in population are mostly illiterate and impoverished because they consider their progenies to be their assets who can help them to overcome oddities in life. We must consider the ways and means to make the Government of the day aware of the ground reality and to evolve suitable measures to contain population that come in the way of our achieving the target for growth.

People go in for children not only because they like them but also because they consider them to be their assets and means to improve their life. Most of the religions are impressing upon their followers that reproduction is an assigned duty

---

* English translation of the speech originally delivered in Tamil

and they must not put a stop to it as it will go against the tenets of their faith. In our country, only those who have their lives centered on religions keep on increasing the population. In addition to it, we find a situation in our country that contributes to increased population. Adequate social security is not available to the citizens of this country. In the absence of a viable social security mechanism, every individual tends to think that only their children can take care of them in their old age.

Resolutions and Motions cannot contain population explosion. We must enhance the standard of life and Human Resources. Education alone is not Human Resource. Along with education, health, economic growth, increased infrastructure facilities are all factors that constitute Human Resource. In the absence of enhancement of in the standard of living, we cannot but witness increase in population. Even countries like America and Britain are thinking in terms of controlling population today. So, naturally it is right that India is also considering on the same lines to stabilize its population. But there must be a common view, a uniform view, a universal view to take effective steps to contain population. We must go into the roots of the problem and must come out with necessary steps to find a solution. Mere laws cannot control population explosion. We must create awareness in the minds of the people. We must instill confidence in the minds of our people that they can live on their own and rely on self-sufficiency.

There is a common thinking that girl children are mere burdens and they cannot help their parents. This is the mindset of a patriarchal society. There is a notion that the family can be led only by a man and only men can be relied upon. There is a belief in the society that there must be at least one male child in a family. With a hope to beget a male child, some families give rise to girl child after girl child unmindful of the number of the members of the family increase. They think it is necessary and essential. The Government must evolve ways and means to help people to come out of this mindset. We must not think that our duty is over by way of moving this Motion in this House. Social security measures, enhancing human resources and its potential, growth in education, economic development are all factors that will help people to gain confidence in living together as part of a body polity. Only then we can find a reverse

trend and can witness a fall in population growth. People of the elite society are having awareness and are not increasing the population because they have a sense of security. Poor people want to live somehow because of a sense of insecurity occupying them. So we must help them gain confidence so that they do not go in for more children. The mindset that a male child is a must, should go. We must involve religious leaders also to impress upon the people that this attitude must go because we find some religious leaders urging their followers to increase their progeny so that the number of their followers increase manifold. Adequate awareness has not been created world over. Even in China the population control measures have succeeded only to the extent of 40 per cent. In India it is 34 per cent. No other country finds such effective implementation of family planning programmes. Only by way of extended campaign involving common people with political leaders and religious leaders, we can create a conducive atmosphere and enough of awareness to control population. Emphasizing the need to go in for this, let me complete my speech.

श्री जगदानंद सिंह (बक्सर) : सभापति महोदया, माननीय मंत्री जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर विचार-विमर्श करने का मौका दिया है। मैं समझता हूं कि प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय जितने प्रभावशाली ढंग से प्रस्ताव को इस सदन में उन्होंने रखा, हम सभी उनसे सहमत हैं। उन्होंने जो कुछ कहा वह सही है लेकिन उनकी चाहत में जो अवरोध है, मैं उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करना चाहता हूं।

तीन तरह के राज्य जनसंख्या स्थिरीकरण के मामले में बंटे हुए हैं। जो 2.1 परसेंट ग्रोथ वाले राज्य हैं और जो 2.2 से 2.6 परसेंट ग्रोथ वाले राज्य हैं और जहां खतरनाक स्थिति है, वह 3 परसेंट से 3.9 परसेंट ग्रोथ वाले राज्य हैं। जब राष्ट्रीय स्तर पर समस्या की चर्चा करते हैं तो यह समस्या 6 राज्यों के बीच में सिमट कर रह जाती है जहां पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 3 प्रतिशत से 3.9 प्रतिशत के बीच में है। संयोग से महोदया, आप भी मध्य प्रदेश राज्य से आती हैं और आपने इस बहस की शुरुआत करते हुए जिन बातों की चर्चा की थी मैं शत-प्रतिशत उन बातों से सहमत हूं।

महोदया, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्यप्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन ग्रोथ में सबसे ऊंचाई पर हैं और गरीबी और अशिक्षा में सबसे निचले पायदान पर हैं। इन दोनों का संबंध कहीं न कहीं बनता है। माननीय मंत्री जी ने इस देश में 18 ऐसे केन्द्रों की स्थापना कराई है जो विश्वविद्यालयों के भीतर अन्य स्वतंत्र संस्थाओं के द्वारा अध्ययन किये जा रहे हैं। माननीय मंत्री जी के सामने पॉपुलेशन रिसर्च केन्द्रों के 74 अध्ययन आ चुके हैं। मैं नहीं समझता हूं कि उनके क्या निर्णय है, लेकिन हम लोगों के राजनैतिक जीवन के जो अनुभव है, उनके आधार पर मैं कह सकता हूं कि 6 राज्यों में पॉपुलेशन की खतरनाक स्थिति है। अगर उस स्थिति से इन राज्यों को नहीं उबारा गया तो इस समस्या का राष्ट्रीय समाधान भी नहीं निकल सकता है। अगर राष्ट्र की इस समस्या का समाधान निकालना है तो इन राज्यों में इस समस्या का समाधान तलाशना होगा। महोदया, इन्हीं 6 राज्यों में विस्फोटक स्थिति है। यह चर्चा है कि वर्ष 2030 तक 37 करोड़ आबादी और बढ़ जाएगी जिसमें से 50 प्रतिशत आबादी इन्हीं 6 राज्यों में बढ़ेगी। अगर इन राज्यों की तरफ ध्यान नहीं दिया गया तो परिणाम अपेक्षित नहीं आ पाएगा और परिणाम लाना है तो हमें उन्हीं राज्यों की चर्चा करनी चाहिए।

पॉपुलेशन की समस्या वहीं है जहां अशिक्षा है, अशिक्षा वहीं है जहां गरीबी है और गरीबी का कारण उन राज्यों का पिछड़ापन है। राज्यों का पिछड़ापन, इस मुल्क में क्षेत्रीय असंतुलन का कारण है। अगर क्षेत्रीय असंतुलन राष्ट्र में होंगे तो परिणाम भी अलग-अलग आयेंगे। अगर हम समान परिणाम चाहते हैं तो हमें समान अवसर भी राज्यों को देना पड़ेगा और विशेषकर उन राज्यों के बारे में सोचना पड़ेगा, जहां अशिक्षा है, गरीबी है, पिछड़ापन है और लोग असंतुलन के शिकार हैं। माननीय मंत्री जी, आपकी जितनी भी पवित्र भावना हो, यह

अकेले स्वास्थ्य मंत्रालय का विषय नहीं है, यह भारत सरकार का विषय है। यदि क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने का प्रयास केन्द्र की सरकार नहीं करेगी तो गरीबी, पिछड़ापन, अशिक्षा के साथ-साथ पॉपुलेशन ग्रोथ के रूप में यह समस्या भी बनी रहेगी।

19.00 hrs.

इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इन विषयों को लेकर केंद्र सरकार को चिंतित होना पड़ेगा। राजस्थान, उत्तर प्रदेश राज्यों में ही नहीं, बल्कि बिहार, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों के भीतर भी असमानताएं हैं। जिस तरह इन राज्यों में जिलों की अलग-अलग आर्थिक स्थिति है, उसी तरह से जनसंख्या ग्रोथ का भी अलग-अलग पैमाना है। मैं बिहार की चर्चा करना चाहता हूं। हम उस जिले से आते हैं, जो बिहार के सबसे शिक्षित जिले हैं और वहां की समस्या दूसरे जिलों से अलग है। लेकिन हमारे सीमान्त इलाके के जो जिले हैं, जहां अशिक्षा बहुत है, जहां गरीबी है, पिछड़ापन है, वहां जनसंख्या ग्रोथ रेट भी बहुत ऊंचा है और चार प्रतिशत से भी आगे है। हमारे राज्य का जो भी प्रतिशत है, यदि हम अलग-अलग जिलों की समीक्षा करें तो यह चार से पांच प्रतिशत के बीच में आता है। आखिर यह विस्फोटक स्थिति क्यों है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है और कौन इसे दूर करने का प्रयास करेगा? 18 साल की लड़की की शादी होनी चाहिए, तो मंत्री जी बताएंगे कि क्या 18 साल के तक लड़की को विद्यालय नहीं जाना चाहिए।

सभापति महोदया : हमने इस चर्चा के लिए सात बजे तक समय बढ़ाया था और अभी भी बहुत से माननीय सदस्यों ने अपनी बात सभापटल पर रखनी है। अगर आप सभी की सहमति हो, तो एक घंटे का समय और बढ़ा दिया जाए। लेकिन सभी सदस्यों से निवेदन है कि तीन-चार मिनट में अपनी बात समाप्त करें और सुझावों को रिपीट न किया जाए।

अनेक माननीय सदस्य : ठीक है, एक घंटे का समय बढ़ा दीजिए।

श्री जगदानंद सिंह : मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि आपके इस प्रभावशाली विषय पर तभी नतीजा निकलेगा, जब समग्रता में इस विषय को लीजिएगा। जनसंख्या ग्रोथ की विस्फोटक स्थिति हमारी गलतियों का परिणाम है। केवल एकांगी सोच के तहत जनसंख्या ग्रोथ समाप्त नहीं होने वाला है। महोदया, यह राष्ट्र रहेगा, राष्ट्र स्वस्थ रहेगा। इस राष्ट्र की जनसंख्या ग्रोथ अगर रुकेगी, तभी कहीं न कहीं दुनिया में यह राष्ट्र आगे जाएगा। इन बीमार राज्यों को छोड़ कर इस दुनिया के पैमाने पर भारत कभी भी आगे नहीं जा सकता है। अगर समृद्ध भारत बनना है, तो पापुलेशन ग्रोथ को भी नियंत्रण करना पड़ेगा। यदि समृद्ध भारत बनाना है, तो इन बीमार राज्यों को जिनकी

चर्चा बार-बार होती है - मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार की स्थिति में परिवर्तन करने के लिए, रीजनल इम्बैलेंस को दूर करने के लिए माननीय मंत्री जी पांच-सात सालों की योजनाएं बना रहे हैं कि जनसंख्या स्थिरीकरण होगा, तो रीजनल इम्बैलेंस को दूर करने का भी प्रोग्राम बनाना चाहिए। हमें लोगों को शिक्षित करना पड़ेगा। गरीबी से मुक्ति दिलानी होगी। भारत में रहने के लिए स्वच्छ स्थान देना पड़ेगा। गांवों में सड़कें देनी पड़ेंगी, ताकि डाक्टर गांवों तक जा सकें। समग्रता में यदि स्वास्थ्य मंत्रालय यदि चिंतन करेगा, तब जाकर भारत की सबसे बड़ी समस्या हल हो सकेगी।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी): महोदया, सरकार को धन्यवाद देता हूं कि इस विषय पर सरकार द्वारा प्रस्ताव सदन में विचार करने के लिए लाया गया है। सभी माननीय सदस्यों ने अपनी राय दी है। सदस्यों ने जितनी राय दी हैं, अगर उन्हें इकट्ठा करके सरकार दृढ़तापूर्वक संकल्प लेगी, तभी कुछ सकारात्मक काम बन सकता है। अगर दिशा ठीक हो, दृष्टि ठीक हो और मन में दृढ़ संकल्प हो, तो जनसंख्या नियंत्रण का काम एक साल में पूरा किया जा सकता है। अगर मन में संकल्प न हो, दृढ़ता न हो, तो कोई भी काम पूरा नहीं हो सकता है। जनसंख्या बढ़ती जाएगी और उत्पादन नहीं बढ़ेगा, तो मुश्किल उत्पन्न होगी ही। मैं किसान हूं, खेती स्टैगनेंट होती जा रही है। जब उत्पादन में स्थिरता आएगी और जनसंख्या में वृद्धि होगी, तो सहज नियम है कि खाने वाले ज्यादा होंगे। उपज कम होगी तो लोग भूखे मरेंगे, नंगे रहेंगे। जब जनसंख्या का घनत्व बढ़ेगा तो बसने की जमीन का अभाव होगा, लोग बिना घर के रहेंगे, झुग्गी-झोंपड़ी में रहेंगे, सड़क के किनारे रहेंगे, जहां जगह पाएंगे वहां बस जाएंगे और फिर बिल्डर उनके नाम पर कमाएंगे। मैं सरकार से इस गोरखधंधे को बंद करने के लिए थोड़ी सी बातें कहना चाहता हूं। हमने नारा दिया- "हम दो, हमारे दो" इसका मतलब है स्थिर, रोक देना, इससे आगे न बढ़ना और जो इस काम को करे वह नंबर तीन रहे। "हम दो, हमारा एक" इस काम को जो करे वह नंबर दो रहे और "हम न किसी के और कोई न हमारा, हम दो के दो चले जाएंगे" वह नंबर एक रहे। इस तरह आप प्रथम, द्वितीय और तृतीय नागरिक की श्रेणी बना दें। आप पदम विभूषण, पदम श्री से सम्मानित करते हैं आप इन्हें सम्मानित कीजिए। फिर देखिए इस देश के आदमी कैसे जनसंख्या कंट्रोल करते हैं। यह काम या तो दंड से होगा या लोभ से होगा। आप या तो इसे भय से कीजिए, दंड से कीजिए या लोभ से कीजिए। आप दंड का विधान नहीं कर सकते क्योंकि दंड का प्रावधान करेंगे तो हर चीज में, धर्म, संप्रदाय, दुनिया भर की चीजें निहित स्वार्थी सिर पर भूत सवार हो जाएगा और कुछ नहीं होने देगा। आप अगर कुछ करना चाहते हैं तो योजना आयोग या माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ मिलकर हिन्दुस्तान के सभी धर्माचार्यों का सम्मेलन बुलाइए। उन्हें कहिए कि आपस में बैठकर तय करें कि अपने धर्म और संप्रदाय के लोगों को जानवर या कीट - पतंगों के जैसे मरने देंगे या इंसानियत की जिंदगी जीने देंगे, यह निर्णय आप स्वयं करें। जिस धर्म के लोग इस बात को मानने के लिए तैयार हों, जो इस देश में स्वस्थ, सबल, साक्षर, शिक्षित, समृद्ध और सुखी नागरिक बनाना चाहते हैं, उन धर्माचार्यों को पुरस्कृत कीजिए और जो बाधा पैदा करे उन्हें राष्ट्रद्रोह के अपराध में बंद कीजिए। क्या आप यह डर पैदा कर सकते हैं? राष्ट्र निर्माण कोई सहज बात नहीं है। राष्ट्र का निर्माण बहुत दिल कठोर करके होता है। आप सरकारी नौकरी और सुविधाएं देते हैं, मेरी प्रार्थना है कि आप किसी पर प्रतिबंध मत लगाइए लेकिन जिस तरह से किसी नौकरी के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन निर्धारित करते हैं उसी तरह से एक और योग्यता रखिए कि इन तीन कैटेगरी के नागरिकों को

सरकारी नौकरियों और सुविधाओं में उसी तरह से प्राथमिकता देंगे। जिसे जरूरत है वह उसे करेगा, जिसे आवश्कता नहीं है वह प्राथमिकता लेकर सरकारी नौकरी और सुविधा पाएगा।

महोदया, आप ग्रामीण विकास योजना के लिए जो भी योजनाएं चलाते हैं। मेरा सुझाव है कि इन्दिरा आवास योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन आदि में जनसंख्या के स्थिरीकरण में जो भी नागरिक सहयोगी हों, उन्हें प्राथमिकता दीजिए कि इन्दिरा आवास पहले देंगे, सामाजिक सुरक्षा पेंशन पहले देंगे। "हम दो हमारे दो" को स्थिर करने वाली कैटेगरी में आने वालों को 500 रुपए प्रति माह पेंशन दीजिए। "हम दो, हमारा एक" वाली कैटेगरी में आने वालों को 700 रुपए प्रति माह दीजिए और "हम दो, हमारा न कोई" इनको 1000 रुपए प्रति माह जीवन निर्वाह भत्ता दीजिए, फिर आप देखिए कि इस तरह कैसे नागरिक सहयोगी बनते हैं। लोग फैशन, ठाटबाट, भोग, आराम, लेनदेन, भ्रष्टाचार में करोड़ों अरबों रुपए लुटा देते हैं लेकिन आप राष्ट्र निर्माण के नाम देंगे तो मैं कहता हूं कि गगनचुंबी अट्टालिकाओं में रहने वाले ठाटबाट करने वाले, गिटपिट बोलने वाले, कंठ लंगोट और पैंट पतलून पहनने वाले करें या न करें लेकिन हिन्दुस्तान के गरीबों को पुरस्कार देंगे तो वह जनसंख्या नियंत्रित करके दिखा देगा। लेकिन आप नहीं करेंगे क्योंकि हम बहस करना जानते हैं। अगर आप करना चाहते हैं तो करिए। योजना आयोग में योजना बनाने में इन सबको प्राथमिकता दीजिए।

मुझे पूरा विश्वास है कि भारत का नागरिक, जिसके हृदय में राष्ट्रीयता है, राष्ट्र प्रेम है, जिसके दिल में समाज कल्याण की भावना है और जो इस राष्ट्र को समृद्ध, शक्तिशाली और सम्पन्न बनाना चाहता है, वह आपके इस काम में भागीदार बनेगा, आगे बढ़कर आयेगा। यह आपको करना चाहिए, यह आपको ही करना है, नहीं तो सबकी बात सुनिये, घर में जाकर सोइये, चादर ओढ़कर रहिये, बहस कराइये और बहस का कहीं कोई लाभ न निकले, इससे कुछ नहीं मिलेगा। यदि करना है तो संकल्प लेकर आइये - करो या मरो करके दिखाइये।

SHRI ADHIR CHOWDHURY (BAHARAMPUR): I must appreciate the hon. Health Minister who has already set the tone and tenor of the ensuing discussion. He has already elucidated the whole thing with all the available resources at his disposal.

India is the youngest country in the world. In the year 1790 Venetian monk, Ortis concluded that expansion of population will discontinue. It cannot continue indefinitely. In the later stage Malthus stimulated the discussion on population. Even Charles Darwin theorized the biological evolution which denoted 'survival of the fittest'. So, the fact is that the issue of population is not a new phenomenon. It has been continuing on. In the aftermath of the Second World War when the peace and tranquility descended on the world, we found that population started increasing by leaps and bounds.

First of all, I would suggest the hon. Minister that in India Kerala is the only State which has initiated and achieved population control long years back. So, I would propose the Ministry to replicate Kerala model throughout the country.

Secondly, we should initiate People's Movement on the demographic situation of our country. In the past, common people were afraid of donating blood but now even female members of conservative families are coming forward to donate blood. In the similar way, as there has been universal donation of blood or what was called as the 'Blood Donation Movement' can we not initiate a movement named after 'Stabilization of our Population'?

We have to engage a number of NGOs to educate the common people with regard to the demographic situation of our country. We should even persuade the religious leaders with different hues to come forward and teach their disciples to follow the demographic principles. India is a country of God-fearing people. So, if the religious leaders inculcate the benefit of population control in the psyche of our common people, I think it will have a salubrious effect on the common people.

Madam, India is in a state of demographic transition, however, it is slow and steady. During the demographic transition, it is inevitable that we will be witnessing a population growth. But there lies two points – whether it is an asset or whether it is a liability. I think so far as our economic condition is concerned, it becomes a liability but if we can create a conducive economical as also political and social environment in our country, this population can be turned into an asset and naturally we would be able to call it a demographic dividend.

Insofar as dependency ratio is concerned, I would like to draw the attention of the hon. Minister to it. So far as the dependency ratio is concerned, in 1970, it was 79. It is a ratio between workers and non-workers. In the year 2005, the dependency ratio was brought down to 64. It is estimated that in the year 2025, the dependency ratio will be again brought down to 48 but in 2050, it will have a slight increase and it would become 50. The fact is that we need to put hands on work. If we are able to create employment scenario and skilled development then we will be able to generate surplus and by the surplus, we will be able to invest in our economy which will ultimately help our socio-economic development.

By the year 2020, 25 per cent of our population will be under 15 years of age and 64 per cent will be in the working age group in our country. Madam, you will be interested to note that by 2020, the United States will require 17 million workers; Japan – 9 million workers; China – 10 million workers; and Russia – 6 million workers. So right now, in addition to the control of our population, we need to convert this population into our asset to earn demographic dividend and that should also be our objective.

मैडम, हमारे हैल्थ मिनिस्टर ने एक शेर कहा था, इसलिये मैं भी एक शेर में जवाब देना चाहता हूं।

मैं वो बदनसीब हूं बहादुरशाह जफर, दफन के लिए दो गज़ जमीन भी न मिली कूए-यार में।

ऐसा न हो कि हमारे हिन्दुस्तान में आबादी और जमीन का इतना फर्क हो कि हमें दो गज जमीन न मिले।

SHRI NARAHARI MAHATO (PURULIA): Madam, I am grateful to you for giving me a chance to speak in the discussion on population stabilization. Today, many hon. Members have discussed this issue. My humble submission is that population stabilization is very important for India's future. Everybody knows that population stabilization is now a great challenge to us. After 33 or 34 years, we have discussed it vividly how we can stabilize the population. After 63 years of Independence, we are not able to carry on the population stabilization throughout India because of many hindrances and causes.

Madam, I belong to a remote village where people are totally illiterate. I have seen ignorance. Illiteracy is the main cause of population de-stabilisation. In my parliamentary constituency there is a block which has the lowest literacy rate amongst women not only in West Bengal and India but in the Asia continent. In that block 85% of women population is illiterate.

Madam, my parliamentary constituency is Purulia. It is a very under-developed district in the State of West Bengal where there is a very high rate of illiteracy amongst women. So, the parents of girls, belonging to the backward classes and to the Scheduled Caste and Scheduled Tribe communities, who completes their education upto the matriculation level are afraid to send their daughters to schools that are located a few kilometres away because of security reasons. We have a law in this country that stipulates the age of marriage of boys and girls. The prescribed age limit for marriage, according to the law, is 21 years for boys and 18 years for girls. But in the remote villages, because of security concern of parents for their daughters, they get their daughters married before the prescribed age limit.

Madam, poverty and unemployment are two other main reasons and causes for this. What we need is awareness amongst people. Awareness should be created in the villages, amongst the down-trodden people, people belonging to the Scheduled Caste and Scheduled Tribe communities and people living below the poverty line. There are Anganwadi workers; there are the Ashas, the medical employees and also the NGOs working in the rural field. They have been given the responsibility for creating

awareness amongst masses about the ill-effects of early marriage. Population stabilisation can be brought about by bringing in awareness not only in the health department, but also in the departments of education, rural development and all other allied departments. We can achieve the goal of population stabilisation if we provide facilities in all these sectors.

All political parties and people cutting across caste, creed and religion should come together to achieve this goal. Population stabilisation is a challenge to the people of India. With increased population there is mal-nutrition amongst the people. So, the point that I would like to make is that there should not only be a discussion in the Parliament, but the policies should be implemented and the people belonging particularly to the backward classes, the people belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and living below the poverty line should be made aware of the ill-effects of population de-stabilisation.

*SHRI PRASANTA KUMAR MAJUMDAR : Respected madam chairperson, at the very outset I would like to say that India was the first country to adopt a population policy with the aim to check population growth. But for the last 34 years, this issue was being overlooked. Today, Hon. Minister of Health has taken the right initiative to raise this important subject for discussion in this august House and I congratulate him for that and hope in the future more such discussions will take place.

We all know that if the population of a country in not kept under check, economic development cannot be brought about. Yesterday we had discussed the issue of price rise and one of the major causes of such price escalation is increasing population. India is the second largest populated country in the world after China and by 2030 Indian population will cross the Chinese number causing a population explosion – the figure will become 1.59 billion. The rate of population growth in India is 1.93; crude birth rate per thousand in 27; crude death rate per thousand is 9; fertility rate is 3.3; infant mortality rate per thousand is 72 and the average age of the Indians is 62 years. Not only that, maternal mortality rate is very high – every year more than one lakh women die while delivery. The reason is complications during pregnancy. About 2 crore 70 lakh babies are born each year out of which 15 lakh babies die. The reason for this is early marriage of girls. They conceive at a tender age and there is also no spacing between two child births. Various diseases, malnutrition and unsafe abortion are the causes of mishaps and deaths.

We have seen in China, Bangladesh, Iran the policy of single child is prevalent Infact Iran has a particular rule under which the newly wed couples are to go for compulsory contraceptive courses before obtaining a marriage certificate in order to check population growth. Likewise, India should also have some kind of regulation is place. However, we are not in favour of strict regulation but the Government can evolve a balanced mechanism to arrest exponential growth of population.

---

* English translation of the speech originally delivered in Bengali

What is the reason for such high birth rate in this country? The reasons are illiteracy and less awareness, poverty, backwardness, unemployment. Lots and poverty; they do not know how to read or write and in turn do not care for population control. Thus they give birth to more and more children.

Though the Government has adopted various schemes in this respect like family planning service, community health service, basket of choice, sterilization and tubectomy programmes, recruitment of ASHAs etc. to bring about population stabilization, much more needs to be done. There is also the Population Stabilization Fund. National Rural Health Mission has been initiated to provide better basic healthcare facilities to the poor people of the rural areas with the aim of taking care of the issue of rising population.

We know that there is a policy of 'We two, ours two' (hum do, hamare do) in this country but actually this policy in not followed everywhere. Karnataka has successfully implemented this policy and has been able to arrest increasing population growth.

So I suggest that awareness should be spread; people should be educated more and more; human development should be the first priority; gender equality should be established; health of mothers and babies should be taken care of. This issue of population control and stabilization must be treated as a movement – a movement for a better socio-economic environment – a movement with the same zeal and fervour as in any religious congregation will be able to remain on the fast track of development.

Madam, with these words, I thank you for allowing me to participate in this debate and conclude my speech.

डॉ. संजय जायसवाल (पश्चिम चम्पारण): सभापति महोदया, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने की अनुमति प्रदान की, इसके लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। मैं केवल दो मिनट बोलूंगा।

मैं स्वास्थ्य मंत्री जी का बहुत आभारी हूं, क्योंकि जब से वे स्वास्थ्य मंत्री बने हैं, तब से उन्होंने मीडिया में हमेशा पॉपुलेशन कंट्रोल की बात उठाई है और मैं उन्हें साधुवाद देना चाहता हूं कि आज यहां उस मैटर पर डिसकशन हो रहा है। मुझे तब बहुत खुशी होती, जब सांसद भाषण देने के लिए खड़े होते हैं, वे अपने बच्चों की संख्या के बारे में भी बताते। इससे कम से कम देश में एक मैसेज जाता। मैं अपनी बताता हूं कि मेरे दो बच्चे हैं।

महोदया, जिन आठ स्टेटों की बात कही जा रही है कि वे पीछे छूट गए हैं, उसमें आपको सबसे पहले यह समझना होगा कि वे पीछे क्यों छूटे हैं। इनके पीछे छूटने का सबसे बड़ा कारण हैं- गरीबी और अशिक्षा। जब तक गरीबी और अशिक्षा से उबरेंगे नहीं, तब तक ये पीछे रहेंगे और इन्हें गरीबी और अशिक्षा से ऊपर लाना आपके मंत्रालय के लिए बहुत मुश्किल काम है। यह तो पूरी सरकार का काम है और इसमें बहुत समय लगेगा, लेकिन इन जगहों पर हम कम से कम इंसेंटिव दे सकते हैं।

महोदया, आज हम हर काम को लाभ और हानि की दृष्टि से देखते हैं, फिर चाहे कोई भी काम हो। आज अगर हम कोई राजनैतिक कदम भी उठाते हैं, तो उसमें भी लाभ और हानि देखते हैं। एन.आर.एच. एम. में बच्चा पैदा करने के लिए 1600 रुपए दिए जाते हैं और बच्चा बन्द करने के लिए 500 रुपए दिए जाते हैं। अब आप ही बताइए कि फायदा किस में है, बच्चा पैदा करने में या बच्चा बन्द कराने में? सबसे पहले आपको एन.आर.एच. एम. की इस सोच को बदलना पड़ेगा। मैं माननीय सुप्रिया सुले जी का आभारी हूं कि उन्होंने जो सतारा की बात कही, वह चीज पहले पूरे हिन्दुस्तान में लागू करनी चाहिए। एन.आर.एच. एम. का एक इश्यू होना चाहिए कि जो बच्चे बन्द कर रहे हैं उन्हें हम ज्यादा इंसेंटिव दें, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है।

महोदया, मैं एक चिकित्सक रह चुका हूं और सरकारी अस्पताल में भी एक डॉक्टर के रूप में कार्य कर चुका हूं। मैं एक बात आप सभी को बताना चाहूंगा कि मेरे यहां सरकारी अस्पताल में एन.आर.एच. एम. यानी जननी बाल सुरक्षा का जिस दिन पैसा बंटता है, उस दिन मेला सा लग जाता है। मैंने स्वयं एक महिला को दूसरी महिला से यह कहते हुए सुना है कि देखो, वह तीसरी महिला कितनी भाग्यशाली है कि तीन महीने में वह दुबारा प्रिगनेंट हो गई। हमें पहले यह सोच बदलनी होगी। हम यहां बैठकर यह सोच लेते हैं कि गरीब बहुत बच्चे पैदा कर रहे हैं और उन पर भार पड़ रहा है, लेकिन गरीबों से आप पूछिए, जब वह पांच बच्चे पैदा करता है, तो वह यह नहीं सोचता कि उस पर भार बढ़ रहा है, वह तो यह सोचता है कि मैं अपने पांच हाथ और क्रिएट कर रहा हूं। सबसे पहले हमें इस मानसिकता को बदलने की जरूरत है। वह सोचता है कि पांच बच्चे होंगे तो पांचों खेत में

काम करेंगे और ज्यादा पैदा करेंगे। आप उसे कुछ भी समझाइए, वह नहीं समझता। इसलिए सबसे पहले जरूरी है शिक्षा देने की और उसकी गरीबी दूर करने की।

महोदया, जो हम प्रचार करते हैं, मुझे लगता है कि उस पर हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए। हिन्दुस्तान में जो आई.ए.एस और आई.पी.एस. ऑफीसर हैं या जो 10 लाख रुपए प्रति वर्ष से ज्यादा कमाने वाले हैं और 50 साल से कम के जितने भी सांसद हैं, एक बार उनके कितने बच्चे हैं, यह डाटा लीजिए और रिलीजन वाइज डाटा लीजिए, फिर चाहे वह हिन्दू हो या मुसलमान। जो भी अमीर हैं या पढ़े-लिखे हैं, वे दो या दो से कम ही बच्चे पैदा कर रहे हैं और जो गरीब हैं, वे ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं। आप उनके सामने यह एग्जाम्पल रख सकते हैं कि इस कॉम में इतने आई.ए.एस. हैं, इतने आई.पी.एस. हैं और इतने मंत्री हैं, इनके कितने कम बच्चे हैं, फिर तुम क्यों ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हो?

मैं आपका ध्यान पुनः एन.आर.एच. एम. में जो आपने 1600 रुपए फिक्स किए हैं, उसकी तरफ दिलाते हुए कहना चाहता हूं कि आपने उसकी आत्मा की हत्या कर दी है। एन.आर.एच.एम. का मुख्य उद्देश्य था कि जब पहली बार महिला तीन महीने की गर्भावस्था में अस्पताल आए, तो उसे 100 रुपए मिलेंगे। उसके बाद छः महीने की गर्भावस्था में आएगी, तो 200 रुपए मिलेंगे और जब डिलीवरी होगी, तो 400 रुपए मिलेंगे। इसके बदले हर जगह क्या हो रहा है कि बच्चा जब पैदा हो जाता है, तो उसे 1600 रुपए दे देते हैं। इसलिए नौ महीने तक कोई आशा ध्यान नहीं देती है कि वह महिला को अस्पताल ले जाए या उसे पहले दिखाए। ऐसा नहीं होने के कारण ही हमारी मैटर्नल मॉर्टेलिटी रेट और इन्फेंट मार्टेलिटी रेट नहीं घट रही है।

क्योंकि आशा कार्यकर्ता अस्पताल में वेट करती है कि कब मेरे गांव की महिला आएगी, उसका बच्चा पैदा होगा, हम रजिस्ट्रेशन कराएंगे और पैसा लेंगे। इसीलिए इसका बिल्कुल फर्म नियम होना चाहिए कि जब तक उसकी पहली बार जांच नहीं हो तो यह पैसा कट जायेगा, दूसरी बार नहीं हो तो यह पैसा कट जायेगा, क्योंकि एन.आर.एच.एम. की आत्मा में यह शामिल था और जब पैसे कटने की बात होगी तो वह खुद आशा कार्यकर्ता महिला को लेकर हर हालत में अस्पताल जाएगी और मोर्टेलिटी रेट और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट दोनों में सुधार होगा।

इसके बाद मैं चाहूंगा कि 2012 में जैसे सर्वशिक्षा अभियान आ रहा है तो क्यों नहीं हम 2012 में एक टार्गेट फिक्स करते हैं कि अब तक जो हो गया सो हो गया, लेकिन 2012 के बाद जिसके भी दो से ज्यादा बच्चे पैदा होंगे, उन्हें हम सांसद, विधायक नहीं बनने देंगे, उन्हें बी.पी.एल. परिवार का लाभ नहीं मिलेगा। वहीं अगर कोई दो बच्चे से पहले कोई बच्चे बन्द कराता है तो उसे इन्दिरा आवास योजना में दो यूनिट्स एलाट करेंगे। इससे गरीबों को एक इन्सेंटिव मिलेगा।...(व्यवधान) यह 2012 के बाद के लिए है। मैं भी वही कह रहा हूं।

आपको गरीबों को इन्सेंटिव देने की जरूरत है, अमीर और पढ़े-लिखे तो खुद ही ठीक हैं। आप कहीं पर भी वह रेश्यो उठा लीजिए, उनका रेश्यो ठीक है। वैसे ही आप इन्कम टैक्स में रिबेट दीजिए, जो दो या एक बच्चे पैदा करते हैं। अब जैसे आप महिलाओं को अलग से रिबेट देते हैं, आप कम बच्चे वालों को भी रिबेट दीजिए। इसी तरह से 10 हजार रुपये जैसे माइनोरिटीज़ को टेंथ पास करने के ऊपर इन्सेंटिव दिया जाता है, गांव में कोई भी लड़की अगर दसवीं कक्षा पास करती है और वह अनमैरिड होती है तो हम उसे भी 10 हजार रुपये दें। आप उससे बहुत बड़ा पोपुलेशन कंट्रोल कर लेंगे, लैजिस्लेशन से तो आप कंट्रोल करके देख चुके। आप यह फिक्स कीजिए कि टेंथ क्लास जो गांव की लड़की पास करती है और अनमैरिड है, हम उसे 10 हजार रुपये इन्सेंटिव देंगे। वह 12वीं कक्षा पास करती है तो हम फिर उसे 10 हजार रुपये देंगे। इससे जो 18 साल की लड़कियां हैं, उनको फायदा होगा। अब तक आपको कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन इन्सेंटिव देने से जरूर पोपुलेशन कंट्रोल होगा।

मैंने बिहार में देखा है कि 2005 तक पांच बजे शाम के बाद महिलाओं को तो छोड़िये, कोई पुरुष तक बाहर नहीं निकलता था और अमेरिका जैसे देश में 9/11 के बाद जब फर्टिलिटी रेट बढ़ गया तो बिहार के जिस गांव में पांच बजे के बाद जब पुरुष और महिलाएं बाहर नहीं निकलेंगी तो फर्टीलिटी रेट तो बढ़ना ही है। हमने अभी क्या किया है कि बच्चियों को नवीं कक्षा में एक-एक साइकिल दी है, नवीं कक्षा में जो बच्ची आ जाती है। उसके चलते हम गांवों में देख रहे हैं कि आज पचासों लड़कियां साइकिल लेकर गांवों में निकलती हैं तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है। उसी तरह से हमें एक तरफ इन्सेंटीवाइज़ करने की जरूरत है और जो सरकारी नौकरी में हैं, अगर वह तीसरा बच्चा पैदा करता है, जब वह हमारी नेशनल पॉलिसी के खिलाफ है तो हम क्यों नहीं उसकी सी.आर. से एक प्रमोशन काट लेंगे। इसी तरह से पहले से यह नियम रहेगा तो कोई तीसरा बच्चा पैदा नहीं करेगा, इसलिए थोड़ा सा हार्ड होकर और सॉफ्ट होकर इन्सेंटिव, दोनों देकर हम इस कानून में बहुत कुछ सफल हो सकते हैं।

SHRIMATI BOTCHA JHANSI LAKSHMI (VIZIANAGARAM): Madam. Chairman, Sir I thank you for giving me an opportunity to speak on this very important subject.

First of all, I would like to congratulate the hon. Minister of Health for his serious commitment and concern to move this motion in this august House.

Since independence controlling and stabilization of population growth is one chief focus area of any Government. In spite of all the efforts, the population of the country has increased from 53 crore in 1901 to 101 crore in 2001, in 2009 to 119.8 crore and growing at a rate of 1.4 per cent over the last five years; and I am afraid, if it grows at this rate, India will overtake China by 2050. If this happens in the next forty years, sustainable development will be unattainable in our country. Then, all the economic development will be of no use. All the hon. Members have touched the point about the seriousness of this problem.

This is a serious problem and continues to be so. For all the problems our country is facing, we say the reason is population explosion. Even our hon. Health Minister said while initiating this discussion that population is also one main reason for price rise in our country.

If we go back to the year 2000, it would be clear that the immediate objective of the National Population Policy, 2000 is to address the unmet needs for contraception, health care infrastructure and health personnel, and to provide integrated service delivery for basic reproductive and child health care. The medium-term objective is to bring the TFR (Total Fertility Ratio) to replacement levels by 2010 through the vigorous implementation of inter-sectoral operational strategies. In this connection, I would like to mention that the long-term objective is to achieve a stable population by 2045, at a level consistent with the requirements of sustainable economic growth, social development and environmental protection.

If we go a little back to 1953, it would be clear that the Family Planning Research and Programme Committee, in its first meeting in July, 1953 took a comprehensive and broad view and I quote from its report:

> "The Committee emphasized that the family planning programmes should not be conceived of in the narrow sense of birth control or merely of spacing of birth of children. The purpose of family planning was to promote, as far as possible, the growth of the family as a unit or society, in a manner designed to facilitate the fulfillment of those conditions which were necessary for the welfare of the unit from the social, economic and cultural points of view. The functions of a family planning centre include sex education, marriage counseling, marriage hygiene, spacing of children and advice on such other matters, including on infertility, as necessary to promote welfare of the families."

It is a pity that it paid a lip-service to the rationale and sane advice of the Family Planning Research and Programme Committee in 1953 and instead adopted disjointed, verticalised and top-down contraceptive programmes with targets of sterilization integrated with maternal child health, nutrition, etc. The programmes have not yielded the desired results. On the other hand, issues like gender equity, malnutrition and lack of reproductive rights and choices are key factors contributing to the population growth. For example, the sex ratio stands at 933:1000. As a population stabilization policy, if we go in for a one-child norm, it would further lead to female infanticide and foeticide. In other words, population control has discouraged the birth of girl child. In view of the high infant mortality rate, going in for the one-child norm is also not desirable. For example, in 1961, the IMR was 115 per thousand live births. The current all-India average is 50 per thousand. However, in most developed countries, it is less than five. Population and demographic stabilization, and female literacy play a crucial role. For example, in the State of Kerala, the sex ratio is 1058 per thousand. The infant mortality rate is also very less because all are very well educated. Our State also implements the Girl Child Protection Scheme to curtail foeticide.

For the overall development of the family, it is just not the birth control but the economic development of the women with literacy which is important. This we should start from the lower socio-economic strata of women. An educated woman with self-sufficient economic status is in a better position to take the family forward in the economic development.

It is pertinent to recall what Norman Borlaug, the lone Nobel Laureate in Agriculture and the man credited with feeding the humanity has said in 1970 in his acceptance speech. I quote:

> "There can be no permanent progress in the battle against hunger until the agencies that fight for increased food production and those that fight for population control unite in a common effort. Fighting alone, they may win temporary skirmishes, but united, they can win a decisive and lasting victory to provide food and other amenities of a progressive civilization for the benefit of all mankind."

It is not only true of food production but also about providing quality of life to the people, which involves efficient management of the natural resources which are very scare in our country. … (*Interruptions*) We have the world's largest illiterates and children and women suffering from malnutrition.

The UNDP has placed India at 134th rank in terms of human development indices.

MADAM CHAIRMAN : Nothing will go on record.

(Interruptions) … *

---

* Not recorded

MADAM CHAIRMAN : Nobody is concluding in one or two minutes. This is not correct.

… (*Interruptions*)

MADAM CHAIRMAN : I request all the hon. Members, who want to speak, to speak only for one minute. Please cooperate with the Chair. Otherwise, I will call the hon. Minister to reply.

श्री आर.के.सिंह पटेल (बांदा): सभापति महोदया, मैं मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण विषय पर यहां चर्चा करवाने का मन बनाया और इसके लिए भी धन्यवाद कि उन्होंने 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस पर सब माननीय सांसदों को मुंतखब बनाने का आदेश जारी किया। इस विषय पर बहुत सी बातें आई हैं। मैं बात को ज्यादा लम्बा नहीं करना चाहता। मैं एक शेर के साथ अर्ज करना चाहता हूं -

तमन्ना सच्ची होती है तो रास्ते निकल आते हैं
और तमन्ना झूठी होती है तो बहाने बन जाते हैं।

अगर आप सच्ची तमन्ना लेकर बर्थ कंट्रोल की बहस में आए हैं तो मेरा अनुरोध है कि आप सरकार में बैठे हैं और तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिनका लाभ आम आदमी तक जाता है। अभी हमारे माननीय सदस्य ने एक योजना बताई। गांवों में आशा बहु होती है। आप एक बच्चा पैदा करवाने के लिए 1600 रुपये इनाम देते हैं। हम कहते हैं कि 1600 रुपये की बजाए 16,000 रुपये इनाम दे दीजिए। लेकिन यदि कोई एक बच्चा पैदा करे तो उसे 16,000 रुपये, दूसरा बच्चा पैदा करे तो कोई इनाम नहीं और तीसरा बच्चा पैदा करे तो उसे भारत सरकार द्वारा दी गई सारी सुविधाओं से वंचित कर दिया जाए। अगर इस तरह का कोई कड़ा कानून बनाएंगे तो कुछ होगा। कानून दो तरह से लागू होता है - भय और लालच। भय आप दे नहीं सकते इसलिए लालच दीजिए। हमारे देश में लालच काम करता है। यदि आप लालच देकर ऐसा काम करेंगे तो निश्चित तौर पर जनसंख्या वृद्धि पर कंट्रोल होगा।

श्री विजय बहादुर सिंह (हमीरपुर): सभापति महोदया, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। समय बहुत कम है, इसलिए मैं एक बात रिपीट नहीं करूंगा और न ही एक आंकड़ा देना चाहूंगा। मैं एकदम एसैंस की बात बताना चाहता हूं। मैं एसैंस बताने से पहले यह बताना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी की गंभीरता देखिए कि हम इसमें पूरी स्ट्रैन्थ से हैं। इससे यह जाहिर होता है कि इसका कानून से कोई मतलब नहीं है। इन्होंने एक बार कानून बनाया था तो once bitten twice shy, एकदम साफ हो गए थे। इसमें सामाजिक परिवर्तन होगा। मैं आजाद साहब से सौ प्रतिशत एग्री करता हूं कि यह व्यवस्था कानून से नहीं होगी। अगर हम युद्ध स्तर पर जुट जाएं, इन्होंने जिस तरह बढ़िया आरग्यूमैंट पेश किया कि जब हम लोग दो महीने में सरकार पलट देते हैं, अगर वह इच्छा सबमें आ जाए, मैं इलैबोरोट नहीं करता, इसे पांच हिस्सों में बांटना चाहता हूं। पहला, यह वॉलंट्री होना चाहिए। यह स्टे आर्डर और कानून से नहीं हो सकता, प्रेम वाली बात है। दूसरा, अवेयरनैस। मेरा फार्म हाउस है और मैं पेशे से इलाहाबाद में 38 वर्षों से लॉयर हूं। गांवों में गरीब लोग पूछते हैं कि कंट्रासैपटिव मिलता कहां है। वे जानते ही नहीं हैं। इन्होंने जो योजना बनाई है, अगर घर-घर में कंट्रासैपटिव पहुंचा दें तो इसका रिज़ल्ट तुरंत आ जाएगा। तीसरा, जो टैक्नीकल एडवांसेज़ हैं।

जैसे एक बार बात आयी थी कि फैमिली प्लानिंग का जो आपरेशन होता है, सभापति जी, शायद इसे आपने ही बताया था कि महिलाओं में वह 95 परसेंट और पुरुषों में एक या दो परसेंट होता है। इसका भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमैंट होना चाहिए। लेकिन असली दो बातें हैं। आप रिवार्ड दीजिए और इंसेंटिव में दूसरे को पनिश मत कीजिये। जिसका एक बच्चा है, मुझे एक बार चीन जाने का मौका मिला। मैंने वहां की फर्स्ट सैक्रेट्री से बात की, तो उन्होंने बताया कि वहां दूसरे बच्चे के बारे में कोई कल्पना ही नहीं कर सकता। उनको न एडमिशन मिलता है, उनकी स्कॉलरशिप कट जाती है, उनको सर्विस में प्राब्लम होती है। आप रिवाड्र्स को बढ़ा दीजिए। आप रिवाड्र्स को इतना ज्यादा बढ़ाइये कि उसका रिजल्ट आ जाये। आप एडमिशन में, उनकी सर्विस में, बैंक लोन्स में उनके रिवाड्र्स को बढ़ा दीजिए। अंत में एजुकेशन का मुद्दा आता है। ...(व्यवधान) कांग्रेसी लोग समझ नहीं पायेंगे। ...(व्यवधान)

सभापति महोदया : आप दूसरी बात मत कीजिए।

...(व्यवधान)

सभापति महोदया : आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री विजय बहादुर सिंह : इनकी गलती नहीं है क्योंकि ये घबरा रहे हैं। ...(व्यवधान)

सभापति महोदया: आप अपनी बात पूरी कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री विजय बहादुर सिंह : मैं आजाद साहब को बधाई देता हूं कि इन्होंने कितना ब्रेव कदम लिया है कि 33 साल बाद कम से कम इनमें क्षमता आयी।

अंत में मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश में, मुख्य मंत्री जी ने ...(व्यवधान) वही राज करेंगी, आप घबराइये नहीं। जो लड़की हाई स्कूल पास करती है, उसे दस हजार रुपये और साइकिल देते हैं। जो लड़की इंटरमीडिएट में जाती है, उसे पन्द्रह हजार रुपये देते हैं और अगर लड़की पैदा होती है, उसके नाम से एक लाख रुपये का बीमा हो जाता है और जब वह 18 साल की होती है, तो उसे एक लाख रूपये मिलते हैं। इससे भ्रूण हत्या और सैक्स को किल कराने का मामला खत्म होगा। हम अपना स्वार्थ देखते हैं। ...(व्यवधान)

सभापति महोदया : आपको बोलते हुए पांच मिनट से ज्यादा हो गए हैं, इसलिए अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री विजय बहादुर सिंह : आप इतनी लंबी बहस कर रहे हैं। इसको आप इम्प्लीमैंट कीजिए और कानून से मत कीजिए। आप इस बारे में अवेयरनैंस कराइये और बेस बनाइये। ...(व्यवधान)

सभापति महोदया : कमल किशोर जी, आप बोलिये।

श्री विजय बहादुर सिंह : मैं दूसरी बात बताना चाहता हूं।

सभापति महोदया : विजय बहादुर सिंह जी, अब आपकी कोई भी बात रिकार्ड में नहीं जा रही है, इसलिए आप बैठ जाइये।

केवल कमल किशोर जी की बात ही रिकार्ड में जायेगी। उसके अलावा किसी की कोई बात रिकार्ड में नहीं जायेगी।

...(व्यवधान) *

---

* Not recorded

श्री कमल किशोर कमांडो (बहराइच): सभापति महोदया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं स्वास्थ्य मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं, जो बहुत हिम्मत जुटाकर इस प्रस्ताव को सदन मे लाये हैं। यहां बहुत सारी बातें हो गयीं जिन्हें मैं सुनता रहा। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर जनसंख्या को रोकना है, तो शिक्षा जरूरी है। मैं जिस इलाके से आता हूं या जिन इलाकों में घूमकर देखा है, हिन्दुस्तान के चारों तरफ मुझे नहीं लगता है कि कोई भी ऐसा इलाका है, जिसे मैंने न देखा हो। जो लोग केवल झुग्गी-झोंपड़ियों में रहते हैं, वहां से संख्या बढ़नी शुरू हो जाती है। आप लोग अपनी आंखें खोलकर देखिये। गरीबी तभी दूर हो सकती है जब सबको शिक्षा मिलेगी। शिक्षा पर अगर हम लोग ध्यान देंगे तो आटोमेटिकली जनसंख्या पर बिल्कुल असर पड़ेगा।

अभी माननीय सदस्य बात कर रहे थे। मैं उत्तर प्रदेश की बात करना चाहता हूं जहां आज भी लोग जंगलों में वास करते हैं। वनवासी, जहां वनगांवों में आज भी वास करते हैं, उन वनगांवों में आज छोटी झोंपड़ी डालकर एक परिवार, जहां अपंग लोग रहते हैं, उनके चार-चार बच्चे हैं।

इसका कारण यह है कि वे शिक्षित नहीं हैं। अगर हम शिक्षा पर ज्यादा ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से यहां की आबादी कम होगी। अभी बीएसपी के माननीय सदस्य बोल रहे थे, वह समय याद कीजिए जब इंदिरा गांधी जी ने इस तरह का कदम उठाया था, उस वक्त हम लोगों को बड़ी हार का सामना करना पड़ा था। मैं वर्ष 1976-77 की बात कर रहा हूं। ...(व्यवधान)

MADAM CHAIRMAN : Shri S.K. Bwiswmuthiary ji.

… (*Interruptions*)

श्री कमल किशोर 'कमांडो' : आज हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने यह कदम उठाया हुआ है।...(व्यवधान)

MADAM CHAIRMAN: Nothing will go on record.

(Interruptions) … *

श्री कमल किशोर 'कमांडो' (बहराइच) : मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

MADAM CHAIRMAN: Shri S.K. Bwiswmuthiary *ji*, speak for only two minutes; not more than that.

* Not recorded

SHRI SANSUMA KHUNGGUR BWISWMUTHIARY (KOKRAJHAR): Madam, on 23rd of July, last month, there was a meeting at Room No. 53 among different political Parties, and it was decided that a single-Member Party will be allowed to speak sufficiently.

आपने मुझे इस मामले के ऊपर कुछ बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं और साथ ही साथ वर्तमान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री आजाद जी को मैं बधाई देना चाहता हूं। हिन्दुस्तान की जनसंख्या में आज जो विस्फोट हुआ है, वह देश के लिए एक बहुत खतरनाक स्थिति बन गयी है। यहां बैठे हुए जितने आदरणीय सांसदों ने अपने परामर्श दिए हैं, मैं उन सभी से सहमत हूं, लेकिन मेरा कहना है कि जबर्दस्त, खतरनाक कानून बनाकर, उसे इम्पोज करके इस मिशन को कभी सफल नहीं कर पाएंगे। It can be done only through voluntary persuasion. Here again I would like to say कि अगर कोई जबर्दस्त कानून बनाकर हिन्दुस्तान के लोगों को अगर दबाना चाहे, इम्पोज करना चाहे, तो करे, लेकिन हमारे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों ऊपर उसको कदापि लागू नहीं करना चाहिए। आज हिन्दुस्तान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति लोगों की आबादी इतनी ज्यादा नहीं है। आज हिन्दुस्तान में जितनी बड़ी-बड़ी पोलिटिकल पार्टीज हैं, जितने बड़े नेता हैं, उनकी सोच में भी बदलाव लाना होगा। आज क्या हो रहा है? इस हाउस में 545 सांसद हैं, जब मंत्रिमंडल बनाते हैं, कुछ संवेदनशील मुद्दों पर जब बहस या चर्चा होती है, तो नंबर-गेम चलता है। अगर आप इस कल्चर को हमेशा लागू करते रहेंगे, then why would the tribal people of India reduce their population? Rather they would try to increase their population.… (*Interruptions*)

What is happening nowadays in the State of Assam? नेचुरल ग्रोथ के कारण से हिन्दुस्तान की जनसंख्या वृद्धि में इतनी खतरनाक सिचुएशन पैदा नहीं हुई। Apart from the natural growth, there is unnatural growth of the population by way of huge influx of illegal migrants into Assam from the neighbouring countries like Bangladesh etc. . वहां के जितने इंडिजनस लोग हैं, उनकी हालत बहुत खराब है। What kind of policy the Government of India is going to adopt in this regard? This is my vital question. What kind of medical and health care facilities, what kind of educational facilities are going to be given to the backward and tribal areas? This is a very vital question.… (*Interruptions*)

MADAM CHAIRMAN: Nothing else will go on record.

(Interruptions) … *

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी : मैडम, इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

* Not recorded

*SHRI J.M. AARON RASHID (THENI): In India/ China population is increasing. We have to bring awareness among the people and the important community leaders. A government consultation among the leaders of community can be called for in all districts. Because of over population our people are not getting jobs. We are going to foreign countries like Singapore/ Malaysia/ Dubai/ Saudi Arabia etc. There they are exploited. We have to see that other human resources should be strengthened. The NDA is particularly speaking about minorities for population growth. It is really not the old days of thakurs giving birth to 10 to 14 children. We have to bring awareness of population growth in remote villages and hilly areas where SC/ ST/OBC and minorities are living. Going on accusing a particular community is not fair on our part. Now minorities are giving birth to one or two children only in these days. It is very difficult to maintain the family, to give education and getting jobs. Minority has been sidelined.

I request the Government of India to give job reservation to minorities as you have already given to SC/ST.

The Government should encourage small families who are having one or two children by giving free education and government job assurance. Rural hospitals are there but without doctors / nurses and adequate medicines. The UPA Government should bring all rural hospitals on line and doctors and other staffs attendance should be strictly maintained in the larger interest of our country.

By going on bringing computer revolution in all sectors, many will become jobless like in US/ USSR. The Government have to stop child marriages. The Government should bring awareness programmes through NGOs and other social welfare organizations. Our population growth is increasing like China and in another 10 years we may cross China also.

If population increases, the government also have many things to do – to give water, electricity, good food and other facilities like education/ job / house etc. To avoid all these, the Government have to bring good schemes and incentives to those who have

* Speech was laid on the Table

only one children. If they have two, somewhat less so that the family may not have more than two children. I welcome this motion and with these words I conclude.

20.00 hrs.

सभापति महोदया : आठ बज रहे हैं,अभी एक और माननीय सदस्य को अपनी बात कहनी है। मैं उनसे निवेदन करूंगी की वह एक मिनट में अपनी बात समाप्त करें। उसके बाद मंत्री जी जवाब देंगे इसलिए हम सदन का समय आधा घंटा और बढ़ाकर साढ़े आठ बजे तक कर देते हैं।

डॉ. प्रभा किशोर ताविआड (दाहोद): सभापति महोदया, मैं आपकी बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे इस विषय पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं एक गायनोक्लोजिस्ट हूं। मुझे आज बहुत खुशी हुई कि सदन में आज से 35 साल पहले इंदिरा जी ने बहुत दूरदर्शिता दिखाई थी और इस मुद्दे को रखा था। आज फिर उस विषय को यहां उठाया गया है, मैं उसकी प्रशंसा करती हूं और मुझे इस बात की बहुत खुशी है। अगर उस समय जो अभियान इंदिरा जी ने शुरू किया था, अगर उस पर अमल किया जाता, तो आज भारत की तस्वीर कुछ और होती। इस अवधि में गंगा में पानी बहुत बह गया और हिन्दुस्तान की आबादी भी बहुत बढ़ गई। आज कहा जाता है - हम दो, हमारे दो। मैं मंत्री जी को बधाई देते हुए एक अन्य स्लोगन देना चाहती हूं -पहला बच्चा अभी नहीं और दो के बाद कभी नहीं। अगर हम इस पर अमल करें, तो आबादी पर कंट्रोल किया जा सकता है। वैसे हमने इस सम्बन्ध में काफी बातें की हैं, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगी। Education is an important factor; employment is also an important factor. We can extend the facility of compulsory and free education for ladies up to the age of 18 years. Priority is to be given to ladies in employment. Supposing, there is one vacancy and for it one girl and one boy have applied, priority should be given to the girl.

Madam, you would find that the ladies who are doing jobs are always adopting the family planning. At the level of Zila Panchayat, Taluka Panchayat and Gram Panchayat, we are implementing two child norm. But you would find that many MPs and MLAs are not following this norm. Even persons in the Government services are not adopting this norm. I have seen even so many Class I officers who are having three to four children. This is the situation now.

In regard to पहला बच्चा अभी नहीं और दो के बाद कभी नहीं, temporary means are very effective, like copper-T etc. I know it because I am a gynaecologist. Many incentives are being given.

I know time is very less and so many speakers are still there to participate. In the end I would say that if we create awareness, everybody would start following these norms in each and every castes and community. I have seen it happening. I was practising in Godhra and I saw these family planning measures implemented there.

With these few words, I conclude.

[*] **श्री नारायण सिंह अमलाबे (राजगढ़):** आज जनसंख्या स्थिरीकरण प्रस्ताव जो स्वास्थ्य मंत्री जी ने रखा है, मैं उसका स्वागत करता हूं और इसके बारे में अपनी बात कहना चाहता हूं।

1. जनसंख्या स्थिरीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए बालिका शिक्षा के लिए केन्द्र सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उससे जागरूकता आएगी और आने वाले समय में निश्चित रूप से जनसंख्या स्थिरीकरण का जो कदम उठाया है, उसमें सफलता मिलेगी।
2. गरीबी भी बढ़ती जनसंख्या का एक कारण है। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना जब से चली है, उसके बाद बेरोजगारी मिटने लगी है, लोगों को रोजगार और सारी सुविधाएं मिल रही हैं, पूरे देश में गरीबी कम हो रही है और इसके साथ ही साथ जागरूकता भी आ रही है। निश्चित रूप से इस योजना का लाभ मिलेगा और इससे बढ़ती जनसंख्या पर रोक लगेगी, जागरूकता आएगी।
3. ग्राम पंचपायतों में जो महिला आरक्षण लागू हुआ है, उससे भी जनसंख्या पर रोक लगेगी।
4. राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत गांव-गांव तक बिजली पहुंचेगी और टीवी एवं मनोरंजन के साधन जब गांव-गांव में पहुंचेगे और वहां लाइट मिलेगी तो निश्चित रूप से बढ़ती जनसंख्या पर रोक लगेगी।

[*] Speech was laid on the Table

श्री रमाशंकर राजभर (सलेमपुर): सभापति महोदया, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मंत्री जी ने एक अच्छा कदम उठाया है। लेकिन जो आंकड़े विवाह और मृत्यु दर के सम्बन्ध में आए हैं, उन पर मेरी सरकार से सहमति नहीं है। जब हमारे देश में विवाह का रजिस्ट्रेशन ही नहीं होता। इसलिए 15 वर्ष से 16 वर्ष के और 25 वर्ष से 30 वर्ष की आय वर्ग के आंकड़े कहां से आ रहे हैं? देश में जो आंकड़े आ रहे हैं कि इस प्रांत में इतनी स्थिरता हुई और उसमें इतनी हुई। पोस्ट ग्रेजुएट के आंकड़े इकट्ठा किए जाएं, तो वहां परिवार नियोजन की और परिवार कल्याण की सारी योजनाएं अपने आप पहुंच चुकी हैं। इसलिए कि जहां सरस्वती और लक्ष्मी पहुंच गईं, वहां जनसंख्या में स्थिरता आ गई। लेकिन जहां दरिद्र नारायण है, जहां अंधविश्वास है, वहां काम करने की जरूरत है। जब हमने इस बात को चिन्हित नहीं किया, तो चाहे वह झारखंड हो, यूपी हो या केरल हो या बिहार का हो, डाक्टर या इंजीनियर अगर पूरे देश का है, वहां जनसंख्या रुकी है। लेकिन मनरेगा का मजदूर चाहे केरल का है, चाहे बिहार या यूपी का है, वह जनसंख्या नहीं रोक सका। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि पहले चिन्हिकरण को ठीक किया जाए। जो क्लास चलती है, जो ट्रेनिंग सेंटर्स चलते हैं, जिसे भी आप दरोगा बना देते हैं, उसे उस विद्यालय से आगे काम करने के लिए भेजते हैं और जो वहां दूसरे ट्रेनिंग लेते हैं, वहां उनकी फिर ट्रेनिंग कराते हैं। जब इस देश में गरीब के पास ही यह समस्या है तो उसका कारण है कि गरीब के अंदर एक लज्जा है। आपने आशा बनाई, उम्र रखी है 18 वर्ष। 18 वर्ष से 25 वर्ष की इस देश की बिटिया जो लज्जा से ओत-प्रोत है वह कभी भी परिवार नियोजन की विधाओं का प्रचार करने गांव में नहीं जा सकती है, उसके अंदर भारत की संस्कृति है, उसके अंदर भारत की सभ्यता है, वह प्रचार करने गांव में नहीं जा सकती है। इसलिए गोपनीय ढंग से गांव के स्तर पर जब आप इसे पहुंचाएंगे, तभी यह संभव हो पाएगा, नहीं तो 80 प्रतिशत लोग जो गांव में निवास करते हैं, जब पांच बच्चों के बाप हो जाते हैं तब उन्हें परिवार नियोजन की विधाओं से जानकारी होती है।

श्री गुलाम नबी आज़ाद : सभापति महोदया, सभी दलों के 29 सांसद इस विषय पर बोल चुके हैं, मैं उन सभी को बधाई देना चाहता हूं। मुझे जो लम्बी बात करनी थी वह मैंने शुरु में ही कर दी, अब में 5-6 मिनट से ज्यादा समय नहीं लूंगा।

जनसंख्या के स्थिरीकरण के प्रस्ताव पर बहस करने का जो लक्ष्य था, वह सवाल-जवाब का नहीं था। यह कोई प्रश्नकाल नहीं है, यह कोई बिल नहीं है जिसमें यह प्रावधान रखा जाए, वह प्रावधान रखा जाए। जैसा मैंने शुरु में कहा था कि यह प्रस्ताव हमने इसलिए रखा कि कई सालों से 34-35 वर्षों से परिवार-नियोजन के बारे में सिर्फ दफ्तरों में चर्चा होती रही, चाहे वे केन्द्रीय सरकार के दफ्तर हों या राज्य सरकार के दफ्तर हों। लेकिन जो असली प्लेटफार्म संसद और विधान सभाए हैं, जिला-परिषद् हैं, जहां कानून बनाए जाते हैं, जहां वातावरण बनाया जाता है, उनके बीच में अगर चर्चा न हो तो आफिसर्स का मन भी खट्टा होता है। मैं ऑफिसर्स को इसका दोष नहीं देता। जब मैंने कहा कि एयर-कंडीशन्ड कमरे में बैठकर काम होता है, तो यह केवल दिल्ली का सवाल नहीं है और यह पिछले 34-35 वर्षों से हो रहा है। किसी भी सरकार की पार्टी क्यों न हो, कोई भी ऑफिसर क्यों न हो, जब उन्होंने देखा कि राजनेता ही इस विषय में रुचि नहीं लेते हैं और आप जानते ही हैं कि सरकार में कर्मचारी और ऑफिसर्स उस काम को ज्यादा लगन से आगे बढ़ाते हैं जिसमें सरकार चलाने वाले नेता और उसके साथ-साथ विपक्ष का रोल हो। आज वह तीस साल वाली राजनीति नहीं है जब इमरजेंसी में यह बात हुई थी। उस समय कांग्रेस का राज था, दिल्ली में अपने बलबूते पर गवर्नमेंट थी और हिंदुस्तान के एक-आध राज्य को छोड़कर सभी राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन आज कोई पार्टी अगर यहां विपक्ष में है तो वह पार्टी, उसी का दल किसी न किसी राज्य में सत्ताधारी पार्टी है। आज सभी विपक्ष में हैं और सभी सत्ताधारी हैं। आज कोई यह नहीं कह सकता कि कौन सत्ता में है और कौन विपक्ष में है।

अगर मैं यहां सत्ता में हूं, तो यूपी में विपक्ष में रहूंगा। अगर यूपी वाले हमारे साथी वहां सत्ताधारी हैं, तो यहां विपक्ष में हैं। सभी पार्टियों में ऐसा ही है। आज की जो जिम्मेदारी है, वह वर्ष 1975 से बिलकुल हटकर है। उस समय केंद्र सरकार और राज्य सरकारें, एक नेता एक नीति थी, लेकिन आज अनेक नेता हैं, अनेक नीतियां हैं, अनेक पक्ष हैं, अनेक विचार धाराएं हैं। इन अनेक विचारधाराओं में हमारे भारत का गौरव है कि हमारे विशाल देश में बहुत धर्म हैं, बहुत भाषाएं हैं, अनेकता में एकता है। यही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। यही हमारी ताकत है। विश्व में अगर हमें मान्यता मिलती है, तो इसलिए मिलती है कि अनेकता में एकता हो कर, इतने धर्म इतनी जातियां हो कर हम लोकतंत्र को चला रहे हैं। जो देश दो सौ, तीन सौ, चार सौ साल से लोकतंत्र चला रहे हैं, हम उनसे अच्छा लोकतंत्र चला रहे हैं। उन पर पिछले कई सालों से संदेह हो रहा है, लेकिन हमारे चुनावों पर संदेह नहीं हो रहा है। व्यक्तिगत संदेह हो सकता है, लेकिन समूचे देश पर नहीं हो सकता है। यही हमारी ताकत है, इसी

अनेकता में एकता है। इस समय जो हमारी अनेकता है, उसे हम इस मुद्दे को लेकर एकता में बदलना चाहते हैं। एक व्यक्ति या एक पक्ष या एक सत्ताधारी विपक्ष का मसला नहीं है। इतनी अच्छी बातें हुईं, एक पल के लिए भी मुझे यह नहीं लगा कि कौन सत्ताधारी है और कौन विपक्ष का सदस्य है। हम यहां एक घंटे का प्रश्नकाल चलाते हैं या दूसरी चर्चा करते हैं, तो दस बार इंटरअपशन होती है। आज साढ़े पांच घंटे की चर्चा में एक बार भी टकरार नहीं हुई, टकराव नहीं हुआ। यह इस बात का सबूत है कि हम सभी एक मत के हैं। हम सभी को समझ आया है कि जिस रास्ते पर पूरा देश चल रहा है, जिस प्रकार से आबादी बढ़ती जा रही है, अगर यह आबादी इसी स्तर से बढ़ती जाएगी, तो हमारे देश के लिए यह बहुत खतरनाक चीज है। हमारे बच्चों के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए यह बहुत खतरनाक चीज है। यहां उल्लेख हुआ कि कई तरह की बीमारियां हैं, गुंडागर्दी है, बेरोजगारी है, जमीन के लिए झगड़े भी हैं तथा दूसरे भी कई प्रकार के मसले हैं। यदि जमीन छोटी हो जाती है, तो उस पर झगड़े हो जाते हैं। खाने के लिए जमीन पर झगड़े हो जाते हैं। घर बनाने के लिए जमीन पर झगड़े हो जाते हैं। आज सोने और चांदी की कीमत नहीं है। आज जमीन की कीमत है। आज जो बुद्धिमान आदमी हैं, जो पैसा बनाते हैं, वे सोना चांदी खरीद कर घर में रखना नहीं चाहते हैं, बैंकों में पैसा नहीं रखते हैं, बल्कि वे जमीन का टुकड़ा खरीदते हैं कि वह पड़ा रहेगा और 15-20 साल में इससे एक हजार गुना कीमत पर बेचेंगे। आखिर क्यों जमीन की कीमत बढ़ती जा रही है, क्योंकि जमीन कम है और आदमी ज्यादा हैं। आज से पचास साल पहले, सौ साल पहले जमीन की कीमत क्यों ज्यादा नहीं थी, क्योंकि जमीन ज्यादा थी और इस्तेमाल करने वाले लोग कम थे। जमीन को इस्तेमाल करने की जरूरत कम थी।

आज घर बनाने के लिए जमीन नहीं मिलती। हमारे जैसे आदमी जो 30-35 साल से ढूंढ रहे हैं कि कहीं मिले लेकिन जमीन लेने की हिम्मत नहीं है कि मकान बना लें। साधारण आदमी कहां से बनाएगा? हमारे मुल्क में यह स्थिति बढ़ती हुई आबादी की वजह से पहुंच गई है। खतरे की घंटी तो बहुत पहले बज गई थी, अब खतरे की घंटियां बज गई हैं। अब अगर हमें खतरे की घंटियां भी नहीं सुन रही हैं तो हमारे में कोई नुक्स है। मैं विस्तार में चर्चा नहीं करूंगा संक्षेप में बात कहूंगा। मैंने सब चीज विस्तार से देखी है और सब के भाषणों में जो बात है, मैंने उनमें से एक-एक प्वाइंट निकाला है। मैं इस बात पर पहुंचा कि माननीय सदस्यों ने सबसे ज्यादा बात इन्सेन्टिव के बारे में कही है। यह बात अलग-अलग किस्म के इन्सेन्टिव के बारे में है। सहुलियतें, रिवाड्र्स सरकारी नौकरी, बैंक लोन, महाराष्ट्र या यूपी में लड़कियों को शिक्षा देने के बारे में हैं, इन पर सबसे ज्यादा चर्चा हुई है। मेरा लक्ष्य भी यही था और मैंने शुरू में कहा कि जब हम कमरे में बैठकर पॉलिसी बनाते हैं तो हमारे समूचे देश की सोच उसमें नहीं आती। आज सामने आ गया कि इस देश के चुने हुए नुमाइंदे क्या चाहते हैं। एक बात और उभर कर आई है कि बढ़ती आबादी के बहुत से कारण हो सकते है और सबसे बड़ा कारण गरीबी, बेकारी और बेरोजगारी है। यह ज्यादा वहीं भागती है जहां गरीबी है। गरीबी के साथ सब चीजें जुड़ी हैं। गरीब के साथ बीमारी जुड़ी है, बेकारी

जुड़ी है, अनपढ़ता जुड़ी है, तमाम चीजें जुड़ी हैं। जिसके कारण उसे यह मालूम नहीं कि मैं एक बच्चा पैदा करूं या दस करूं। सड़क पर तो एक बच्चे वाला भी है और दस वाला भी है। इससे यह बात उभर कर आ गई न सिर्फ हैल्थ मिनिस्ट्री को ही नहीं बल्कि पूरी सरकार के साथ राज्यों में जो सरकारें हैं, उनको भी इस बात पर विचार करना होगा।

इसी तरह से चाइल्ड मैरिज के बारे में चर्चा हुई है। लड़कियों की शिक्षा के बारे में बात हुई। इसके साथ दो बच्चे वालों के लिए इन्सेन्टिव की बहुत बात हुई और डिसइन्सेन्टिव भी देने की बात हुई। जहां इन्सेन्टिव की बात हुई वहां बहुत से साथियों ने कहा कि डिसइन्सेन्टिव भी देना चाहिए। दो से ज्यादा बच्चे पैदा होने पर नौकरी नहीं देनी चाहिए, उनके लिए यह चीज नहीं होनी चाहिए, वह चीज नहीं होनी चाहिए। इस बारे में बहुत साथियों ने कहा। एक और बात उभर कर आई है और इसमें बहुत दम है। हम टेलीविजन में देखते हैं कि बहुत सी चीजें छाई हुई हैं और इनमें धार्मिक नेताओं का बहुत बड़ा रोल है। मुस्लिम धार्मिक नेता बहुत कम टेलीविजन पर दिखते हैं, जाकिर साहब पीस टेलीविजन में आते हैं बहुत अच्छी बातें बताते है, कुरान की इन्टरप्रेटेशन बहुत अच्छी करते हैं। मैं हिंदू धार्मिक नेताओं के बारे में कह रहा हूं कि कुछ धार्मिक नेताओं की बात बहुत अच्छी लगती है। मैं हिंदू धार्मिक प्रोग्राम में देखता हूं कि वे कितनी अच्छी सैक्युलरिज्म की बातें कहते हैं। आम तौर पर देखा जाता है कि हिंदू धार्मिक नेता को सुनते नहीं हैं और दूसरे धर्म का आदमी सोचता है कि पता नहीं, यह हिंदू धर्म का प्रचार कर रहा है।

लेकिन यदि आप एकाध घंटा देखेंगे तो वे इतनी अच्छी-अच्छी बातें करते हैं कि दूसरे धर्मों को भी उनसे फायदा होता है। यह बात भी यहां उठी कि अगर इस काम को, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए धार्मिक नेता हो या धर्मगुरू हो, यदि हम उनका भी उपयोग करेंगे तो इस काम को आगे चलाने में बहुत फायदा होगा। कानून बनाने की बहुत सारे लोगों ने अलग-अलग बात की। वर्ल्ड पापुलेशन डे के बारे में एक दिन या एक हफ्ते के बजाय 15 दिन की बात की। कई माननीय सदस्यों ने कहा कि शादी की उम्र 18 साल के बजाय 23 या 25 साल करो। बर्थ और डैथ रजिस्ट्रेशन के बारे में बात की। इसी तरह से इच्छा शक्ति और आम सहमति की भी यहां बात कही गई और कहा गया कि बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ जो अनाज पैदा हो रहा है, उसका मिसमैच है। आबादी ज्यादा बढ़ती रही है। मैं शायद यहां भूल गया, लेकिन पहले कह चुका हूं कि हर साल हमारे यहां दो करोड़ सत्तर लाख बच्चे पैदा होते हैं। मुझे याद है जब मैंने राजनीति शुरू की थी तो उस वक्त हम कहते थे और आप सुनते थे कि हम हर साल एक आस्ट्रेलिया पैदा करते हैं और उस वक्त आस्ट्रेलिया की जनसंख्या एक करोड़ थी। साथ में यह भी बोलते थे कि एक आस्ट्रेलिया हम एक साल में पैदा करते हैं, क्योंकि आस्ट्रेलिया की जनसंख्या एक करोड़ है। अभी मैं हैल्थ मिनिस्टर बना हूं और राजनीति में हूं और वे एक करोड़ से दो करोड़ सत्तर लाख तक पहुंच गये। आप अंदाजा लगाइये कि अब कितने आस्ट्रेलिया, कितने न्यूजीलैंड और कितने देश हम हर साल पैदा करते हैं।

जाहिर है जिस गति से हम बच्चे पैदा करते हैं, उस गति से हम अनाज पैदा नहीं करते। इसलिए यह हमारे लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है।

सभापति महोदया, एक बहुत अच्छी बात शादियों के बारे में उभरकर आई। जैसा मैंने पहले ही उल्लेख किया था कि 15,16 या 17 साल की बच्चियां होती हैं और अधिकतर देखा गया है कि कहीं भी शादी हो, नेता को जरूर बुलाया जाता है और सिर्फ एक पार्टी या एक दल के नेता को नहीं बुलाया जाता, बल्कि सभी दलों के नेताओं को बुलाया जाता है। क्योंकि अब लोग भी बड़े चालाक हो गये हैं, वे जानते हैं कि आज यह सत्ता में हैं, कल दूसरा सत्ता में होगा, परसों पहले वाला सत्ता में था। इसलिए सबको जोड़ लो, कौन कब सत्ता में आ जाए, इसलिए वे शादी में सबको घेर लाते हैं। यदि अगर हम सारे नेता हर लैवल पर यह निर्णय ले लें कि वहां नहीं जाए, बल्कि पहले उम्र मालूम करायें। आप यदि एक महीना पहले इंक्वायरी शुरू करेंगे तो उसका बहुत फर्क पड़ेगा। क्योंकि कानूनन 18 साल की उम्र तक आप शादी नहीं कर सकते। परंतु जब एमएलए और एमपी उसकी इंक्वायरी शुरू करेगा और वह अखबार में आने लगेगा तो यदि एक आदमी की इंक्वायरी होगी तो उसके गांव के सौ लोग सतर्क हो जायेंगे कि एमपी साहब, मिनिस्टर साहब या एमएलए साहब ने इंक्वायरी कराई और पुलिस के थानेदार को बताया, चौकीदार को बताया, नम्बरदार को बताया या रेवेन्यू ऑफिसर को बताया कि इसकी उम्र कितनी है। इसलिए भाई बचे रहो, अब चाहे वह उस वक्त गलत लिखाये, लेकिन दूसरे लोग इस मामले में सतर्क रहेंगे। यह बात भी यहां आई। ...(व्यवधान) अब इसी में अगर हम डर कर करेंगे तो फिर कुछ नहीं कर पायेंगे। जो डर गया, वह मर गया। यदि गांव के लोगों के डर से नही मरना है तो वैसे ही 20-30 साल के बाद भूखे मर जाओगे। यह बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, ये तमाम चीजें आप लोगों ने बताई हैं। जो मेरे मुंह से आ रही हैं, ये बातें आप लोगों के बीच से उभरकर आई हैं, मैं उनका खाली उल्लेख कर रहा हूं कि ये चीजें यहां उभरकर आई हैं।

इसी तरह अल्ट्रासाउंड के बारे में चर्चा हुई। हमारी एक बहिन, जो पंजाब से हैं, ने अच्छा भाषण किया और बताया। जहां दूसरी चीजें टीएफआर के बारे में अच्छी हो रही हैं लेकिन पंजाब में लड़कियों की संख्या बहुत कम है और कम हो रही हैं। ये इसलिये कम हो गई हैं क्यों कि अल्ट्रासाउंड से मुसीबत हो गई है आप गर्भवती महिला को देखते हैं, वे अल्ट्रासाउंड कराती हैं कि लड़का है या लड़की है,, यदि लड़की है तो अबौर्शन करा देती हैं। देश के कुछ राज्य ऐसे हैं - जैसे पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड जहां लड़कियों की कमी आ गई है। लड़कियां कम लेकिन लड़के ज्यादा हो गये हैं। जैसे आने वाले वक्त में जमीन और अनाज के बीच की खाने वाले और पैदा करने वाले की प्राब्लम है, उसी तरह लड़के और लड़कियों की मुसीबत हो जायेगी। यह तो एक नेचुरल प्रोसैस है कि लड़के और लड़कियां बराबर होनी चाहिये जिसमें थोड़ा फर्क हो। लेकिन अगर इतना ज्यादा फर्क हो तो बहुत ज्यादा मुसीबत हो जायेगी, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या पैदा हो जायेगी। अल्ट्रासाउंड के लिये तो कानून बना है कि जो अबौर्शन अल्ट्रासाउंड के जरिये करेगा, उसका लाइसैंस जब्त हो जायेगा, उस पर एक्शन होगा, वह जेल जायेंगे लेकिन इसे इंपलीमेंटेशन करने की जरूरत है।

सभापति महोदया, इसी तरह फैमिली प्लानिंग के जो इंटरनैशनल इंस्टीट्युटस हैं, उनके बारे में चर्चा हुई। कई ऐसी बातों पर यहां चर्चा हुई जिन्हें हम चाहते थे। अब मैं दो-तीन बातें आपसे कहना चाहूंगा। एक तो यह कि जो आपने बताईं। आपसे एक हफ्ता...(व्यवधान)

SHRI SANSUMA KHUNGGUR BWISWMUTHIARY (KOKRAJHAR): What about the two issues – checking infiltration from Bangladesh and giving special concession to tribal people – that I have raised?

श्री गुलाम नबी आजाद: वह तो फॉरेन मिनिस्टर और होम मिनिस्टर बतायेंगे। हम तो यहां पापुलेशन के बारे में बात कर रहे हैं। जो कॉमन बातें थीं, उनका मैंने उल्लेख किया। जैसा मैंने शुरु में कहा कि अभी जो हमारी पौलिसी थी, वह कानून के जरिये नहीं बल्कि अवेयरनैस के जरिये थी। । यह पौलिसी अभी तक मौजूद है। हमारे साथी कहते थे कि सख्त कानून के बगैर नहीं हो सकता है, ऐसा मेरा मानना नहीं है। आखिर क्यों? मैंने जिन 14 राज्यों का अपने भाषण में शुरु में उल्लेख किया कि वे पूर्व, पश्चिम, उत्तर दक्षिण के हैं, सैंट्रल के भी हैं। जब उन 14 राज्यों में बगैर किसी मार्शल लॉ के, बगैर किसी कानून के, बगैर किसी ज्युडिशियरी के, बगैर किसी दबाव के, बगैर किसी धमकी के, बगैर किसी लाठी के, बगैर किसी लालच के यह हो पाया बाकी राज्यों में क्यों नहीं हो पाया? मैं माननीय सदस्यों से बिलकुल सहमत हूं। शायद श्री यादव जी ने कहा कि इस काम में विल होने की जरूरत है। इसमें हिम्मत की जरूरत है। अगर हम अपने अंदर विल पैदा करेंगे तो काम हो जायेगा। शुरु शुरु में कश्मीर में फिदाईन हुये थे, बाद में नहीं हुये। भगवान करे अब यहां न हो लेकिन पाकिस्तान में फिदाईन दूसरों की जान लेने

के लिये हुये हैं। लेकिन हमें इस काम को चलाने के लिए फिदाईन की जरूरत है जो जागरूकता पैदा करें, जो जान न लें लेकिन हिन्दुस्तान को बचायें। वह लाठी के जरिये नहीं, कानून के जरिये नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन मानसिकता में लायें और अगर माईंड सैट में परिवर्तन लायेंगे तो परिवर्तन आ सकता है। मैंने शुरु में भी कहा है कि हम अपोजीशन को रूलिंग में बदलते हैं, रूलिंग को अपोज़ीशन में बदलते हैं, हारने वाले को जीतने वाले में बदलते हैं, और जीतने वाले को हारने वाले में बदलते हैं । इस सब का क्या कारण है? वह सिर्फ हम एक महीने में करते हैं लेकिन आज तो वह 15 दिन में करते हैं।

बीस साल पहले तो यह एक महीने में होता था, लेकिन अब तो यह पन्द्रह दिन में होता है।

सभापति महोदया : माननीय मंत्री जी आप कितना समय लेंगे? आपके रिप्लाई तक कितना समय बढ़ा दिया जाये?

श्री गुलाम नबी आज़ाद : महोदया, बस अब मैं समाप्त कर रहा हूं। यह उथल-पुथल हम सिर्फ पन्द्रह दिनों में करते हैं तो हम सब मिलकर सोलह साल में यह काम क्यों नहीं कर सकते हैं? मुझे खुशी है कि आज मेरे पास स्वास्थ्य मंत्रालय में अधिकारियों की बहुत अच्छी टीम है। जिस विचार का मैं हूं, उसी विचार के वे लोग हैं। कभी-कभी यह भी होता है कि मंत्री एक विचार का और अधिकारी दूसरे विचार के होते हैं। वे इस वक्त भिड़ने के लिए तैयार हैं, इनके साथ अगर आप भी भिड़ जायेंगे तो गाड़ी आगे चलेगी। मैं चाहता हूं हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इस मिशन को चलाने के लिए एक एम्बेसडर बने, न सिर्फ अपने निर्वाचन क्षेत्र में बल्कि जहां भी वे सत्ताधारी हैं, वहां अपने मुख्यमंत्री जी से, अपने स्वास्थ्य मंत्री जी और दूसरे लोगों से इस पर चर्चा करके इस प्रोग्राम को सफल बनायें। आप सबने इसमें हिस्सा लिया, समय दिया, अच्छे सुझाव दिये और स्पीकर महोदया, ने हमें यह चर्चा करने की अनुमति दी, इसके लिए मैं आप सबका अपने मंत्रालय की तरफ से बहुत-बहुत आभार इस आशा के साथ प्रकट करता हूं कि एमपीज़ और मीड़िया मिलकर इस मिशन को आगे चलायेंगे और यह मिशन सफलता प्राप्त करेगा। धन्यवाद।

सभापति महोदया : मुझे लगता है कि अब यहीं समाप्त करें।

...(व्यवधान)

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी): महोदया, यहां कहा गया था कि जीरो ऑवर लिया जायेगा।...(व्यवधान)

सभापति महोदया : जीरो ऑवर एक ही शर्त पर लेंगे कि प्रत्यके माननीय सदस्य एक-एक मिनट में अपनी बात कहकर समाप्त करें।

...(व्यवधान)

श्री रामकिशुन (चन्दौली): महोदया, ये देश की जनता की समस्याओं से जुड़े हुए मुद्दे हैं, एक मिनट में कैसे समाप्त हो सकता है।...(व्यवधान)

सभापति महोदया : मैं आपकी बात को समझ रही हूं, इसीलिए मैं यह कह रही हूं।

...(व्यवधान)

श्री रामकिशुन (चन्दौली): पहले जीरो ऑवर शुरू तो होने दीजिये।...(व्यवधान)

सभापति महोदया : मुझे लगता है कि अब आज कुछ न करें।

...(व्यवधान)

MADAM CHAIRMAN : The House stands adjourned to meet tomorrow at 11.00 A.M.

20.32 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, August 5, 2010/Sravana 14, 1932 (Saka).